



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर  
31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए  
प्रतिवेदन



राजस्थान सरकार

वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 4

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक  
का  
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

राजस्थान सरकार  
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 4

विषय सूची

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		vii-viii
विहगावलोकन		ix-xviii
<b>परिचय</b>		
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप</b>		
प्रस्तावना	1-2	1-2
जवाबदेयता संरचना	3-4	2-3
सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण	5-6	3-4
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश	7-9	4-5
लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यक्षेत्र	10	5-6
<b>भाग-I</b>		
<b>अध्याय-I</b>		
<b>ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप</b>		
परिचय	1.1-1.2	7-8
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण	1.3	9
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.4	9
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	1.5	9-11
राजस्थान सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान	1.6	11
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण	1.7	12
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन	1.8-1.19	12-24
उज्ज्वल डिस्कॉम्स एश्योरेंशस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता	1.20	24-26
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणियां	1.21	26-27
अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद	1.22	27
लेखापरीक्षा अनुच्छेदों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.23 – 1.26	27-28

<b>अध्याय-II</b>		
<b>ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप</b>		
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
उपकर जमा कराने में विलम्ब के कारण ब्याज की परिहार्य शारित	2.1	29-31
<b>जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड</b>		
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान किये गए ठेकों के वित्तीय समापन में प्रणालीगत कमियां	2.2	31-45
<b>अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड</b>		
आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता के कारण गबन	2.3	45-48
<b>राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड</b>		
ग्रिड सब-स्टेशन एवं विद्युत प्रसारण लाइनों का निर्माण	2.4	48-57
<b>भाग-II</b>		
<b>अध्याय-III</b>		
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के उपक्रमों के कार्यकलाप</b>		
परिचय	3.1 - 3.2	59-60
राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश	3.3-3.4	60-61
राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण	3.5	61
राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता	3.6	61-63
राजस्थान सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान	3.7	63
राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण	3.8	63-65
सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण	3.9	65
राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के द्वारा लेखों के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव	3.10	65-66
राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन	3.11-3.23	66-79
अकार्यरत उपक्रमों का समापन	3.24	79
राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों पर टिप्पणियां	3.25-3.26	79-80

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद	3.27	80
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	3.28-3.31	81-82
<b>अध्याय-IV</b>		
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा</b>		
<b>राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम</b>		
बसों के प्रापण एवं उपयोग पर निष्पादन लेखापरीक्षा	4.1-4.36	83-120
<b>अध्याय-V</b>		
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के उपक्रमों से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप</b>		
<b>राजस्थान वित्त निगम</b>		
राजस्थान वित्त निगम में गैर निष्पादन सम्पत्तियों (एनपीए) का प्रबंधन	5.1	121-150
<b>राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड</b>		
नवीन एकीकृत चीनी परिसर का निर्माण एवं परिचालन निष्पादन	5.2	151-173
<b>राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड</b>		
ठेकेदार से वसूली का अभाव	5.3	173-175
<b>राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड</b>		
शास्ति वाक्यांश में अनाधिकृत सीमा निर्धारण के कारण कम वसूली	5.4	176-178
ठेकेदारों को उच्चतर डीजल लागत के भुगतान के कारण परिहार्य वित्तीय भार	5.5	179-180
<b>राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड</b>		
आवंटी फर्म को अदेय लाभ	5.6	180-183

अनुबंध

अनुबंध संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लेखों को अंतिम रूप दिये जाने वाले नवीनतम वर्ष के लिए ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	185-186
2.	राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों की स्थापना से 31 मार्च 2019 तक निवेशित निधियों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	187
3.	निरीक्षण प्रतिवेदन पर प्रत्युत्तर के अभाव को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	188
4.	वित्तीय समापन योग्य क्रयादेश (पीओ) एवं वित्तीय समापित प्रकरणों में से क्रयादेश के चयन की वर्गवार संख्या तथा वित्तीय समापन हेतु लंबित प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	189
5.	जीएसएस एवं लाइनों की संख्या के विवरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	190
6.	जीएसएस एवं लाइनों के निर्माण अनुसूची में समन्वय में अभाव के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	191-192
7.	कार्यों के निष्पादन से पूर्व प्रारंभिक गतिविधियां नहीं करने के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	193-194
8.	31 मार्च 2019 को राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	195-197
9.	31 मार्च 2019 को राजस्थान सरकार के वित्त लेखों एवं राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों में पूँजी, ऋण एवं गारंटी के शेषों के अंतर को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	198
10.	राज्य सरकार द्वारा कार्यरत राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त), जिनके लेखे बकाया हैं, में बकाया लेखों के वर्षों के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	199
11.	राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	200-202
12.	2000-01 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेशित कोषों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	203-207
13.	निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रत्युत्तर के अभाव को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	208-210

14.	चयनित 14 आगारों में 2016-17 से 2018-19 के दौरान आगार-वार बसों की आवश्यकता एवं उपलब्धता (स्वयं एवं किराए पर) को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	211-213
15.	आरटीपीपी अधिनियम 2012/नियम 2013 के अंतर्गत सामग्री के क्रय हेतु निगम द्वारा पालन नहीं किये गये निर्धारित प्रासंगिक प्रावधानों को दर्शाने वाला विवरण पत्र	214-215
16.	2015-16 एवं 2016-17 के दौरान बसों को किराये पर लेने में अनियमितताओं/कमी के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	216-219
17.	2014-19 के दौरान निजी बंस संचालक/ठेकेदार को अनुमत किया गया अतिरिक्त भुगतान/डीजल उपभोग को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	220
18.	2014-15 से 2018-19 के दौरान बसों की वाहन उत्पादकता को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	221
19.	राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29, 30, 31 एवं 32-जी के विभिन्न प्रावधानों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	222-224
20.	31 मार्च 2019 को निगम के कब्जे में स्थित ऋणी इकाइयों का विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र	225-226
21.	चूक करने वाले ऋणियों को बारम्बार अवसर प्रदान करने से ऋण की वसूली में बाधा के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	227-229
22.	समपार्श्विक प्रतिभूतियों की उपलब्धता के उपरान्त भी बकाया की वसूली सुनिश्चित नहीं किये जाने वाले चार ऋण प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	230
23.	ठेकेदार अ द्वारा लंबित कार्यों का विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र	231-232
24.	वर्ष 2012-19 के दौरान जेआरपी स्नान से रॉक फॉस्फेट के स्नान हेतु चार अनुबंधों में डीजल के उपभोग पर अतिरिक्त लागत (सेवा कर के अतिरिक्त) को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	233





## प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है एवं इसे समय-समय पर यथा संशोधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अंतर्गत राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

2. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों के द्वारा धारित हो तथा इसमें ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारित या नियंत्रित अन्य कम्पनी<sup>1</sup> को सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा व्यवस्था उनके संबंधित अधिनियमों के अन्तर्गत निर्धारित की गई है जिनके माध्यम से इन निगमों की स्थापना की गई है।

3. यह प्रतिवेदन राजस्थान राज्य में 40 सरकारी कम्पनियों एवं तीन सांविधिक निगमों को सम्मिलित करते हुए 43 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (उपक्रमों) के निष्पादन से संबंधित है जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन है। इस प्रतिवेदन में सभी 43 उपक्रमों के कार्यकलापों पर एक परिचय अध्याय सम्मिलित किया गया है। तत्पश्चात, इस प्रतिवेदन को दो भागों में विभाजित किया गया है: **भाग-I** ऊर्जा क्षेत्र की 15 कम्पनियों के प्रदर्शन के विश्लेषण से संबंधित है। राजस्थान सरकार (जीओआर) की ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च वित्तीय हिस्सेदारी है क्योंकि इन कम्पनियों में 31 मार्च 2019 तक कुल निवेश ₹ 111778.38 करोड़ था। ऊर्जा क्षेत्र को वर्ष 2018-19 के दौरान कुल बजटीय सहायता का 95.06 प्रतिशत (₹ 22183.89 करोड़) प्राप्त हुआ। राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में पूंजी का योगदान मुख्य रूप से पूंजीगत निवेश एवं विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण हेतु किया गया। ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों ने वर्ष के दौरान ₹ 2319.00 करोड़ का लाभ अर्जित किया। वर्ष के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की छः कम्पनियों ने ₹ 2773.19 करोड़ का लाभ अर्जित किया, चार उपक्रमों ने ₹ 454.19 करोड़ की हानि वहन की थी एवं पांच उपक्रमों ने मामूली हानि वहन की है। इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवेदन के **भाग-I** में, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन एवं इन कम्पनियों की लेखापरीक्षा के परिणाम (चार अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद) प्रस्तुत किए हैं।

1 कारपोरेट मामलों का मंत्रालय-कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) सातवां आदेश, 2014 दिनांक 4 सितम्बर 2014।

4. प्रतिवेदन का भाग-II ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य के 28 उपक्रमों (3 सांविधिक निगमों सहित) के निष्पादन के विवरण से संबंधित है। इन उपक्रमों ने 2018-19 में ₹ 218.14 करोड़ का लाभ अर्जित किया। इस भाग में ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य उपक्रमों से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं छः अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद सम्मिलित हैं।
5. इस प्रतिवेदन में उन लेखापरीक्षा आक्षेपों को समाविष्ट किया गया है जो वर्ष 2018-2019 में की गई लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये एवं गत वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु उनका उल्लेख गत प्रतिवेदनों में नहीं किया गया था। 31 मार्च 2019 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।
6. लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।

विहंगावलोकन

## विहंगावलोकन

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के अंतर्गत शासित होती है।

31 मार्च 2019 को राजस्थान में 43 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (उपक्रम) जिनमें तीन कार्यरत सांविधिक निगम एवं 40 सरकारी कम्पनियां (तीन अकार्यरत सरकारी कम्पनियों को सम्मिलित करते हुये) सम्मिलित थे, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत थीं। कार्यरत उपक्रमों ने उनके नवीनतम लेखों के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 75179.32 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 8.09 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2019 को 43 उपक्रमों में कुल निवेश (समता पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण) ₹ 124266.77 करोड़ था। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान कुल निवेश (₹ 23114.61 करोड़) का 86.42 प्रतिशत (₹ 19974.86 करोड़) ऊर्जा क्षेत्र ने प्राप्त किया।

### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

#### ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों का गठन

राज्य सरकार ने राजस्थान विद्युत सुधार अधिनियम 1999 (आरपीएसआरए 1999) को लागू (जनवरी 2000) किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत उद्योग के पुर्नगठन एवं राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) की शक्तियों, कर्तव्यों एवं कार्यों को राज्य सरकार को एक या अधिक विद्युत क्षेत्र कम्पनियों को हस्तान्तरण करने के लिए योजना तैयार करने का प्रावधान था। राज्य सरकार ने तदनुसार राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) को विघटित करने एवं आरएसईबी की परिसम्पत्तियां, सम्पत्तियां, उत्तरदायित्व, दायित्व, कार्यवाहियां एवं कार्मिक ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों को हस्तांतरित करने के लिए राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार हस्तान्तरण योजना 2000 (आरपीएसआरटी योजना 2000) बनायी (19 जुलाई 2000)। 31 मार्च 2019 को राज्य में ऊर्जा क्षेत्र की 15 कम्पनियां थीं। इन ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।

इन 15 कम्पनियों में से छः कम्पनियों ने 2018-19 तक कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां प्रारम्भ नहीं कीं। इन छः कम्पनियों में से एक कम्पनी नामतः *केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड* ने अपनी व्यावसायिक गतिविधिया वर्ष 2018-19 के दौरान बंद कर दी (15 फरवरी 2019)। अतः इस प्रकार इन उपक्रमों की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया है। सरकार को इन उपक्रमों की व्यवसायिक गतिविधियां प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों ने, नवीनतम लेखों के अनुसार, वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 60355.46 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर राजस्थान के जीएसडीपी के 6.50 प्रतिशत के

बराबर था जो कि विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

### **राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी**

31 मार्च 2019 तक, ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में कुल निवेश (समता पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) ₹ 111778.38 करोड़ था। निवेश में 40.88 प्रतिशत पूँजी एवं 59.12 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दीर्घकालीन ऋण, कुल दीर्घकालीन ऋणों के 27.73 प्रतिशत (₹ 18324.72 करोड़) थे जबकि शेष 72.27 प्रतिशत (₹ 47753.26 करोड़) दीर्घकालीन ऋण अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये गये थे।

### **ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों का निष्पादन**

ऊर्जा क्षेत्र की इन 15 कम्पनियों द्वारा 2014-15 में वहन की गई ₹ 16184.94 करोड़ की हानि के समक्ष 2018-19 में अर्जित लाभ ₹ 2319 करोड़ था। ऊर्जा क्षेत्र की इन कम्पनियों के 2018-19 के लेखों के अनुसार, छः कम्पनियों ने ₹ 2773.19 करोड़ का लाभ कमाया एवं चार कम्पनियों को ₹ 254.19 करोड़ की हानि हुई। शेष पांच कम्पनियों को वर्ष 2018-19 के दौरान मामूली हानि हुई। शीर्ष लाभ कमाने वाली कम्पनियां जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1233.76 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 906.09 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 466.82 करोड़) एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 138.42 करोड़) थी जबकि गिरल लिग्नाईट पावर लिमिटेड (₹ 324.13 करोड़) एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 127.99 करोड़) ने भारी हानि वहन की।

31 मार्च 2019 को ₹ 45700.40 करोड़ के पूँजी निवेश के समक्ष विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की संचित हानियां ₹ 96597.14 करोड़ थीं। ऊर्जा क्षेत्र की इन 15 कम्पनियों में से जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (-) ₹ 20277.18 करोड़, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (-) ₹ 19820.20 करोड़, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (-) ₹ 19000.52 करोड़ एवं गिरल लिग्नाईट पावर लिमिटेड (-) ₹ 894.72 करोड़ में निवल सम्पत्तियों का पूर्ण रूप से क्षरण हो गया।

### **उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत सहायता**

राज्य के स्वामित्वाधीन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता प्रदान करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान सरकार (जीओआर) एवं संबंधित राज्य डिस्कॉम (अर्थात् जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के मध्य त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर (27 जनवरी 2016) किए गए। उदय एवं एमओयू के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितंबर 2015 को तीन राज्य डिस्कॉम्स से संबंधित कुल बकाया ऋण (₹ 83229.90 करोड़) में से राजस्थान सरकार ने 2015-16 एवं 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 62421.95 करोड़ के कुल ऋण का अधिग्रहण कर लिया था, जिसके समक्ष राजस्थान सरकार ने इस अवधि के दौरान ₹ 8700 करोड़ की पूँजी एवं ₹ 9000 करोड़ का अर्थ-सहाय्य प्रदान किया। शेष ₹ 44721.95 करोड़ की राशि जिसे उदय के अन्तर्गत ऋण में परिवर्तित किया गया था, को तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में पूँजी एवं अनुदान में परिवर्तित किया जाना

था। इस राशि के समक्ष, राजस्थान सरकार ने 2017-18 एवं 2018-19 के प्रत्येक वर्ष के दौरान ₹ 3000 करोड़ की पूँजी एवं ₹ 12000 करोड़ का अनुदान प्रदान किया जबकि शेष ऋण राशि को बाद के वर्षों में राजस्थान सरकार की बजट स्वीकृति के अनुसार परिवर्तित किया जाना था।

### **लेखों की गुणवत्ता**

ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितम्बर 2019 तक अंतिम रूप दिये गये 15 लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने छः लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र प्रदान किया। ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के 23 प्रकरण थे।

### **ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप**

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में रही कमियों को उजागर करते हैं, जिनकी परिणति गंभीर वित्तीय प्रभावों के रूप में हुई थी। इंगित की गई कमियां मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं:

**जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड**

#### **उपकर जमा कराने में विलम्ब के कारण ब्याज की परिहार्य शास्ति**

तीनों डिस्कॉम्स द्वारा राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों में निर्धारित समयावधि के अनुसार जल संरक्षण उपकर (डब्ल्यूसीसी) जमा करवाने के लिए कार्यविधि तैयार नहीं की गई। उचित कार्यविधि के अभाव में विद्युत उपभोक्ताओं से संग्रहण किए गए डब्ल्यूसीसी को जमा करने में विलम्ब हुआ एवं ₹ 55.42 करोड़ के ब्याज की शास्ति का दायित्व उत्पन्न हुआ।

**जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड**

#### **जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान किये गए अनुबंधों के वित्तीय समापन में प्रणालीगत कमियां**

कम्पनी ने प्रापण प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) को नहीं अपनाया था एवं ठेकों के वित्तीय समापन के लिए एक सुपरिभाषित एवं व्यापक कार्यप्रणाली स्थापित नहीं की थी। साथ ही, क्रय आदेशों / टर्नकी कार्यों के ठेकों के वित्तीय समापन संबंधित एसीओएस / आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सत्यापित बिलों एवं प्राप्ति चालानों को प्रस्तुत नहीं करने, एसीओएस एवं एमएम समूह के मध्य कमजोर सम्प्रेषण प्रणाली, आपूर्तिकर्ताओं से वसूली करने में सुस्त दृष्टिकोण, लागू शास्ति की वसूली में विलम्ब/अवसूली, नाममात्र निष्पादित टर्नकी कार्यों के समापन एवं दोषी आपूर्तिकर्ताओं की बैंक गारंटी को नहीं भुनाने के कारण असामान्य रूप से विलंबित/अपूर्ण रहा।

## अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

### आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता के कारण गबन

कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं निगरानी ने कम्पनी के कार्मिक को बैंक ट्रांसफर एडवाइस में जाली प्रविष्टियों के माध्यम से वेतन अभिलेखों में हेरफेर करके ₹ 2.25 करोड़ का गबन करने का अवसर प्रदान किया।

## राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

### ग्रिड सब-स्टेशन एवं प्रसारण लाइनों का निर्माण

कम्पनी ने प्रसारण तंत्र में अतिरिक्त क्षमता का संधारण करने हेतु निर्धारित आदर्शो/मानकों की अनुपालना नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप स्थापित क्षमता एवं संभाली गई क्षमता में वृद्ध अंतर था। साथ ही, त्रुटिपूर्ण नियोजन एवं परियोजना प्रबंधन पर कार्य दल समिति की सिफारिशों की अनुपालना नहीं करने के कारण प्रसारण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुये थे। साथ ही, इन कार्यों के निष्पादन से पूर्व प्रारंभिक गतिविधियों को नहीं करने के कारण कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ एवं अत्यधिक समय के लिए राशि अवरुद्ध रही थी। इसके अतिरिक्त, अनुचित नियोजन एवं कमजोर परियोजना प्रबंधन के कारण भी कम्पनी द्वारा लिए गये ऋण पर प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान करना पड़ा था। कम्पनी कार्यों की भौतिक प्रगति की प्रभावशाली निगरानी करने में असफल रही थी।

## राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के उपक्रमों का कार्यकलाप

31 मार्च 2019 को राजस्थान में 28 राज्य उपक्रम (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) थे, जिनमें 22 कार्यरत कम्पनियां, तीन कार्यरत सांविधिक निगम एवं तीन अकार्यरत उपक्रम (समस्त कम्पनियां) थे। वर्ष 2018-19 के दौरान नवीनतम वित्तीय लेखों के अनुसार कार्यरत उपक्रमों ने ₹ 14823.86 करोड़ के टर्नओवर को प्राप्त किया। यह टर्नओवर राज्य के जीएसडीपी के 1.60 प्रतिशत के बराबर था, जो राज्य के उपक्रमों की राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

### राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी

31 मार्च 2019 तक, इन 28 उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 12488.40 करोड़ था। निवेश में 28.75 प्रतिशत पूँजी एवं 71.25 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 24.99 प्रतिशत (₹ 2224.18 करोड़) था जबकि शेष 75.01 प्रतिशत (₹ 6674.35 करोड़) दीर्घावधि ऋण अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राप्त किया गया था।

### राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का कार्य निष्पादन

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएमआरसीएल) की हानियों में महत्वपूर्ण कमी के कारण इन कार्यरत राज्य उपक्रमों द्वारा 2014-15 में वहन की गई ₹ 5.87 करोड़ की हानि 2018-19 में ₹ 219.85 करोड़ के लाभ में परिवर्तित हो गई। वर्ष 2018-19 के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार, 25

कार्यरत राज्य उपक्रमों में से 18 उपक्रमों ने ₹ 511.53 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं सात उपक्रमों ने ₹ 291.68 करोड़ की हानि वहन की।

शीर्ष लाभ कमाने वाले राज्य उपक्रम राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (₹ 168.50 करोड़), राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 142.94 करोड़), राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम (₹ 88.89 करोड़), राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 35.00 करोड़) थे जबकि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 176.11 करोड़) एवं जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (₹ 52.97 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

### **लेखों की गुणवत्ता**

राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितम्बर 2019 तक अंतिम रूप दिये गये 18 लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने राजस्थान स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के लेखों पर विपरीत प्रमाण-पत्र एवं अन्य नौ लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र प्रदान किया। छः लेखों में सांविधिक लेखापरीक्षकों ने उपक्रमों द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के अठारह प्रकरण इंगित किये गये।

### **लेखों के बकाया एवं समापन**

30 सितम्बर 2019 को 15 कार्यरत उपक्रमों के 21 लेखे बकाया थे। निष्क्रिय उपक्रमों में से एक अकार्यरत उपक्रम के चार लेखे बकाया थे। सरकार को अकार्यरत उपक्रमों को बंद किये जाने के संबंध में उचित निर्णय लेना चाहिए।

**राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा**

**राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम**

**'बसों के प्रापण एवं उपयोग' पर निष्पादन लेखापरीक्षा**

यह निष्पादन लेखापरीक्षा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (निगम) द्वारा 2014-15 से 2018-19 के दौरान बसों के प्रापण एवं उपयोग को सम्मिलित करती है।

### **वित्तीय निष्पादन**

निगम ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान भारी हानि वहन की एवं यह संचालन की लागत भी वसूल नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, निगम की संचित हानियां एवं ऋणात्मक निवल मूल्य 2014-15 में क्रमशः ₹ 2766.90 करोड़ एवं ₹ 2127.94 करोड़ से सारभूत रूप से बढ़कर 2018-19 में क्रमशः ₹ 4975.52 करोड़ एवं ₹ 4336.56 करोड़ हो गये।



### **सार्वजनिक परिवहन में निगम की हिस्सेदारी**

निगम सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती मांग को पूर्ण करने में सक्षम नहीं था क्योंकि बस यातायात एवं प्रति व्यक्ति प्रभावी किलोमीटर में निगम की हिस्सेदारी, निजी बसों के बेड़े में वृद्धि की अधिक दर एवं निगम के बेड़े के कम उपयोग के कारण कमशः 10.36 प्रतिशत से घटकर 9.98 प्रतिशत एवं 8.43 से घटकर 6.91 तक रह गई।

### **आवश्यकता के आंकलन के लिए नीति/क्रियाविधि**

निगम ने बसों की उपलब्धता एवं अर्द्धवार्षिक योजना में आवश्यकता के आंकलन को सहसंबंधित करके बसों के प्रापण/किराए पर लेने की सामयिक योजना बनाने के लिए एक तंत्र विकसित नहीं किया था।

### **आगार-वार आवश्यकता प्राप्त किए बिना बसों को किराए पर लेना**

संबंधित आगारों से विशिष्ट आवश्यकता प्राप्त किए बिना बसों को केंद्रीयकृत स्तर पर किराए पर लिया गया था। निगम ने किराए की बसों के आवंटन से पूर्व आगारों से आवश्यकता की पुष्टि भी नहीं की थी। परिणामस्वरूप, 2016-19 के दौरान, चार से सात आगारों में 21 से 75 बसों के मध्य अतिरिक्त बसें थी एवं पांच से आठ आगारों को 60 से 183 बसों की कमी का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, कोटा आगार (2016-17), राजसमंद एवं डूंगरपुर आगार (2017-18) एवं जयपुर आगार (2017-18 एवं 2018-19) के पास अतिरिक्त बसें थीं, लेकिन इन्हे अन्य आगारों, जो बसों की कमी का सामना कर रहे थे, में स्थानांतरित नहीं किया गया था।

### **किराए पर ली गई लक्जरी/सेमी-डीलक्स बसों के परिचालन से हानि**

निगम ने कुछ विशेष मार्गों पर बसों के परिचालन की उचित आवश्यकता एवं व्याहार्यता का आंकलन किए बिना लक्जरी/सेमी-डीलक्स बसों को किराए पर लिया एवं परिचालित किया। परिणामस्वरूप, निगम को अलाभकारी मार्गों पर बसों के परिचालन के कारण ₹ 2.34 करोड़ की शुद्ध हानि वहन करनी पड़ी। निगम ने लगातार हानि वहन करने के उपरान्त भी इन बसों को चलाने के लिए वैकल्पिक मार्ग खोजने के प्रयास नहीं किए थे।

### **बसों को किराये पर लेने में कमियां (2016-17)**

निगम ने 800 बसों को किराए पर लेने के लिए निविदाएं आमंत्रित की (दिसंबर 2016), तथापि, निगम ने 500 नई ब्लू-लाईन बसों के प्रापण के लिए राजस्थान सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात आवश्यकता को पुनर्निधारित नहीं किया था। यह प्रक्रिया जारी रखी गई एवं पांच साल की अवधि के लिए बसों को किराए पर लिया गया। इस प्रकार, किराए पर ली जाने वाली बसों की आवश्यकता में कमी नहीं करने के परिणामस्वरूप वास्तविक उपयोग की तुलना में अतिरिक्त बसों की उपलब्धता बढ़ गई।

### **बेड़ा एवं इसका आयु विवरण**

निगम वाहनों को अनुपयोगी घोषित करने के निर्धारित मानदंडों को प्राप्त नहीं कर सका था। आयु पार बसों की प्रतिशतता 2014-15 में 7.33 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 18.46 प्रतिशत हो गई।

### **बेड़ा उपयोगिता**

निगम के बेड़े का औसत उपयोग मुख्यतः यंत्रदोष, यांत्रिक समस्याओं एवं बसों का आवंटन नहीं किए जाने इत्यादि के पेटे अनुसूचित किलोमीटर में कटौती के कारण 2014-15 में 92 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 68 प्रतिशत रह गया।

### **वाहन उत्पादकता**

निगम की समग्र वाहन उत्पादकता (किराए की बसों सहित) 2014-15 से 2018-19 के दौरान 397 किलोमीटर प्रतिदिन से घटकर 392 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई थी। निगम की बसों की वाहन उत्पादकता 390 किमी से घटकर 363 किमी प्रतिदिन हो गई, तथापि, निगम ने इस स्थिति में सुधार के लिए सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की थी।

### **अनुसूचित किलोमीटर का निरस्तीकरण**

वर्ष 2014-19 के दौरान, अनुसूचित किलोमीटर के निरस्त होने की प्रतिशतता मुख्य रूप से बसों की पर्याप्त संख्या में तैनाती नहीं किए जाने, चालक दल की कमी एवं अन्य कारण जैसे कि यंत्रदोष, दर्घटना, निम्न आय इत्यादि के कारण लगातार बढ़कर 7.25 से 14.20 हो गई थी। 2014-19 के दौरान निगम केवल बसों एवं चालक दल की आवश्यकता के कारण अनुसूचित किलोमीटर निरस्त करने के परिणामस्वरूप ₹ 72.95 करोड़ के राजस्व से वंचित हो गया था।

### **यात्री भार**

निगम का प्रदर्शन कमजोर रहा क्योंकि यह वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान लक्षित यात्री भार प्राप्त नहीं कर सका। सम-विच्छेद यात्री भार का प्रतिशत बहुत अधिक था एवं 83.01 प्रतिशत से 102.55 प्रतिशत के मध्य रहा। साथ ही, इसमें 2016-17 के पश्चात निरन्तर वृद्धि हुई थी।

### **ईंधन दक्षता**

निगम 2014-19 के दौरान औसत डीजल लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। 2014-19 के दौरान, चयनित 15 आगारों में से, वर्ष 2015-16 में राजसमंद आगार एवं वर्ष 2017-18 में करौली आगार को छोड़कर, कोई भी आगार केएमपीएल के आगार-वार लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। केएमपीएल के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने का कारण, मुख्य रूप से आयुपार वाहनों का परिचालन था, जो कि 322 से बढ़कर मार्च 2019 तक 749 अर्थात् निगम की कुल बसों का 18.46 प्रतिशत तक हो गई थी।

### **केंद्रीय कार्यशाला (सीडब्ल्यूएस) का प्रदर्शन**

सीडब्ल्यूएस, जयपुर के कार्य निष्पादन की स्थिति कमजोर थी, क्योंकि वर्ष 2014-15 में 81 प्रतिशत बसों की सामयिक मरम्मत के समक्ष वर्ष 2018-19 में मात्र 65 प्रतिशत बसों की मरम्मत समय पर की गई थी। साथ ही, 2017-18 एवं 2018-19 में स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई क्योंकि सीडब्ल्यूएस ने 145 बसों की मरम्मत के लिए 61 दिन से 365 दिन तक का समय लिया।

### **निष्पादन संकेतकों की निगरानी**

प्रणाली में कमी थी क्योंकि विभिन्न मापदंडों पर संकलित सूचना की प्रभावशीलता एवं उपयोगिता की समीक्षा नहीं किए जाने के साथ-साथ एमआईएस परिवर्तनशील लागत से नीचे संचालित अनुसूचियों की सूचना प्रदान नहीं करता था। विभिन्न निष्पादन संकेतकों की आगार-वार सूचना से बीओडी को अवगत नहीं करवाया गया था।

### **सिफारिशें**

निष्पादन लेखापरीक्षा में पांच सिफारिशें सम्मिलित हैं यथा निगम द्वारा (i) सार्वजनिक परिवहन में इसकी हिस्सेदारी में वृद्धि करने; (ii) नियोजित अनुसूची एवं बसों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बसों के प्रापण/किराये पर लिए जाने की आवश्यकता के आंकलन हेतु एक प्रणाली विकसित करे; (iii) आरटीपीपी अधिनियम एवं नियमों की अनुपालना के साथ-साथ ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पादित संविदा अनुबंधों के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करे; (iv) बेड़े के इष्टतम उपयोग, वाहन उत्पादकता में सुधार, यात्री भार में सुधार, स्थायी लागत एवं ईंधन लागत में कमी करने हेतु ठोस कदम उठाये; एवं (v) आंतरिक लेखापरीक्षा एवं निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करे।

साथ ही, यदि निगम इसकी परिचालन एवं वित्तीय निष्पादन में लक्षित समय सीमा के भीतर सुधार नहीं करता है, तो सरकार निगम के परिचालनों की निरन्तरता बनाए रखने के संबंध में अंतिम निर्णय कर सकती है।

### **राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप**

इस अध्याय में ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त से संबंधित राज्य की कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के व्यवहारों की नमूना जांच में प्रकट हुये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

#### **राजस्थान वित्त निगम**

#### **राजस्थान वित्त निगम में गैर निष्पादन सम्पत्तियों (एनपीए) के प्रबंधन पर विषय-परक लेखापरीक्षा**

निगम एमएसएमई क्षेत्र की औद्योगिक ऋणों की बढ़ती हुई मांग के साथ गति बनाए रखने में समर्थ नहीं था क्योंकि 2015-18 के दौरान निगम का पोर्टफोलियो औद्योगिक क्षेत्र के कुल बकाया ऋणों के 1.19 प्रतिशत व 1.27 प्रतिशत के मध्य रहा। इसके अतिरिक्त, निगम की कार्मिक लागत अन्य एसएफसी की तुलना में अधिक थी। निगम ने बकाया की वसूली के लिए पर्याप्त एवं सामयिक कानूनी कार्यवाही नहीं की थी। निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने के कारण, ऋण स्वीकृत करने में कमियों की परिणीति अयोग्य ऋणियों को ऋण प्रदान करने के रूप में देखी गई। निगम ने राजस्व प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुसरण नहीं किया एवं चूककर्ता की सम्पत्तियों की पहचान करने में भी विफल रहा। निरन्तर चूक एवं मिथ्या प्रतिबद्धताओं के उपरान्त भी, ऋणियों को निरन्तर अवसर प्रदान किए गए थे। साथ ही, निगम कब्जे में ली गई सम्पत्तियों के निस्तारण में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप बकाया में वृद्धि

हुई। सीआरई के प्रकरणों में, मुकदमों एवं सम्पत्तियों के निस्तारण नहीं होने के कारण देयता का सारभूत संचय हुआ एवं यह सम्पत्तियों के बाजार वसूलनीय मूल्य से अधिक हो गई थी। शाखा स्तर पर निगरानी एवं निरीक्षण दोषपूर्ण था क्योंकि इकाईयों के दौरे निर्धारित मानदंडों के अनुसार आयोजित नहीं किए गए थे।

### **राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड**

#### ***नवीन एकीकृत चीनी परिसर का निर्माण एवं परिचालन निष्पादन***

एकीकृत चीनी परिसर का निर्माण भारी अतिरिक्त लागत पर हुआ था, जो कि मुख्यतः सिविल कार्यों में एवं अभियांत्रिकी अनुबंधों अतिरिक्त समय लगने से लागत में वृद्धि डीपीआर में परिकल्पित नहीं किये गए कुछ कार्यों के क्रियान्वयन के कारण थी। चीनी मिल एवं सह-उत्पादन संयंत्र का परिचालन निष्पादन अत्यधिक यंत्रदोष, बगास के अतिरिक्त उपभोग, गन्ने से चीनी की कम प्राप्ति, सह-उत्पादन संयंत्र के कमजोर निष्पादन के परिणामस्वरूप डिस्कॉम्स को विद्युत के कम निर्यात के परिणामस्वरूप प्रभावित हुआ था। डिस्टिलरी संयंत्र का मार्च 2020 तक सम्पूर्ण रूप से स्थिरीकरण नहीं किया जा सका जिसकी परिणति कमतर उत्पादन एवं उत्पादित परिशोधित डिस्पिरिट की उच्च लागत के रूप में हुई। कम्पनी ने निर्धारित पर्यावरणीय मानकों की पालना नहीं की क्योंकि इसने अवशिष्ट शोधन संयंत्र का स्थिरीकरण नहीं किया था। साथ ही कमजोर वित्तीय प्रबंधन के भी प्रकरण थे एवं कम्पनी परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिये निगरानी का एक प्रभावी तंत्र विकसित नहीं कर सकी।

### **राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड**

#### ***ठेकेदार से वसूली का अभाव***

ठेकेदार के साथ अस्थायी आधार पर टोल वसूली हेतु करार निष्पादित करते समय नई टोल नीति 2016 के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करने एवं दोषी ठेकेदार के विरुद्ध समय पर कार्यवाही प्रारंभ नहीं करने के कारण ₹ 6.08 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

### **राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड**

#### ***शास्ति वाक्यांश में अनाधिकृत सीमा निर्धारण के कारण कम वसूली***

गैर निष्पादन/निम्न निष्पादन के लिए शास्ति को परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक सीमित करने के स्वतः निष्फल होने वाले अनाधिकृत वाक्यांश को सम्मिलित करने के कारण ₹ 11.48 करोड़ शास्ति की वसूली नहीं हो पाई।

#### ***ठेकेदारों को उच्चतर डीजल लागत के भुगतान के कारण परिहार्य वित्तीय भार***

कम्पनी द्वारा आवश्यक लागत-लाभ विश्लेषण किए बिना ठेकेदारों को डीजल की आपूर्ति करने का प्रचलन बंद करने के कारण ₹ 22.19 करोड़ की उच्चतर डीजल लागत का परिहार्य अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा।

## राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड

### *आवंटी फर्म को अदेय लाभ*

कम्पनी ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों एवं निदेशक मण्डल के निर्देशों का उल्लंघन किया एवं इस प्रकार न केवल औद्योगिक पार्क (नीमराना) में गैर-औद्योगिक/वाणिज्यिक उपयोग की सीमा को बढ़ाया अपितु रूपांतरण शुल्क की संशोधन-पूर्व दर पर वसूली करके आवंटी को ₹ 3.55 करोड़ का अदेय लाभ भी प्रदान किया।

# परिचय

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

## परिचय

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

#### प्रस्तावना

1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सार्वजनिक उपक्रम) में राज्य सरकार की कम्पनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना जन-कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों को संचालन के लिए की जाती हैं तथा इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। 31 मार्च 2019 तक, राजस्थान में 43 उपक्रम थे, जिनमें तीन<sup>1</sup> सांविधिक निगम एवं 40 सरकारी कम्पनियां (जिनमें तीन<sup>2</sup> अकार्यरत सरकारी कम्पनियां<sup>3</sup> सम्मिलित हैं) जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत थी। इनमें से कोई भी सरकारी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी।

2 30 सितंबर 2019 को नवीनतम लेखों के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन इस प्रतिवेदन में सम्मिलित है। सार्वजनिक उपक्रमों की प्रकृति एवं लेखों की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 1: प्रतिवेदन में सम्मिलित सार्वजनिक उपक्रमों की प्रकृति

सार्वजनिक उपक्रमों की प्रकृति	कुल संख्या	सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे प्रतिवेदन अवधि <sup>4</sup> के दौरान प्राप्त हुए				कुल	सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे 30 सितंबर 2019 को बकाया (कुल बकाया लेखे) थे
		2018-19 तक के लेखे	2017-18 तक के लेखे	2016-17 तक के लेखे	कुल		
कार्यरत सरकारी कम्पनियां <sup>5</sup>	37	23	8	2 <sup>6</sup>	33	14 (20)	
सांविधिक निगम	3	2	1	-	3	1 (1)	
<b>कुल कार्यरत उपक्रम</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>15 (21)</b>	
अकार्यरत सरकारी कम्पनियां	3	-	2	1 <sup>7</sup>	3	3 (6)	
<b>कुल</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>18 (27)</b>	

कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों ने 30 सितंबर 2019 को अपने नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 75179.32 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2018-19 (₹ 929124 करोड़) के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 8.09 प्रतिशत के बराबर था।

- 1 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम एवं राजस्थान वित्त निगम।
- 2 राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड एवं राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड।
- 3 अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रम वे हैं जो अपने व्यवसायिक संचालनों का समापन कर चुके हैं।
- 4 अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 तक।
- 5 सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) एवं 139 (7) में संदर्भित अन्य कम्पनियां शामिल हैं।
- 6 इसमें एक लेखे वर्ष 2015-16 के सम्मिलित है।
- 7 इसमें एक लेखे वर्ष 2014-15 के सम्मिलित है।

कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों ने अपने नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 2458.23 करोड़ का लाभ अर्जित किया। मार्च 2019 को सार्वजनिक उपक्रमों में लगभग एक लाख कर्मचारी कार्यरत थे।

तीन अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रम, जिनमें पूंजी (₹ 11.77 करोड़) एवं दीर्घकालिक ऋण (₹ 16.27 करोड़) के रूप में ₹ 28.04 करोड़ का निवेश था, ने गत तीन से 19 वर्षों की अवधि में अपने संचालनों को बंद कर दिया था। यह एक गंभीर विषय है क्योंकि अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों में किया गया निवेश राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान प्रदान नहीं करता है।

### जवाबदेयता संरचना

3 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 एवं 143 के सम्बन्धित प्रावधानों के द्वारा शासित होती है। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें प्रदत्त पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केंद्र सरकार द्वारा, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो, तथा इसमें वह कम्पनी भी सम्मिलित है जो कि ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है। इसके अतिरिक्त, किसी अन्य कम्पनी<sup>8</sup> जोकि केंद्र सरकार द्वारा, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा, अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित है, को इस प्रतिवेदन में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अंतर्गत सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा की जाती है। अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सीएजी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि में की जानी चाहिए। अधिनियम 2013 की धारा 139 (7) प्रावधान करती है कि सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के प्रकरण में सीएजी द्वारा प्रथम लेखापरीक्षक की नियुक्ति कम्पनी के पंजीकरण की दिनांक से साठ दिनों में की जानी चाहिए एवं यदि सीएजी द्वारा उल्लेखित अवधि में इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है, कम्पनी के निदेशक मण्डल अथवा कम्पनी के सदस्यों द्वारा ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी।

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप-धारा (5) अथवा उप-धारा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी भी कम्पनी के प्रकरण में सीएजी, यदि आवश्यक समझें, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कम्पनी के लेखों की नमूना जांच करवा सकते हैं तथा नमूना जांच के प्रतिवेदन पर सीएजी का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कम्पनी अथवा केंद्र

8 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय- (कठिनाइयों को हटाना) सातवां आदेश 2014 दिनांक 4 सितंबर 2014।



सरकार द्वारा, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा, अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित कोई अन्य कम्पनी, सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन है। किसी कम्पनी के 31 मार्च 2014 को अथवा उससे पूर्व शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों से संबंधित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होती रहेगी।

#### **सांविधिक लेखापरीक्षा**

4 सरकारी कम्पनियों (अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) अथवा (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति वित्तीय विवरणों एवं अन्य के सहित सीएजी को प्रस्तुत करते हैं। यह वित्तीय विवरण, अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति से 60 दिनों में सीएजी द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होते हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हेतु सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम एवं राजस्थान वित्त निगम के प्रकरण में सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा तथा सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

#### **सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण**

##### **समय पर अंतिम रूप देने एवं प्रस्तुत करने की आवश्यकता**

5 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 एवं 395 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के कामकाज एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार किया जाना होता है एवं इस तरह की तैयारी के बाद जितना शीघ्र हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई टिप्पणी अथवा पूरक के साथ सदन अथवा राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाएगी। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में भी लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह क्रियाविधि राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश किए गए लोक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

अधिनियम 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम आयोजित करनी होती है। यह भी निर्दिष्ट है कि एक एजीएम से अगली एजीएम की दिनांक के बीच 15 महीने से अधिक व्यतीत नहीं होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, अधिनियम 2013 की धारा 129 यह निर्दिष्ट करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त एजीएम में उनके विचार करने के लिए रखा जाना चाहिए। अधिनियम 2013 की धारा 129 (7) में अधिनियम 2013 की धारा 129 के प्रावधानों की अवज्ञा के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर शास्ति लगाये जाने एवं कारावास का प्रावधान है।

### सरकार एवं विधानमंडल की भूमिका

6 राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण रखती है। निदेशक मंडल के मुख्य कार्यकारी एवं निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधानमंडल सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग की निगरानी करता है। इसके लिए राज्य सरकार की कम्पनियों के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 394 के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं सीएजी की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन तथा सांविधिक निगमों के मामले में, जैसा कि संबंधित अधिनियमों में निर्धारित किया गया है, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी का (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अंतर्गत सरकार को प्रस्तुत किये जाते हैं।

### राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश

7 राजस्थान सरकार (जीओआर) की सार्वजनिक उपक्रमों में महत्वपूर्ण वित्तीय भागीदारी है। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार की है:

- **शेयर पूंजी एवं ऋण** - शेयर पूंजी योगदान के अतिरिक्त, जीओआर समय-समय पर सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।
- **विशेष वित्तीय सहायता** - जीओआर सार्वजनिक उपक्रमों को आवश्यकता के अनुसार अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करता है।
- **गारंटी** - जीओआर वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लिये गये ऋण की ब्याज के साथ पुर्नभुगतान की गारंटी भी देता है।

8 31 मार्च 2019 को सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 2: सार्वजनिक उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियां		सांविधिक निगम		कुल	निवेश <sup>9</sup> (₹ करोड़ में)		
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत	अकार्यरत		पूँजी	दीर्घकालीन ऋण	कुल
ऊर्जा	15	-	-	-	15	45700.40	66077.98	111778.38
वित्त	3	-	1	-	4	303.75	302.22	605.97
सेवा	8	1	2	-	11	2434.50	2594.67	5029.17
ढांचागत	4	-	-	-	4	359.86	4300.35	4660.21
अन्य	7	2	-	-	9	491.76	1701.29	2193.05
<b>योग</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>43</b>	<b>49290.27</b>	<b>74976.51</b>	<b>124266.78</b>


स्रोत: सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

9 निवेशों में पूंजी एवं दीर्घकालिक ऋण सम्मिलित हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों में किये गये निवेश का प्रभुत्व ऊर्जा क्षेत्र पर था। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान किये गये ₹ 23114.62 करोड़ के कुल निवेश में से ऊर्जा क्षेत्र को ₹ 19974.86 करोड़ (86.42 प्रतिशत) का निवेश प्राप्त हुआ।

9 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए गत पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वर्ष के अंत में निवेश नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 1: सार्वजनिक उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश



ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए, हम इस प्रतिवेदन के भाग I<sup>10</sup> में ऊर्जा क्षेत्र के 15 सार्वजनिक उपक्रमों एवं प्रतिवेदन के भाग II<sup>11</sup> में 28 सार्वजनिक उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत कर रहे हैं।

### लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यक्षेत्र

10 कुल 43 उपक्रमों में से 32 उपक्रमों की लेखापरीक्षा इस कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), जो कि पहले महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) था, को सुपुर्द है जबकि 11 उपक्रमों की लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), जो कि पहले प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान था, को सुपुर्द

10 भाग I में अध्याय-I (ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप) एवं अध्याय-II (ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप) सम्मिलित हैं।

11 भाग II में अध्याय-III {राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के उपक्रमों के कार्यकलाप}, अध्याय-IV {राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा} एवं अध्याय-V {राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के उपक्रमों से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप} सम्मिलित हैं।

है। वर्ष 2018-19 के दौरान, इस कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 32 उपक्रमों की 1067 इकाईयां थी। समस्त उपक्रमों की वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, 248 इकाईयों का चयन अनुपालना लेखापरीक्षा हेतु किया गया था।

# भाग I

# अध्याय I

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

## भाग-I

## अध्याय-I

### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

#### परिचय

1.1 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, यह क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करता है। ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर से जीएसडीपी का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में उपक्रमों की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर एवं राजस्थान के जीएसडीपी का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.1: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर के सम्मुख जीएसडीपी

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर (₹ करोड़ में)	36523.38	42663.02	48768.95	55605.46	60355.46
टर्नओवर में गत वर्ष के टर्नओवर की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	23.05	16.81	14.31	14.02	8.54
राजस्थान की जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	615642.00	681485.00	758809.00	835558.00	929124.00
जीएसडीपी में गत वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	11.73	10.70	11.35	10.11	11.20
टर्नओवर का राजस्थान के जीएसडीपी से प्रतिशत	5.93	6.26	6.43	6.65	6.50

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर के आंकड़ों एवं राजस्थान सरकार की 2018-19 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार जीएसडीपी के आंकड़ों के आधार पर संकलित।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है एवं यह 2014-19 की अवधि में 8.54 प्रतिशत से 23.05 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में राजस्थान के जीएसडीपी में वृद्धि 10.11 प्रतिशत से 11.73 प्रतिशत के मध्य रही। जीएसडीपी की गत पांच वर्षों के दौरान वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर<sup>1</sup> 11.01 प्रतिशत रही। वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर विभिन्न समयावधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी की 11.01 प्रतिशत

1 वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर  $[(2018-19 \text{ का मूल्य} / 2013-14 \text{ का मूल्य})^{(1/5 \text{ वर्ष})} - 1] * 100$  जिसमें 2013-14 के लिए टर्नओवर एवं जीएसडीपी क्रमशः ₹ 29680.74 करोड़ एवं ₹ 551031 करोड़ है।

की वार्षिक मिश्रित वृद्धि के समक्ष ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में गत पांच वर्षों के दौरान 15.25 प्रतिशत की वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप जीएसडीपी में उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2014-15 में 5.93 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 6.50 प्रतिशत हो गई।

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का गठन

1.2 राज्य सरकार ने राजस्थान विद्युत सुधार अधिनियम 1999 (आरपीएसआरए 1999) को अधिनियमित किया (जनवरी 2000) एवं तदनुसार राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) को विघटित करने के लिए राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार हस्तान्तरण योजना 2000 (आरपीएसआरटी योजना 2000) बनायी (19 जुलाई 2000) एवं आरएसईबी की परिसम्पत्तियां, सम्पत्तियां, दायित्व, आबंध, कार्यवाहियां एवं कार्मिक पांच ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों (यथा, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जोवीवीएनएल), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल) एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) को हस्तान्तरित कर दी। यह पांच ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियां 19 जुलाई 2000 को अस्तित्व में आईं एवं आरएसईबी की सभी परिसंपत्तियां एवं देनदारियां (₹ 1775 करोड़<sup>2</sup> की पूंजी एवं ₹ 1398 करोड़<sup>3</sup> की आरएसईबी की संचित हानियों सहित) आरपीएसआरटी योजना 2000 के प्रावधानों के अनुसार इन कम्पनियों के मध्य विभाजित की गई थी। राज्य सरकार ने (2002-03 से 2015-16 के मध्य) ऊर्जा क्षेत्र की तीन अन्य कम्पनियां अर्थात् राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल पूर्व में राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी), राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (आरयूवीएनएल) एवं राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड (आरआरवीवीवीएनएल) क्रमशः ₹ 3.65 करोड़, ₹ 50 करोड़ एवं ₹ 0.05 करोड़ की पूंजी निवेश करके क्रमशः 2002-03, 2015-16 एवं 2018-19 में निगमित की। इन आठ कम्पनियों के अतिरिक्त, ऊर्जा क्षेत्र की सात<sup>4</sup> अन्य कम्पनियों को आरआरवीपीएनएल/आरआरवीयूएनएल/आरआरईसीएल की सहायक कम्पनियों के रूप में निगमित (नवंबर 2006 से नवंबर 2011) किया गया था। इस प्रकार, 31 मार्च 2019 को राज्य में ऊर्जा क्षेत्र की 15 कम्पनियां थीं। ऊर्जा क्षेत्र की इन 15 कम्पनियों में से छः<sup>5</sup> कम्पनियों ने 2018-19 तक कोई भी व्यावसायिक गतिविधि प्रारम्भ नहीं की। इन छः कम्पनियों में से एक कम्पनी नामतः केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियां वर्ष 2018-19 के दौरान बंद कर दी (15 फरवरी 2019)।

2 एवीवीएनएल (₹ 150 करोड़), जेवीवीएनएल (₹ 140 करोड़), जोवीवीएनएल (₹ 120 करोड़), आरआरवीपीएनएल (₹ 440 करोड़) एवं आरआरवीयूएनएल (₹ 925 करोड़)।

3 आरआरवीपीएनएल (₹ 906 करोड़) एवं आरआरवीयूएनएल (₹ 492 करोड़)।

4 बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (बांसवाड़ा टीपीसीएल) (7 अगस्त 2008), बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (बाड़मेर टीपीसीएल) (5 जुलाई 2010), केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (केजीटीपीसीएल) (17 सितम्बर 2010), छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (सीपीएल) (22 नवम्बर 2006), धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (डीजीपीएल) (22 नवम्बर 2006), गिरल लिग्नाईट ऊर्जा लिमिटेड (जीएलपीएल) (1 जनवरी 2009) एवं राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (आरएसडीसीएल) (2 नवम्बर 2011)।

5 बांसवाड़ा टीपीसीएल, बाड़मेर टीपीसीएल, सीपीएल, डीजीपीएल, केजीटीपीसीएल एवं आरआरवीवीवीएनएल।



### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

1.3 वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में से किसी भी उपक्रम का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण नहीं किया गया था।

### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.4 31 मार्च 2019 को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का गतिविधि-वार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 1.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधि-वार निवेश

गतिविधि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल
विद्युत का उत्पादन	5	10451.04	24813.14	35264.18
विद्युत का प्रसारण	4	4443.19	11121.83	15565.02
विद्युत का वितरण	3	30756.07	30143.01	60899.08
अन्य <sup>6</sup>	3	50.10	-	50.10
<b>कुल</b>	<b>15</b>	<b>45700.40</b>	<b>66077.98</b>	<b>111778.38</b>

स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

31 मार्च 2019 तक, ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 111778.38 करोड़ था। निवेश में पूँजी 40.88 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 59.12 प्रतिशत सम्मिलित थे।

राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 27.73 प्रतिशत (₹ 18324.72 करोड़) थे जबकि अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया गया ऋण 72.27 प्रतिशत (₹ 47753.26 करोड़) था। तथापि, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना<sup>7</sup> (उदय) के अंतर्गत डिस्कॉम्स के 30 सितम्बर 2015 को कुल बकाया ऋणों (₹ 83229.89 करोड़) में से ₹ 62421.96 करोड़ (75 प्रतिशत) का अधिग्रहण कर लिया।

### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.5 राजस्थान सरकार (जीओआर) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाले गत तीन

6 ऊर्जा क्षेत्र के तीन उपक्रमों, यथा राज्य में सोलर पार्क के ढांचागत विकास एवं प्रबंधन के लिये आरएसडीसीएल, राज्य की तीन डिस्कॉम्स हेतु ऊर्जा व्यापार करने के लिये आरयूवीएनएल तथा राज्य के विभिन्न वितरण लाईसेंसी के लिये राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु आरआरवीवीएनएल, को अन्य गतिविधियों में सम्मिलित किया गया है क्योंकि इन उपक्रमों की गतिविधियाँ उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण में सम्मिलित नहीं होती हैं।

7 डिस्कॉम्स के वित्तीय एवं संचालकीय परिवर्तन के लिये भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई योजना। अनुच्छेद 1.20 के अंतर्गत विस्तृत चर्चा की गई है।

वर्षों का, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी एवं पूँजी में परिवर्तित ऋणों के रूप में बजटीय जावक का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 1.3: वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण


(₹ करोड़ में)

विवरण <sup>8</sup>	2016-17		2017-18		2018-19	
	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि
समता पूँजी (i)	6	4115.71	5	849.92	6	822.35
दिये गये ऋण (ii)	4	11903.83	1	341.56	1	176.79
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	4	14576.36	4	23434.55	3	21184.75
कुल जावक (i+ii+iii)	7 <sup>9</sup>	30595.90	6 <sup>9</sup>	24626.03	6 <sup>9</sup>	22183.89
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	-	-	3	3000.00	3	3000.00
निर्गमित गारंटियाँ	5	23313.85	5	15283.10	4	21671.76
गारंटी प्रतिबद्धता	5	43218.50	5	53246.68	5	57193.32

स्रोत: उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों के लिए पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता का विवरण नीचे दिए गए ग्राफ में दिया गया है:

चार्ट 1.1: पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता



वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, इन उपक्रमों को वर्ष के दौरान प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 11885.54 करोड़ एवं ₹ 49762.43 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹ 22183.89 करोड़ की बजटीय सहायता में पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में क्रमशः ₹ 822.35 करोड़, ₹ 176.79 करोड़ एवं ₹ 21184.75 करोड़ सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्वाधीन विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के संचालनीय एवं वित्तीय परिवर्तन के लिये उदय योजना प्रारंभ की (20 नवम्बर 2015)। उदय योजना के प्रावधानों एवं तीन डिस्कॉम्स के द्वारा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की चर्चा इस अध्याय के अनुच्छेद 1.20 के अंतर्गत की गई है। वर्ष 2018-19 के दौरान उदय योजना के अंतर्गत ₹ 3000 करोड़ की बकाया ऋण राशि को पूँजी में परिवर्तित किया गया था। इस प्रकार, 2018-19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों की पूँजी

8 यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

9 यह संख्या ऐसी कम्पनियों की संख्या को दर्शाती है जिन्हें बजट से एक अथवा अधिक मदों यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी के रूप में सहायता प्राप्त हुई।

में ₹ 3822.35 करोड़ की वृद्धि नकद प्रेरण (₹ 822.35 करोड़) एवं उदय योजना के अंतर्गत राज्य के तीन डिस्कॉम्स के ऋणों के पूँजी में रूपांतरण (₹ 3000 करोड़) के माध्यम से हुई थी। पूँजी में वृद्धि मुख्य रूप से पूँजीगत निवेश एवं विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन के पेटे थी। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी/अनुदान में वर्ष 2018-19 (₹ 21184.75 करोड़) में गत वर्ष (₹ 23434.55 करोड़) की तुलना में कमी हुई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, सब्सिडी/अनुदान मुख्य रूप से उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम्स को सहायता (₹ 12000 करोड़), विद्युत दरों में वृद्धि नहीं करने हेतु (₹ 7681.33 करोड़) एवं विद्युत शुल्क के लिए अनुदान (₹ 1493.27 करोड़) के लिये प्रदान किये गये थे।

राजस्थान सरकार, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपक्रमों को राजस्थान राज्य गारंटी अनुदान अधिनियम (आरएसजीजीआर) 1970 के अंतर्गत गारंटी प्रदान करती है। सरकार ने आरएसजीजीआर, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत बिना किसी अपवाद के बैंकों/वित्तीय संस्थानों से उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण के मामले में प्रति वर्ष एक प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन वसूल करने का निर्णय किया (फरवरी 2011)। बकाया गारंटी प्रतिबद्धतायें 7.41 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹ 53246.68 करोड़ से 2018-19 में ₹ 57193.32 करोड़ हो गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, ऊर्जा क्षेत्र की पांच उपक्रमों द्वारा ₹ 481.59 करोड़ के गारंटी कमीशन का भुगतान किया गया था।

### राजस्थान सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

**1.6** पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों के संबंध में राज्य उपक्रमों के अभिलेखों के आंकड़े राजस्थान सरकार के वित्त लेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि उक्त आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित उपक्रमों एवं वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। यद्यपि, 31 मार्च 2019 को पूँजी एवं बकाया गारंटी के आंकड़े वित्त लेखों के समान थे परन्तु ऋण के आंकड़ों में नीचे दर्शाये गये अनुसार कुछ अंतर था:

तालिका 1.4: वित्त लेखों एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम का नाम	बकाया ऋण		अंतर
	वित्त लेखों के अनुसार	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार	
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	6354.49	6428.83	74.34
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	4724.03	4649.69	-74.34
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	1405.56	1053.63	-351.93

स्रोत: वित्त लेखों एवं उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित

आंकड़ों में अंतर गत कई वर्षों से जारी है। अंतर के समाशोधन हेतु इस मुद्दे को उपक्रमों/विभागों के समक्ष समय-समय पर उठाया गया था। इसलिए, हम अनुशांसा करते हैं कि राज्य सरकार एवं उपक्रमों को अंतर का तरीके से समाशोधन करना चाहिए।

## ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों की तैयारी की समयबद्धता

1.7 31 मार्च 2019 को सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्र में ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रम थे। वैधानिक आवश्यकता के अनुसार इन सभी कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा वर्ष 2018-19 के लेखे 30 सितंबर 2019 तक प्रस्तुत कर दिये गए थे। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.5: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को प्रस्तुत करने से संबंधित स्थिति

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	उपक्रमों की संख्या	15	17	20	15	15
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किये गये लेखों की संख्या	19	17	21	15	15
3.	उपक्रमों की संख्या जिनके चालू वर्ष के लेखों को अंतिम रूप दिया गया	14	16	20	15	15
4.	गत वर्ष के लेखों की संख्या जिनको चालू वर्ष में अंतिम रूप दिया गया	5	1	1	0	0
5.	उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	1	1	0	0	0
6.	बकाया लेखों की संख्या	1	1	0	0	0
7.	बकाया की सीमा	एक वर्ष	एक वर्ष	-	-	-

स्रोत: अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान कार्यरत उपक्रमों के प्राप्त लेखों के आधार पर संकलित किया गया।

ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियां गत तीन वर्षों से अपने वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने में तत्पर रहीं।


## ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.8 ऊर्जा क्षेत्र की 15 कम्पनियों की वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम 30 सितंबर 2019 तक उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार अनुबंध-1 में दिये गये हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में 31 मार्च 2019 को निवेश की राशि ₹ 111778.38 करोड़ थी जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 45700.40 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 66077.98 करोड़ सम्मिलित थे। जिसमें से ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों में राजस्थान सरकार का निवेश ₹ 63652.77 करोड़ था जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 45328.05 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 18324.72 करोड़ सम्मिलित थे।

राजस्थान सरकार का ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की वर्षवार स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

चार्ट 1.2: राजस्थान सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश




कम्पनी की लाभदायकता पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, पूँजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से मापी जाती है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में हुई लाभ अथवा हानि से पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि के समक्ष मापा जाता है एवं कुल निवेश पर लाभ की प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी उपयोग की गई कार्यरत पूँजी से मापता है एवं इसकी गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है। पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन का माप है जिसकी गणना करों से पश्चात के लाभ को शेयर धारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है।

### सरकार के निवेश पर प्रतिफल

**1.9** निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि की कुल निवेश से प्रतिशतता है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के समस्त उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/वहन की गई हानि<sup>10</sup> की समग्र स्थिति को चार्ट में नीचे दर्शाया गया है।

10 आंकड़े संबंधित वर्ष के अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों पर आधारित हैं।

चार्ट 1.3: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/वहन की गई हानि



ऊर्जा क्षेत्र के इन 15 उपक्रमों द्वारा 2014-15 में हुई ₹ 16184.94 करोड़ की हानि के समक्ष 2018-19 में अर्जित लाभ ₹ 2319.00 करोड़ था। वर्ष 2018-19 के अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में से छः उपक्रमों ने ₹ 2773.19 करोड़ का लाभ अर्जित किया, चार उपक्रमों ने ₹ 454.19 करोड़ की हानि वहन की एवं पांच उपक्रमों को मामूली हानि हुई (अनुबंध-1)। शीर्ष लाभ कमाने वाली कम्पनियों में जोवीवीएनएल (₹ 1233.76 करोड़), जेवीवीएनएल (₹ 906.09 करोड़), एवीवीएनएल (₹ 466.82 करोड़) एवं आरआरवीयूएनएल (₹ 138.42 करोड़) थी जबकि जीएलपीएल एवं आरआरवीपीएनएल ने क्रमशः ₹ 324.13 करोड़ एवं ₹ 127.99 करोड़ की भारी हानि वहन की।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/वहन की गई हानि की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.6: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/वहन की गई हानि की स्थिति

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों की संख्या	वर्ष के दौरान हानि उठाने वाले उपक्रमों की संख्या	वर्ष के दौरान मामूली लाभ/हानि वाले उपक्रमों की संख्या
2014-15	13	3	8	2
2015-16	15	3	8	4
2016-17	15	4	7	4
2017-18	15	7	4	4
2018-19	15	6	4	5

(अ) सरकारी निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की दर

**1.10** राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में से राज्य सरकार ने पूँजी, दीर्घावधि ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में दी गई निधि का निवेश केवल ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों में किया है। राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र की अन्य सात कम्पनियों में कोई सीधा निवेश नहीं किया

था। ऊर्जा क्षेत्र की तीन<sup>11</sup> कम्पनियों की सात सहायक कम्पनियों में समस्त पूँजी संबंधित स्वामित्व वाली कम्पनियों द्वारा प्रदत्त की गई थी।

राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी एवं ऋण के रूप में उपक्रमों में किये गये निवेश के आधार पर आठ उपक्रमों से निवेश पर प्रतिफल की दर (आरओआर) की गणना की गई है। ऋणों के संबंध में, केवल ब्याज मुक्त ऋण को ही निवेश माना गया है क्योंकि सरकार को इस प्रकार के ऋणों से कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है एवं इसलिए पुनर्भुगतान के नियम एवं शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान के लिए दायी ऋणों को उस सीमा तक छोड़कर ये ऋण पूँजी निवेश की प्रकृति के हैं। इसके अतिरिक्त, अनुदान/सब्सिडी के रूप में दी गई निधि को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि परिचालन एवं प्रशासनिक खर्च तथा अन्य उद्देश्यों हेतु प्रदान की गई अनुदान/सब्सिडी का विभाजन उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को उदय योजना के अंतर्गत दी गई सब्सिडी को निवेश माना गया है क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा सब्सिडी बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋणों का अधिग्रहण के लिए प्रदान की गई थी। अतः निवेश पर प्रतिफल की तुलना दोनों प्रक्रियाओं यथा उदय के अन्तर्गत दी गई सब्सिडी को निवेश मानते हुए एवं उक्त सब्सिडी को निवेश नहीं मानते हुए की गई है।

ऊर्जा क्षेत्र के इन आठ उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश की गणना प्रतिवर्ष पूँजी (संचित हानियों से समायोजित प्रारंभिक पूँजी में बाद के वर्षों के दौरान निवेशित पूँजी को जोड़ते हुए) में, ब्याज मुक्त ऋणों को जोड़ते हुए एवं उन ब्याज मुक्त ऋणों, जो कि बाद के वर्षों के दौरान पूँजी में परिवर्तित हुए हैं, को घटाते हुए की गई है।

31 मार्च 2019 को ऊर्जा क्षेत्र के इन आठ उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश ₹ 63652.77 करोड़ था जिसमें ₹ 45328.05 करोड़ की पूँजी एवं ₹ 18324.72 करोड़ के दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। प्रदान किये गये दीर्घावधि ऋणों में से ₹ 472.50 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण थे। इस प्रकार, ₹ 472.50 करोड़ के निवल ब्याज मुक्त ऋण एवं ₹ 43930.19 करोड़ की पूँजी (₹ 45328.05 करोड़ में से ₹ 1397.86 करोड़ की प्रारंभिक संचित हानियों को घटाते हुए) को राज्य सरकार का निवेश मानते हुए ऊर्जा क्षेत्र की इन आठ कम्पनियों में वर्ष 2018-19 के अंत में ऐतिहासिक लागत पर निवेश ₹ 44402.69 करोड़ था।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत पर निवेश पर प्रतिफल की दर नीचे दर्शायी गई है:

तालिका 1.7: ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर आरओआर

वित्तीय वर्ष	ऐतिहासिक लागत के आधार पर पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राजस्थान सरकार द्वारा निधियों का निवेश (₹ करोड़ में)	वर्ष के लिए कुल लाभ/हानियाँ <sup>12</sup> (₹ करोड़ में)	राज्य सरकार के निवेश पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर आरओआर (प्रतिशत में)
2014-15	24210.23	-14890.91	-61.51
2015-16	32614.70	-12063.88	-36.99
2016-17	36730.42	-1585.95	-4.32
2017-18	40580.34	2985.46	7.36
2018-19	44402.69	2634.26	5.93

11 आरआरवीपीएनएल, आरआरवीयूएनएल एवं आरआरईसएल।

12 संबंधित वर्ष के वार्षिक लेखों के अनुसार।

ऊर्जा क्षेत्र की आठ उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल की दर नकारात्मक थी तथा यह वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान -61.51 प्रतिशत से -4.32 प्रतिशत के मध्य था। तथापि, यह मुख्यतः उदय योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त होने के परिणामस्वरूप तीन डिस्कॉम्स की आय बढ़ने के कारण, उन्नत होकर 2017-18 में 7.36 प्रतिशत एवं 2018-19 में 5.93 प्रतिशत हो गई।

**(ब) सरकार के निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)**

**1.11** सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की आठ कम्पनियों में महत्वपूर्ण निवेश को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार के दृष्टिकोण से इस निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर किया जाना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। राजस्थान सरकार के राज्य उपक्रमों में निवेश की ऐतिहासिक लागत की तुलना में निवेश की वर्तमान मूल्य (पीवी) की आरओआरआर का आंकलन करने के लिए सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई है। 31 मार्च 2019 तक निवेश की ऐतिहासिक लागत को प्रत्येक वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए, पूर्व निवेश/ राज्य सरकार द्वारा राज्य उपक्रमों में वर्षवार निवेशित धन को वर्षवार सरकारी उधार की औसत ब्याज दर, जो कि संबंधित वर्ष के लिए सरकार के धन की न्यूनतम लागत है, पर चक्रवृद्धित किया गया है। इसलिए, राज्य सरकार के निवेश पर पीवी की गणना, जहां राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निधियों का निवेश इन कम्पनियों की स्थापना से 31 मार्च 2019 तक किया गया था, की गई। तथापि, इन उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल केवल वर्ष 2017-18 से धनात्मक था। इसलिए, वर्ष 2017-18 एवं तत्पश्चात आरओआरआर की गणना उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी को सम्मिलित करते हुए एवं उक्त सब्सिडी को सम्मिलित नहीं करते हुए पीवी के आधार पर की गई एवं दर्शाई गई है।

राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में किये गये निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना निम्न धारणाओं के आधार पर की गई है:

- ब्याज मुक्त ऋणों को सरकार द्वारा किया गया निवेश माना गया है क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र की उपक्रमों द्वारा कोई भी ब्याज मुक्त ऋण नहीं चुकाये गये हैं। साथ ही, उन प्रकरणों में जिनमें उपक्रमों को दिया गया ब्याज मुक्त ऋण बाद में पूँजी में परिवर्तित किया गया था, पूँजी में परिवर्तित ऋण की राशि ब्याज मुक्त ऋण की राशि में से घटाकर उस वर्ष की पूँजी में जोड़ी गई है। आगे यह कि अनुदान/सब्सिडी के रूप में दी गई निधि (अनुच्छेद 1.10 में संदर्भित उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी को छोड़कर) को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि परिचालन एवं प्रशासनिक खर्च तथा अन्य उद्देश्यों हेतु प्रदान की गई अनुदान/सब्सिडी का विभाजन उपलब्ध नहीं है।
- धन के वर्तमान मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से संबंधित वित्तीय वर्ष<sup>13</sup> के लिये सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया है

13 सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त पर प्रतिवेदन (राजस्थान सरकार) से अपनाई गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर = ब्याज भुगतान/[(गत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]\*100



क्योंकि यह निवेश किये गये धन पर वर्ष के दौरान सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है एवं इस प्रकार सरकार द्वारा किये गये निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में अपनाई जा सकती है।

वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान, जब इन कम्पनियों ने हानि वहन की थी, हानि के कारण निवल मूल्य का क्षरण निष्पादन का अधिक उपयुक्त मापक है। कम्पनियों की निवल मूल्य के क्षरण पर अनुच्छेद 1.13 में टिप्पणी की गई है।

**1.12** ऊर्जा क्षेत्र की इन आठ कम्पनियों की स्थापना से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में किये गये निवेश की कम्पनी वार स्थिति **अनुबंध-2** में इंगित की गई है। ऊर्जा क्षेत्र की इन आठ कम्पनियों में इनकी स्थापना से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिये राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य एवं कुल लाभ की समेकित स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

**तालिका 1.8: वर्ष 2000-01 से 2018-19 तक राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश एवं सरकार द्वारा निवेशित धनराशि के वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार विवरण**

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल निवेश का वर्ष के आरम्भ में वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई समता पूँजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण <sup>14</sup>	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल लाभ <sup>15</sup>
i	ii	iii	iv	v	vi=iii+iv-v	vii	viii=ii+vi	ix={viii*(1+vii)/100}	x={viii*vii/100}	xi
2000-01	-	380.38 <sup>16</sup>	-	-	380.38	10.50	380.38	420.32	39.94	0.36
2001-02	420.32	363.00	-	-	363.00	10.50	783.32	865.57	82.25	0.60
2002-03	865.57	338.43	-	-	338.43	10.00	1204.00	1324.40	120.4	0.70
2003-04	1324.40	282.76	-	-	282.76	9.60	1607.16	1761.45	154.29	1.38
2004-05	1761.45	350.00	200.00	-	550.00	9.10	2311.45	2521.79	210.34	13.08
2005-06	2521.79	630.60	150.00	-	780.60	8.20	3302.39	3573.19	270.8	5.38
2006-07	3573.19	694.00	150.00	-	844.00	8.30	4417.19	4783.81	366.62	8.31
2007-08	4783.81	1063.00	150.00	-	1213.00	8.00	5996.81	6476.56	479.75	13.65
2008-09	6476.56	1336.00	250.00	-	1586.00	7.70	8062.56	8683.38	620.82	-1338.81
2009-10	8683.38	1280.00	170.00	-	1450.00	7.70	10133.38	10913.65	780.27	-813.84
2010-11	10913.65	1540.29	0.00	-	1540.29	7.70	12453.94	13412.89	958.95	-21334.91
2011-12	13412.89	2474.71	995.00	1070.00	2399.71	7.70	15812.60	17030.17	1217.57	-19920.34

- 14 वर्ष 2004-2005 एवं 2009-10 के मध्य प्राप्त ब्याज मुक्त ऋण ₹ 1070 करोड़ 2011-12 में पूँजी में परिवर्तित किया गया, 2011-12 में प्राप्त ₹ 995 करोड़ 2015-16 में पूँजी में परिवर्तित किया गया एवं 2012-13 में प्राप्त ₹ 1000 करोड़ का समायोजन 2014-15 (₹ 729.40 करोड़) एवं 2015-16 (₹ 270.60 करोड़) के दौरान राजस्थान सरकार के बकाया के समक्ष किया गया।
- 15 वर्ष के लिए कुल लाभ संबंधित वर्ष के लिए ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों, जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, की शुद्ध आय (लाभ/हानि) के योग को दर्शाती है।
- 16 यह राजस्थान सरकार द्वारा निवेशित निवल निवेश/पूँजी में से संचित हानियों को घटाने के पश्चात दर्शाता है। आरएसईबी को पांच कम्पनियों में विभाजित करने में कुल जावक ₹ 376.73 करोड़ (अर्थात् पूँजी ₹ 1774.59 करोड़ - आरएसईबी की संचित हानियां ₹ 1397.86 करोड़) + ₹ 3.65 करोड़ (आरएसईबी की प्रारंभिक पूँजी)।

2012-13	17030.17	3848.00	1000.00	-	4848.00	7.40	21878.17	23497.15	1618.98	-12479.34
2013-14	23497.15	3878.00	0.00	-	3878.00	7.30	27375.15	29373.54	1998.39	-15893.55
2014-15	29373.54	4249.21	236.25	729.40	3756.06	7.50	33129.60	35614.32	2484.72	-14890.91
2015-16	35614.32	9433.82	236.25	1265.60	8404.47	6.70	44018.79	46968.05	2949.26	-12063.88
2016-17	46968.05	4115.72	0.00	-	4115.72	7.60	51083.77	54966.14	3882.37	-1585.95
2017-18	54966.14	3849.92	0.00	-	3849.92	7.30	58816.06	63109.63	4293.57	2985.46
2018-19	63109.63	3822.35	0.00	-	3822.35	7.30	66931.98	71818.01	4866.03	2634.26
<b>कुल</b>		<b>43930.19</b>	<b>3537.50</b>	<b>3065.00</b>	<b>44402.69</b>					

राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अंत में इन आठ कम्पनियों में निवेशित धनराशि का योग वर्ष 2000-01 में ₹ 380.38 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 44402.69 करोड़ हो गया था क्योंकि राज्य सरकार ने पूँजी (₹ 43930.19 करोड़) एवं ब्याज मुक्त ऋण (₹ 472.50 करोड़) के रूप में आगे और भी निवेश किया। राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश का वर्तमान मूल्य 31 मार्च 2019 को ₹ 71818.01 करोड़ आता है।

वर्ष 2000-2001 से 2007-08 के लिए कुल लाभ केवल एक कम्पनी अर्थात् राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की वर्ष के लिये निवल आय (लाभ/हानि) को दर्शाती है जिसने अपने वार्षिक लेखे संबंधित वर्ष के लाभ/हानि दर्शाते हुए वाणिज्यिक लेखा सिद्धांतों के आधार पर बनाये थे जबकि शेष पांच कम्पनियों ने अपने वार्षिक लेखे 'ना लाभ ना हानि' के आधार पर बनाये थे एवं आय एवं व्यय के अन्तर को इस अवधि के दौरान 'राज्य सरकार से राजस्व अंतर के पेटे प्राप्य आर्थिक सहायता' के रूप में दर्शाया था। तदपश्चात्, दो<sup>17</sup> अन्य कम्पनियों ने 2008-09 से अपने वार्षिक लेखे वर्ष के लिए लाभ/हानि दर्शाते हुए वाणिज्यिक लेखा सिद्धांतों के आधार पर बनाये जबकि राज्य के तीन डिस्कॉम्स<sup>18</sup> ने अपने वार्षिक लेखे वाणिज्यिक लेखा सिद्धांतों के आधार पर 2010-11 से बनाना प्रारंभ किये।

यह देखा जा सकता है कि इन कम्पनियों से संबंधित वर्ष के लिए कुल लाभ 2008-09 से 2016-17 के दौरान ऋणात्मक रहे जो कि यह दर्शाता है कि निवेशित धन राशि पर प्रतिफल अर्जित करने के स्थान पर, यह कम्पनियाँ सरकार की धन राशि की लागत को भी नहीं वसूल कर पाई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में धनात्मक कुल आय इन ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में किये गये निवेश के न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से काफी नीचे रही।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा तीन डिस्कॉम्स को 2016-17 में ₹ 9000 करोड़ एवं 2017-18 एवं 2018-19 में प्रत्येक वर्ष में ₹ 12000 करोड़ (कुल ₹ 33000 करोड़) उदय योजना के अंतर्गत इन डिस्कॉम्स पर बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋणों के अधिग्रहण के लिए सब्सिडी भी प्रदान की गई। यदि हम इस सब्सिडी को राज्य सरकार से प्राप्त निवेश के रूप में मानते हैं तो निवेश पर प्रतिफल और अधिक कम हो जाता है। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान, जब धनात्मक अर्जन था, उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी को ध्यान में रखते हुये एवं इस सब्सिडी को नहीं मानते हुए ऐतिहासिक लागत पर सरकार के निवेश पर प्रतिफल एवं इस निवेश के वर्तमान मूल्य का तुलनात्मक विवरण नीचे दर्शाया गया है:

17 आरआरवीपीएनएल एवं आरआरवीयूएनएल।

18 जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, जोवीवीएनएल।

तालिका 1.9: राज्य सरकार के निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल लाभ/हानि (-)	पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राजस्थान सरकार का निवेश	राज्य सरकार के निवेश पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर आरओआर (%)	वर्ष के अंत में राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य	निवेश के वर्तमान मूल्य को देखते हुये आरओआरआर (%)
उदय के बिना					
2017-18	2985.46	40580.34	7.36	63109.63	4.73
2018-19	2634.26	44402.69	5.93	71818.01	3.67
उदय के साथ					
2017-18	2985.46	61580.34	4.85	86376.56	3.46
2018-19	2634.26	77402.69	3.40	109659.43	2.40

आरओआरआर ऐतिहासिक लागत के आधार पर आरओआर से कम था जैसा कि वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिफल की तुलनात्मक स्थिति में दर्शाया गया है। 2018-19 के दौरान ऐतिहासिक लागत के आधार पर आरओआर 5.93 प्रतिशत था जबकि आरओआरआर केवल 3.67 प्रतिशत था। तथापि, यदि हम उदय योजना के अन्तर्गत प्रदत्त सब्सिडी को भी निवेश मानते हैं, तो वर्ष 2018-19 के लिये ऐतिहासिक आधार पर प्रतिफल की दर 5.93 प्रतिशत (उदय के बिना) से घट कर 3.40 (उदय के साथ) हो जाता है एवं वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल 3.67 प्रतिशत (उदय के बिना) से घट कर 2.40 (उदय के साथ) हो जाता है।

#### निवल मूल्य का क्षरण

**1.13** निवल मूल्य से आशय प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों एवं संचित लाभ में से संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने पर प्राप्त कुल योग से है। वास्तव में यह एक उपक्रम स्वामियों के लिए उसके मूल्य का मापक है। ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है। ऊर्जा क्षेत्र के इन 15 उपक्रमों में ₹ 45700.40 करोड़ के पूँजी निवेश की तुलना में समग्र संचित हानियां ₹ 96597.14 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.34 करोड़ के स्थगित राजस्व व्यय को घटाने के पश्चात ऋणात्मक निवल मूल्य (-) ₹ 50899.08 करोड़ हो गया (अनुबंध-1)। निवल मूल्य का क्षरण मुख्य रूप से जेवीवीएनएल (-) ₹ 20277.18 करोड़, जेवीवीएनएल (-) ₹ 19820.20 करोड़, एवीवीएनएल (-) ₹ 19000.52 करोड़ एवं जीएलपीएल (-) ₹ 894.72 करोड़ में हुआ था।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों (नियंत्रक कम्पनियों) की प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानियां एवं निवल मूल्य निम्नांकित तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका 1.10: वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में संचित हानियां(-)	स्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2014-15	22708.38	-83109.27	1.47	-60402.36
2015-16	32142.20	-98783.01	1.20	-66642.01
2016-17	36257.92	-100581.13	2.17	-64325.38

2017-18	41505.70	-97981.51	1.96	-56477.77
2018-19	45328.05	-95333.68	2.34	-50007.97

राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की इन आठ कम्पनियों में 2014-19 की अवधि के दौरान भारी मात्रा में पूँजी निवेश कर लगातार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। तथापि, भारी मात्रा में पूँजी निवेश के पश्चात भी इन ऊर्जा कम्पनियों की संचित हानियां 2014-15 के ₹ 83109.27 करोड़ से बढ़ कर 2016-17 में ₹ 100581.13 करोड़ हो गयी एवं इन कम्पनियों में निवेशित संपूर्ण पूँजी का क्षरण हो गया। इसके अतिरिक्त, 2018-19 के दौरान, यद्यपि ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा ₹ 2634.26 करोड़ का लाभ कमाया गया परन्तु इन कम्पनियों का निवल मूल्य संचित हानियों के कारण ऋणात्मक (-) ₹ 50007.97 करोड़ था।

वर्ष 2014-15 के दौरान छः<sup>19</sup> उपक्रमों में से, तीन<sup>20</sup> उपक्रमों का निवल मूल्य ऋणात्मक एवं तीन<sup>21</sup> उपक्रमों का निवल मूल्य धनात्मक था। इसके अतिरिक्त, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान चार<sup>22</sup> उपक्रमों का निवल मूल्य धनात्मक था एवं तीन<sup>23</sup> उपक्रमों का निवल मूल्य ऋणात्मक था तथा 2018-19 के दौरान पांच<sup>24</sup> उपक्रमों का निवल मूल्य धनात्मक था एवं तीन<sup>25</sup> उपक्रमों का निवल मूल्य ऋणात्मक था। समस्त आठ उपक्रमों का निवल मूल्य 2014-15 से 2018-19 के दौरान बढ़ गया।

### लाभांश का भुगतान

**1.14** राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की थी (सितंबर 2004) जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की सभी लाभ अर्जन करने वाली कम्पनियों को प्रदत्त शेयर पूँजी पर दस प्रतिशत का न्यूनतम प्रतिफल या कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, का भुगतान करना आवश्यक था। ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा पूँजीगत निवेश किया गया है, अवधि के दौरान लाभांश का भुगतान निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.11: 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों द्वारा लाभांश का भुगतान  
(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उपक्रम जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी का निवेश किया गया		वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले उपक्रम		उपक्रम जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित/भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	उपक्रमों की संख्या	राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी का निवेश	उपक्रमों की संख्या	राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी का निवेश	उपक्रमों की संख्या	उपक्रमों द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2014-15	6	22708.38	2	2395.95	1	1.29	0.05

- 19 आरयूवीएनएल एवं आरआरवीवीवीएनएल 2015-16 के दौरान अस्तित्व में आईं तथा राजस्थान सरकार ने 2018-19 के दौरान आरआरवीवीवीएनएल में पूँजी निवेश की।
- 20 जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल एवं जोवीवीएनएल।
- 21 आरआरवीयूएनएल, आरआरईसीएल एवं आरआरवीपीएनएल।
- 22 आरआरवीयूएनएल, आरआरईसीएल, आरआरवीपीएनएल एवं आरयूवीएनएल।
- 23 जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल एवं जोवीवीएनएल।
- 24 आरआरवीयूएनएल, आरआरईसीएल, आरआरवीपीएनएल, आरआरवीवीवीएनएल एवं आरयूवीएनएल।
- 25 एवीवीएनएल, जेवीवीएनएल एवं जोवीवीएनएल।

2015-16	6	32142.20	2	2933.11	1	1.29	0.04
2016-17	7	36257.92	3	12060.97	1	3.88	0.03
2017-18	7	40107.84	6	40057.84	1	1.29	0.003
2018-19	8	43930.19	5	40836.96	1	1.29	0.003

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, लाभ कमाने वाले उपक्रमों की संख्या दो एवं छः के मध्य थी जिसमें से केवल एक पीएसयू (आरआरईसीएल) ने राजस्थान सरकार को लाभांश की घोषणा/भुगतान किया। आरआरईसीएल ने 2004-19 के दौरान ₹ 18.90 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया।

2014-15 से 2018-19 के दौरान लाभांश भुगतान अनुपात नाममात्र रहा जो कि केवल 0.003 प्रतिशत एवं 0.05 प्रतिशत के मध्य था। अतिरिक्त विश्लेषण से प्रकट हुआ कि इनमें से किसी भी कम्पनी ने स्थापना से 2003-04 तक लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं किया था। साथ ही, राजस्थान सरकार द्वारा इन उपक्रमों में इस अवधि के दौरान भारी मात्रा में पूँजी के निवेश के कारण, लाभांश भुगतान अनुपात 2004-05 में 4.20 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 0.003 प्रतिशत हो गया।

### पूँजी पर प्रतिफल

**1.15** पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय निष्पादन का माप है जिससे यह आंकलन किया जाता है कि प्रबंधन द्वारा कम्पनी की परिसम्पत्तियों का उपयोग लाभों के सृजन करने में कितने प्रभावी रूप से किया गया है एवं इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात् करों के पश्चात शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसको प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी कम्पनी में की जा सकती है यदि उसकी शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्यायें हैं।

कम्पनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों के योग में से संचित हानियां एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात की जाती है एवं यह दर्शाता है कि यदि समस्त संपत्तियां विक्रय कर दी जाये एवं समस्त ऋणों का भुगतान कर दिया जाये तो कम्पनी के हितधारकों हेतु कितना शेष रहेगा। शेयरधारकों की निधि का धनात्मक होना दर्शाता है कि कम्पनी के पास अपने दायित्वों के भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्तियां हैं जबकि शेयरधारकों की निधि के ऋणात्मक होने का अर्थ है कि दायित्व संपत्ति से अधिक हैं।

पूँजी पर प्रतिफल की गणना ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों में की गई है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों में शेयरधारकों की निधि एवं आरओई का विवरण नीचे तालिका दर्शाया गया है:

तालिका 1.12: ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों, जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, से संबंधित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	वर्ष के लिए शुद्ध आय/कुल अर्जन <sup>26</sup> (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	आरओई (%)
2014-15	-14890.91	-60402.36	-
2015-16	-12063.88	-66642.01	-
2016-17	-1585.95	-64325.38	-

26 संबंधित वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर।

2017-18	2985.46	-56477.77	-
2018-19	2634.26	-50007.97	-

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, मार्च 2019 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान शुद्ध आय केवल 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान धनात्मक थी, तथापि, सभी पांच वर्षों के दौरान शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक थी। चूंकि 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान इन उपक्रमों की शुद्ध आय एवं सभी वर्षों में शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक थी, इन उपक्रमों के संबंध में आरओई की गणना नहीं की जा सकी थी। ऋणात्मक शेयरधारकों की निधि यह इंगित करती है कि इन उपक्रमों के दायित्व सम्पत्तियों से अधिक है एवं शेयरधारकों को प्रतिफल देने के स्थान पर यह शेयरधारकों के ऋणी हैं।

### नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

**1.16** नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी में नियोजित पूँजी पर लाभप्रदता एवं दक्षता को मापता है।

आरओसीई की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी<sup>27</sup> द्वारा विभाजित करके की जाती है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के समस्त 15 उपक्रमों के आरओसीई का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.13: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (%)
2014-15	-6172.47	42466.49	-14.53
2015-16	52.33	40045.85	0.13
2016-17	6143.70	53387.20	11.51
2017-18	18554.01	51204.77	36.23
2018-19	15082.35	52083.40	28.96

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का आरओसीई -14.53 प्रतिशत एवं 36.23 प्रतिशत की सीमा के मध्य रहा। राजस्थान सरकार से उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी (2016-17 के दौरान ₹ 9000 करोड़ एवं 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान प्रत्येक वर्ष में ₹ 12000 करोड़) को आय मानने के कारण डिस्कोम्स की आय असाधारण रूप से बढ़ने से वर्ष 2016-17 एवं 2018-19 के दौरान गत वर्षों की तुलना में इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

### कम्पनियों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

**1.17** कम्पनियां, जिनमें 2014-15 से 2018-19 के दौरान ऋण थे, में कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को बकाया ऋणों का दायित्व निर्वहन करने की कम्पनियों की क्षमता के आंकलन हेतु दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण किया गया है। इसका आंकलन ब्याज व्याप्ति अनुपात एवं ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया गया है।

27 नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियां-आस्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े उपक्रमों के नवीनतम वर्ष जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, के अनुसार हैं।

### ब्याज व्याप्ति अनुपात

**1.18** ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। यह अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात दर्शाता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व का अर्जन नहीं कर रही है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों जिनमें ब्याज का भार था, में ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.14: ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	कम्पनियों की संख्या जिनमें सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण का भार था	कम्पनियों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था	कम्पनियों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था
2014-15	10012.47	-6173.33	10	2	8 <sup>28</sup>
2015-16	12253.94	49.88	8	2	6 <sup>29</sup>
2016-17	7956.29	6132.58	8	3	5 <sup>30</sup>
2017-18	15734.07	18541.34	8	6	2 <sup>31</sup>
2018-19	12757.33	15068.66	8	5	3 <sup>32</sup>

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के ब्याज में 2015-18 एवं 2018-19 से संबंधित क्रमशः ₹ 7237.92 करोड़ एवं ₹ 2439.10 करोड़ का ब्याज सम्मिलित है जो कि राजस्थान सरकार द्वारा डिस्कॉम्स को उदय योजना के अंतर्गत अन्य वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों के ऋणों के दायित्व से मुक्त करने के लिए दिये गये ऋणों पर वसूल किया गया है।

यह देखा गया कि ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों की संख्या, जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है की संख्या 2014-15 में दो से बढ़कर 2018-19 में पांच हो गई थी।

### ऋण आवर्त अनुपात

**1.19** गत पांच वर्षों के दौरान, ऊर्जा क्षेत्र की 15 कम्पनियों के टर्नओवर में 15.25 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि एवं ऋणों में 2.36 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप ऋण आवर्त अनुपात 2014-15 में 1.85 से सुधरकर 2018-19 में 1.09 हो गया जैसा की निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

- 
- 28 एवीवीएनएल, जेवीवीएनएल, जोवीवीएनएल, बाड़मेर टीपीसीएल, जीएलपीएल, लेक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड, पिक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड एवं आरआरवीयूएनएल।
- 29 एवीवीएनएल, जेवीवीएनएल, जोवीवीएनएल, बाड़मेर टीपीसीएल, जीएलपीएल एवं आरआरवीयूएनएल।
- 30 एवीवीएनएल, जेवीवीएनएल, जोवीवीएनएल, बाड़मेर टीपीसीएल एवं जीएलपीएल।
- 31 बाड़मेर टीपीसीएल एवं जीएलपीएल।
- 32 जीएलपीएल, बाड़मेर टीपीसीएल एवं आरआरवीपीएनएल।
-

तालिका 1.15: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित ऋण आवर्त अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार/बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण	67511.83	81440.44	89378.68	75339.36	66077.98
टर्नओवर	36523.38	42663.02	48768.95	55605.46	60355.46
ऋण आवर्त अनुपात	1.85:1	1.91:1	1.83:1	1.35:1	1.09:1

स्रोत: उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित

### उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता

**1.20** ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के संचालन एवं वित्तीय परिवर्तन के लिए उदय योजना प्रारंभ की (20 नवंबर 2015)। उदय योजना के प्रावधानों के अनुसार, भाग लेने वाले राज्यों को डिस्कॉम्स के संचालन एवं वित्तीय कायापलट के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे:

#### संचालन क्षमता में सुधार के लिए योजना

**1.20.1** भागीदार राज्यों को संचालन क्षमता में सुधार के लिए विभिन्न लक्षित गतिविधियां जैसे फीडर एवं वितरण ट्रांसफॉर्मर (डीटी) की अनिवार्य मीटरिंग, कंज्यूमर इंडेक्सिंग एवं हानियों की जीआईएस मैपिंग, ट्रांसफार्मर एवं मीटरों का उन्नयन या बदलना, प्रति माह 200 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा कुशल उपकरणों के माध्यम से मांग पक्ष का प्रबंधन (डीएसएम), दरों का तिमाही पुनरीक्षण, विद्युत की चोरी की जांच करने के लिए व्यापक आईईसी अभियान, उन क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति में वृद्धि का आश्वासन जहां एटीएंडसी हानि को कम किया गया है आदि करने की आवश्यकता थी। इन लक्षित गतिविधियों के लिए निर्धारित समयावधि का भी पालन किया जाना आवश्यक था ताकि लक्षित लाभ की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके जैसे फीडर एवं डीटी स्तर पर हानियों को चिन्हित करने की क्षमता, हानि वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी नुकसान को घटाना एवं कटौतियों को कम करना, विद्युत की चोरी को कम करना एवं चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, उच्चतम लोड एवं ऊर्जा के उपभोग को कम करना आदि। परिचालन सुधारों के परिणाम संकेतकों के माध्यम से मापे जाने थे जैसे कि वर्ष 2018-19 में एमओपी एवं राज्यों द्वारा अंतिम रूप दिए गए हानियों की कमी के प्रक्षेपवक्र के अनुसार एटीएंडसी हानि को 15 प्रतिशत तक कम करना, आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व के बीच अंतर में कमी करके 2018-19 तक शून्य करना।

#### वित्तीय कायापलट के लिए योजना

**1.20.2** भागीदार राज्यों को डिस्कॉम्स के 75 प्रतिशत ऋणों अर्थात् 2015-16 में 50 प्रतिशत एवं 2016-17 में 25 प्रतिशत का अधिनीकरण की आवश्यकता थी। वित्तीय कायापलट के लिए योजना में अन्य बातों के साथ प्रावधान था कि:

- राज्य 'गैर वैधानिक तरलता अनुपात (गैर एसएलआर) ऋणपत्र' जारी करेगा एवं ऐसे ऋणपत्रों के जारी होने से प्राप्त होने वाली आय को डिस्कॉम्स को स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिसके बदले में डिस्कॉम्स बैंकों/वित्तीय संस्थानों के ऋण की राशि का



निर्वहन करेगा। जारी किए गए ऋणपत्रों की परिपक्वता अवधि 10-15 वर्ष की होगी, जिसमें मूलधन चुकाने की 5 वर्ष तक की छूट होगी।

- डिस्कॉम का ऋण पहले से देय ऋण की प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा, इसके पश्चात उच्च लागत वाले ऋण को लिया जाएगा।
- 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम को राशि हस्तांतरण एक अनुदान के रूप में होगा जिसे तीन वर्षों में विस्तारित किया जा सकेगा तथा शेष हस्तांतरण डिस्कॉम्स को राज्य ऋण के माध्यम से किया जा सकता है। असाधारण मामलों में, 25 प्रतिशत अनुदान पूँजी के रूप में दिया जा सकता है।

### उदय योजना का कार्यान्वयन

1.20.3 उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण आगे दिया गया है:

#### अ. परिचालन मापदंडों की उपलब्धि

उदय योजना के अंतर्गत तीन राज्य डिस्कॉम्स से संबंधित विभिन्न परिचालन मापदंडों के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

तालिका 1.16: मापदण्ड-वार लक्ष्यों की तुलना में 30 सितम्बर 2019 तक संचालन निष्पादन उपलब्धियां

उदय योजना का मापदण्ड	उदय योजना के अंतर्गत लक्ष्य	उदय योजना के अंतर्गत प्रगति	उपलब्धि (प्रतिशत में)
फीडर मीटरिंग (संख्या में)	2521	5873	100
वितरण ट्रांसफार्मर्स की मीटरिंग (संख्या में)			
शहरी	60166	16850	28
ग्रामीण	3486	0	0
फीडर पृथक्करण (संख्या में)	4357	1321	30
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)	20203	20248	100
असंबद्ध घरों में विद्युत (संख्या लाखों में)	11.40	23.97	100
स्मार्ट मीटरिंग (संख्या में)	49849	7953	16
एलईडी उजाला का वितरण (संख्या लाखों में)	34.50	58.49	100
एटीएंडसी हानियां (प्रतिशत में)	15	25.84	0
एसीएस-एआरआर में अंतर (₹ प्रति यूनिट)	0.52	0.64	0
शुद्ध आय या लाभ/हानि अनुदान सहित (₹ करोड़ में)	-2184.32	-2498.24	0

स्रोत: ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट के अनुसार उदय योजना के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य कार्ड।

राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में डीटी की मीटरिंग के लिए कार्यवाही प्रारंभ नहीं की है, उसने स्मार्ट मीटरिंग एवं फीडर पृथक्करण के क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन किया है जबकि फीडर मीटरिंग, असंबद्ध घरों में विद्युत प्रदान करना एवं एलईडी का वितरण के मामले में इसका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य 2018-19 तक एटीएंडसी हानियों को 15 प्रतिशत तक कम करने का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करने में असफल रहा। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, 30 सितंबर 2018 तक उदय योजना के अंतर्गत तीनों राज्य डिस्कॉम्स द्वारा की

गई समग्र उपलब्धियों के आधार पर राजस्थान राज्य सभी राज्यों में चौथे स्थान पर था जो कि 30 सितंबर 2019 को गिरकर बाहरवां हो गया।

**ब. वित्तीय कार्यापलट का कार्यान्वयन**

**1.20.4** राजस्थान सरकार (जीओआर) ने उदय योजना का लाभ लेने के लिए ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, को 'सैद्धांतिक सहमति' प्रदान की थी (07 दिसम्बर 2015)। तत्पश्चात, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं संबंधित राज्य डिस्कॉम्स (अर्थात् जेवीवीएनएल/जोवीवीएनएल/एवीवीएनएल) के मध्य त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे (27 जनवरी 2016)। उदय योजना एवं त्रिपक्षीय एमओयू के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितंबर 2015 को तीन राज्य डिस्कॉम्स से संबंधित कुल बकाया ऋण (₹ 83229.90 करोड़) में से राजस्थान सरकार ने 2015-16 एवं 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 62421.95 करोड़ के कुल ऋण का अधिग्रहण ₹ 8700 करोड़ की पूँजी एवं ₹ 9000 करोड़ का अनुदान प्रदान करके कर लिया था जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.17: उदय योजना का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूँजी निवेश	ऋण	सब्सिडी	कुल
2015-16	5,700.00	34,349.77	-	40,049.77
2016-17	3,000.00	10,372.19	9,000.00	22,372.19
<b>कुल</b>	<b>8,700.00</b>	<b>44,721.96</b>	<b>9,000.00</b>	<b>62,421.96</b>
2017-18	3,000.00	(-)15,000.00	12,000.00	-
2018-19	3000.00	(-)15,000.00	12,000.00	
<b>31 मार्च 2019 को स्थिति</b>	<b>14,700.00</b>	<b>14,721.96</b>	<b>33,000.00</b>	<b>62,421.96</b>

राशि ₹ 44721.95 करोड़ जिसे उदय स्कीम के अंतर्गत ऋण के रूप में दिया गया था, को तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में पूँजी एवं अनुदान में परिवर्तित किया जाना था। इस राशि के समक्ष, राजस्थान सरकार ने 2017-18 एवं 2018-19 के प्रत्येक वर्ष के दौरान ₹ 3000 करोड़ की पूँजी एवं ₹ 12000 करोड़ का अनुदान प्रदान किया जबकि शेष ऋण राशि को 2019-20 के दौरान राजस्थान सरकार की बजट स्वीकृति के अनुसार परिवर्तित किया जाना था।

राजस्थान सरकार ने वर्ष के दौरान उदय योजना के अंतर्गत अन्य वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों के ऋण दायित्व चुकाने के लिए दिये गये ऋण पर ₹ 2439.10 करोड़ का ब्याज भी वसूल किया था।

**ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणियां**

**1.21** ऊर्जा क्षेत्र की 15 कम्पनियों ने 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 की अवधि के दौरान अपने 15 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से ग्यारह लेखों को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दर्शाते हैं कि लेखों की गुणवत्ता में

सारभूत सुधार करने की आवश्यकता है। वर्ष 2016-19 के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 1.18: लेखापरीक्षा टिप्पणियों का ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016-17		2017-18		2017-18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	0.23	5	51.95	4	491.55
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	2	1169.71	1	13.75
3.	हानि में वृद्धि	1	15.23	1	10.32	2	11.19
4.	हानि में कमी	2	16.82	-	-	-	-
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाना	-	-	2	28.35	-	-
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	3	249.81	4	385.18	5	242.83

स्रोत: सरकारी कम्पनियों के संबंध में वैधानिक लेखापरीक्षकों/सीएजी की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2018-19 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने छः लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र जारी किए थे। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखा मानकों की अनुपालना कमजोर रही क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने छः लेखों में लेखा मानकों के अनुपालन नहीं करने के 23 प्रकरणों का उल्लेख किया था।

### अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद

**1.22** 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन के भाग-1 के लिए, ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित चार अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को दो सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किये गये थे। अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर राज्य सरकार/प्रबंधन से प्राप्त हो गये हैं एवं इस प्रतिवेदन में उचित रूप से समाहित कर लिये गये हैं (मई 2020)। अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 105.29 करोड़ है।

### लेखापरीक्षा अनुच्छेदों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

**1.23** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाये। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि में, राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित प्रारूप में उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करने के निर्देश जारी (जुलाई 2002) किये थे। ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित समस्त अनुच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां अग्रेषित कर दी है।

**1.24** लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई लेखापरीक्षा टिप्पणियों, जिनका इकाई पर ही समापन नहीं किया है, को निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से संबंधित उपक्रमों के प्रमुखों एवं राज्य सरकार के संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाता है। उपक्रमों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन का उत्तर एक महीने के अंदर प्रेषित करना होता है।

ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों से संबंधित, मार्च 2019 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन से यह प्रकट हुआ कि 178 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 574 अनुच्छेद सितम्बर 2019 के अंत में बकाया थे, जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 5230.80 करोड़ था। कम्पनी-वार 30 सितम्बर 2019 को निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुच्छेदों की स्थिति **अनुबंध-3** में दर्शाई गयी हैं। साथ ही, 2018-19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की 161 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी एवं 381 अनुच्छेदों को सम्मिलित करते हुये 59 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये। बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निपटान के लिए ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों (सात सहायक कम्पनियों को हटाते हुये) में से छः कम्पनियों में लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया है। इन छः लेखापरीक्षा समितियों की वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 20 बैठकें हुई थी, जिनमें जवाबदेहीता एवं ज़िम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए बकाया अनुच्छेदों की स्थिति की चर्चा कार्यकारी/प्रशासनिक विभागों के साथ की गई।

#### लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर वसूली

**1.25** वर्ष 2018-19 में अनुपालना लेखापरीक्षा के दौरान, उपक्रमों के प्रबंधन को ₹ 88.87 करोड़ की वसूली इंगित की गई। साथ ही, वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 88.46 करोड़ (2018-19 में इंगित की गई वसूली के समक्ष ₹ 8.61 करोड़ एवं गत वर्षों में इंगित की गई वसूली के समक्ष शेष ₹ 79.85 करोड़) की वसूली की गई।

#### कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

**1.26** 30 सितंबर 2019 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (उपक्रमों) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुच्छेदों पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 1.19: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं 30 सितम्बर 2019 तक चर्चा की गई निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		अनुच्छेद जिन पर चर्चा की गई	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2016-17	1	5	1	4
2017-18	1	5	-	-

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित

2015-16 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयू) पर चर्चा पूर्ण हो गई है।

## अध्याय II

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित  
अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

## अध्याय -II

### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गये व्यवहारों की नमूना जांच से प्रकट हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में सम्मिलित किये गये हैं।

### जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

#### 2.1 उपकर जमा कराने में विलम्ब के कारण ब्याज की परिहार्य शास्ति

तीनों डिस्कॉम्स द्वारा राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों में निर्धारित समयावधि के अनुसार जल संरक्षण उपकर (डब्ल्यूसीसी) जमा करवाने के लिए कार्यविधि तैयार नहीं की गई। उचित कार्यविधि के अभाव में विद्युत उपभोक्ताओं से संग्रहण किए गए डब्ल्यूसीसी को जमा करने में विलम्ब हुआ एवं ₹ 55.42 करोड़ के ब्याज की शास्ति का दायित्व उत्पन्न हुआ।

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (आरईडी अधिनियम, 1962) की धारा 3बी<sup>1</sup> के अन्तर्गत एक उपभोक्ता अपने स्वयं के उपयोग या उपभोग के लिए ऊर्जा पैदा करने वाले आपूर्तिकर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा पर दस पैसे प्रति इकाई की दर से राज्य सरकार को देय एक उपकर जिसे “जल संरक्षण उपकर” (डब्ल्यूसीसी) कहा जाता है, लागू किया गया था। आरईडी नियम 1970 का नियम 3 प्रावधित करता है कि डब्ल्यूसीसी को आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने उपभोक्ताओं से ऊर्जा बिल के माध्यम से वसूल किया जाकर इसकी प्राप्ति के माह की समाप्ति से 30 दिवसों के अन्दर राज्य सरकार को जमा करवाया जाना है। साथ ही, आरईडी अधिनियम, 1962 की धारा 5 के अनुसार, निर्दिष्ट समय के अन्दर संग्रहित डब्ल्यूसीसी जमा नहीं कराने पर, आपूर्तिकर्ता 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

तीन<sup>2</sup> वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) को राज्य में उपभोक्ताओं को विद्युत के आपूर्तिकर्ता होने के कारण अपने उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से डब्ल्यूसीसी का संग्रह किया जाना आवश्यक था एवं इस प्रकार संग्रहित की गई राशि को राज्य सरकार को निर्दिष्ट समय में जमा करवाया जाना था।

1 वित्त अधिनियम 2009 द्वारा 8 जुलाई 2009 से प्रभावी करते हुए सम्मिलित किया गया।

2 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जविविनिलि), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अविविनिलि) एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जोविविनिलि)।

डब्ल्यूसीसी जमा करने से संबंधित 2009-10 से 2017-18 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि तीनों डिस्कॉम्स ने निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया था एवं संग्रहित डब्ल्यूसीसी राशि को चार दिन से 2404 दिनों के मध्य विलम्ब<sup>3</sup> से जमा करवाया। लेखापरीक्षा ने पाया कि कर निर्धारण करते समय, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार (सीटीडी,जीओआर) ने तीनों डिस्कॉम्स पर 2009-10 से 2015-16 की अवधि के लिए डब्ल्यूसीसी जमा कराने में किये गये विलम्ब हेतु ₹ 48.65 करोड़ की ब्याज की शास्ति आरोपित की (अगस्त 2015 एवं मार्च 2017, फरवरी 2016 तथा सितंबर 2016) एवं इस संबंध में मांग पत्र जारी किए। मांग पत्र प्राप्त होने पर, तीनों डिस्कॉम्स ने ब्याज को माफ करने के लिए आयुक्त, सीटीडी, जीओआर, जयपुर को चार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये (नवंबर 2015 एवं मई 2017, फरवरी 2016 तथा नवंबर 2016)। सीटीडी ने एक प्रार्थना-पत्र<sup>4</sup> इस तर्क पर अस्वीकार कर दिया (अगस्त 2017) कि आरईडी अधिनियम, 1962 में शास्ति ब्याज को माफ करने का प्रावधान नहीं है एवं तदानुसार, अपेक्षित राशि को बिना किसी और विलम्ब के जमा करवाने हेतु निर्देश दिया। प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार किये जाने के पश्चात, जोविविनिलि ने ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार से प्रकरण में हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया (फरवरी 2018) परन्तु उसने भी सीटीडी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन किया (मार्च 2018)। वैकल्पिक रूप में, ऊर्जा विभाग ने संबंधित डिस्कॉम को कानूनी प्रावधानों, जिसके तहत छूट मांगी गई थी, के बारे में सूचित किये जाने की भी सलाह दी, तथापि, डिस्कॉम्स ने मार्च 2019 तक ना तो इस संबंध में सूचित किया ना ही शास्ति ब्याज की राशि जमा करवायी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पूर्व की अवधि हेतु मांग पत्रों की प्राप्ति एवं उनके निपटान नहीं होने के उपरान्त भी, डिस्कॉम्स ने निर्दिष्ट समय के अन्दर डब्ल्यूसीसी के भुगतान को सुनिश्चित/निगरानी करने के लिए एक कार्यविधि तैयार नहीं की थी एवं डब्ल्यूसीसी के जमा करने में विलम्ब को आगामी अवधि यथा जोविविनिलि में 2016-17 से 2018-19, अविविनिलि में 2015-16 से 2018-19 व जविविनिलि में 2016-17 से 2018-19 के लिए जारी रखा। इन विलम्बों के लिए डिस्कॉम्स ₹ 6.77 करोड़<sup>5</sup> की अतिरिक्त शास्ति के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार, वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में 2009-10 से 2018-19 की अवधि के लिए डब्ल्यूसीसी को जमा कराने में किये गये विलम्ब ने तीनों डिस्कॉम्स पर ₹ 55.42 करोड़ (₹ 48.65 करोड़ + ₹ 6.77 करोड़) की परिहार्य ब्याज की देयता उत्पन्न की।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2019) कि राजस्थान वित्त विधेयक 2019 के अनुसार, आरईडी अधिनियम 1962 में धारा 8ए (कुछ प्रकरणों में शास्ति एवं ब्याज माफ करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति) को जोड़ा जायेगा जिसके अनुसार राज्य सरकार, सार्वजनिक हित में, इस अधिनियम के अन्तर्गत देय किसी ब्याज अथवा शास्ति को कम अथवा माफ कर सकती है। इस संशोधन को ध्यान में रखते हुए एक डिस्कॉम (जविविनिलि) ने ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार को इस पर आरोपित किए गये डब्ल्यूसीसी पर ब्याज/ शास्ति

3 जविविनिलि: 18 दिन तथा 2404 दिन, अविविनिलि 4 दिन तथा 374 दिन एवं जोविविनिलि: 7 दिन तथा 576 दिन।

4 सीटीडी, जीओआर द्वारा अगस्त 2015 में जारी किए गए नोटिस के विरुद्ध 2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए जोविविनिलि द्वारा नवंबर 2015 में दायर किया गया प्रार्थना-पत्र।

5 जोविविनिलि (₹ 1.20 करोड़), अविविनिलि (₹ 2.28 करोड़) एवं जविविनिलि (₹ 3.29 करोड़)।

को माफ करने के लिए पहले ही अनुरोध कर दिया था (24 जुलाई 2019)। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स ने भविष्य में डब्ल्यूसीसी को निर्दिष्ट समय में जमा करने का आश्वासन दिया।

प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिनियम में सम्मिलित की गई नई धारा (8ए) राज्य सरकार को किसी ब्याज या शास्ति को पूर्वव्यापी प्रभाव से कम/माफ करने का अधिकार प्रदान नहीं करती है। साथ ही, डिस्कॉम्स ने आरईडी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार संग्रहित डब्ल्यूसीसी को संबंधित राजस्व अधिकारियों को जमा कराने को सुनिश्चित करने/निगरानी करने के लिए कार्यविधि तैयार नहीं की थी, जिसके कारण 2009-10 से 2018-19 के दौरान डब्ल्यूसीसी को जमा कराने में असामान्य विलम्ब एवं ₹ 55.42 करोड़ की परिहार्य ब्याज देयता उत्पन्न हुई।

## जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

### 2.2 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान किये गए ठेकों के वित्तीय समापन में प्रणालीगत कमियां

#### परिचय

**2.2.1** जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) राज्य के 10 जिलों<sup>6</sup> में विद्युत के वितरण के कार्य में संलग्न है। कम्पनी में क्रमशः मुख्य अभियंता (एमएम) एवं मुख्य अभियंता (टीडब्ल्यू) के नियंत्रण में सामग्री के प्रापण के लिए सामग्री प्रबंधन (एमएम) समूह एवं विद्युतीकरण व वितरण प्रणाली तंत्र की वृद्धि/सुदृढिकरण से संबंधित टर्नकी कार्य/परियोजनाओं के निष्पादन, निगरानी के लिये टर्नकी कार्य (टीडब्ल्यू) समूह है। कम्पनी ने मुख्य अभियंता (सीएसएस) के नियंत्रण में भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्त पोषित टर्नकी कार्य के कार्यान्वयन के लिए एक पृथक अनुभाग अर्थात् केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) समूह का गठन किया (मई 2018)।

कम्पनी के पूंजीगत कार्यों को निष्पादित करने में इन सभी तीनों समूहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि 2014-19 की अवधि के लिए इसके कुल बजटीय पूंजीगत व्यय (₹ 7618.68 करोड़) का 83 प्रतिशत (₹ 6314.56 करोड़) इन समूहों से संबंधित था। इन समूहों द्वारा निष्पादित ठेकों की समीक्षा से उजागर हुआ कि 2008-09 से 2017-18 के दौरान वित्तीय समापन योग्य कुल 4175<sup>7</sup> ठेकों में से केवल 538<sup>8</sup> ठेके (12.89 प्रतिशत) का पूर्ण वित्तीय समापन हुआ था।

6 बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, सिराही एवं श्रीगंगानगर।

7 इसमें एमएम एवं टीडब्ल्यू अनुभाग द्वारा जारी क्रमशः 4108 क्रय आदेश एवं 67 टर्नकी कार्य अनुबंध सम्मिलित हैं।

8 इसमें एमएम एवं टीडब्ल्यू अनुभाग से संबंधित क्रमशः 513 क्रय आदेश एवं 25 टर्नकी कार्य अनुबंध सम्मिलित हैं।



## लेखापरीक्षा उद्देश्य एवं क्षेत्र

**2.2.2** वर्तमान अध्ययन (जनवरी 2019 से मई 2019) यह मूल्यांकन करने के लिए किया गया था कि क्या अंतिम बिल प्रस्तुत करने एवं ठेकों के वित्तीय समापन से संबंधित मानदंड एवं दिशा-निर्देश भलीभांति परिभाषित हैं, कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय रूप से समापन किये गये थे एवं कम्पनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए वित्तीय समापन से संबंधित संविदा वाक्यांश को उचित रूप से लागू किये गये थे।

अध्ययन के माध्यम से एमएम एवं टीडब्ल्यू समूहों द्वारा प्रदान किए गए क्रमशः क्रय आदेशों (पीओ) एवं टर्नकी कार्यों (टीडब्ल्यू) ठेकों<sup>9</sup> के वित्तीय समापन की प्रक्रिया की दक्षता एवं प्रभावशीलता का आंकलन किया गया। लेखापरीक्षा में 2008-09 से 2017-18 के दौरान इन दोनों समूहों द्वारा दिये गये एवं 31 मार्च 2019 तक वित्तीय रूप से समाप्त/वित्तीय समापन हेतु लंबित पीओ/टीडब्ल्यू ठेकों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा सम्मिलित थी। वर्ष 2008-09 से 2017-18 के दौरान वित्तीय समापन योग्य 4108 पीओ<sup>10</sup> (जैसा कि अनुबंध-4 में वर्णित है) एवं 67<sup>11</sup> टीडब्ल्यू ठेकों में से, 513 पीओ एवं 25 टीडब्ल्यू ठेके वित्तीय रूप से समाप्त थे जबकि 3595 पीओ एवं 42 टीडब्ल्यू अनुबंध नमूना चयन के समय (जनवरी 2019) वित्तीय समापन के लिए लंबित थे।

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए पीओ/टीडब्ल्यू ठेकों के चयन के दौरान, वित्तीय रूप से समाप्त प्रकरणों में से, 49 पीओ (20 प्रतिशत) एवं पांच टीडब्ल्यू ठेके (20 प्रतिशत) विस्तृत जांच के लिए चयनित किये गये थे जबकि वित्तीय समापन हेतु लंबित प्रकरणों में से, 111 पीओ (10 प्रतिशत) एवं नौ टीडब्ल्यू ठेके (20 प्रतिशत) विस्तृत जांच के लिए चयनित किये गये थे। यह प्रकरण यादृच्छिक आधार पर चयन किये गये थे एवं एमएम अनुभाग से संबंधित पीओ के लिए बहु-स्तरीय चयन पद्धति को अपनाया गया क्योंकि एमएम अनुभाग द्वारा स्वरीदे गए पांच प्रमुख मर्दों यथा ट्रांसफॉर्मर्स, मीटर, वेक्यूम सर्किट ब्रेकर (वीसीबी), स्टील मर्दे एवं केबल/कंडक्टर से संबंधित प्रकरण चयनित किए गए थे।

## ठेकों के वित्तीय समापन से संबंधित कार्य

**2.2.3** एमएम समूह कम्पनी की वार्षिक आवश्यकता के लिए सामग्री की केंद्रीकृत प्रापण करता है। प्रापण प्रक्रिया में मुख्य रूप से आवश्यकता का आंकलन एवं उसे अंतिम रूप देना, निविदाएं आमंत्रित करना व उन्हें अंतिम रूप देना, पीओ प्रदान करना, प्रेषण निर्देश जारी करना


9 टर्नकी ठेके में एक ही निविदा के अन्तर्गत आपूर्ति एवं निर्माण कार्य के लिए प्रदान किया गया ठेका सम्मिलित है।

10 इसमें वित्तीय समापन के योग्य 347 अतिरिक्त पीओ सम्मिलित है, जिनकी सूचना लेखापरीक्षा के दौरान प्रदान की गई थी।


11 इसमें वित्तीय समापन के योग्य तीन अतिरिक्त टीडब्ल्यू ठेके सम्मिलित हैं, जिनकी सूचना लेखापरीक्षा के दौरान प्रदान की गई थी।

आदि सम्मिलित हैं। टीडब्ल्यू एवं सीएसएस समूह टर्नकी कार्यों के निष्पादन के लिए केंद्रीकृत रूप से निविदा जारी करने एवं ठेका प्रदान करने एवं प्रदान किये गये कार्यों का निष्पादन संबंधित ठेकेदार द्वारा संबंधित संचालन एवं रखरखाव (ओएण्डएम) वृत्त के निरीक्षण में किया जाता है। आदेशित आपूर्ति/टर्नकी कार्यों के निष्पादन के पश्चात, संबंधित समूह द्वारा ठेके का वित्तीय समापन निष्पादित किया जाता है।

इन तीन<sup>12</sup> अनुभागों के अतिरिक्त, प्रापण प्रक्रिया में कम्पनी के अन्य समूह/कार्यालय यथा सहायक भण्डार नियंत्रक (एससीओएस), ओएण्डएम वृत्त एवं केंद्रीकृत भुगतान प्रकोष्ठ (सीपीसी) भी सम्मिलित हैं। कम्पनी के विभिन्न समूहों/कार्यालयों के मध्य प्रापण प्रक्रिया (ठेकों के वित्तीय समापन सहित) से संबंधित कार्यों का आवंटन नीचे दर्शाया गया है:



आदेशित आपूर्ति/कार्यों के निष्पादन के पश्चात पीओ/टीडब्ल्यू ठेकों के वित्तीय समापन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है जिसे तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



12 एमएम, टीडब्ल्यू एवं सीएसएस समूह।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

**2.2.4** लेखापरीक्षा निष्कर्ष जो मुख्यतया: प्रापण प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) को नहीं अपनाने, टेकों के वित्तीय समापन के लिए भलीभांति परिभाषित व व्यापक प्रक्रिया के अभाव, क्रय आदेशों/टर्नकी टेकों के वित्तीय समापन में विलम्ब/कमी आदि से संबंधित विषयों को समाहित करते हैं जिनकी चर्चा अनुच्छेद **2.2.5** से **2.2.15** के अन्तर्गत की गई है।

यह लेखापरीक्षा निष्कर्ष केवल नमूना प्रकरणों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित है एवं कम्पनी में इस प्रकार के अन्य प्रकरण होने की संभावना है। इसलिए, सरकार/कम्पनी से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे अन्य सभी प्रकरणों की समीक्षा करे जिसमें समान कमियों/अनियमितताओं की संभावना हो तथा समान कमियां अनियमितताएँ पाये जाने पर/ऐसे प्रकरणों में सुधारात्मक कार्यवाही करे।

सरकार/कम्पनी के उत्तर (सितंबर 2019) पर विचार करने के पश्चात अनुच्छेद को अंतिम रूप दिया गया है।

## प्रापण प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) को अपनाया जाना

**2.2.5** प्रापण प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) प्रक्रिया के निष्पादन की निगरानी करने के लिए समय समय पर-प्रापण प्रक्रिया से संबंधित सूचना को एकत्रित करती है। यह वित्तीय समापन के योग्य प्रापण प्रकरणों की निगरानी में सहायता करती है एवं इन प्रकरणों को समयबद्ध तरीके से समापन करने को भी सुनिश्चित करती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्थान सार्वजनिक प्रापण में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियम 2013 के नियम 9 में भी प्रत्येक प्रापण इकाई द्वारा पीएमआईएस को विकसित एवं रखरखाव के लिए प्रावधान किया गया है।

अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने प्रापण प्रक्रिया के प्रबंधन एवं निगरानी के लिए सूचना प्रणाली विकसित नहीं की थी। प्रापण प्रकरणों से संबंधित समेकित सूचना के अभाव में, ऐसे प्रकरणों की निगरानी के लिए अपेक्षित समंक कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थे। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि:

- क्रय आदेशों (पीओ) के संबंध में, जो 2008-09 से 2017-18 के दौरान वित्तीय समापन के योग्य हो गए थे, एमएम समूह ने प्रारम्भ में (नवम्बर 2018) 3761 प्रकरणों का विवरण प्रदान किया, जबकि इसने बाद में (मार्च 2019) 3987 प्रकरणों का विवरण प्रदान किया गया जिसमें 121 प्रारंभिक प्रकरण थे जबकि 347 नए प्रकरण सम्मिलित किये गये थे।
- एमएम समूह द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर, कुल 160 पीओ<sup>13</sup> विस्तृत जांच के लिए चयनित किये गये थे जैसा कि अनुच्छेद **2.2.2** में वर्णित है। इन 160 प्रकरणों की समीक्षा करने के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि एमएम समूह द्वारा प्रदान

13 49 पीओ, जहां वित्तीय समापन को अंतिम रूप दे दिया गया था एवं 111 पीओ जहां वित्तीय समापन लंबित था।

की गई सूचना सही नहीं थी क्योंकि वित्तीय रूप से समाप्त बताये गये प्रकरणों में 31 ऐसे पीओ सम्मिलित थे, जिनमें वित्तीय समापन लंबित था जबकि वित्तीय समापन के लिए लंबित बताये गये प्रकरणों में 14 ऐसे पीओ सम्मिलित थे जिनका वित्तीय समापन पहले ही हो चुका था। (जून 2019)

इस प्रकार एक संरचित प्रणाली के अभाव में, कम्पनी का एमएम समूह 2008-09 से 2017-18 के दौरान वित्तीय समापन के लिए योग्य क्रय आदेशों से संबंधित सही सूचना प्रदान करने की स्थिति में नहीं था। परिणामस्वरूप, एमएम समूह द्वारा प्रदान की गई कुल योग्य प्रकरणों, वित्तीय रूप से समाप्त प्रकरणों एवं समापन के लिए लंबित प्रकरणों संबंधी सूचना विश्वसनीय नहीं थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया कि कम्पनी ने बाद के चरण में लेखापरीक्षा को पीओ की सही सूचियां प्रदान की थी। इसने आगे कहा कि कम्पनी ने उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए कार्य प्रदान कर दिया था (जून 2019) जो कि प्रक्रियाधीन है।

### ठेकों के समापन की कार्यविधि

**2.2.6** ठेकों का समापन प्रापण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो कि इस बात का प्रतीक है कि संविदा के अन्तर्गत क्रेता या आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार के दायित्वों का निपटान हो चुका है। एक ठेके को सभी संबंधों में उसकी वारंटी/दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात ही समाप्त माना जाता है। इसलिए, ठेके को इसके सफलतापूर्वक पूर्ण होने एवं आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार को निष्पादन प्रतिभूति वापस/मुक्त करने पर ही समाप्त करना चाहिये। साथ ही, कम्पनी से संबंधित ठेकों के पूर्ण होने के पश्चात ठेकों के समापन के लिए एक सुपरिभाषित एवं समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित करने की भी अपेक्षा की जाती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी की ठेकों की सामान्य शर्तों (जीसीसी) में प्रतिभूति/निष्पादन बैंक गारंटी को वापस करने एवं सामग्री की सुपुर्दगी/मरम्मत/प्रतिस्थापन व कार्य के निष्पादन में विलम्ब इत्यादि हेतु शास्ति के कुछ प्रावधान सम्मिलित किये गये थे। तथापि, कम्पनी ने प्रदान किये गये ठेकों के वित्तीय समापन के लिए एक सुपरिभाषित एवं व्यापक प्रक्रिया नहीं बनाई थी। साथ ही, इसने सामग्री की सुपुर्दगी/मरम्मत/प्रतिस्थापन एवं कार्य के निष्पादन में विलम्ब के लिये वसूली/शास्ति को अंतिम रूप देने एवं प्रतिभूति/बैंक गारंटी को वापस करने आदि के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि कम्पनी ने ठेकों का सामयिक वित्तीय समापन सुनिश्चित करने एवं एक निश्चित समय अवधि के पश्चात लंबित प्रकरणों की समीक्षा करने के लिए निगरानी तंत्र भी निर्मित नहीं किया था।

ठेका समापन करने की प्रक्रिया की तुलना करने के उद्देश्य से, लेखापरीक्षा ने निकटवर्ती राज्यों की डिस्कॉम्स में प्रक्रिया का विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि मध्य प्रदेश राज्य के डिस्कॉम ने अपनी प्रापण नियमावली (जून 2012 तक संशोधित) में ठेका समापन की प्रक्रिया को परिभाषित किया। यह प्रावधान करता है कि नीति के अन्तर्गत, संबंधित ठेकों की वारंटी/डीएलपी की समाप्ति के तुरंत पश्चात सभी ठेकों को बंद कर दिया जाएगा। यह 12 माह की समय सीमा एवं गतिविधियों की व्यापक सूची, जो कि ठेके को बंद करने से पहले पूर्ण की जानी आवश्यक है, निर्धारित करता है। यह भी प्रावधान करता है कि संबंधित समूह पूर्णता के

निकट वाले ठेकों की सूची संधारित करेगा जहाँ सूची में ठेके का विशिष्ट विवरण यथा भौतिक रूप से पूर्णता एवं कार्य हस्तांतरण की अपेक्षित तिथि, वारंटी अवधि सम्मिलित किये जायेंगे एवं ऐसे सभी ठेकों के संबंध में प्रभारी द्वारा विभिन्न संबद्ध गतिविधियों की प्रगति की मासिक आधार पर समीक्षा की जाएगी। यद्यपि, कम्पनी ने अपनी क्रय नियमावली/कार्य नियमावली में अन्य संबंधित भागों में इस तरह की गतिविधियों के लिए कुछ मानदंडों को परिभाषित किया है, परन्तु इस नियमावली में अनुबंधों के समापन के लिए एक सुपरिभाषित एवं समयबद्ध प्रक्रिया एवं निगरानी तंत्र सम्मिलित नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि कम्पनी के एमएम, टीडब्ल्यू एवं सीएसएस समूहों ने ठेको के वित्तीय समापन में असामान्य विलम्ब किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि चयनित प्रकरणों में 31 मार्च 2019 को वित्तीय रूप से समाप्त प्रकरणों एवं वित्तीय समापन के लिए लंबित प्रकरणों में निष्पादन अवधि समाप्त होने से क्रमशः छः माह से 76 माह तथा छः माह से 107 माह के मध्य का विलम्ब रहा। इस प्रकार निर्धारित समयसीमा एवं निगरानी तंत्र युक्त सुपरिभाषित प्रक्रिया के अभाव में संबंधित अनुभाग के सुस्त दृष्टिकोण की आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं ठेकों के समयबद्ध वित्तीय समापन के लिए एक सुपरिभाषित प्रक्रिया अपनाने का आश्वासन दिया।

### क्रय आदेशों/टर्नकी कार्यों के ठेकों का वित्तीय समापन

**2.2.7** चयनित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा ऐसे प्रकरण देखे गये जहाँ क्रय आदेशों (पीओ)/टर्नकी कार्य (टीडब्ल्यू) ठेकों को अंतिम रूप देने/वित्तीय समापन करने में विलम्ब/कमियां थी जो कि नीचे वर्णित हैं:

#### *सत्यापित बिल एवं प्राप्ति चालान प्रस्तुत करने का अभाव*

**2.2.8** ठेके की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के अनुसार, एमएम समूह द्वारा पीओ जारी करने एवं ठेके संबंधी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्ति चालानों एवं अन्य आवश्यक प्रपत्रों के साथ बिल को प्रेषित यथा संबंधित सहायक भण्डार नियंत्रक (एसीओएस) को प्रस्तुत करना होता है एवं प्रेषित द्वारा सत्यापित बिल एवं प्राप्ति चालान के साथ अन्य आवश्यक प्रपत्रों की एक प्रति एमएम समूह, केंद्रीकृत भुगतान प्रकोष्ठ (सीपीसी) एवं संबंधित आपूर्तिकर्ता प्रत्येक को प्रेषित करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, बिल एवं प्राप्ति चालान की एक प्रति आपूर्तिकर्ता द्वारा एमएम समूह को शीघ्र प्रेषित करनी होती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि माल की आपूर्ति एवं संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बिलों एवं प्राप्ति चालानों के सत्यापन के पश्चात, एसीओएस ने सत्यापित बिलों एवं प्राप्ति चालान की एक प्रति आपूर्तिकर्ता के साथ-साथ सीपीसी को भेजी, परन्तु एसीओएस ने इन प्रपत्रों की प्रतिलिपी एमएम समूह को प्रेषित नहीं की थी। इसी तरह, आपूर्तिकर्ताओं ने भी इस प्रावधान का पालन नहीं किया था, जिसमें संबंधित एसीओएस द्वारा ऐसे प्रपत्रों के सत्यापन के तुरंत पश्चात प्रत्येक स्वेप के लिए ऐसे प्रपत्रों की एक प्रति एमएम समूह को प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान है। साथ ही, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की गई कुल सामग्री से संबंधित सत्यापित बिल एवं प्राप्ति चालान की प्रतियां एमएम समूह को दो माह से 71 माह के विलम्ब के साथ प्रदान की गई थी

(17 ऐसे प्रकरणों को सम्मिलित करते हुए जिनमें सत्यापित बिल डीएलपी के पश्चात प्रस्तुत किए गए थे)। एसीओएस एवं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/मानदंडों का पालन नहीं करने के कारण एमएम समूह द्वारा आपूर्ति में विलम्ब/कमी के पेटे शास्तियों, नकारात्मक मूल्य विचलन आदि के निर्धारण में विलम्ब हुआ एवं परिणामस्वरूप ठेकों को अंतिम रूप देने में विलम्ब हुआ।

चयनित 160 क्रय आदेशों की समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि एमएम समूह ने केवल 83 क्रय आदेशों को अंतिम रूप दिया था, जबकि 55 क्रय आदेश 31 मार्च 2019 को वित्तीय समापन के लिए लंबित थे। साथ ही, शेष 22 क्रय आदेशों में से 15 प्रकरणों में आपूर्ति प्रारम्भ नहीं करने के कारण वित्तीय समापन की आवश्यकता नहीं थी, एक प्रकरण में निष्पादन की अवधि पूर्ण नहीं हुई थी एवं छः प्रकरणों में संबंधित आपूर्तिकर्ताओं अर्थात् दो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) के साथ समाशोधन के अभाव के कारण अंतिम रूप नहीं दिये जा सके जैसा कि आगामी अनुच्छेद 2.2.12 में चर्चा कि गई है। एमएम समूह द्वारा अंतिम रूप दिए गए 83 क्रय आदेशों के विस्तृत विश्लेषण से उजागर हुआ कि 17, 31, 11 एवं तीन क्रय आदेशों को अंतिम रूप देने में डीएलपी की समाप्ति की दिनांक से क्रमशः तीन माह से एक वर्ष, एक वर्ष से तीन वर्ष, तीन वर्ष से पांच वर्ष एवं पांच वर्ष से अधिक अवधि का विलम्ब था। साथ ही, एसीओएस/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपेक्षित प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण, एमएम समूह अन्य 55 क्रय आदेशों को उनके निष्पादन की अवधि समाप्त होने से छः माह से 107 माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी अंतिम रूप नहीं दे सका।

इस प्रकार, जीसीसी में निर्दिष्ट प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित नहीं करने के परिणामस्वरूप क्रय आदेशों को अंतिम रूप देने/वित्तीय समापन करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ। तथापि, एमएम समूह ने इस संबंध में संबंधित एसीओएस/आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी।

सरकार ने आश्वासन दिया कि एसीओएस एवं आपूर्तिकर्ता को समय समय पर उनके द्वारा प्राप्त/आपूर्ति की गई सामग्री से संबंधित आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है जिससे कि वित्तीय समापन समय पर किया जा सके।

### **वसूली प्रभावी करने के लिए कमजोर संग्रहण प्रणाली एवं सुस्त दृष्टिकोण**

**2.2.9** प्रचलन के अनुसार, क्रय आदेश के लिए वसूलियों को अंतिम रूप देने के पश्चात, एमएम समूह सीपीसी को 'वसूली के निर्धारण के लिए पत्र' के माध्यम से लागू होने वाली वसूली सूचित करता है एवं सीपीसी द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता से यथोचित वसूली एवं संबंधित आपूर्तिकर्ता की निष्पादन बैंक गारंटी जारी किये जाने की सूचना एमएम समूह को दी जानी होती है।

चयनित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- एमएम समूह ने विलंबित/कम/दोषपूर्ण आपूर्ति, नकारात्मक मूल्य विचलन आदि के पेटे 83 प्रकरणों में वसूली को अंतिम रूप दिया (जून 2009 से दिसंबर 2018) एवं ऐसे सभी प्रकरणों में सीपीसी को 'वसूली के निर्धारण के लिए पत्र' जारी किये। तथापि, ऐसे पत्र केवल 60 क्रय आदेशों हेतु ही उपलब्ध थे जबकि शेष 23 प्रकरणों में, जिनमें ₹ 50.11 लाख की वसूली सम्मिलित थी, 'वसूली के निर्धारण के लिए पत्र' सीपीसी

के अभिलेखों में पत्र जारी किये जाने से जून 2019 तक छः माह से 120 माह की अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, कमजोर संप्रेषण के परिणामस्वरूप क्रय आदेशों को अंतिम रूप देने में असामान्य विलम्ब हुआ। साथ ही, इन 23 में से 14 प्रकरणों में, सीपीसी के पास ₹ 39.29 लाख की वसूली योग्य राशि के समक्ष केवल ₹ 13.80 लाख की वित्तीय प्रतिभूति थी।

- 15<sup>14</sup> चयनित प्रकरणों में, एमएम समूह ने ₹ 1.72 करोड़ की वसूलियों का निर्धारण किया एवं सीपीसी को सूचित किया (अगस्त 2016 से सितंबर 2017 के मध्य) तथापि, सीपीसी ने जून 2019 तक इन प्रकरणों में वसूली नहीं की थी, जिसके संबंध में एमएम समूह के अभिलेखों में कोई औचित्य नहीं पाया गया था जबकि सीपीसी इन चयनित प्रकरणों में से तीन<sup>15</sup> प्रकरणों, जिनमें ₹ 1.64 करोड़ की वसूली सम्मिलित थी, से संबंधित अभिलेख प्रदान करने में विफल रहा। यह इंगित करता है कि एमएम समूह द्वारा संदर्भित प्रकरणों में वसूली प्रभावी करने में सीपीसी तत्पर नहीं था। साथ ही, एमएम समूह ने इसके द्वारा इंगित की गई वसूलियों के समक्ष सीपीसी द्वारा की गई वसूली की स्थिति की निगरानी करने के लिए तंत्र विकसित नहीं किया था। इस प्रकार, कम्पनी की दोषपूर्ण प्रणाली एवं सुस्त दृष्टिकोण के कारण एमएम समूह द्वारा वसूली की सूचना से दो वर्ष से अधिक की समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त भी इन 15 पीओ को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

सरकार ने आश्वासन दिया कि समय से वसूली करने के लिए संप्रेषण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित लम्बित वसूलियों का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

### **टर्नकी ठेकों के वित्तीय समापन के लिए उचित एवं सामयिक कार्रवाई का अभाव**

**2.2.10** प्रचलित प्रणाली के अनुसार, टर्नकी ठेकों की भौतिक पूर्णता के उपरांत, संबंधित वृत्त कार्यालय द्वारा आवश्यक विवरण/प्रपत्रों सहित ठेकों के वित्तीय समापन के प्रस्ताव संबंधित टीडब्ल्यू/ सीएसएस समूह को अग्रेषित किया जाना होता है, एवं इसके उपरांत ऐसे अनुबंधों का वित्तीय समापन संबंधित समूह द्वारा प्रक्रियागत किया जाता है।

वित्तीय समापन हेतु लंबित नौ चयनित टर्नकी ठेकों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि एक कार्य वित्तीय समापन के योग्य नहीं था। शेष आठ चयनित प्रकरणों में आदेशित कार्य पूर्ण होने, कार्य के लिए दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) की समाप्ति एवं टर्नकी ठेकों के वित्तीय समापन के प्रस्तावों को अग्रेषित करने की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

---

14 टीएन-590 के अंतर्गत पीओ-4103 एवं 3609, टीएन-739 के अंतर्गत पीओ-5258, टीएन-473 के अंतर्गत पीओ-3876, टीएन-611 के अंतर्गत पीओ-3600, टीएन-2050 के अंतर्गत पीओ-4610, टीएन-555 के अंतर्गत पीओ-3565, टीएन-4399 के अंतर्गत पीओ-8199, टीएन-4386 के अंतर्गत पीओ-6503, टीएन-4361 के अंतर्गत पीओ-6431, टीएन-4188 के अंतर्गत पीओ-3448, टीएन-551 के अंतर्गत पीओ-3806 एवं टीएन-565 के अंतर्गत पीओ-3884, टीएन-649 के अंतर्गत पीओ-4236 एवं टीएन-2054 के अंतर्गत पीओ-4516।

15 टीएन-590 के अंतर्गत पीओ-4103 एवं 3609 एवं टीएन-473 के अंतर्गत पीओ-3876।



तालिका 2.2.1: चयनित टर्नकी ठेकों के वित्तीय समापन की स्थिति

क्र. सं.	निविदा/कार्यादेश प्रदान किये जाने का माह	कार्य के पूर्ण होने का माह	कार्य की डीएलपी समाप्त होने का माह	माह जिसमें वृत्त कार्यालय द्वारा वित्तीय समापन के लिए प्रस्ताव अग्रोषित किया गया	कार्यादेश का मूल्य	भुगतान की जाने वाली राशि	भुगतान की गई राशि	कार्यों के निष्पादन में विलम्ब के पेटे निर्धारित वसूली	उपलब्ध वित्तीय प्रतिभूति
1	टीएन-126/ जुलाई 2009	दिसम्बर 2013	उ.न.*	जनवरी 2018	820.75	273.52	336.68	63.16	34.64
2	टीएन-131/ मार्च 2011	उ.न.	उ.न.	उ.न.	123.37	उ.न.	उ.न.	निर्धारित नहीं किया	8.64
3	टीएन-209/ मार्च 2014	जून 2016	जुलाई 2017	अगस्त 2017	623.74	402.26	450.35	60.86	70.00
4	टीएन-216/ मार्च 2014	मई 2016	मई 2017	अगस्त 2017	171.82	116.74	112.82	8.62	39.55
5	टीएन-218/ जुलाई 2014	अप्रैल 2016	अप्रैल 2017	मार्च 2017	653.05	324.68	324.68	निर्धारित नहीं किया	62.64
6	टीएन-220/ जुलाई 2014	दिसम्बर 2015	जनवरी 2017	फरवरी 2018	1114.80	452.50	452.50	निर्धारित नहीं किया	78.04
7	टीएन-224/ जुलाई 2014	उ.न.	उ.न.	उ.न.	2227.89	76.56	76.56	निर्धारित नहीं किया	54.28
8	टीएन-264/ अप्रैल 2015	मार्च 2018	जुलाई 2020	प्रस्तुत नहीं	7689.47	7388.26	7271.68	निर्धारित नहीं किया	1057.26
<b>योग</b>					<b>13424.89</b>	<b>9034.52</b>	<b>9025.27</b>		<b>1405.05</b>

\*उपलब्ध नहीं

# ऐसे प्रकरण, जहाँ वसूली निर्धारण हो गया है, भुगतान की जाने वाली राशि की गणना निर्धारित की गई वसूली के प्रभाव के पश्चात् की गई हैं।

इन ठेकों की विस्तृत समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- कार्यादेश के मूल्य एवं निष्पादित किये गये कार्य के मध्य व्यापक अंतर था (विशेष रूप से क्र.सं. 1,6 व 7 के प्रकरणों में) जो यह इंगित कि कम्पनी में इन कार्यों को प्रदान किये जाने से पूर्व कार्य की मात्रा का पर्याप्त रूप से आंकलन नहीं किया था।
- इन आठ प्रकरणों में से पांच में (क्र.सं. 2, 5 से 8) कम्पनी ने कार्य के पूर्ण होने में विलम्ब के पेटे ठेकेदारों के दायित्व का आंकलन अभी तक (मार्च 2020) नहीं किया था। साथ ही कम्पनी ने सभी कार्यों के निष्पादन में कमियों के पेटे ठेकेदारों के दायित्व का आंकलन भी नहीं किया था
- दो प्रकरणों में (क्र.सं. 1 व 3) कम्पनी ने कार्यों के निष्पादन में विलम्ब के पेटे वसूलनीय राशि का निर्धारण समय पर नहीं किया एवं क्रमशः ₹63.16 लाख व ₹48.09 लाख का अधिक भुगतान किया था प्रथम प्रकरण (क्र.सं. 1) में कम्पनी के पास ठेकेदार के विरुद्ध पर्याप्त वित्तीय प्रतिभूति नहीं थी (अनुच्छेद 2.2.11 में चर्चा की गई है) जबकि द्वितीय प्रकरण(क्र.सं.3) में कम्पनी ने उपलब्ध वित्तीय प्रतिभूति से मार्च 2020 तक वसूली प्रभावी नहीं की थी।
- चूंकि कम्पनी द्वारा ठेकेदारों को देय लगभग सम्पूर्ण राशि (99.9 प्रतिशत) जारी की जा चुकी थी एवं विलम्ब/कमियों के पेटे ठेकेदारों का दायित्व का आंकलन अभी किया



जाना शेष है, अतः कम्पनी के पास उपलब्ध वित्तीय प्रतिभूति की पर्याप्तता लेखापरीक्षा में ज्ञात नहीं की जा सकी।

- इन प्रकरणों (क्र.सं 8 को छोड़कर) के वित्तीय समापन में अत्यधिक विलम्ब था क्योंकि यह पूर्णता की तिथि से एक से पांच वर्षों तक व्यतीत होने के उपरान्त भी लम्बित थे।
- दो प्रकरणों (क्र.सं. 2 व 7) में, कम्पनी ने सूचित किया कि यह कार्य पहले ही पूर्ण हो चुके थे, तथापि न तो संबंधित वृत्त कार्यालय ने संबंधित समूह को वित्तीय समापन हेतु कोई प्रस्ताव भेजा न ही इन कार्यों के पूर्ण होने के संबंध में कोई प्रमाण-पत्र संबंधित पत्रावली/अभिलेखों में पाये गये थे। यह इंगित करता है कि संबंधित समूह (टीडब्ल्यू/सीएसएस) इन प्रकरणों के निष्पादन की स्थिति से भी अवगत नहीं थे। परिणामस्वरूप, इन समूहों द्वारा इन ठेकों के पूर्ण होने का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी प्रदान किये गये कार्यों के वित्तीय समापन की प्रक्रिया में तत्पर नहीं थी। साथ ही, कम्पनी द्वारा लगभग सम्पूर्ण देय राशि पूर्व में ही जारी कर दी गई थी एवं इसके पास उपलब्ध वित्तीय प्रतिभूति भी, ऐसे प्रकरण (क्र.सं.1) में जहाँ वसूली निर्धारित कर दी गई थी, पर्याप्त नहीं थी अतः ठेकेदारों को ठेको का सामयिक वित्तीय समापन में कोई रुचि नहीं थी। अतः यह कम्पनी के हित में है कि ठेकों का वित्तीय समापन शीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही, संबंधित समूहों ने समय-समय पर ठेकों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए तंत्र विकसित नहीं किया था जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि समूह स्वयं द्वारा प्रदान किये गये ठेकों की स्थिति से भी अवगत नहीं थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि क्षेत्र के अधिकारियों से नियमित रूप से ठेकों के वित्तीय समापन के लिए आवश्यक विवरण/प्रपत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता रहा है, परन्तु किसी एक अथवा अन्य कारण से सम्पूर्ण समापन प्रकरण उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, जिसके कारण ठेकों के समापन में विलम्ब हुआ। सरकार ने आगे आश्वासन दिया कि सुपरिभाषित कार्यप्रणाली अपनाने के पश्चात, ठेकों का समयबद्ध तरीके से वित्तीय समापन सुनिश्चित किया जाएगा।

### **अपर्याप्त वित्तीय प्रतिभूति एवं राशि की वसूली का अभाव**

**2.2.11** कम्पनी ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) वृत्त, श्रीगंगानगर में बीपीएल कनेक्शन जारी करने हेतु सामग्री की आपूर्ति एवं स्थापना के लिए ₹ 8.21 करोड़ का कार्यादेश ठेकेदार (टीएन-126) को प्रदान किया (जुलाई 2009)। कार्यादेशनुसार, कार्य आदेश की तिथि से छह माह की अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना था। कार्य अधूरा समाप्त किया गया था एवं 20 दिसंबर 2013 को पूर्ण हुआ माना गया। संबंधित समूह को प्रकरण के वित्तीय समापन के प्रस्ताव को अग्रेषित करते हुए, संबंधित वृत्त कार्यालय ने सूचित किया (11 जनवरी 2018) कि इस निविदा के अंतर्गत ठेकेदार से ₹ 52.54 लाख की वसूली की जानी थी। तथापि, टीडब्ल्यू/सीएसएस समूह द्वारा वसूली योग्य राशि ₹ 63.16 लाख (अर्थात् वृत्त स्तर पर गणना की गई राशि सहित)की गणना की गई (मार्च 2018) थी। समापन प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व, कुछ विवरण/प्रपत्र यथा कार्य सौंपने एवं कार्य अधिकार में लेने के प्रमाण

पत्र, पुनर्प्राप्त सामग्री आदि का विवरण संबंधित वृत्त कार्यालय से मांगा गया था (अप्रैल 2018) जो कि जून 2019 तक प्रस्तुत नहीं किये गये थे। साथ ही, सीएसएस समूह ने ठेकेदार को वसूली राशि जमा करने के लिए नोटिस दिए थे (दिसंबर 2018 एवं जनवरी 2019) यह भी जून 2019 तक अनुत्तरित रहे। परिणामस्वरूप, प्रकरण का वित्तीय समापन एवं ₹ 63.16 लाख की वसूली जून 2019 तक लंबित रही।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इस प्रकरण में, ₹ 63.16 लाख की वसूली योग्य राशि के समक्ष कम्पनी के पास उपलब्ध वित्तीय प्रतिभूति मात्र ₹ 34.64 लाख (निष्पादन बैंक गारंटी के मूल्य सहित) है। तथापि, प्रभावी संप्रेषण के अभाव, पर्याप्त वित्तीय प्रतिभूति को सुनिश्चित नहीं करने एवं प्रकरण के वित्तीय समापन करने में सुस्त दृष्टिकोण के कारण ठेकेदार से ₹ 63.16 लाख की वसूली में असामान्य विलम्ब हुआ।

सरकार ने कहा कि कम्पनी ने संबंधित ठेकेदार को वांछित वसूली राशि जमा करने का निर्देश दिया है। इसने आगे कहा कि कम्पनी के पास विभिन्न निविदाओं के अंतर्गत ठेकेदार के विरुद्ध पर्याप्त वित्तीय प्रतिभूति है। तथ्य यह है कि कम्पनी ने कार्य पूर्ण होने से लगभग दो वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रकरण को अंतिम रूप नहीं दिया था।

### **आपूर्तिकर्ताओं को प्रदान किए गए अग्रिमों की वसूली/समायोजन का अभाव**

**2.2.12** कम्पनी उद्धरण प्राप्त कर एवं क्रय आदेश प्रदान करके दो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से इस्पात खंड क्रय करती है। इस्पात खंडों के क्रय के लिए जारी किए गए क्रय आदेशों में अन्य प्रावधानों के साथ यह प्रावधान है कि इस्पात खंडों की सुपुर्दगी के समय प्रचलित दरें लागू होंगी एवं प्रापण के लिए पूर्ण भुगतान अग्रिम किया जाना है। इसलिए, कम्पनी ने इस्पात खंड क्रय करने के लिए इन दोनों केन्द्रीय उपक्रमों को जारी सभी क्रय आदेशों हेतु देय अनंतिम राशि के पेटे अग्रिम भुगतान जारी किया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने प्रारंभ से (नवंबर 2006) मार्च 2019 तक इस्पात खंडों के प्रापण हेतु प्रथम केन्द्रीय उपक्रम को ₹ 147.09 करोड़ (71 क्रय आदेश) एवं द्वितीय केन्द्रीय उपक्रम को ₹ 6.76 करोड़ (नौ क्रय आदेश) के क्रय आदेश प्रदान किए थे एवं अग्रिम/भुगतान के पेटे ₹ 153.85 करोड़ जारी किये। लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने प्रकरण-दर-प्रकरण के आधार पर इन केन्द्रीय उपक्रमों के साथ शेष राशि का समाशोधन कर अधिक भुगतानों की वसूली/समायोजन नहीं किया था। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2019 को प्रथम व द्वितीय केन्द्रीय उपक्रम से क्रमशः ₹ 11.50 करोड़ एवं ₹ 0.58 करोड़ की बकाया/असमायोजित अग्रिम संचित हुई। तथापि, कम्पनी ने संबंधित आपूर्तिकर्ता के साथ दिसंबर 2018 तक बकाया/असमायोजित अग्रिमों के शेष का समाशोधन करने का प्रयास नहीं किया था। कम्पनी ने प्रथम केन्द्रीय उपक्रम को दिए गए अग्रिमों के समाशोधन के लिए विलंब से एक समिति नियुक्त की (8 जनवरी 2019), परन्तु समिति जून 2019 तक शेष राशि का समाशोधन नहीं कर सकी। शेषों के वांछित समाशोधन एवं अग्रिमों की वसूली/समायोजन के अभाव में, ₹ 12.08 करोड़ की सारभूत राशि बकाया/असमायोजित रही एवं सभी 80 क्रय आदेश (छह चयनित क्रय आदेशों सहित) वित्तीय समापन हेतु लंबित थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं आश्वासन दिया कि अग्रिमों का समाशोधन/समायोजन शीघ्र ही किया जाएगा।

### चूक करने वाले आपूर्तिकर्ताओं की बैंक गारंटी को भुनाने का अभाव

**2.2.13** चयनित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने दोषी आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित बैंक गारंटी भुनाने में कम्पनी की ओर से कुछ कमियाँ/विलम्ब देखा। इन प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई है:

(i) कम्पनी की विक्रेता पंजीकरण योजना (वीआरएस) में प्रावधान है कि कम्पनी द्वारा जारी निविदाओं/क्रय आदेशों में बयाना राशि (ईएमडी) एवं प्रतिभूति जमा राशि प्रस्तुत करने से पंजीकृत विक्रेताओं को छूट है। यह भी निर्धारित किया गया है कि पंजीकृत विक्रेता को सूचना प्राप्त होने के 60 दिनों की अवधि के अन्दर निर्धारित वसूली राशि जमा करनी आवश्यक है, इसमें विफल रहने पर बकाया राशि की वसूली बैंक गारंटी भुनाकर/नकद जमा राशि को जब्त करके की जायेगी।

कम्पनी ने वितरण ट्रांसफॉर्मर्स/उप-केन्द्र संरचनाओं की आपूर्ति के लिए वीआरएस योजना के अंतर्गत पंजीकृत तीन<sup>16</sup> आपूर्तिकर्ताओं को क्रय आदेश प्रदान किए (दिसंबर 2010)। यह पाया गया कि इन तीनों आपूर्तिकर्ताओं में से किसी ने भी आपूर्ति प्रारम्भ नहीं की। कम्पनी ने आपूर्तिकर्ताओं को (जनवरी 2011 से अक्टूबर 2012 तक) कई नोटिस दिए एवं उनसे किसी भी प्रत्युत्तर के अभाव में, क्रय आदेशों को निरस्त कर दिया (नवंबर 2012 एवं जनवरी 2013) एवं उनके साथ व्यापार संबंधों को तोड़ दिया। कम्पनी ने इन आपूर्तिकर्ताओं पर ईएमडी के बराबर राशि, जो ₹ 12 लाख थी, जमा करने की मांग की। निरस्तीकरण आदेशों के अनुसार, कम्पनी द्वारा, विक्रेता पंजीकरण के लिए इन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटियों को भुनाया जाना था, परन्तु निरस्तीकरण आदेशों के जारी होने से छह वर्ष से अधिक समय बीतने के उपरान्त भी इनको नहीं भुनाया गया था (जून 2019)। इसके अतिरिक्त, प्रथम प्रकरण में, आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई बैंक गारंटी जनवरी/फरवरी 2016 में कालातीत हो गई थी एवं कम्पनी के पास इस आपूर्तिकर्ता के प्रति कोई वित्तीय प्रतिभूति नहीं थी। साथ ही, जून 2019 तक यह सभी तीन क्रय आदेश वित्तीय समापन के लिए लंबित थे।

सरकार ने कहा कि प्रथम आपूर्तिकर्ता के प्रकरण में, संबंधित बैंक को बैंक गारंटी भुनाने के लिए स्मरण-पत्र जारी किया गया है (अगस्त 2019) एवं यदि वसूली योग्य राशि प्राप्त नहीं होती है, तो प्रकरण की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को दी जाएगी। तथापि, उत्तर शेष दो प्रकरणों के संबंध में मौन था।

(ii) कम्पनी ने विद्युत मीटर एवं पॉवर ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति के लिए क्रमशः दो<sup>17</sup> अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को क्रय आदेश जारी किये (मार्च 2010 एवं दिसंबर 2010)। क्रय आदेशों के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, इन आपूर्तिकर्ताओं ने विद्युत मीटरों के परीक्षण के पेटे बैंक गारंटी एवं ट्रांसफॉर्मर्स के लिए प्रतिभूति जमा/निष्पादन प्रतिभूति प्रदान की। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रथम आपूर्तिकर्ता के प्रकरण में, परीक्षण हेतु आपूर्ति किये गये विद्युत मीटर्स निर्धारित मानकों/मापदंडों के अनुरूप नहीं थे, जबकि द्वितीय आपूर्तिकर्ता ने पॉवर ट्रांसफॉर्मर्स की आदेशित मात्रा की आपूर्ति करने में चूक की। कम्पनी ने द्वितीय आपूर्तिकर्ता को अपेक्षित मात्रा

16 टीएन-696 के तहत पीओ-5319, टीएन-696 के तहत पीओ-5313 एवं टीएन-748 के तहत पीओ-5190

17 टीएन-693 के तहत पीओ-4763 एवं टीएन-739 के तहत पीओ-5270

की आपूर्ति नहीं किये जाने के लिए कई नोटिस भी प्रदान किए (मई 2012 से नवंबर 2012 तक)। परीक्षण किये गये मीटरों की विफलता एवं पॉवर ट्रांसफॉर्मर्स की शेष मात्रा की आपूर्ति नहीं होने के कारण, कम्पनी ने दोनों क्रय आदेशों को क्रमशः परीक्षण में विफलता के पेटे कम्पनी के पास उपलब्ध ₹ पांच लाख की बैंक गारंटी को भुनाने एवं आपूर्ति में चूक हेतु गणना की गई वसूली के पेटे ₹ 22.32 लाख जमा करने के निर्देशों के साथ निरस्त कर दिया (मार्च 2010 एवं जनवरी 2013)। दूसरे प्रकरण में, आपूर्तिकर्ता ने अपेक्षित राशि जमा नहीं की थी। निरस्तीकरण आदेशों के अनुसार, कम्पनी द्वारा ₹ 27.32 लाख की शास्ति की वसूली के लिए इन आपूर्तिकर्ताओं की बैंक गारंटी भुनाई जानी थी, परन्तु निरस्तीकरण आदेशों के जारी होने से क्रमशः नौ वर्ष एवं छह वर्ष से अधिक समय व्यतीत के उपरान्त भी इसे भुनाया नहीं गया था (जून 2019)। इसके अतिरिक्त, प्रथम प्रकरण में, आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई बैंक गारंटी अक्टूबर 2010 में कालातीत हो गई थी एवं कम्पनी के पास इस आपूर्तिकर्ता के प्रति कोई वित्तीय प्रतिभूति नहीं थी। साथ ही, जून 2019 तक दोनों क्रय आदेश वित्तीय समापन हेतु लंबित थे।

सरकार ने कहा कि प्रथम प्रकरण में, बैंक गारंटी भुनाने का पत्र जारी करने के उपरान्त भी, संबंधित बैंक से राशि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस प्रकरण की सूचना आरबीआई को दी जाएगी। साथ ही, द्वितीय प्रकरण में, संयुक्त बैंक गारंटी भुनाने के लिए आदेश जारी किए गए हैं एवं शेष राशि कम्पनी के पास उपलब्ध अन्य वित्तीय प्रतिभूतियों से वसूल की जाएगी।

#### **कार्यों को सौंपने एवं अधिकार में लेने में विलम्ब**

**2.2.14** पांच चयनित टीडब्ल्यू ठेकों में से, जहां ठेकों का वित्तीय समापन किया जा चुका था, चार प्रकरणों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि इन कार्यों को सौंपने एवं अधिकार में लेने में विलम्ब था जो कि सात माह व 17 माह के मध्य रहा था। इसकी गणना संबंधित कार्य के पूर्ण होने से एक माह की निर्धारित अवधि की पश्चात की गई थी। इसी प्रकार, नौ चयनित टीडब्ल्यू ठेकों के प्रकरण में, जहां ठेकों का वित्तीय समापन लंबित था, एक कार्य को सौंपने एवं अधिकार में लेने में आठ माह का विलम्ब था जबकि तीन प्रकरणों में कार्य सौंपने एवं अधिकार में लेने का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। टीडब्ल्यू समूह ने भी इन कार्यों को सौंपने एवं अधिकार में लेने में विलम्ब करने के कारणों को दर्ज नहीं किया। इन प्रकरणों में कार्य के पूर्ण होने तथा सौंपने एवं अधिकार में लेने की तिथियों में व्यापक अंतर यह दर्शाता है कि टीडब्ल्यू समूह ने इन कार्यों को बिना यह सुनिश्चित किए पूर्ण माना कि इन कार्यों के अन्तर्गत बनाई गई लाईनों/जीएसएस संचालन के लिए संतोषजनक रूप से तैयार थे।

सरकार ने ठेकों के सामयिक वित्तीय समापन के लिए एक सुपरिभाषित कार्यप्रणाली अपनाने का आश्वासन दिया।

#### **अल्प मूल्य पर पूर्व समापन किए गए ठेकों की अप्रभावी निगरानी**

**2.2.15** कम्पनी ने वितरण/निम्न तनाव लाईनों एवं उप-केन्द्रों इत्यादि के लिए सामग्री/उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु छह<sup>18</sup> टर्नकी कार्य ठेकों (दो चयनित ठेकों यथा टीएन-239 एवं 240 के सहित) का कार्यादेश ठेकेदार को प्रदान किया (अक्टूबर/नवम्बर

18 ओएण्डएम वृत्त, चूरु में टीएन 239 से 242 एवं ओएण्डएम वृत्त, बीकानेर में टीएन 244 व 245।

2014) जहां इन ठेकों का मूल्य ₹ 7.11 करोड़ व ₹ 15.17 करोड़ के मध्य था। इन प्रकरणों में, निष्पादित किये गये कार्य का वास्तविक मूल्य केवल ₹ 0.07 करोड़ व ₹ 1.56 करोड़ के मध्य था। वृत्त कार्यालयों ने इन प्रकरणों के पूर्व समापन के प्रस्ताव अग्रेषित किये (जनवरी 2017) एवं कहा कि पर्याप्त संख्या में कार्यों की कमी के कारण पूर्व समापन हुआ एवं इसलिए, संबंधित ठेकेदार का कोई दोष नहीं था। यद्यपि, निगम स्तर क्रय समिति (सीएलपीसी) ने पूर्व समापन करने की अनुमति प्रदान की (जून 2017), तथापि आदेशित कार्य एवं वास्तविक निष्पादित कार्य के मध्य भारी अंतर के कारण, सीएलपीसी ने इस संबंध में जांच हेतु एक समिति<sup>19</sup> का गठन किया। तथापि, प्रबंधन ने सीएलपीसी के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की क्योंकि उसने कोई जांच नहीं की थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि टीडब्ल्यू समूह ने इन प्रकरणों का समापन कर दिया (अगस्त 2017) एवं इन में से दो चयनित प्रकरणों में जमा प्रतिधारण राशि एवं निष्पादन बैंक गारंटी ठेकेदार को जारी कर दी थी। तत्पश्चात्, इन ठेकों के समापन हेतु प्रकरण सीएलपीसी के समक्ष पुनः रखा गया था (अगस्त 2017) जिसे अनुमोदित भी कर दिया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि ठेकेदार को अपेक्षित कार्य देने में असमर्थता के कारण, यह सभी छः ठेके को बहुत कम मूल्य पर समाप्त मान लिये गये थे। वास्तविक निष्पादित कार्य का मूल्य इन आदेशित मूल्य के कार्यों के 0.93 प्रतिशत व 21.94 प्रतिशत के मध्य था। यह इंगित करता है कि ठेके प्रदान करते समय कार्यों की मात्रा का आंकलन वास्तविक नहीं था। यहां तक कि यह तथ्य, कि अपेक्षित जांच नहीं की गई थी, सीएलपीसी के समक्ष आगामी बैठक में उजागर नहीं किया गया था। तथापि, सीएलपीसी ने भी इस मुद्दे का संज्ञान नहीं लिया था जो दर्शाता है कि कम्पनी का समग्र निगरानी तंत्र निष्प्रभावी था।

सरकार ने कहा कि कार्यों की अपर्याप्त मात्रा के कारण ठेके पूर्व समाप्त किये गये थे एवं संबंधित समिति सदस्यों को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। तथ्य यह है कि विस्तृत जांच के अभाव में, आदेशित एवं वास्तविक निष्पादित कार्य के मध्य व्यापक अंतर के वास्तविक कारणों का आंकलन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका, जहां उच्च दरों पर श्रम ठेकों के माध्यम से संबंधित कार्यों के निष्पादन, ठेकेदार को भारी शास्ति (अर्थात् ठेकों के अनिष्पादित मूल्य का 10 प्रतिशत) से बचाकर अनुचित लाभ प्रदान करने जैसी अनियमितताओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

सरकार ने आगे कहा कि लेखापरीक्षा के निष्कर्षों एवं सिफारिशों ध्यान में रखते हुए, कम्पनी ने अपने कार्यकलापों में सुधार करने का निर्णय किया है एवं इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं (12 सितंबर 2019)।

---

19 वरिष्ठ लेखा अधिकारी (बीकानेर संभाग) एवं अधिशाषी अभियंता (तकनीकी लेखापरीक्षा) को सम्मिलित करते हुए।

---

## निष्कर्ष एवं सिफारिशें

### निष्कर्ष

कम्पनी ने प्रापण प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) को नहीं अपनाया था एवं ठेकों के वित्तीय समापन के लिए एक सुपरिभाषित एवं व्यापक कार्यप्रणाली स्थापित नहीं की थी। साथ ही, क्रय आदेशों/टर्नकी कार्यों के ठेकों के वित्तीय समापन संबंधित एसीओएस/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सत्यापित बिलों एवं प्राप्ति चालानों को प्रस्तुत नहीं करने, एसीओएस एवं एमएम समूह के मध्य कमजोर सम्प्रेषण प्रणाली, आपूर्तिकर्ताओं से वसूली करने में सुस्त दृष्टिकोण, लागू शास्त्र की वसूली में विलम्ब/अवसूली, नाममात्र निष्पादित टर्नकी कार्यों के समापन एवं दोषी आपूर्तिकर्ताओं की बैंक गारंटी को नहीं भुनाने के कारण असामान्य रूप से विलंबित/अपूर्ण रहा।

### सिफारिशें

हम सिफारिश करते हैं कि कम्पनी:

- प्रापण प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) को अपनाये;
- क्रय आदेशों/टर्नकी कार्य ठेकों के वित्तीय समापन के लिए उचित एवं व्यापक कार्यप्रणाली निर्धारित करे;
- ठेकों के वित्तीय समापन की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाये जाने हेतु प्रणाली में विद्यमान कमियों जैसे कि संबंधित प्रपत्रों को प्रस्तुत नहीं किया जाना, कमजोर सम्प्रेषण तंत्र, अप्रभावी निगरानी, अपर्याप्त वित्तीय प्रतिभूति इत्यादि को समाप्त करे।

## अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

### 2.3 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता के कारण गबन

कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं निगरानी ने कम्पनी के कार्मिक को बैंक ट्रांसफर एडवाइस में जाली प्रविष्टियों के माध्यम से वेतन अभिलेखों में हेरफेर करके ₹ 2.25 करोड़ का गबन करने का अवसर प्रदान किया।

तात्कालिक राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) के विघटन के पश्चात 2000-01 में स्थापित हुई अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने अपने विभिन्न अनुभागों/कार्यालयों<sup>20</sup> हेतु लेखांकन प्रक्रियाओं को परिभाषित करने के लिए वाणिज्यिक लेखा पुनर्गठन योजना (सीएआरएस) 1973 को अपनाया। सीएआरएस 1973, अन्य प्रावधानों के साथ, निम्नलिखित प्रावधान करती है :

- वृत्त लेखा कार्यालय (मुख्यालय/मुख्यालय वृत्त सहित) के विभिन्न अनुभागों के माध्यम से किए जाने वाले कार्य; लेखों के संधारण/ लेखा प्रविष्टियों की जाँच एवं भुगतान के

20 संस्थापना अनुभाग, रोकड़ अनुभाग तथा सामान्य लेखा अनुभाग

लिए बिल पारित करने की प्रक्रिया से संबंधित लेखा अधिकारी (एओ) तथा सहायक लेखा अधिकारी (एएओ) की भूमिका तथा उत्तरदायित्व।

- संबंधित इकाईयों/अनुभागों द्वारा तैयार किए नियमित कार्मिकों के संस्थापन बिलों एवं बिलों का सार तथा बैंक ट्रांसफर एडवाइस<sup>21</sup> (बीटीए) की जाँच संस्थापना (ईए) अनुभाग द्वारा की जाएगी एवं तत्पश्चात व्यक्तिगत दावों की प्रविष्टी वेतन एवं भत्ता जाँच पंजिका (सी-1) में की जाएगी। बिलों पर पारित आदेश लेखा अधिकारी के हस्ताक्षरों के तहत किए जाएंगे एवं समस्त पारित बिलों की प्रविष्टी संबंधित इकाई/समूह से संबंधित वेतन एवं भत्ता विपत्र पंजिका (सी-2) में की जाएगी। बिल पारित होने के पश्चात, एक वाउचर आवंटन शीट (वीएस) (सी -3) को तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा। वीएस की मूल प्रति विधिवत पारित बिल एवं बीटीए के साथ रोकड़ अनुभाग में भुगतान के लिए भेजी जाएगी, दूसरी प्रति कटौती अनुसूची के साथ लेखांकन हेतु लेखा समूह को भेजी जाएगी एवं तीसरी प्रति ईए समूह में रखी जायेगी।
- रोकड़ समूह एक सामान्य रोकड़ बही (सी-4) संधारित करेगा। संबंधित एओ आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) होगा। संस्थापना बिलों के संवितरण के पश्चात रोकड़ समूह रोकड़ बही के भुगतान पक्ष में रोकड़ में भुगतान की गई शुद्ध राशि की प्रविष्टि करेगा एवं इसका वर्गीकरण “वेतन/मजदूरी देय खाता” मद के अन्तर्गत भी करेगा। राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में, भुगतान किये गये वाउचरों को वृत्त लेखा कार्यालय में पृथक रूप से रखा जाएगा।

साथ ही, विभिन्न बैंकों में संबंधित कार्मिकों के वेतन खाते के लिए, रोकड़ समूह मूल वीएस व वेतन बिलों के साथ विभिन्न अनुभागों से प्राप्त बीटीए के आधार पर बैंक-वार बीटीए तैयार करता है। तत्पश्चात, बैंक-वार भुगतान वाउचर तैयार किए जाते हैं तथा संबंधित डीडीओ<sup>22</sup> के अनुमोदन करने पर बैंकों के माध्यम से वेतन का वितरण किया जाता है।

2017-19 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि कम्पनी ने सीएआरएस 1973 में निर्धारित प्रणाली / प्रक्रियाओं का समुचित पालन सुनिश्चित नहीं किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि रोकड़ अनुभाग ने एक महीने के वेतन के संबंध में विभिन्न दिनांकों पर विभिन्न बैंकों हेतु एक से अधिक भुगतान वाउचर एवं बैंकवार बीटीए बनाये थे। साथ ही, संबंधित अनुभागों से दावों के समर्थन में प्राप्त हुए मूल दस्तावेज यथा वेतन बिल, कटौती अनुसूची आदि को रोकड़ समूह द्वारा तैयार किए गए बीटीए व भुगतान वाउचर के साथ संधारित करने के स्थान पर पृथक पत्रावलियों में रखे गये थे। परिणामस्वरूप, रोकड़िये द्वारा तैयार किए गए भुगतान वाउचर/बीटीए की सटीकता की जांच एवं ऐसे वाउचर/बीटीए में दावा की गई राशि का संबंधित समूह द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करना एक दुष्कर एवं जटिल कार्य हो गया। रोकड़िये ने रोकड़ समूह के एएओ द्वारा जांच/सत्यापित किये बिना वाउचर को

21 बैंक ट्रांसफर एडवाइस (बीटीए) एक विवरण है जिसे कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन जमा करने के लिए तैयार एवं बैंकों को प्रस्तुत किया जाता है। संस्थापन दावों के संबंध में, इसमें स्टॉफ कर्मियों के संबंध में नियत विवरण यथा नाम, पदनाम, कर्मचारी पहचान संख्या, बैंक खाता संख्या तथा शुद्ध वेतन राशि सम्मिलित होते हैं।

22 मुख्यालय स्तर पर वरिष्ठ लेखा अधिकारी (ईए व रोकड़) एवं वृत्त लेखा कार्यालय स्तर पर वृत्त लेखा अधिकारी।



संबंधित बीटीए के साथ सत्यापन एवं अनुमोदन हेतु सीधा एसएओ (ईए व रोकड़) को प्रस्तुत किया। राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में एएओ/एसएओ (ईए व रोकड़) के स्तर पर प्रति-परीक्षण/सत्यापन किये बिना रोकड़िये द्वारा वेतन बिल/दावे तैयार, जांचे एवं पारित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि राजपत्रित कार्मिकों के वेतन बिल मई 2017 से अगस्त 2017 के दौरान, वेतन एवं भत्ता विपत्र पंजिका (सी -2) में प्रविष्टि किए बिना ही भुगतान के लिए पारित कर दिये गए थे। साथ ही, वेतन बिलों पर वाउचर संख्या तथा चेक संख्या अंकित नहीं किये गये थे एवं वाउचर को क्रमांक संख्या दिये बिना तथा हस्ताक्षर के बिना भुगतान के लिए पारित किये गये थे। यह भी पाया गया कि वाउचर के साथ संलग्न बीटीए का योग भुगतान के लिए पारित राशि से मेल नहीं खाता था एवं अप्रैल 2017 से सितंबर 2017 के लिए बैंक को भेजी गई समेकित सूचियों की प्रति गायब थी। साथ ही, कुछ बैंक खातों (कैशियर के बैंक खाते सहित) में विभिन्न भुगतान वाउचर एवं बीटीए के माध्यम से एक महीने में एक से अधिक बार वेतन जमा किया गया था। इसके अतिरिक्त, रोकड़ बही निर्धारित मानदंडों/नियमों के अनुसार जाँची व सत्यापित नहीं की गई थी। रोकड़िये को प्रभार, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों (भाग- 1) के नियम 313 के अंतर्गत प्रदत्त अपेक्षित प्रतिभूति बंधन पत्र प्राप्त किए बिना सौंपा गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इन कमियों के कारण संस्थापन एवं रोकड़ अनुभाग की तत्कालीन रोकड़िया<sup>23</sup> शुद्ध वेतन बिलों से अधिक राशि के चेक आहरित कर पाई एवं अपने व अन्य के बैंक खातों (कम्पनी के कर्मचारियों तथा गैर-कर्मचारियों सहित) में बीटीए में जाली प्रविष्टियों के माध्यम से राशि जमा की। दुर्विनियोजन/गबन की गई राशि की गणना ₹ 2.25 करोड़<sup>24</sup> थी। इस घटना के प्रकाश में आने के पश्चात कम्पनी ने इस प्रकरण की जांच हेतु एक उच्च स्तरीय समिति (एचपीसी) नियुक्त की (दिसम्बर 2018)। इसने बाद में एचपीसी के प्रतिवेदन के आधार पर एक प्रथम सूचना विवरण (एफआईआर) दायर की एवं दोषी रोकड़िया के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कम्पनी द्वारा एक नियंत्रण बही खाता<sup>25</sup> संधारित किया जाता है जिसमें वेतन की देयता की प्रविष्टि संस्थापन समूह से प्राप्त वेतन बिलों/दावों के आधार पर की जाती है एवं इसका निपटान भुगतान जारी होने के पश्चात रोकड़ समूह से प्राप्त भुगतान वाउचर के आधार पर किया जाता है। इसलिए इस खाते/मद का शेष कभी भी डेबिट नहीं हो सकता क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि वेतन के निमित्त अधिक राशि का भुगतान जारी किया गया है। तथापि, 2017-19 के दौरान, अनेक अवसरों पर इस खाते/मद शेष डेबिट रहा परंतु लेखा समूह अधिक भुगतान जारी होने की निगरानी करने में विफल रहा। साथ ही, एसएओ (ईए एवं रोकड़) ने वाउचरों/बीटीए का सत्यापन एवं अनुमोदन मूल दस्तावेजों के साथ मिलान किये बिना किया एवं परिणामस्वरूप बीटीए में गैर-कर्मचारियों के बैंक खाता संख्या सम्मिलित होना, कुछ निश्चित बैंक खाता संख्याओं की पुनरावृत्ति होना व कार्मिकों की कर्मचारी पहचान

23 मुख्यालय एवं वृत्त कार्यालय (अजमेर शहर) में क्रमशः मई 2017 से जून 2018 तथा जून 2018 से अक्टूबर 2018 तक की अवधि में रोकड़िया के रूप में कार्यरत।

24 मुख्यालय एवं अजमेर (शहर) वृत्त में पदस्थापन के दौरान तत्कालीन रोकड़िये एवं उसके रिश्तेदारों के बैंक खातों के माध्यम से क्रमशः ₹ 179.80 लाख तथा ₹ 41.64 लाख एवं अन्य दो कर्मचारियों के बैंक खातों के माध्यम से ₹ 3.29 लाख का अधिक आहरण किया गया।

25 कार्मिकों के लिए देय शुद्ध वेतन (लेखा मद - देयता मद - 44.310)



संख्याओं, नामों एवं पदनाम इत्यादि का उल्लेख नहीं होना आदि पर ध्यान देने में विफल रहा था।

सरकार ने प्रत्युत्तर में इन तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2019) एवं कहा कि लेखाधिकारी (ईए एवं रोकड़) के कार्यालय में कार्मिकों की भारी कमी के कारण आंतरिक जांच प्रणाली यथोचित रूप से कार्य नहीं कर सकी। कम्पनी ने यह भी स्वीकार किया कि भुगतानों को तैयार करना, पारित करना एवं व्यवस्था करना आदि कार्य एक ही कर्मचारी द्वारा किये गए थे। इसने आगे कहा (अक्टूबर 2019) कि सुधारात्मक कदम यथा रिक्त पदों के विरुद्ध कार्मिकों की भर्ती, लेखाधिकारी (ईए एवं रोकड़) के कार्यालय का पुनर्गठन, कार्मिकों के मध्य कार्यों का उचित आवंटन, ईआरपी (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एवं वित्त मॉड्यूल सहित) का क्रियान्वयन आदि उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दोषी रोकड़िया के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है जांच गठित की गई है एवं 14 दोषी कार्मिकों को आरोप पत्र जारी किए गए हैं। तथापि, राशि की वसूली अभी तक नहीं हुई है।

इस प्रकार, यथोचित निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियाओं की पालना के अभाव में कम्पनी ने हानि वहन की।

## राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

### 2.4 ग्रिड सब-स्टेशन एवं प्रसारण लाइनों का निर्माण

**2.4.1** प्रसारण नियोजन, प्रसारण तंत्र की अतिरिक्त आवश्यकताओं, उनकी सामयिकता एवं मांग को चिन्हित करने की एक सतत प्रक्रिया है। प्रसारण आवश्यकताये (i) तंत्र में विद्युत उत्पादन में वृद्धि होने, (ii) मांग में वृद्धि होने (iii) भार में परिवर्तन के परिदृश्य में योजना मानदंडों के अनुसार स्थिरता प्राप्त करने हेतु आवश्यक तंत्र सुदृढीकरण के कारण उत्पन्न हो सकती है। प्रसारण संवर्धन की यह आवश्यकताएं प्रसारण नियोजन प्रक्रिया के द्वारा चिन्हित, विचारित एवं सुनिश्चित की जाती है। देश में विद्यमान प्रसारण तंत्र में अन्तर्राज्यीय प्रसारण तंत्र (आईएसटीएस) एवं राज्यांतरिक प्रसारण तंत्र (इंट्रा एसटीएस) सम्मिलित हैं। राज्यांतरिक प्रसारण तंत्र का स्वामित्व एवं संचालन प्रत्येक राज्य की प्रसारण इकाईयों द्वारा किया जाता है। राज्यांतरिक तंत्र निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है: (i) राज्य के विद्युत उत्पादन केन्द्रों (सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों में), जिसके लाभार्थी उसी राज्य में हो, से विद्युत का निकास, (ii) अन्तर्राज्यीय प्रसारण तंत्र की सीमाओं से राज्य ग्रिड तंत्र के विभिन्न सब-स्टेशनों तक राज्य की सीमा के भीतर विद्युत का प्रसारण, (iii) राज्य की सीमाओं के भीतर भार केन्द्रों तक विद्युत आपूर्ति के लिए राज्य के ग्रिड तंत्र के भीतर प्रसारण।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (कम्पनी) का सम्मेलन वर्ष 2000 में, राज्य में एक दक्ष, पर्याप्त एवं उचित रूप से समन्वित ग्रिड प्रबंधन प्रणाली एवं विद्युत का प्रसारण उपलब्ध कराने के अधिदेश के साथ हुआ। कम्पनी ने अपने कार्यक्षेत्र का विभाजन संभागीय मुख्य अभियंताओं के नेतृत्व में तीन<sup>26</sup> संभागों एवं उनके अधीन अधीक्षण अभियंताओं के नेतृत्व में 24 प्रसारण व निर्माण (टीएंडसी) वृत्तों में कर रखा है। वर्ष 2016-17 के दौरान, कम्पनी ने

26 जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर

71293.857 मिलियन विद्युत इकाईयों (एमयूज) का प्रसारण किया था जो की 2017-18 में बढ़कर 74102.168 (एमयूज) एवं फिर 2018-19 में घटकर 71995.761 एमयूज हो गई। 31 मार्च 2019 को कम्पनी के पास 39588.824 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम)<sup>27</sup> का प्रसारण तंत्र एवं 82080.50 मेगा वोल्ट एम्पियर (एमवीए) को स्थापित क्षमता के 576 ग्रिड सब-स्टेशन (जीएसएस) थे। वर्ष 2016-19 के दौरान, कम्पनी ने 63 जीएसएस एवं 126 लाइनों (5625.932 सीकेएम की कुल लम्बाई) का निर्माण किया, जैसा कि अनुबन्ध 5 में दर्शाया गया है।

### लेखापरीक्षा के उद्देश्य

**2.4.2** लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गई कि क्या जीएसएस/ लाइनों के निर्माण की योजना आवश्यकता आधारित थी, परियोजनाएं पारदर्शी तरीके से प्रदान की गईं एवं इनका निष्पादन निर्धारित समयवधि में दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से किया गया था। साथ ही, परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं परिकल्पित लाभों यथा उर्जा की बचत एवं प्रसारण तंत्र के सुदृढिकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान था।

### लेखापरीक्षा का क्षेत्र

**2.4.3** वर्तमान लेखापरीक्षा में कम्पनी द्वारा जीएसएस एवं प्रसारण लाइनों के निर्माण से सम्बंधित गतिविधियां सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा संवीक्षा में मुख्य रूप से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एवं प्रसारण लाइनों/जीएसएस के निर्माण के लिए प्रदत्त ठेकों के समीक्षा सम्मिलित है। वर्ष 2016-19 के दौरान, कम्पनी ने 400 केवी की 14 लाइनें व 6 जीएसएस एवं 220 केवी की 30 लाइनें व 10 जीएसएस का निर्माण किया था। लेखापरीक्षा ने विस्तृत संवीक्षा के लिए 400 केवी के 10 कार्यों (3 जीएसएस एवं 7 लाइनें) एवं 220 केवी के 11 कार्यों (3 जीएसएस एवं 8 लाइनें) का आईडिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से यादृच्छिक चयन किया। साथ ही, 31 मार्च 2019 को जीएसएस/प्रसारण लाइनों के निर्माण के 34 कार्य<sup>28</sup> प्रगतिरत थे।

### लेखापरीक्षा परिणाम

**2.4.4** लेखापरीक्षा परिणाम जिसमें मुख्य रूप से परियोजना नियोजन एवं निष्पादन, वित्तीय प्रबन्धन तथा निगरानी व आन्तरिक नियंत्रण से सम्बन्धित प्रकरणों को सम्मिलित है, पर चर्चा अनुच्छेद 2.4.5 से 2.4.10 में की गई है।

27 प्रसारण लाईन के मार्ग की लम्बाई को सर्किट किमी में मापा जाता है।

28 24 प्रसारण लाईनें (132 केवी: 15 लाईनें, 220 केवी: आठ लाईनें एवं 400 केवी: एक लाईन) एवं 10 जीएसएस (132 केवी: पाँच जीएसएस, 220 केवी: चार जीएसएस एवं 400 केवी: एक जीएसएस)

अनुच्छेद 2.4.6, 2.4.7 एवं 2.4.9 में उजागर किये गये लेखापरीक्षा परिणाम केवल चयनित प्रकरणों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित है एवं इस प्रकार के और प्रकरण कम्पनी में होने की संभावना है। अतः सरकार/कम्पनी से यह अपेक्षा की जाती है कि समान कमियों/अनियमितताओं की संभावना रखने वाले सभी प्रकरणों की समीक्षा करे एवं जहाँ समान कमियाँ/अनियमितताये पायी जाये वहाँ सुधारात्मक कार्यवाही करे।

लेखापरीक्षा परिणाम राज्य सरकार को 3 जनवरी 2020 को संप्रेषित किये गये थे। प्रबन्धन का उत्तर प्राप्त हो गया था (फरवरी 2020) एवं इसे अनुच्छेद में सम्मिलित कर लिया गया है जबकि राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2020)।

### परियोजना का नियोजन एवं निष्पादन

#### प्रसारण क्षमता का आंकलन

2.4.5 कम्पनी द्वारा लाइनों एवं जीएसएस का निर्माण विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत निष्क्रमण एवं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भार वृद्धि की पूर्ति हेतु किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर वैकल्पिक विद्युत प्रवाह (एसी) व विद्युत प्रवाह को विभिन्न वोल्टेज में एवं विद्युत प्रवाह को अति उच्च क्षमता में परिवर्तित करता है। वोल्टेज स्तरों को प्रक्रिया में न्यूनतम हानियों के साथ एसी वोल्टेज में वृद्धि या कमी को प्राप्त करने हेतु बढ़ाया या घटाया जा सकता है। निष्क्रमण सामान्यतया 132 केवी जीएसएस पर किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने कम्पनी के प्रसारण तंत्र की पर्याप्तता निर्धारित करने वाले मापदंड हेतु अनुरोध किया (अप्रैल 2019)। प्रबंधन ने सूचित किया (मई 2019) कि प्रसारण तंत्र का नियोजन, तंत्र में अतिरिक्त क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जिससे की तंत्र में होने वाली विभिन्न आकस्मिकताओं/रूकावटों की स्थिति में स्थिरता की पूर्ति की जा सके। इसलिए प्रसारण क्षमता सदैव दर्ज किये गए उच्चतम भार से अधिक होती है। यह इसलिए आवश्यक है कि भार केन्द्रों को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति/उत्पादित विद्युत का निष्क्रमण विद्युत कटौती अथवा उत्पादन को कम किये बिना किया जा सके। तथापि, कम्पनी ने इस सम्बन्ध में सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं करवाए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2019) कि मार्च 2019 को समाप्त गत तीन वर्षों के दौरान, कम्पनी द्वारा वर्ष के अन्त में स्थापित प्रसारण क्षमता (यथा 132 केवी ट्रांसफार्मर्स की कुल प्रसारण क्षमता) के सन्दर्भ में संभाली गई क्षमता (डिस्कॉम एवं अन्य ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से अनुबंधित क्षमता) एवं वर्ष के दौरान प्रसारित क्षमता (उच्चतम मांग पूर्ति) निम्न प्रकार से है:

तालिका 2.4.1: स्थापित क्षमता, संभाली गई क्षमता एवं उच्चतम मांग

प्रसारण क्षमता (एमवीए में)			
वर्ष	स्थापित	संभाली गई क्षमता	उच्चतम मांग
(1)	(2)	(3)	(4)
2016-17	29483	15912.95	9313.20
2017-18	30621	17320.43	10407.60
2018-19	31421	18545.54	11948.40

नोट: संभाली गई क्षमता एवं उच्चतम मांग की एमडब्ल्यू से एमवीए की गणना पावर फैक्टर को 0.90 मानते हुए की गई है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी इस अवधि में अपनी स्थापित क्षमता का केवल 54 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक ही उपयोग कर पाई। लेखापरीक्षा ने प्रसारण ढांचे के आंकलन एवं निर्माण हेतु कारणों एवं अपनाये गए मानदंडों के विवरण का अनुरोध किया जिसके परिणामस्वरूप स्थापित क्षमता एवं उपयोग की गई क्षमता में वृहद अंतर उत्पन्न हुआ है। लेखापरीक्षा ने कम्पनी द्वारा अनुसरित अतिरिक्तता की प्रतिशतता के मानदंड का भी अनुरोध किया गया।

कम्पनी ने सूचित किया (फरवरी 2020) कि उसने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्रसारण नियोजन मापदंड नियमावली (जनवरी 2013) में नियत (एन-1) अवधारणा पर इसका प्रसारण तंत्र विकसित किया है जिसमें यह वर्णित है कि किसी आकस्मिक स्थिति जिसका अर्थ यह है कि तंत्र में अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना करने हेतु पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता होनी चाहिए, के कारण से ग्रिड में न्यूनतम व्यवधान होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि सीइए नियमावली में महत्वपूर्ण भार केन्द्रों जैसे कि रेलवे, विमानपत्तन, स्वदानों, स्टील संयंत्रों इत्यादि को विद्युत आपूर्ति के लिए 100 प्रतिशत अतिरिक्त क्षमता का मापदंड नियत है। साथ ही, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (निवेश अनुमोदन) विनियम 2006 132/220/400 केवी अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (इएचवी) की नयी परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के मापदंडों का वर्णन में किया गया है।

तथापि, कम्पनी द्वारा न तो नये जीएसएस को स्थापित करने/लाइनों के निर्माण के मानदंडों का विवरण उपलब्ध करवाया गया एवं ना ही यह बताया गया कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत अतिरिक्त क्षमता के मानदंड को सुनिश्चित किया गया था। इस प्रकार तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा स्वयं को आश्चर्य नहीं कर सका कि कम्पनी ने प्रसारण तंत्र में पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता को निर्धारित करने वाले मापदंड मानक का पालन किया है जो कि स्थापित क्षमता एवं संभाली गई क्षमता में बड़े अंतर के रूप में प्रकट होती है। कम्पनी ने निश्चित रूप से ही इस अतिरिक्त अप्रयुक्त क्षमता के निर्माण पर सारभूत वित्तीय भार वहन किया है। तथापि, इस सम्बन्ध में सटीक मानदंड/समकों के अभाव में राशि की गणना नहीं की जा सकी।

#### **प्रसारण तंत्र का परियोजना नियोजन**

**2.4.6** एक प्रसारण परियोजना में परिकल्पना से अंतिम रूप से स्थापित किये जाने तक विभिन्न गतिविधियाँ समाहित होती हैं जैसे कि (i) परियोजना निरूपण, मूल्यांकन व अनुमोदन चरण एवं (ii) परियोजना निष्पादन चरण। परियोजना निष्पादन की समयावधि में कमी के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा गठित (फरवरी 2005) कार्य दल ने अनुशंसा की (जुलाई 2005) कि विभिन्न प्रारम्भिक गतिविधियाँ जैसे सर्वेक्षण, रूपरेखा एवं परीक्षण, वन तथा अन्य सांविधिक अनुमतियाँ, निविदा प्रक्रियाएं इत्यादि परियोजना मूल्यांकन एवं अनुमोदन चरण के अग्रिम/ सामानांतर रूप से प्रारम्भ करनी चाहिए; परियोजना निष्पादन समय में छः माह से 12 माह की बचत के लिए प्रसारण परियोजना को स्पष्ट रूप से परिभाषित पैकेज में विभाजित एवं टावर संरचना की रूपरेखा का मानकीकरण करना चाहिए। साथ ही, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) के परियोजनाओं के समापन में होने वाले विलम्ब को टालने हेतु की गई कार्यवाही के प्रश्न के उत्तर में कम्पनी ने अवगत करवाया (जून 2015) कि निविदा की वैधता अवधि में कार्यादेश जारी करने, सर्वेक्षण के दौरान ही वन एवं अन्य सांविधिक अनुमतियों के लिए आवेदन करने, टावर के नक्शे व रूपरेखा का मानकीकरण एवं लाइनों व संबंधित जीएसएस के एक साथ निर्माण को सुनिश्चित करने से सम्बंधित निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

वर्तमान में चालू कार्यों की समीक्षा से उजागर हुआ कि मई 2012 व दिसम्बर 2018 के मध्य प्रदान किये गए कार्य नवम्बर 2012 व जुलाई 2019 के मध्य में पूर्ण किये जाने थे। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि कुल 34 चालू कार्यों में से, 28 कार्यों की नियत समापन तिथि 31 मार्च 2019 से पहले की थी, तथापि, यह कार्य मार्ग-अधिकार (आरओडब्ल्यू), वन मंजूरी आदि की समस्याओं के कारण पूर्ण नहीं किये जा सके थे। नमूना जांच के प्रकरणों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने वन मंजूरी (220 केवी झालावाड़-सीटीपीएस<sup>29</sup> एवं 220 केवी गजनेर-छतरगढ़ लाइन (100 किमी) के लिए समय से आवेदन नहीं किया था। साथ ही, लाइनों की पूर्वानुमानित लम्बाई वन क्षेत्र जीएसएस के स्थान में परिवर्तन इत्यादि के कारण में वृद्धि तथा कार्यादेश (200 केवी झालावाड़-सीटीपीएस एवं 220 केवी एसटीपीएस<sup>30</sup>-रतनगढ़ लाइन का लिलो) को अंतिम रूप देने में विलम्ब के प्रकरण भी थे, जिसके परिणामस्वरूप कार्यों को पूर्ण करने का अभाव/विलम्ब हुआ।

चयनित पूर्ण कार्यों की लेखापरीक्षा समीक्षा से उजागर हुआ कि कम्पनी ने प्रारंभिक गतिविधियाँ पूर्ण नहीं की थी, जो कि परियोजनाओं के समयबद्ध समापन के लिए आवश्यक थी। अनुपयुक्त परियोजना प्रबंध नियोजन एवं जीओआई की कार्य दल समिति की सिफारिशों की अनुपालना नहीं करने के कारण, परियोजनाओं में हुए विलम्ब के कुछ प्रकरणों पर **अनुबंध-6** में प्रकाश डाला गया है। अनुबंध से यह देखा जा सकता है कि कुछ प्रकरणों में जीएसएस एवं लाइनों की निर्माण योजना में समन्वय का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप अन्य पूरक गतिविधियों के पूर्ण नहीं होने के कारण निर्मित संरचना का उपयोग नहीं हो पाया। लेखापरीक्षा ने देखा कि जीएसएस कार्यों को पूर्ण करने एवं लाइनों के निर्माण में क्रमशः 60 माह एवं 64 माह का विलम्ब था।

इस प्रकार, अनुचित नियोजन एवं जीओआई के कार्य दल समिति की सिफारिशों की अनुपालना नहीं करने के कारण उपर्युक्त वर्णित परियोजनाओं के निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब हुआ एवं इसके परिणामस्वरूप ₹ 511.84 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही। कम्पनी तंत्र एवं प्रसारण हानि के रूप में परिकल्पित उर्जा बचत (₹ 13.38 करोड़ के मूल्य की) से भी वंचित रही।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2020) कि कार्य दल समिति द्वारा दी गई अधिकांश सिफारिशें लागू की जा रही हैं। इसने आगे कहा कि लाइन एवं जीएसएस के निष्क्रिय रहने के प्रकरण, इसके नियंत्रण से बाहर के कारणों जैसे कि परिकल्पित भार की तुलना में कम वृद्धि के कारण परिवर्तित स्थिति, केन्द्रीय प्रसारण उपक्रम की नयी अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (इएचवी) परियोजनाएं, सौर एवं पवन उर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं में विलम्ब व स्थगन, न्यायालय द्वारा रोक के आदेश एवं आरओडब्ल्यू समस्या से रहे थे। प्रत्युत्तर में बताये गये कारण विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि कार्यों को पूर्ण करने में असामान्य विलम्ब पाया गया जिसे कि समुचित परियोजना प्रबंधन एवं निगरानी तंत्र के माध्यम से टाला जा सकता था।

#### **प्रारंभिक गतिविधियों को पूर्ण करने का अभाव**

**2.4.7** सब-स्टेशन एवं प्रसारण लाइनों के निर्माण के लिए अन्य विभागों जैसे राजस्व, वन, रक्षा, उड़डयन, रेलवे इत्यादि से सांविधिक एवं कार्यनुमति आवश्यक होती है। तथापि, कम्पनी में

29 छबड़ा तापीय विद्युत केन्द्र

30 सूरतगढ़ तापीय विद्युत केन्द्र

विभिन्न परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध अनुमतियां प्राप्त करने हेतु इन विभागों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने हेतु उच्चतम स्तर पर कोई तंत्र नहीं है। परिणामस्वरूप, इन विभागों से अनुमतियां/अनापत्तियां प्राप्त करने में विलम्ब हुआ जिससे कि विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने में भी विलम्ब हुआ। विवरण **अनुबंध-7** में दिये गये हैं।

अनुबंध में यह देखा जा सकता है कि कम्पनी द्वारा कार्य प्रदान किये पूर्व/समानान्तर प्रारंभिक गतिविधियां नहीं की गई थी। जैसे की आरओडब्ल्यू समस्या को समाप्त करने के लिए सर्वेक्षण एवं सम्बंधित विभागों/प्राधिकरणों से अनुमति प्राप्त करना। लेखापरीक्षा ने देखा कि सम्बंधित प्राधिकारियों से शीघ्र ही मंजूरी/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा संयुक्त प्रयास नहीं किये गए थे। साथ ही, कम्पनी ने समयबद्ध तरीके से रेखांकन का प्रस्तुतिकरण, शीतलन आधारों की ढलाई, ट्रांसफॉर्मर एवं सामग्री/अन्य सहायक वस्तुओं का क्रय एवं आपूर्ति को सुनिश्चित नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि अनुबंध में प्रतिवेदित आठ प्रकरणों में अनुमान वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किये गए थे क्योंकि अंतिम बिलों की मात्रा तैयार करते समय मूल अनुमान से 23 प्रतिशत व 381 प्रतिशत के मध्य धनात्मक (+) एवं 16 प्रतिशत व 39 प्रतिशत के मध्य ऋणात्मक (-) विचलन पाया गया था जो कि यह इंगित करता है कि विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया था अथवा उचित तरीके से नहीं किया गया था। साथ ही, टर्नकी कार्यों के अन्तर्गत क्रय की गई लाइन सामग्री की जांच की अनुमति प्राप्त करने/प्रदान करने में भी विलम्ब था।

इस प्रकार, निष्पादन पूर्व की जाने वाली प्रारंभिक गतिविधियाँ नहीं किए जाने के कारण न केवल परियोजनाओं में विलम्ब हुये थे अपितु ₹ 1086.60 करोड़ की राशि भी अत्यधिक अवधि के लिए अवरुद्ध रही।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2020) कि कार्यादेश से पूर्व लाइन का सर्वेक्षण करने से आरओडब्ल्यू की समस्या उत्पन्न होती है। इसने यह भी कहा कि वन एवं उड्डयन प्राधिकारियों से सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने हेतु प्रत्येक टावर के जीपीएस निर्देशांक के साथ सम्पूर्ण लाइन का मार्ग-नक्शा आवश्यक होता है एवं यह समक केवल लाइन का मार्ग निश्चित होने के पश्चात ही दिये जा सकते हैं। साथ ही, सांविधिक अनुमतियों के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। मूल अनुमानों से अंतर लाइन की लम्बाई में वृद्धि एवं मृदा की परतों में परिवर्तन के कारण था। उत्तर से यह पुष्टि होती है कि प्रतिवेदित प्रकरणों में परियोजना के मूल्यांकन/अनुमोदन के अग्रिम/समानान्तर की जाने वाली विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियाँ पूर्ण नहीं की गई थी।

### वित्तीय प्रबंधन

#### अंतरराष्ट्रीय स्तर/विदेशी बैंकों से ऋण

**2.4.8** कम्पनी ने निजी क्षेत्र के नवीकरणीय उर्जा उत्पादन को आलम्बन प्रदान करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में प्रसारण संरचना क्षमता विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्षेत्रीय विकास बैंक (बैंक) के साथ ऋण के लिए समझौता किया (12 सितम्बर 2014)। तदनुसार, बैंक ने पश्चिमी राजस्थान में निजी क्षेत्र के नवीकरणीय उर्जा उत्पादन को आलम्बन प्रदान करने के लिए 400 केवी, 220 केवी एवं 132 केवी की प्रसारण लाइनों के निर्माण के साथ उपकरणों

की आपूर्ति एवं पूलिंग स्टेशन के निर्माण के लिए 150 मिलियन डॉलर का ऋण दो भागों में अर्थात् 62 मिलियन डॉलर (सामान्य पूंजी संसाधन-3052) एवं 88 मिलियन डॉलर (स्वच्छ तकनीक कोष-8275) स्वीकृत किया। समझौते के अनुसार, ऋण राशि का संवितरण नहीं होने की दशा में प्रतिबद्धता प्रभारों के भुगतान का दायित्व था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि परियोजना नियत पूर्णता तिथि यथा 30 जून 2016, जैसा कि ऋण अनुबंध में वर्णित था, सामग्री के निरीक्षण में विलम्ब एवं कम्पनी के भाग पर अन्य कारणों के परिणामस्वरूप पूर्ण नहीं की जा सकी। अतः कम्पनी को सितम्बर 2015 से मार्च 2019 के दौरान निर्धारित समयसूची के अनुसार ऋण का संवितरण नहीं प्राप्त करने का कारण ₹ 2.56 करोड़ के प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान करना पड़ा था।

इसी प्रकार, एक विदेशी विकास बैंक (विदेशी बैंक) एवं भारत सरकार ने कम्पनी को सम्मिलित करते हुए विभिन्न सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से राजस्थान में हरित उर्जा गलियारा परियोजना के अन्तर्गत राज्ययिक प्रसारण तंत्र हेतु नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण के लिए प्रसारण संरचना को वित्त प्रदान करने के लिए एक ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किये (17 दिसम्बर 2014)। सम्पादित अनुबंध के अनुसार विदेशी बैंक ने 49 मिलियन यूरो का ऋण स्वीकृत किया। ऋण अनुबंध का अनुच्छेद 3.1 निर्दिष्ट करता है कि कम्पनी को अवितरित ऋण राशि पर 0.25 प्रतिशत वार्षिक की दर से अप्रतिदेय प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान करना होगा। साथ ही, ऋण में सम्मिलित विभिन्न परियोजनाएं को ऋण स्वीकृति की तिथि से 30 माह (सभी परियोजनाओं में अधिकतम) के भीतर पूर्ण की जानी थी। तथापि, कम्पनी निर्धारित समयसूची के अनुसार संवितरण प्राप्त नहीं कर सकी एवं दिसम्बर 2015 से दिसम्बर 2018 के दौरान ₹ 1.79 करोड़ के प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान करना पड़ा था।

इस प्रकार, अनुपयुक्त नियोजन एवं कमजोर परियोजना प्रबंधन के कारण न केवल परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब हुआ अपितु ₹ 4.35 करोड़ के प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान भी करना पड़ा।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2020) कि यह योजना स्थगित कर दी गई थी क्योंकि पवन एवं सौर उर्जा विकासकर्ता पूर्व परिकल्पित गति से अपने संयंत्रों की स्थापना नहीं कर रहे थे एवं इस प्रकार इन परियोजनाओं पर किया गया निवेश निष्फल हो सकता था। उत्तर संतोषप्रद नहीं था क्योंकि कम्पनी को निजी विकासकर्ता के साथ इसकी गतिविधियों का समन्वय नहीं करने के कारण परिहार्य प्रतिबद्धता प्रभार वहन करना पड़ा था।

### **जोखिम एवं लागत राशि की वसूली का अभाव**

**2.4.9** कम्पनी ने जोधपुर (नया) में 400 केवी जीएसएस (आपूर्ति एवं निर्माण सहित) के निर्माण का कार्य ठेकेदार को ₹ 78.77 करोड़ की कुल लागत पर, फरवरी 2015 की नियत पूर्णता तिथि के साथ प्रदान किया (फरवरी 2013)। स्वीकृति पत्र (एलओए) के अनुसार, ठेकेदार को एलओए प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर संविदा करार सम्पादित करना एवं प्रतिभूति सुरक्षा राशि प्रस्तुत करना आवश्यक था। चूंकि ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था, कम्पनी ने ठेका निरस्त कर दिया (मई 2014) एवं ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर कार्य निष्पादित करवाने का निर्णय किया। तथापि, ठेकेदार के अनुरोध पर ठेका निरस्त किये जाने के निर्णय को जून 2014 में वापस ले लिया गया था। तथापि, ठेकेदार ने कार्य प्रारम्भ नहीं किया



एवं इसलिए 17 अक्टूबर 2014 को पुनः एक समाप्ति नोटिस जारी किया गया था एवं नोटिस अवधि की समाप्ति के 130 दिनों के पश्चात 12 मार्च 2015 को ठेका निरस्त कर दिया गया था। कम्पनी ने ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई बैंक गारंटी को भुनाने का भी निर्णय लिया।

अभिलेखों की समीक्षा से उजागर हुआ कि कम्पनी बैंक गारंटी भुना नहीं सकी क्योंकि ठेका समाप्ति आदेश समुचित रूप से नहीं देने की दलील पर शहर सिविल न्यायालय, चेन्नई ने एकतरफा अंतरिम आदेश जारी किया था (मार्च 2015)। जिससे की तत्पश्चात, कम्पनी ने एक बार पुनः समाप्ति आदेश वापस लेने का निर्णय किया (8 अप्रैल 2015)। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी द्वारा अनेक बार अनुरोध किये जाने के उपरान्त भी ठेकेदार ने कार्य प्रारम्भ नहीं किया था एवं बैंक गारंटी की वैधता भी नहीं बढ़ाई थी। अंततः 11 जुलाई 2016 को ठेकेदार की जोखिम व लागत पर ठेका समाप्त कर दिया गया था। इसके पश्चात कार्य नये ठेकेदार को प्रदान (दिसम्बर 2016) किया गया था एवं जो कि ₹ 112.75 करोड़ की कुल लागत पर पूर्ण (दिसम्बर 2018) हुआ था। इस प्रकार, ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर वसूली योग्य राशि ₹ 33.99 करोड़ की गणना की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इस तथ्य के उपरान्त भी कि ठेकेदार ने समय सीमा का अनुपालन नहीं किया था एवं समय से कार्य भी प्रारम्भ नहीं किया, कम्पनी ने ठेके को समाप्त करने के लिए समय पर कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। साथ ही, कम्पनी ने ठेका समाप्ति के अपने निर्णय को दो बार वापस लेकर ठेकेदार को अदेय लाभ प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी सितम्बर 2015 तक वैध ₹ 9.45 करोड़ की बैंक गारंटी को भुनाने में भी विफल रही। इसके अलावा, कम्पनी इसके पास उपलब्ध अन्य कार्यादेशों (टीएन-275 एवं टीएन 284) की ₹ 20.39 करोड़ मूल्य की बैंक गारंटी भुनाने में भी विफल रही।

इस प्रकार, ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण से निपटने में कम्पनी के लापरवाह दृष्टिकोण के कारण न केवल परियोजना के पूर्ण होने में 45 माह का विलम्ब हुआ अपितु ₹ 33.98 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी हुआ, क्योंकि यह बैंक गारंटी भुनाने एवं ठेकेदार से राशि वसूलने में असफल रही।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2020) कि मामला न्यायालय में चल रहा है एवं इसलिए आधिक्य व्यय की वसूली प्रभावी नहीं की जा सकती। तथापि, उत्तर, अवसर पर कारवाई प्रारम्भ करने में विलम्ब, निर्णय वापस लेकर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने एवं उपलब्ध बैंक गारंटियों को भुनाने के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के संबंध में उत्तर मौन था। साथ ही, कम्पनी ने इन कमियों के लिए मई 2020 तक जवाबदेही तय नहीं की थी।

### निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण

**2.4.10** एक दक्ष एवं प्रभावी आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र उद्देश्यों की समयबद्ध प्राप्ति में प्रबंधन की सहायता करता है तथा प्रक्रियाओं एवं वित्तीय अनुशासन की अनुपालना सुनिश्चित करता है। तथापि, यह देखा गया था कि कम्पनी ने जीएसएस/लाइनों के निर्माण से सम्बंधित कार्यों की भौतिक प्रगति की निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया जिससे कि परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्णता में आने वाली रुकावटों को चिन्हित किया जा सके। साथ ही, संचालक मंडल (बीओडी) की बैठकों में कार्यों की प्रगति प्रस्तुत नहीं की जाती थी।



परिणामस्वरूप, बीओडी परियोजनाओं की निगरानी नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त, अन्य महत्वपूर्ण मामले जैसे कि आरओडब्ल्यू समस्या, संबंधित प्राधिकारियों से सांविधिक अनुमतियां प्राप्त करने में विलम्ब, कार्यों के निष्पादन में ठेकेदारों की अरुचि इत्यादि भी बीओडी को अवगत नहीं करवाया गया था।

कम्पनी की एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा है, तथापि, इसने उक्त शाखा के सुदृढ़ीकरण एवं स्वयं के कार्मिकों के प्रयासों में वृद्धि के लिए सनदी लेखाकारों (सीए) फर्मों को लगाया था। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा से लेखापरीक्षा ने देखा कि बाहरी स्रोत सीए फर्मों को सौंपे गए कार्य का क्षेत्र व्यापक नहीं था तथा कम्पनी ने इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की आवश्यकताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं किया था। साथ ही, सीए फर्मों के आक्षेप मुख्यतः प्रमाणन, भविष्य निधि जैसी वैधानिक कठौतियां नहीं करने, संस्थापन संबंधित मामले इत्यादि से संबंधित थे तथा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन बीओडी को प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2020) कि कार्यों के प्रगति की निगरानी नियमित बैठकों में की जाती है एवं समस्याओं के निराकरण के लिए कदम उठाये जाते हैं। कार्यों की गहन एवं नियमित निगरानी के लिए एक नया वृत्त 'गुणवत्ता नियंत्रण एवं निगरानी' बनाया गया है। इसने आगे कहा गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र की प्रभावशीलता एवं कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी। तथ्य यह है कि कार्यों की निगरानी पर्याप्त नहीं थी क्योंकि प्रतिवेदित सभी प्रकरणों में समस्याओं का समाधान समय से नहीं होने के कारण कार्यों के पूर्ण होने में असामान्य विलम्ब हुआ था। साथ ही, बीओडी को कार्यों की प्रगति प्रतिवेदन नहीं किये जाने के संबंध में उत्तर मौन था।

## उत्तम परिपाटियां

**2.4.11** लेखापरीक्षा संवीक्षा में कम्पनी की निम्नांकित उत्तम परिपाटियां उजागर हुईं:

- प्रसारण हानियां आरईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर संधारित की गई थी;
- उत्तरी क्षेत्र भार प्रेषण केंद्र (एनआरएलडीसी) द्वारा जहाँ उल्लंघन सन्देश जारी किये गये थे, उन पर कम्पनी ने समय से कार्यवाही की थी, क्योंकि यह पाया गया था कि ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन के 1150 संदेशों की प्राप्ति के उपरान्त भी एनआरएलडीसी द्वारा कोई भी शास्ति अधिरोपित नहीं की गई थी।

## निष्कर्ष एवं सिफारिशें

### निष्कर्ष

कम्पनी ने प्रसारण तंत्र में अतिरिक्त क्षमता का संधारण करने हेतु निर्धारित आदर्शों/मानकों की अनुपालना नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप स्थापित क्षमता एवं संभाली गई क्षमता में वृहद अंतर था। साथ ही, त्रुटिपूर्ण नियोजन एवं परियोजना प्रबंधन पर कार्य दल समिति की सिफारिशों की अनुपालना नहीं करने के कारण प्रसारण कार्य

निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुये थे। साथ ही, इन कार्यों के निष्पादन से पूर्व प्रारंभिक गतिविधियों को नहीं करने के कारण कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ एवं अत्यधिक समय के लिए राशि अवरुद्ध रही थी। इसके अतिरिक्त, अनुचित नियोजन एवं कमजोर परियोजना प्रबंधन के कारण भी कम्पनी द्वारा लिए गये ऋण पर प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान करना पड़ा था। कम्पनी कार्यों की भौतिक प्रगति की प्रभावशाली निगरानी करने में असफल रही थी।

#### *सिफारिशें*

कंपनी को चाहिये कि:

- प्रसारण तंत्र में अतिरिक्त क्षमता को निर्धारित करने वाले आदर्शों/मानकों की पालना करे;
- प्रसारण परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जाने को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम उठाये;
- अपनी आईटी सुविधाओं का उपयोग करते हुए कार्यों की भौतिक प्रगति की समयबद्ध निगरानी सुनिश्चित करे; एवं
- परियोजना को पूर्ण करने में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए समय-समय पर कार्यों की प्रगति से उच्च प्रबंधन को अवगत कराये।



# भाग II

## अध्याय III

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र  
(ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)  
के उपक्रमों के कार्यकलाप

## भाग-II

## अध्याय-III

### राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के उपक्रमों के कार्यकलाप

#### परिचय

**3.1** 31 मार्च 2019 को 28 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) थे जो कि ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से सम्बंधित थे। यह राज्य उपक्रम 1954-55 से 2015-16 के मध्य निगमित किये गये थे एवं इनमें 25 सरकारी कम्पनियां एवं तीन सांविधिक निगम, अर्थात् राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी), राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (आरएसडब्ल्यूसी) एवं राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) सम्मिलित थे। सरकारी कम्पनियों में तीन<sup>1</sup> अकार्यरत कम्पनियां एवं अन्य सरकारी कम्पनियों के स्वामित्व वाली तीन<sup>2</sup> सहायक कम्पनियां भी सम्मिलित थीं। एक सरकारी कम्पनी यथा राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड {आरएसपीसीएल एक अन्य राज्य उपक्रम राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड (आरएसएमएमएल) की सहायक कम्पनी} ने 2018-19 तक वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन प्रारम्भ नहीं किया था। इन 28 राज्य उपक्रमों के अलावा, दो राज्य उपक्रमों (दोनों सांविधिक निगम) नामतः राजस्थान भूमि विकास निगम एवं राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज निगम की लेखापरीक्षा सीएजी के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती हैं।

राज्य सरकार राज्य उपक्रमों को समय-समय पर पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इन 28 राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से राज्य सरकार ने केवल 25 उपक्रमों में निवेश किया था क्योंकि राज्य सरकार ने तीन अन्य उपक्रमों, जो कि अन्य सरकारी कम्पनियों की संयुक्त उपक्रम/सहायक कम्पनी के रूप में निगमित किये गये थे, में कोई धन निवेश नहीं किया था। इन तीन संयुक्त उपक्रमों/सहायक कम्पनियों में पूँजी का योगदान संबंधित सह-भागीदार/नियंत्रक कम्पनी द्वारा किया गया था।

#### राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

**3.2** उपक्रमों के टर्नओवर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में उपक्रमों की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2019 को समाप्त

1 राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (आरएसएआईसीएल), राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (आरजेवीएनएल) एवं राजस्थान नागरिक उड़डयन निगम लिमिटेड (आरसीएसीएल) जिन्होंने अपना संचालन क्रमशः 2000-01, 2011-12 एवं 2016-17 से बंद कर दिया था।

2 आरएसपीसीएल एवं बाड़मेर लिग्नाइट स्ननन कम्पनी लिमिटेड (बीएलएमसीएल- आरएसएमएमएल एवं एक निजी कम्पनी राजवेस्ट पावर लिमिटेड के मध्य संयुक्त उपक्रम), आरएसएमएमएल की सहायक कम्पनी के रूप में निगमित (10 जुलाई 2008 एवं 19 जनवरी 2007) एवं आरएसपीसीएल की सहायक कम्पनी के रूप में निगमित (20 सितम्बर 2013) राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (आरएसजीएल)।

होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं राजस्थान के जीएसडीपी का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

**तालिका 3.1: राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर के सम्मुख जीएसडीपी**

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर (₹ करोड़ में)	11390.91	12171.63	13417.48	13911.21	14823.86
टर्नओवर में गत वर्ष के टर्नओवर की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन (₹ करोड़ में)	22.84	6.85	10.24	3.68	6.56
राजस्थान की जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	615642.00	681485.00	758809.00	835558.00	929124.00
जीएसडीपी में गत वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन	11.73	10.70	11.35	10.11	11.20
टर्नओवर का राजस्थान के जीएसडीपी से प्रतिशतता	1.85	1.79	1.77	1.66	1.60

**स्रोत:** कार्यरत उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर के आंकड़ों एवं राजस्थान सरकार की 2018-19 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार जीएसडीपी के आंकड़ों के आधार पर संकलित।

इन उपक्रमों के टर्नओवर में गत वर्षों की तुलना में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। 2014-19 की अवधि में टर्नओवर में वृद्धि 3.68 प्रतिशत एवं 22.84 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में राजस्थान के जीएसडीपी में वृद्धि 10.11 प्रतिशत एवं 11.73 प्रतिशत के मध्य रही। जीएसडीपी की गत पांच वर्षों के दौरान वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर<sup>3</sup> 11.01 प्रतिशत थी। वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर विभिन्न समयावधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी की 11.01 प्रतिशत की वार्षिक मिश्रित वृद्धि के समक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर में गत पांच वर्षों के दौरान 9.84 प्रतिशत की कम वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप जीएसडीपी में इन उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2014-15 में 1.85 प्रतिशत से सीमांत रूप से घटकर 2018-19 में 1.60 प्रतिशत हो गई।

### राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश

**3.3** इनमें से कुछ उपक्रम निश्चित सेवाएं, जो निजी क्षेत्र विभिन्न कारणों से प्रदान करने में इच्छुक नहीं है, प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के साध्य के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने उपक्रमों के माध्यम से ऐसे व्यापार क्षेत्रों में भी निवेश किया है जिनमें उसको निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धी परिवेश में कार्य करना पड़ता है। अतः इन राज्य उपक्रमों की स्थिति का दो प्रमुख श्रेणियों यथा जो सामाजिक क्षेत्र में है एवं जो प्रतिस्पर्धी

3 वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर  $\left[ \left( \frac{2018-19 \text{ का मूल्य}}{2013-14 \text{ का मूल्य}} \right)^{(1/5 \text{ वर्ष})} - 1 \right] * 100$  जिसमें 2013-14 के लिए टर्नओवर एवं जीएसडीपी क्रमशः ₹ 9273.10 करोड़ एवं ₹ 551031 करोड़ थे।

परिवेश में कार्यरत है में विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन राज्य उपक्रमों में से दो<sup>4</sup> राज्य सरकार की ओर से कुछ विशिष्ट गतिविधियां निष्पादन करने के लिये निगमित की गई, को 'अन्य' क्षेत्र में श्रेणीबद्ध किया गया है। इन 28 राज्य उपक्रमों में पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में 31 मार्च 2019 को निवेश की स्थिति अनुबंध-8 में दर्शाई गई है।

**3.4** 31 मार्च 2019 को इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का क्षेत्र-वार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 3.2: राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में क्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र	उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल
सामाजिक क्षेत्र	12	1872.65	2385.16	4257.81
प्रतिस्पर्धी वातावरण में उपक्रमों	14	1711.73	6513.37	8225.10
अन्य	2	5.49	0.00	5.49
<b>कुल</b>	<b>28</b>	<b>3589.87</b>	<b>8898.53</b>	<b>12488.40</b>

स्रोत: उपक्रम से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

31 मार्च 2019 तक, इन 28 उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 12488.40 करोड़ था। निवेश में 28.75 प्रतिशत पूँजी एवं 71.25 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 24.99 प्रतिशत (₹ 2224.18 करोड़) था जबकि शेष 75.01 प्रतिशत (₹ 6674.35 करोड़) दीर्घावधि ऋण अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया था।

निवेश 2014-15 के ₹ 9348.64 करोड़ से 33.59 प्रतिशत बढ़कर, 2018-19 में ₹ 12488.40 करोड़ हो गया था। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में क्रमशः ₹ 1477.08 करोड़ एवं ₹ 1662.68 करोड़ की वृद्धि के कारण निवेश में वृद्धि हुई।

### राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण

**3.5** वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसी भी उपक्रम (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण नहीं किया गया था।

### राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता

**3.6** राजस्थान सरकार (जीओआर) द्वारा वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में राज्य उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के संबंध में वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋणों एवं पूँजी में परिवर्तित ऋणों के रूप में बजटीय जावक का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

4 राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आरपीएच एवं सीसीएल) एवं आरसीएसीएल का निगमन क्रमशः पुलिस विभाग, राजस्थान सरकार के लिए भवन निर्माण व सिविल इंजीनियरिंग कार्य एवं राजस्थान सरकार के लिए अनुसूचित वायु परिवहन के लिए किया गया।



तालिका 3.3: वर्ष के दौरान राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता के संबंध में विवरण


(₹ करोड़ में)

विवरण <sup>5</sup>	2016-17		2017-18		2018-19	
	उपक्रम की संख्या	राशि	उपक्रम की संख्या	राशि	उपक्रम की संख्या	राशि
समता पूँजी की जावक (i)	-	-	-	-	-	-
दिये गये ऋण (ii)	3	180.10	5	280.22	4	324.18
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	7	339.76	8	961.76	8	828.11
कुल जावक (i+ii+iii)	9 <sup>6</sup>	519.86	12 <sup>6</sup>	1241.98	11 <sup>6</sup>	1152.29
अपलिखित ऋण पुनर्भुगतान	-	-	1	4.12	1	9.41
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
निर्गमित गारंटियाँ	-	-	1	49.45	-	-
गारंटी प्रतिबद्धता	3	3165.77	3	3235.32	3	3732.84

स्रोत: उपक्रम से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

मार्च 2019 को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों के लिए पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी में बजटीय जावक का विवरण नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है:

चार्ट 3.1: पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय जावक



वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, इन उपक्रमों को प्रदान की गई वार्षिक बजटीय सहायता ₹ 519.86 करोड़ एवं ₹ 1241.98 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2018-19 के दौरान दी गई ₹ 1152.29 करोड़ की बजटीय सहायता में ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में क्रमशः ₹ 324.18 करोड़ एवं ₹ 828.11 करोड़ सम्मिलित थे। राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान इन उपक्रमों को पूँजी सहायता प्रदान नहीं की थी। राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान/सब्सिडी मुख्य रूप से जनता को मुफ्त औषधियां एवं सार्वजनिक उपक्रमों को अन्य सहायता प्रदान करने के लिये थी।

5 यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

6 यह संख्या ऐसे उपक्रमों की संख्या को दर्शाती है जिन्हें बजट से एक अथवा अधिक मदों यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी के रूप में सहायता प्राप्त हुई।

राजस्थान सरकार, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपक्रमों को राजस्थान राज्य गारंटी अनुदान विनियम (आरएसजीजीआर) 1970 के अंतर्गत गारंटी प्रदान करती है। सरकार ने आरएसजीजीआर, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत बिना किसी अपवाद के बैंकों/वित्तीय संस्थानों से उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण के मामले में प्रति वर्ष एक प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन वसूल करने का निर्णय (फरवरी 2011) किया। बकाया गारंटी प्रतिबद्धतायें 2014-15 में ₹ 3074.64 करोड़ से 21.41 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹ 3732.84 करोड़ हो गयी। वर्ष 2018-19 के दौरान चार<sup>7</sup> राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा ₹ 36.91 करोड़ के गारंटी कमीशन का भुगतान किया गया था।

### राजस्थान सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

**3.7** पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों के संबंध में राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों के आंकड़े राजस्थान सरकार के वित्त लेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि यह आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित उपक्रमों एवं वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2019 की स्थिति नीचे दी गई है:

**तालिका 3.4:** राजस्थान सरकार के वित्त लेखों एवं राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया गारण्टियां

(₹ करोड़ में)

मद के संबंध में बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	राज्य उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
पूँजी	3074.53	3107.56	33.03
ऋण	1953.24	2224.18	270.94
गारण्टियां	5019.58	5304.84	285.26

स्रोत: उपक्रमों एवं वित्त लेखों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 28 राज्य उपक्रमों में से आठ उपक्रमों में इस तरह का अंतर है जैसा की अनुबंध-9 में दर्शाया गया है। आंकड़ों में अंतर गत कई वर्षों से जारी है। अंतर के समाशोधन हेतु इस मुद्दे को उपक्रमों/विभागों के साथ समय-समय पर उठाया गया था। मुख्य रूप से अंतर आरयूडीडब्ल्यूएस एवं आईसीएल के शेषों में पाया गया है। इसलिए, लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि राज्य सरकार एवं उपक्रमों को अंतर का समाशोधन समयबद्ध रूप में करना चाहिए।

### राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

**3.8** कुल 28 राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से 25 कार्यरत उपक्रमों अर्थात् 22 सरकारी कम्पनियां एवं तीन सांविधिक निगम एवं तीन अकार्यरत उपक्रमों 31 मार्च 2019 को सीएजी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। राज्य उपक्रमों द्वारा लेखों को तैयार करने हेतु समय बद्धता की पालना की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है:

7 राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसआरडीसीसीएल), आरएफसी, राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड (आरयूडीडब्ल्यूएस एवं आईसीएल) एवं आरएसआरटीसी।

**कार्यरत राज्य उपक्रमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता**

**3.8.1** वर्ष 2018-19 के लिए सभी कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 30 सितंबर 2019 तक लेखे प्रस्तुत किए जाने थे। तथापि, 22 कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से केवल आठ सरकारी कम्पनियों ने वर्ष 2018-19 के लिए उनके लेखे सीएजी को लेखापरीक्षा के लिए 30 सितंबर 2019 अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत किये थे जबकि 14 सरकारी कम्पनियों के लेखे बकाया थे। तीन सांविधिक निगमों में से एक सांविधिक निगम आरएसआरटीसी में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। इन तीन सांविधिक निगमों में से दो सांविधिक निगमों के वर्ष 2018-19 के लेखे लेखापरीक्षा के लिए समय पर प्रस्तुत कर दिये गये। आरएसआरटीसी के वर्ष 2018-19 के लेखे 30 सितंबर 2019 को प्रतीक्षित थे।

30 सितंबर 2019 को कार्यरत उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों के प्रस्तुतिकरण में बकाया का विवरण नीचे दिया गया है:

**तालिका 3.5: कार्यरत राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति**

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	उपक्रमों की संख्या	33	34	25	25	25
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किये गये लेखों की संख्या	32	38	22	17	21
3.	कार्यरत उपक्रमों की संख्या जिनके चालू वर्ष के लेखों को अंतिम रूप दिया गया	20	21	18	12	10
4.	चालू वर्ष के दौरान गत वर्ष के अंतिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	12	17	4	5	11
5.	कार्यरत उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे बकाया थे	13	11	7	13	15
6.	बकाया लेखों की संख्या	25	19	9	17	21
7.	बकाया की सीमा	एक से आठ वर्ष	एक से पाँच वर्ष	एक से दो वर्ष	एक से तीन वर्ष	एक से तीन वर्ष

**स्रोत:** अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान कार्यरत उपक्रमों के प्राप्त लेखों के आधार पर संकलित।

इन कार्यरत 25 उपक्रमों में से 18 उपक्रमों ने 21 वार्षिक लेखों को 01 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 की अवधि के दौरान अंतिम रूप दिया जिसमें से 10 वार्षिक लेखे वर्ष 2018-19 से संबंधित थे एवं 11 वार्षिक लेखे गत वर्षों से संबंधित थे। साथ ही, 21 वार्षिक लेखे बकाया थे जो कि 15 उपक्रमों से संबंधित थे, जिनका विस्तृत विवरण **अनुबंध 10** में दिया गया है। इन उपक्रमों की गतिविधियों की निगरानी एवं इन उपक्रमों द्वारा लेखों को निर्धारित समय में अन्तिम रूप दिये जाने एवं अपनाये जाने को सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशासनिक विभागों पर है। संबंधित विभागों को बकाया लेखों के संबंध में त्रैमासिक रूप से सूचित किया गया था।

राजस्थान सरकार ने 15 कार्यरत उपक्रमों, जिनके लेखों को कम्पनी अधिनियम 2013/ आरएसआरटीसी नियम 1964 के अनुसार 30 सितंबर 2019 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था, में से पाँच उपक्रमों में ₹ 853.27 करोड़ (ऋण: ₹ 111.50 करोड़ एवं सब्सिडी:

₹ 741.77 करोड़) निवेश किया था। राज्य सरकार द्वारा वर्षों के दौरान उपक्रम-वार निवेश, जिनके लेखे बकाया है, का विवरण **अनुबंध-10** में दर्शाया गया है।

लेखों के अंतिमीकरण एवं इनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में 15 उपक्रमों में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि निवेश एवं व्यय सही रूप से लेखांकित किये गये हैं एवं उद्देश्य जिसके लिए राशि निवेश की गई थी, प्राप्त कर लिया गया था। इसलिए, राज्य सरकार का इन उपक्रमों में निवेश राज्य विधान सभा की निगरानी से बाहर रहा।

### अकार्यरत उपक्रमों के द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता

**3.8.2** तीन अकार्यरत उपक्रमों के लेखे 30 सितम्बर 2019 को अंतिमिकरण हेतु बकाया थे जिनकी स्थिति नीचे दर्शायी गयी है:

तालिका 3.6: अकार्यरत उपक्रमों के संबंध में बकाया लेखों की स्थिति

क्र. सं.	अकार्यरत कम्पनियों के नाम	लेखों के बकाया रहने की अवधि
1	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2015-16 से 2018-19
2	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	2018-19
3	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2018-19

स्रोत: अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान उपक्रमों के प्राप्त लेखों के आधार पर संकलित।

### सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण

**3.9** तीन कार्यरत सांविधिक निगमों में से दो निगमों ने वर्ष 2018-19 के लिए उनके लेखे 30 सितम्बर 2019 तक अग्रेषित किये।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर), सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। यह प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने होते हैं। 30 सितम्बर 2019 को सांविधिक निगमों की वार्षिक लेखों एवं उनके एसएआर के विधान सभा में प्रस्तुतिकरण की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.7: सांविधिक निगमों के एसएआर के पटल पर रखे जाने की स्थिति

निगम का नाम	लेखों का वर्ष	एसएआर के प्रस्तुतिकरण का माह
राजस्थान वित्त निगम	2017-18	फरवरी 2019
	2018-19	प्रस्तुतिकरण होना शेष है।
राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम	2017-18	जनवरी 2019
	2018-19	प्रस्तुतिकरण होना शेष है।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2016-17	जुलाई 2019
	2017-18 एवं 2018-19	प्रस्तुतिकरण होना शेष है।

स्रोत: राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के आधार पर संकलित।

### राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के द्वारा लेखों के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव

**3.10** जैसा कि अनुच्छेद 3.8 में इंगित किया गया है, लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब संबंधित विधानों के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ साथ कपट एवं लोक धन में रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणामित हो सकता है। लेखों के बकाया की उपर्युक्त स्थिति को देखते

हुये राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के 2018-19 में राज्य की जीएसडीपी में वास्तविक योगदान का आंकलन नहीं किया जा सका एवं राजकोष में उनके योगदान को भी राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

अतः यह सिफारिश की जाती है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा लेखों के बकाया की समाप्ति के लिये कड़ी निगरानी एवं आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिये। सरकार को भी कम्पनी द्वारा लेखे तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर ध्यान देना चाहिये एवं बकाया लेखों की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।


### राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन

**3.11** 28 राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए उनके लेखों के अनुसार 30 सितंबर 2019 तक की वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम **अनुबंध-11** में दिये गये हैं।

उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। राज्य सरकार द्वारा राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में 31 मार्च 2019 को निवेश की राशि ₹ 12488.40 करोड़ थी जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 3589.87 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 8898.53 करोड़ सम्मिलित थे। इसमें से 25 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में राजस्थान सरकार का निवेश ₹ 5331.74 करोड़ था जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 3107.56 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 2224.18 करोड़ सम्मिलित थे।

राजस्थान सरकार का ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त उपक्रमों में 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के निवेश की वर्षवार स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

**चार्ट 3.2: राज्य सरकार का राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में कुल निवेश**




कम्पनी की लाभदायकता को पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, पूँजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में हुई लाभ अथवा हानि से पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि के समक्ष मापा जाता है एवं कुल निवेश पर लाभ की प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी उपयोग की गई कार्यरत पूँजी से मापता है एवं इसकी गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है। पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन का माप है जिसकी गणना करों के पश्चात के लाभ को शेयर धारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है।

### सरकार के निवेश पर प्रतिफल

**3.12** निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश की प्रतिशतता है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान कार्यरत राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अर्जित लाभ/वहन की गई हानि<sup>8</sup> की समग्र स्थिति को चार्ट में नीचे दर्शाया गया है।

चार्ट 3.3: वर्षों के दौरान कार्यरत उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि



इन कार्यरत उपक्रमों द्वारा 2014-15 में वहन की गई ₹ 5.87 करोड़ की हानि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएमआरसीएल) की हानियों में महत्वपूर्ण कमी के कारण 2018-19 में ₹ 219.85 करोड़ के लाभ में परिवर्तित हो गई। वर्ष 2018-19 के अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार, इन 25 कार्यरत राज्य उपक्रमों में से, 18 उपक्रमों ने ₹ 511.53 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं सात उपक्रमों ने ₹ 291.68 करोड़ की हानि वहन की जैसा कि अनुबंध-11 में दर्शाया गया है।

शीर्ष लाभ कमाने वाली कम्पनियां आरएसएमएमएल (₹ 168.50 करोड़), राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) (₹ 142.94 करोड़), आरएसडब्ल्यूसी (₹ 88.89 करोड़) आरएसआरडीसीसीएल (₹ 35.00 करोड़) थी जबकि आरएसआरटीसी (₹ 176.71 करोड़) एवं जेएमआरसीएल (₹ 52.97 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

31 मार्च 2019 को कार्यरत 25 राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा 2014-15 से 2018-19 के दौरान अर्जित लाभ/वहन की गई हानि की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है।

8 आंकड़े संबंधित वर्षों में अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों पर आधारित है।

तालिका 3.8: कार्यरत उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा 2014-15 से 2018-19 के दौरान अर्जित लाभ/वहन की गई हानि की स्थिति

वित्तीय वर्ष	उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की कुल संख्या	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों की संख्या	वर्ष के दौरान हानि वहन करने वाले उपक्रमों की संख्या	वर्ष के दौरान उपक्रमों की संख्या जिनकी मामूली लाभ/हानि थे
2014-15	25	17	7	1
2015-16	25	18	6	1
2016-17	25	19	6	-
2017-18	25	19	6	-
2018-19	25	18	7	-

**(अ) सरकारी निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की दर**

**3.13** राज्य के 28 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से राज्य सरकार ने पूँजी, दीर्घावधि ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में दी गई निधि का निवेश केवल 25 उपक्रमों में किया है। सरकार ने इन 25 उपक्रमों में ₹ 5331.74 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 3107.56 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 2224.18 करोड़ सम्मिलित है।

राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी एवं ऋण के रूप में उपक्रमों में किये गये निवेश के आधार पर उपक्रमों से निवेश पर प्रतिफल की दर (आरओआर) की गणना की गई है। ऋणों के संबंध में, केवल ब्याज मुक्त ऋण को ही निवेश माना गया है क्योंकि सरकार को इस प्रकार के ऋणों से कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है एवं इसलिए पुनर्भुगतान के नियम एवं शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान के लिए दायी ऋणों को उस सीमा तक छोड़कर ये ऋण पूँजी निवेश की प्रकृति के हैं। इस प्रकार, इन 25 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश की गणना पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण को सम्मिलित करते हुए की गई है एवं जिन प्रकरणों में उपक्रमों के द्वारा ब्याज मुक्त ऋणों का भुगतान कर दिया गया है, निवेश की मूल्य की गणना अवधि के दौरान ऐतिहासिक लागत एवं वर्तमान मूल्य (पीवी) के आधार पर ब्याज मुक्त ऋण के घटे हुए शेषों के आधार पर की गई है जैसा की तालिका 3.9 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुदान/सब्सिडी के रूप में दी गई निधि को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि परिचालन एवं प्रशासनिक खर्च तथा अन्य उद्देश्यों हेतु प्रदान की गई अनुदान/सब्सिडी का विभाजन उपलब्ध नहीं है।

31 मार्च 2019 को इन 25 उपक्रमों में राज्य सरकार की पूँजी ₹ 3107.56 करोड़ थी। जारी किये गये ₹ 2224.18 करोड़ के दीर्घावधि ऋणों में से इस अवधि के दौरान ब्याज मुक्त ऋण के घटाये गये शेषों के आधार पर ब्याज मुक्त ऋण ₹ 1578.41 करोड़ थे। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा इन 25 उपक्रमों में किया गया निवेश ऐतिहासिक लागत के आधार पर ₹ 4685.97 करोड़ (₹ 3107.56 करोड़ + ₹ 1578.41 करोड़) था।

सरकार के निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए क्षेत्रवार निवेश पर प्रतिफल नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 3.9: सरकार के निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर आरओआर

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रवार वर्षवार ब्यौरा	वर्ष के दौरान कुल लाभ	ऐतिहासिक लागत के आधार पर पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राजस्थान सरकार द्वारा निधियों का निवेश	राज्य सरकार के निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर आरओआर (%)
<b>2014-15</b>			
सामाजिक क्षेत्र	29.04	2900.86	1.00
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-4.41	1572.53	-0.28
अन्य	-0.33	4.99	-6.61
<b>कुल</b>	<b>24.30</b>	<b>4478.38</b>	<b>0.54</b>
<b>2015-16</b>			
सामाजिक क्षेत्र	-51.48	2953.80	-1.74
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-106.99	1839.40	-5.82
अन्य	-0.21	4.99	-4.21
<b>कुल</b>	<b>-158.68</b>	<b>4798.19</b>	<b>-3.31</b>
<b>2016-17</b>			
सामाजिक क्षेत्र	14.05	2008.15	0.70
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	176.60	1988.50	8.88
अन्य	-0.19	4.99	-3.81
<b>कुल</b>	<b>190.46</b>	<b>4001.64</b>	<b>4.76</b>
<b>2017-18</b>			
सामाजिक क्षेत्र	-56.98	2397.33	-2.38
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-870.71	2027.00	-42.96
अन्य	-0.19	5.49	-3.46
<b>कुल</b>	<b>-927.88</b>	<b>4429.82</b>	<b>-20.95</b>
<b>2018-19</b>			
सामाजिक क्षेत्र	-29.54	2555.12	-1.16
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	286.59	2125.36	13.48
अन्य	2.04	5.49	37.16
<b>कुल</b>	<b>259.09</b>	<b>4685.97</b>	<b>5.53</b>

राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल की दर की गणना इन उपक्रमों की कुल लाभों<sup>9</sup> को राज्य सरकार की निवेश की लागत से विभाजित करके की गई है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के निवेश पर अर्जित प्रतिफल की दर -20.95 प्रतिशत एवं 5.53 प्रतिशत के मध्य थी। 2015-16 एवं 2017-18 के दौरान राज्य सरकार के निवेश पर समग्र रूप से प्रतिफल ऋणात्मक था जिसका मुख्य कारण प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम {2015-16 में (-) ₹ 754.10 करोड़ एवं 2017-18 में (-) ₹ 1169.76 करोड़} एवं सामाजिक क्षेत्र में जेएमआरसीएल {2015-16 में (-) ₹ 90.20 करोड़ एवं 2017-18 में (-) ₹ 90.12 करोड़} द्वारा भारी हानियां वहन करना था। आगे विश्लेषण से

9 इसमें उन राज्य उपक्रमों, जिनमें राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया है, से संबंधित वर्ष की शुद्ध लाभ/हानि सम्मिलित है।



यह ज्ञात हुआ कि प्रतिस्पर्धी क्षेत्र से राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल अस्थिर प्रवृत्ति को दर्शाता है। प्रतिस्पर्धी क्षेत्र से प्रतिफल मुख्यतः राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) की हानियों में वृद्धि के कारण 2014-15 के -0.28 प्रतिशत से महत्वपूर्ण रूप से घट कर 2015-16 में -5.82 प्रतिशत हो गया। इस क्षेत्र ने 2016-17 (8.88 प्रतिशत), 2017-18 (-42.96 प्रतिशत) एवं 2018-19 (13.48 प्रतिशत) के दौरान अस्थिर प्रतिफल दर्ज किया जिसका मुख्य कारण 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान आरएसआरटीसी की हानियों में क्रमशः भारी कमी, तत्पश्चात वृद्धि एवं अंत में कमी था।

**(ब) सरकार के निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)**

**3.14** उन 25 राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त), जहाँ राज्य सरकार द्वारा निधियों निवेश किया गया है, इन उपक्रमों की लाभदायकता का आंकलन करने के लिये निवेश के समक्ष कुल लाभों का एक विश्लेषण किया गया है। लाभों प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल निवेश को ऐतिहासिक लागत के आधार पर किया जाना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। राजस्थान सरकार के राज्य उपक्रमों में निवेश की ऐतिहासिक लागत की तुलना में निवेश के वास्तविक प्रतिफल की दर का आंकलन करने के लिए सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना की गई है। 31 मार्च 2019 तक निवेश की ऐतिहासिक लागत को प्रत्येक वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए, पूर्व निवेश/वर्षवार राज्य सरकार द्वारा राज्य उपक्रमों में निवेशित धन को वर्षवार सरकारी उधार की औसत ब्याज दर जो कि संबंधित वर्ष के लिए सरकार के धन की न्यूनतम लागत है, पर चक्रवृद्धि किया गया है। इस प्रकार, इन 25 राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में राज्य सरकार के निवेश पर पीवी की गणना वहां से की गई है जहां इन उपक्रमों की स्थापना से 31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निधियों का निवेश किया गया था। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान इन 25 उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल वर्ष 2014-15, 2016-17 एवं 2018-19 के दौरान धनात्मक था। इसलिए इन तीन वर्षों के लिए आरओआरआर की गणना पीवी के आधार पर की गई एवं दर्शाई गई है।

राज्य सरकार द्वारा उक्त 25 उपक्रमों में किये गये निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्न धारणाओं के आधार पर की गई है:

- राज्य सरकार द्वारा दिये गये ब्याज मुक्त ऋणों को सरकार द्वारा किया गया निवेश माना गया है। तथापि, उपक्रमों द्वारा ऋण के पुर्नभुगतान की स्थिति में, पीवी की गणना इस अवधि के दौरान ब्याज मुक्त ऋण के घटे हुए शेषों पर की गई है। इसके अतिरिक्त, अनुदान/सब्सिडी के रूप में दी गई निधियों को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि परिचालन एवं प्रशासनिक खर्च तथा अन्य उद्देश्यों हेतु प्रदान की गई अनुदान/सब्सिडी का विभाजन उपलब्ध नहीं है।
- धन के वर्तमान मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से संबंधित वित्तीय वर्ष<sup>10</sup> के लिये सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया है

10 सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (राजस्थान सरकार) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट से अपनाई गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर = ब्याज भुगतान / [(गत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं) / 2] \* 100।

क्योंकि यह निवेश किये गये धन पर वर्ष के दौरान सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है एवं इस प्रकार सरकार द्वारा किये गये निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में अपनाई जा सकती है।

वर्ष 2015-16 एवं 2017-18 के दौरान जब इन 25 उपक्रमों ने हानि वहन की थी, हानि के कारण निवल मूल्य का क्षरण निष्पादन का एक अधिक उपयुक्त मापक है। उपक्रमों के पूँजी के क्षरण पर अनुच्छेद 3.17 में टिप्पणी की गई है।

**3.15** इन 25 राज्य उपक्रमों में 2000-01 से 2018-19 तक की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर पूँजी एवं ऋण के रूप में राज्य सरकार के निवेश की उपक्रमों वार स्थिति अनुबंध-12 में इंगित की गई है। साथ ही, इन उपक्रमों में इसी अवधि के लिये राज्य सरकार के निवेश की पीवी एवं कुल लाभदायकता की समेकित स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 3.10: वर्ष 2000-01 से 2018-19 तक राज्य सरकार के निवेश एवं सरकार के इस निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का शुद्ध वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई समता पूँजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण <sup>11</sup>	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल <sup>12</sup>	वर्ष के लिए कुल लाभ <sup>13</sup>
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii={vii*(1+vi)/100}	ix={vii*vi}/100	x
1999-2000 तक	-	412.44	36.80	449.24	10.40	1164.89	1286.04	-	-
2000-01	1286.04	2.76	-0.49	2.27	10.50	1288.31	1423.58	135.27	-57.88
2001-02	1423.58	0.20	-3.34	-3.14	10.50	1420.44	1569.59	149.15	-45.92
2002-03	1569.59	6.05	-3.52	2.53	10.00	1572.12	1729.33	157.21	-18.61
2003-04	1729.33	134.46	-0.84	133.62	9.60	1862.95	2041.80	178.85	10.85
2004-05	2041.80	29.46	-12.06	17.4	9.10	2059.20	2246.59	187.39	133.45
2005-06	2246.59	14.89	-5.51	9.38	8.20	2255.97	2440.95	184.98	208.73
2006-07	2440.95	1.30	-0.39	0.91	8.30	2441.86	2644.54	202.68	259.05
2007-08	2644.54	7.50	-0.85	6.65	8.00	2651.19	2863.28	212.09	365.80
2008-09	2863.28	3.87	-0.69	3.18	7.70	2866.46	3087.18	220.72	295.26
2009-10	3087.18	19.56	-0.72	18.84	7.70	3106.02	3345.19	239.17	136.85
2010-11	3345.19	203.95	-0.31	203.64	7.70	3548.83	3822.09	273.26	276.54
2011-12	3822.09	416.63	-5.79	410.84	7.70	4232.93	4558.86	325.93	751.69

11 कॉलम में दर्शाये गये ब्याज मुक्त ऋण की ऋणात्मक आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान उपक्रमों द्वारा राज्य सरकार को ऋण का पुर्नभुगतान दर्शाते हैं।

12 वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य - वर्ष के अंत में कुल निवेश।

13 वर्ष के लिए कुल आय संबंधित वर्ष के लिए उन 25 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, के शुद्ध आय (लाभ/हानि) को दर्शाता है। यदि किसी उपक्रम के वर्ष के दौरान वार्षिक लेखे बकाया हैं, तो उस वर्ष के लिए शुद्ध आय (लाभ/हानि) संबंधित उपक्रमों के नवीनतम वर्ष के अंतिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार ली गई है।

2012-13	4558.86	813.61	102.98	916.59	7.40	5475.45	5880.63	405.18	706.21
2013-14	5880.63	844.17	132.30	976.47	7.30	6857.10	7357.67	500.57	480.16
2014-15	7357.67	122.57	1207.38	1329.95	7.50	8687.62	9339.19	651.57	24.30
2015-16	9339.19	58.87	260.95	319.82	6.70	9659.01	10306.17	647.16	-158.68
2016-17	10306.17	14.77	-811.32	-796.55	7.60	9509.62	10232.35	722.73	190.46
2017-18	10232.35	0.50	427.68	428.18	7.30	10660.53	11438.75	778.22	-927.88
2018-19	11438.75	0.00	256.15	256.15	7.30	11694.90	12548.63	853.73	259.09
कुल		3107.56	1578.41	4685.97					

राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अंत में इन उपक्रमों में निवेशित धनराशि का शेष वर्ष 1999-2000 में ₹ 449.24 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 के अंत में ₹ 4685.97 करोड़<sup>14</sup> हो गया था क्योंकि राज्य सरकार ने 2000-01 से 2018-19 की अवधि के दौरान पूँजी (₹ 2695.12 करोड़) एवं ब्याज मुक्त ऋण (₹ 1541.61 करोड़) के रूप में आगे और भी धनराशि निवेश की थी। राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई निधियों का वर्तमान मूल्य 31 मार्च 2019 को ₹ 12548.63 करोड़ आता है। 2000-01 से 2018-19 के दौरान, उपक्रमों की वर्ष के लिए कुल आय 2000-01 से 2004-05, 2009-10 एवं 2013-14 से 2018-19 के दौरान इन उपक्रमों में निवेश की गई निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से कम रही क्योंकि इन उपक्रमों में से चार<sup>15</sup> उपक्रमों ने भारी हानि वहन की थी। साथ ही, समस्त अवधि (2000-19) के दौरान तीन अन्य उपक्रमों<sup>16</sup> द्वारा अर्जित लाभों को इन चार उपक्रमों के हानियों ने विलोपित कर दिया था, जिसके कारण कुल लाभ इन सभी उपक्रमों से अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल से कम रहा।

तीन लाभ अर्जन करने वाले उपक्रमों यथा रीको, आरएसएमएम एवं आरएसडब्ल्यूसी, जिन्होंने 2000 से 2019 की अवधि के दौरान लाभ अर्जित किया था, के सघन विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि ये उपक्रम बाजार में इनके एकाधिकार सुअवसर अथवा व्यवसाय, जो कि इन्हें सरकारी एजेन्सियों से प्राप्त हुआ, के कारण लाभ अर्जित कर सके थे।

राज्य सरकार द्वारा रीको को सरकारी भूमि रियायती दरों पर अधिग्रहण किये जाने की अनुमति (2017 तक) थी। राज्य में यह मुख्य एजेन्सी है जिसके पास भूमि को औद्योगिक/संस्थानिक उद्देश्यों के लिये विकसित करने एवं लागत पर अधिभारों को जोड़कर आवंटन करने का अधिकार प्राप्त है। रीको के संचित लाभों में 2000-01 में ₹ 282.64 करोड़ के समक्ष 2017-18 में ₹ 1516.60 करोड़ तक की वृद्धि मुख्यतः ढांचागत गतिविधि से लाभ के पेटे हुयी थी। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान ढांचागत गतिविधि से लाभ की प्रतिशतता कुल लाभों के क्रमशः 85 प्रतिशत एवं 93 प्रतिशत थी। इसी प्रकार, आरएसएमएमएल ने रॉक फॉस्फेट, खनिज जिसके लिये कम्पनी का देश में लगभग एकाधिकार है एवं यह देश के कुल उत्पादन का 98 प्रतिशत योगदान करती है, के विक्रय से महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित किया। 2009-10 से 2018-19 (वर्ष 2017-18 में 16 प्रतिशत को छोड़कर) के दौरान रॉक-फॉस्फेट खनन से लाभ का अंश, कम्पनी के कुल लाभ के 41 प्रतिशत व 63 प्रतिशत के मध्य रहा। साथ ही,

14 ₹ 4685.97 करोड़ = ₹ 3107.56 करोड़ + ₹ 1578.41 करोड़

15 आरएसआरटीसी (2000-19), राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आरटीडीसीएल) (2009-19), जेएमसीआरएल (2011-19) एवं आरएफसी (2009-10)

16 रीको, आरएसएमएमएल एवं आरएसडब्ल्यूसी।

आरएसडब्ल्यूसी राज्य सरकार से कमीशन (भण्डारण शुल्क) भी प्राप्त करती है एवं भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) एवं अन्य राजकीय एजेन्सियों द्वारा फसलों के भण्डारण हेतु भण्डारण शुल्क भी अर्जित करती है। 2018-19 के दौरान, भण्डारण शुल्क निगम के कुल राजस्व का 89 प्रतिशत था जिसमें एफसीआई (24 प्रतिशत), नाफेड (72 प्रतिशत) एवं अन्य राजकीय/निजी एजेन्सियों (चार प्रतिशत) का योगदान है। इस प्रकार, निगम की लाभप्रदता बढ़े स्तर पर राज्य सरकार/उपक्रमों द्वारा प्रदान किये गये व्यवसायिक अवसरों पर निर्भर है।

**3.16** चूंकि वर्ष 2014-15, 2016-17 एवं 2018-19 के दौरान सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर प्रतिफल धनात्मक था, इन वर्षों के लिये राज्य सरकार की निधियों पर ऐतिहासिक लागत एवं वर्तमान मूल्य के आधार पर क्षेत्रवार प्रतिफल की तुलना को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 3.11: राज्य सरकार के निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

(₹ करोड़ में)

वर्षवार क्षेत्रवार ब्योरा	वर्ष के लिए कुल लाभ	राजस्थान सरकार द्वारा ऐतिहासिक लागत पर पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में किया गया निवेश	राज्य सरकार के निवेश पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर आरओआर (%)	वर्ष के अंत में राज्य सरकार की निधियों का वर्तमान मूल्य	निवेश के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रख कर आरओआरआर (%)
<b>2014-15</b>					
सामाजिक क्षेत्र	29.04	2900.86	1.00	3657.80	0.80
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-4.41	1572.53	0.28	5674.46	-0.08
अन्य	-0.33	4.99	-6.61	6.94	-4.76
<b>कुल</b>	<b>24.30</b>	<b>4478.38</b>	<b>0.54</b>	<b>9339.20</b>	<b>0.26</b>
<b>2016-17</b>					
सामाजिक क्षेत्र	14.05	2008.15	0.70	3242.76	0.43
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	176.60	1988.50	8.88	6981.62	2.53
अन्य	-0.19	4.99	-3.81	7.97	-2.38
<b>कुल</b>	<b>190.46</b>	<b>4001.64</b>	<b>4.76</b>	<b>10232.35</b>	<b>1.86</b>
<b>2018-19</b>					
सामाजिक क्षेत्र	-29.54	2555.12	-1.16	4350.85	-0.68
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	286.59	2125.36	13.48	8188.03	2.52
अन्य	2.04	5.49	37.16	9.75	20.92
<b>कुल</b>	<b>259.09</b>	<b>4685.97</b>	<b>5.53</b>	<b>12548.63</b>	<b>1.42</b>

राज्य सरकार के निवेश पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर अर्जित प्रतिफल 2014-15 में 0.54 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 5.53 प्रतिशत हो गया जबकि राज्य सरकार की निधियों के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रख कर समान अवधि के लिए आरओआरआर 0.26 प्रतिशत से बढ़कर 2.06 प्रतिशत हो गया। साथ ही, प्रतिस्पर्धी क्षेत्र से इसी अवधि के दौरान निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल में (-) 0.28 प्रतिशत से 13.48 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में आरओआरआर में 2014-15 में (-) 0.08 प्रतिशत से 2018-19 में 3.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

### निवल मूल्य का क्षरण

**3.17** निवल मूल्य से आशय प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों एवं अधिशेष में से संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने पर प्राप्त कुल योग से है। वास्तव में यह एक उपक्रम स्वामियों के लिए उसके मूल्य का मापक है। ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के कारण लुप्त हो गया है। अनुबंध-11 में दिये गये विवरणानुसार इन 28 राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में अंतिम रूप दिये गये उनके नवीनतम लेखों के अनुसार पूँजीगत निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 3589.87 करोड़ एवं ₹ 1176.75 करोड़ थे जिसमें से ₹ 0.66 करोड़ के आस्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात निवल मूल्य ₹ 2412.46 करोड़ आता है। निवेश एवं संचित हानियों के विश्लेषण से उजागर हुआ कि इन 28 उपक्रमों में से दस में निवल मूल्य का पूर्णतया क्षरण हो गया था क्योंकि इन दस उपक्रमों में पूँजीगत निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 747.91 करोड़ एवं ₹ 5193.52 करोड़ थी। इन दस उपक्रमों में से, सबसे अधिक निवल मूल्य का क्षरण आरएसआरटीसी (₹ 4177.02 करोड़), आरटीडीसीएल (₹ 123.10 करोड़), बीएलएमसीएल (₹ 51.87 करोड़), आरएसएआईसीएल (₹ 48.82 करोड़) एवं राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (आरएसआईसीएल) (₹ 18.52 करोड़) में हुआ था। इन दस उपक्रमों जिनके निवल मूल्य का पूर्णतः क्षरण हो गया था, में से तीन<sup>17</sup> उपक्रमों ने वर्ष 2018-19 के दौरान लाभ अर्जित किया है तथापि इनकी संचित हानियां भारी मात्रा में थी।

साथ ही, 25 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनमें राज्य सरकार द्वारा सीधा निवेश किया गया है, की कुल प्रदत्त पूँजी, कुल संचित लाभ/हानि एवं कुल निवल मूल्य को नीचे तालिका में इंगित किया गया है:

**तालिका 3.12: वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान 25 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निवल मूल्य**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2014-15	2046.90	-166.41	0.00	1880.49
2015-16	2105.77	-81.78	0.00	2023.99
2016-17	3373.23	26.05	6.24	3393.04
2017-18	3372.42	-1075.18	2.22	2295.02
2018-19	3372.92	-1098.95	0.66	2273.31

यह देखा जा सकता है कि इन कम्पनियों का निवल मूल्य अवधि के दौरान अस्थिर रहा है। यह 2014-15 के ₹ 1880.49 करोड़ से बढ़ कर 2018-19 में ₹ 2273.31 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान 25 उपक्रमों में से 16 उपक्रमों<sup>18</sup> ने धनात्मक निवल मूल्य एवं

17 वर्ष 2017-18 के लिये राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (आरएसएचडीसीएल) एवं आरसीएसीएल तथा वर्ष 2018-19 के लिये राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी)।

18 आरयूडीडबल्यूएस एवं आईसीएल, राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड (आरएसबीसीएल), जेएमआरसीएल, राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड (आरईएससीएल), राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (आरएसएफ एवं सीएससीएल), राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (आरएसएससीएल), राजस्थान स्टेट पावर फॉयनेन्स एण्ड फॉयनेन्शियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएसपीएफ एवं एफएससीएल), राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (आरएसजीएसएमएल), रीको, आरएसआरडीसीसीएल, आरएसएमएमएल, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईसीएल), आरपीएचसीसीएल, आरएफसी, आरएसडबल्यूसी एवं राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल)।

नौ<sup>19</sup> उपक्रमों ने ऋणात्मक निवल मूल्य को प्रदर्शित किया। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सात<sup>20</sup> उपक्रमों के निवल मूल्य में कमी आई जबकि इसी अवधि में 18<sup>21</sup> उपक्रमों के संदर्भ में वृद्धि हुई।

### लाभांश का भुगतान

**3.18** राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की थी (सितंबर 2004) जिसके अंतर्गत सभी लाभ अर्जन करने वाले उपक्रमों को प्रदत्त समता पूँजी पर दस प्रतिशत का न्यूनतम प्रतिफल या कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, का भुगतान करना आवश्यक है। 25 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी निवेश किया है, अवधि के दौरान लाभांश का भुगतान निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 3.13: 2014-15 से 2018-19 के दौरान 25 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लाभांश का भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उपक्रमों जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी का निवेश किया गया		वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों		उपक्रमों जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित/ भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	उपक्रमों की संख्या	राजस्थान सरकार द्वारा निवेशित पूँजी	उपक्रमों की संख्या	राजस्थान सरकार द्वारा निवेशित पूँजी	उपक्रमों की संख्या	उपक्रमों द्वारा घोषित/ भुगतान किया गया लाभांश	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2014-15	25	3033.42	16	884.23	7 <sup>22</sup>	60.19	6.81
2015-16	25	3092.29	17	949.74	7 <sup>22</sup>	94.38	9.94
2016-17	25	3107.06	19	970.27	7 <sup>22</sup>	62.14	6.40
2017-18	25	3107.56	19	970.27	5 <sup>23</sup>	59.25	6.11
2018-19	25	3107.56	18	963.36	6 <sup>24</sup>	64.82	6.73

19 आरएसआरटीसी, आरटीडीसीएल, राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड (आरएसएचसीएल), आरजेवीएनएल, आरएसएआईसीएल, आरएसएलडीसीएल, आरएसएचडीसीएल, आरएसआईसीएल, आरसीएसीएल।

20 आरएसआरटीसी, आरटीडीसीएल, आरएसएचसीएल, आरजेवीएनएल, आरएसएआईसीएल, आरसीएसीएल एवं आरएसएलडीसी।

21 आरपीएचसीसीएल, जेएमआरसीएल, आरयूडीडबल्यूएस एवं आईसीएल, आरएसबीसीएल, आरईएससीएल आरएसएफ एवं सीएससीएल, आरएसएससीएल, आरएसपीएफसीएल, आरएसजीएसएमएल, रीको, आरएसआरडीसीसीएल, आरएसएमएमएल, आरआईएसएल, आरएफसी, आरएसडबल्यूसी, आरएसएचडीसीएल, आरएसआईसीएल एवं आरएमएससीएल।

22 आरएसएमएमएल, आरएसआरडीसीसीएल, आरएसडबल्यूसी, आरएसबीसीएल, रीको, आरएसजीएसएमएल एवं आरएसएससीएल।

23 आरएसएमएमएल, आरएसडबल्यूसी, आरएसबीसीएल, रीको एवं आरएसएससीएल।

24 आरएसएमएमएल, आरएसडबल्यूसी, आरएसबीसीएल, रीको, आरएसएससीएल एवं आरएसआरडीसीसीएल।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, लाभ कमाने वाले उपक्रमों की संख्या 16 एवं 19 के मध्य थी। इसी अवधि में राजस्थान सरकार को लाभांश की घोषणा/भुगतान करने वाले उपक्रमों की संख्या पांच एवं सात के मध्य थी।

लाभांश भुगतान अनुपात 2014-15 से 2018-19 के दौरान केवल 6.11 प्रतिशत एवं 9.94 प्रतिशत के मध्य रहा। अग्रिम विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) ने 1962-63 से लाभांश की घोषणा/भुगतान किया है एवं लाभांश भुगतान अनुपात 1962-63 में 2.24 प्रतिशत से बढ़ कर 2018-19 में 6.73 प्रतिशत हो गया।

2018-19 के दौरान लाभांश की घोषणा करने वाली छः उपक्रमों में से, तीन<sup>25</sup> उपक्रमों ने निर्धारित सीमा से अधिक लाभांश घोषित किया जबकि दो<sup>26</sup> उपक्रमों ने निर्धारित सीमा से कम लाभांश घोषित किया एवं केवल एक<sup>27</sup> उपक्रम ने लाभांश नीति के अनुसार लाभांश घोषित किया।

### पूँजी पर प्रतिफल

**3.19** पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय निष्पादन का माप है जिससे यह आंकलन किया जाता है कि प्रबंधन द्वारा शेयरधारकों की निधि का उपयोग लाभों के सृजन करने में कितने प्रभावी रूप से किया गया है एवं इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात् करों के पश्चात शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसको प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी उस कम्पनी के लिए की जा सकती है जिसकी शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्यायें हैं।

कम्पनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों के योग में से संचित हानियां एवं आस्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात की जाती है एवं यह दर्शाता है कि यदि समस्त संपत्तियां विक्रय कर दी जाये एवं समस्त ऋणों का भुगतान कर दिया जाये तो कम्पनी के हितधारकों हेतु कितना शेष रहेगा। शेयरधारकों की निधि का धनात्मक होना दर्शाता है कि कम्पनी के पास अपने दायित्वों के भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्तियां हैं जबकि शेयरधारकों की निधि के ऋणात्मक होने का अर्थ है कि दायित्व संपत्तियों से अधिक हैं।

पूँजी पर प्रतिफल की गणना **25 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)** में की गई है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए 25 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के शेयरधारकों की निधि एवं आरओई का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

**तालिका 3.14: 25 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है, से संबंधित पूँजी पर प्रतिफल**

वर्ष	शुद्ध आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	आरओई (%)
2014-15	24.30	1880.49	1.29
2015-16	-158.68	2023.99	-

25 आरएसएससीएल, आरएसएमएमएल एवं आरएसडब्ल्यूसी।

26 रीको एवं आरएसआरडीसीसीएल।

27 आरएसबीसीएल।



2016-17	190.46	3393.04	5.61
2017-18	-927.88	2295.02	-
2018-19	259.09	2273.31	11.40

मार्च 2019 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान, शुद्ध आय 2014-15, 2016-17 एवं 2018-19 के दौरान धनात्मक थी एवं इन वर्षों के दौरान आरओई 1.29 प्रतिशत एवं 11.40 प्रतिशत की सीमा के मध्य था। चूँकि इन उपक्रमों की 2015-16 एवं 2017-18 में शुद्ध आय ऋणात्मक थी, इन उपक्रमों के संबंध में आरओई की गणना इस अवधि के लिए नहीं की जा सकी।

### नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

**3.20** नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी में नियोजित पूँजी पर लाभप्रदता एवं दक्षता को मापता है। आरओसीई की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी<sup>28</sup> द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान **समस्त 28 राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कुल आरओसीई** का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.15: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (%)
2014-15	326.78	10198.16	3.20
2015-16	255.15	9462.39	2.70
2016-17	669.34	10331.41	6.48
2017-18	-1198.35	9173.50	-13.06
2018-19	1002.72	9822.33	10.21

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान इन राज्य उपक्रमों का आरओसीई -13.06 प्रतिशत एवं 10.21 प्रतिशत की सीमा के मध्य रहा। आरएसआरटीसी एवं जेएमआरसीएल की हानियों में महत्वपूर्ण कमी होने के कारण, आरओसीई में वर्ष 2018-19 के दौरान वर्ष 2017-18 की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

### उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

**3.21** उपक्रमों जिनमें 2014-15 से 2018-19 के दौरान ऋण थे, में कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों का दायित्व निर्वहन करने की कम्पनियों की क्षमता के आंकलन हेतु दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण किया गया था। इसका आंकलन ब्याज व्याप्ति अनुपात एवं ऋण आवर्त अनुपात के माध्यम से किया गया है।

### ब्याज व्याप्ति अनुपात

**3.22** ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी उपक्रम के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना किसी उपक्रम के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। यह अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की

28 नियोजित पूँजी = प्रदत्त समता पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घावधि ऋण - संचित हानियां- आस्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े उपक्रमों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, के अनुसार हैं।



क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात दर्शाता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व का अर्जन नहीं कर रही थी। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान उन उपक्रमों, जिनमें ब्याज का भार था, के संबंध में धनात्मक एवं ऋणात्मक ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.16: राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	उपक्रमों की संख्या जिन पर सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण का भार था	उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था	उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था
2014-15	334.09	89.31	14	09	5 <sup>29</sup>
2015-16	428.86	210.80	19	15	4 <sup>30</sup>
2016-17	472.62	577.56	19	14	5 <sup>31</sup>
2017-18	475.35	-1233.10	20	15	5 <sup>31</sup>
2018-19	530.58	953.15	20	13	7 <sup>32</sup>

वर्ष 2018-19 के दौरान जिन 20 राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में सरकार के साथ-साथ बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता है, 13 उपक्रमों में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है जबकि शेष सात उपक्रमों में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है जो की यह दर्शाता है कि यह सात उपक्रमों इस अवधि के दौरान ब्याज के व्ययों की पूर्ति हेतु पर्याप्त राजस्व का अर्जन नहीं कर पा रहे थे।

### ऋण टर्नओवर अनुपात

3.23 गत पांच वर्षों के दौरान, इन 28 उपक्रमों के टर्नओवर में 9.84 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि एवं ऋणों में 12.16 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, थी जिसके परिणामस्वरूप ऋण टर्नओवर अनुपात 2014-15 में 0.64 से थोड़ा सुधरकर 2018-19 में 0.60 हो गया जैसा की निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 3.17: राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार एवं अन्य (बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं) से ऋण	7235.85	7281.07	6829.12	6926.72	8898.53
टर्नओवर	11390.91	12171.63	13417.48	13911.21	14823.86
ऋण आवर्त अनुपात	0.64:1	0.60:1	0.51:1	0.50:1	0.60:1

स्रोत: उपक्रम से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

इस अवधि के दौरान ऋण टर्नओवर अनुपात 0.50 एवं 0.64 की सीमा के मध्य रहा। ऋण टर्नओवर अनुपात में, मुख्य रूप से आरयूडीडबल्यूएस एवं आईसीएल, आरएसआरडीसीसीएल

29 आरएसआईसीएल, आरएसएचसीएल, आरटीडीसीएल, आरएसआरटीसी एवं आरएसएआईसीएल।

30 आरएसएचसीएल, आरटीडीसीएल, आरएसआरटीसी एवं आरएसएआईसीएल।

31 जेएमआरसीएल, आरएसएचसीएल, आरटीडीसीएल, आरएसआरटीसी एवं आरएसएआईसीएल।

32 आरएसआईसीएल, जेएमआरसीएल, आरएसएचसीएल, आरटीडीसीएल, बीएलएमसीएल, आरएसआरटीसी एवं आरएसएआईसीएल।

तथा जेएमआरसीएल के ऋणों वृद्धि हो जाने के कारण, वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान भारी वृद्धि हुई।

### अकार्यरत उपक्रमों का समापन

**3.24** 28 राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से तीन कम्पनियां अकार्यरत थी जिनमें 31 मार्च 2019 को पूँजी (₹ 11.77 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋणों (₹ 16.27 करोड़) के पेटे कुल निवेश ₹ 28.04 करोड़ (आरएसएआईसीएल में ₹ 22.28 करोड़, आरसीएसीएल में ₹ 4.49 करोड़ एवं आरजेवीएनएल में ₹ 1.27 करोड़) था। 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए गत पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यरत कम्पनियों की संख्या नीचे दी गयी है।

तालिका 3.18: अकार्यरत राज्य उपक्रम

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अकार्यरत कम्पनियों की संख्या	3	3	3	3	3

स्रोत: संबंधित वर्ष के सार्वजनिक उपक्रमों पर प्रतिवेदन, राजस्थान सरकार एवं अनुबंध 11 के आधार पर संकलित।

आरएसएआईसीएल समापन की प्रक्रियाधीन है एवं सरकारी समापक की नियुक्ति की जा चुकी है। शेष दो उपक्रम गत तीन से आठ वर्षों से अकार्यरत है अतः सरकार को इन उपक्रमों के संबंध में शीघ्र ही उचित निर्णय लेना चाहिए।

### राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों पर टिप्पणियाँ

**3.25** 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितम्बर 2019 की अवधि के दौरान पंद्रह कार्यरत कम्पनियों ने अपने 18 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से 13 लेखों को पूरक लेखापरीक्षा के लिये चयनित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इंगित करते हैं कि लेखों के रख-रखाव की गुणवत्ता में सारभूत सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण आगे दिया गया है:

तालिका 3.19: कार्यरत कम्पनियों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	0.06	3	23.91	6	46.38
2.	लाभ में वृद्धि	3	3.91	1	4.43	2	10.20
3.	हानि में वृद्धि	1	0.09	-	-	3	11.17
4.	हानि में कमी	-	-	1	3.43	-	-
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाना	3	6.23	-	-	-	-
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियाँ	3	16.66	1	9.74	3	22.77

स्रोत: सरकारी कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर संकलित।

वर्ष 2018-19 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने आरएसएफ एवं सीएससीएल के लेखों पर विपरीत प्रमाण-पत्र एवं नौ अन्य लेखों पर प्रमाण-पत्र प्रदान किये। उपक्रमों द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना कमजोर रही क्योंकि छः लेखों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के अठारह प्रकरण इंगित किये गये।

**3.26** राज्य में तीन सांविधिक निगम अर्थात (i) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी), (ii) राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) एवं (iii) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (आरएसडब्ल्यूसी) है। सीएजी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के एकमात्र लेखापरीक्षक है।

1 अक्टूबर 2018 से 30 सितम्बर 2019 के दौरान, तीन कार्यरत सांविधिक निगमों में से दो निगमों (आरएफसी एवं आरएसडब्ल्यूसी) ने वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक लेखे प्रेषित किये जबकी आरएसआरटीसी ने वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखे प्रेषित किये। सभी तीनों लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किये गये थे।

सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.20: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	49.81	2	55.46	1	6.01
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	1	1658.39	-	-	-	-
4.	हानि में कमी	-	-	1	464.82	-	-
5.	सारवान तथ्यों का प्रकट नहीं किया जाना	1	7404.63	1	1100.00	-	-
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियाँ	2	83.00	1	2.00	1	2.00

### निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद

**3.27** 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के भाग II हेतु 'राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बसों का प्रापण एवं उपयोग' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) एवं राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित छः अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद, दो सप्ताह की अवधि में उत्तर प्रेषित करने के आग्रह के साथ, संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को जारी किये गये थे। निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर राज्य सरकार/ प्रबन्धन के उत्तर प्राप्त हो गये थे तथा प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित कर लिये गये हैं (मई 2020)। निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 197.83 करोड़ है।

**लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही**

**बकाया उत्तर**

**3.28** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाये। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि में, राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित प्रारूप में उत्तर/स्पष्टीकरण टिप्पणियां प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये थे (सितम्बर 2019)।

**तालिका 3.21: 30 सितम्बर 2019 को राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर बकाया स्पष्टीकरण टिप्पणियों की स्थिति**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (उपक्रमों) का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित गैर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कुल पीए एवं अनुच्छेद		पीए/अनुच्छेदों की संख्या जिन पर स्पष्टीकरण टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई	
		पीए	अनुच्छेद	पीए	अनुच्छेद
2017-18	26.07.2019	-	2	-	2

स्रोत: राजस्थान सरकार के संबंधित विभागों से प्राप्त स्पष्टीकरण टिप्पणियों के आधार पर संकलित।

दो<sup>33</sup> अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर स्पष्टीकरण टिप्पणियां सितम्बर 2019 तक एक विभाग से लंबित थी।

**3.29** लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये लेखापरीक्षा आक्षेपों एवं जिनका इकाई पर ही समापन नहीं किया है, को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से संबंधित उपक्रमों के प्रमुखों एवं राज्य सरकार के संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाता है। उपक्रमों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर एक महीने के अंदर प्रेषित करना होता है।

28 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित, मार्च 2019 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से यह प्रकट हुआ कि 393 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 1832 अनुच्छेद सितम्बर 2019 के अंत में बकाया थे, जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 5375.90 करोड़ था। सात उपक्रमों के 172 अनुच्छेदों के संबंध में प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए थे। 30 सितम्बर 2019 को निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुच्छेदों की विभाग-वार स्थिति **अनुबंध-13** में दर्शाई गयी है। साथ ही, 2018-19 के दौरान उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की 87 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी एवं 437 अनुच्छेदों को सम्मिलित करते हुये 57 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये। बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निपटान के लिए सत्रह उपक्रमों में से ग्यारह उपक्रमों में लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 15 बैठकें हुई थी, जिनमें उत्तरदायित्व एवं जवाबदेयता सुनिश्चित करने के लिए बकाया अनुच्छेदों की स्थिति की चर्चा कार्यकारी/प्रशासनिक विभागों के साथ की गई।

33 रीको से संबंधित दो अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद।

### लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर वसूली

**3.30** 2018-19 में अनुपालना लेखापरीक्षा के दौरान, उपक्रमों के प्रबंधन को ₹ 54.79 करोड़ की वसूली इंगित की गई। साथ ही, वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 3.04 करोड़ की वसूली की गई जो की गत वर्षों में इंगित की गई वसूलियों से संबंधित थी।

### कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

**3.31** 30 सितम्बर 2019 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (उपक्रमों) में सम्मिलित उपक्रमों से संबंधित (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुच्छेदों पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 3.22: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं 30 सितम्बर 2019 तक चर्चा की गई निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा किये गये अनुच्छेद	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2015-16	1	8	-	7
2016-17	-	5	-	-
2017-18	-	2	-	-

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू में की गई चर्चा के आधार पर संकलित।

वर्ष 2014-15 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (उपक्रमों) पर चर्चा पूर्ण की जा चुकी है।

## अध्याय-IV

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र  
(ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के उपक्रमों से  
संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

## अध्याय-IV

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

बसों के प्रापण एवं उपयोग पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सार

यह निष्पादन लेखापरीक्षा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (निगम) द्वारा 2014-15 से 2018-19 के दौरान बसों के प्रापण एवं उपयोग को सम्मिलित करती है।

वित्तीय निष्पादन

- निगम ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान भारी हानि वहन की एवं यह संचालन की लागत भी वसूल नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, निगम की संचित हानियां एवं ऋणात्मक निवल मूल्य 2014-15 में क्रमशः ₹ 2766.90 करोड़ एवं 2127.94 करोड़ से सारभूत रूप से बढ़कर 2018-19 में क्रमशः ₹ 4975.52 करोड़ एवं ₹ 4336.56 करोड़ हो गये।

सार्वजनिक परिवहन में निगम की हिस्सेदारी

- निगम सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती मांग को पूर्ण करने में सक्षम नहीं था क्योंकि बस यातायात एवं प्रति व्यक्ति प्रभावी किलोमीटर में निगम की हिस्सेदारी, निजी बसों के बेड़े में वृद्धि की अधिक दर एवं निगम के बेड़े के कम उपयोग के कारण क्रमशः 10.36 प्रतिशत से घटकर 9.98 प्रतिशत एवं 8.43 से घटकर 6.91 तक रह गई।

आवश्यकता के आंकलन के लिए नीति/क्रियाविधि

- निगम ने बसों की उपलब्धता एवं अर्द्ध-वार्षिक योजना में आवश्यकता के आंकलन को सहसंबंधित करके बसों के प्रापण/किराए पर लेने की सामयिक योजना बनाने के लिए एक तंत्र विकसित नहीं किया था।

आगार- वार आवश्यकता प्राप्त किए बिना बसों को किराए पर लेना

- संबंधित आगारों से विशिष्ट आवश्यकता प्राप्त किए बिना बसों को केंद्रीयकृत स्तर पर किराए पर लिया गया था। निगम ने किराए की बसों के आवंटन से पूर्व आगारों से आवश्यकता की पुष्टि भी नहीं की थी। परिणामस्वरूप, 2016-19 के दौरान, चार से सात आगारों में 21 से 75 बसों के मध्य अतिरिक्त बसें थी एवं पांच से आठ आगारों को 60 से 183 बसों की कमी का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, कोटा आगार (2016-17), राजसमंद एवं डूंगरपुर आगार

(2017-18) एवं जयपुर आगार (2017-18 एवं 2018-19) के पास अतिरिक्त बसें थीं, लेकिन इन्हें अन्य आगारों, जो बसों की कमी का सामना कर रहे थे, में स्थानांतरित नहीं किया गया था।

किराए पर ली गई लक्जरी/सेमी-डीलक्स बसों के परिचालन से हानि

- निगम ने कुछ विशेष मार्गों पर बसों के परिचालन की उचित आवश्यकता एवं व्यावहार्यता का आंकलन किए बिना लक्जरी/सेमी-डीलक्स बसों को किराए पर लिया एवं परिचालित किया। परिणामस्वरूप, निगम को अलाभकारी मार्गों पर बसों के परिचालन के कारण ₹ 2.34 करोड़ की शुद्ध हानि वहन करनी पड़ी। निगम ने लगातार हानि वहन करने के उपरान्त भी इन बसों को चलाने के लिए वैकल्पिक मार्ग खोजने के प्रयास नहीं किए थे।

बसों को किराये पर लेने में कमियां (2016-17)

- निगम ने 800 बसों को किराए पर लेने के लिए निविदाएं आमंत्रित की (दिसंबर 2016), तथापि, निगम ने 500 नई ब्लू-लाईन बसों के प्रापण के लिए राजस्थान सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात आवश्यकता को पुनर्निधारित नहीं किया था। यह प्रक्रिया जारी रखी गई एवं पांच साल की अवधि के लिए बसों को किराए पर लिया गया। इस प्रकार, किराए पर ली जाने वाली बसों की आवश्यकता में कमी नहीं करने के परिणामस्वरूप वास्तविक उपयोग की तुलना में अतिरिक्त बसों की उपलब्धता बढ़ गई।

बेड़ा एवं इसका आयु विवरण

- निगम वाहनों को अनुपयोगी घोषित करने के निर्धारित मानदंडों को प्राप्त नहीं कर सका था। आयु पार बसों की प्रतिशतता 2014-15 में 7.33 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 18.46 प्रतिशत हो गई।

बेड़ा उपयोगिता

- निगम के बेड़े का औसत उपयोग मुख्यतः यंत्रदोष, यांत्रिक समस्याओं एवं बसों का आवंटन नहीं किए जाने इत्यादि के पेटे अनुसूचित किलोमीटर में कटौती के कारण 2014-15 में 92 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 68 प्रतिशत रह गया।

वाहन उत्पादकता

- निगम की समग्र वाहन उत्पादकता (किराए की बसों सहित) 2014-15 से 2018-19 के दौरान 397 किलोमीटर प्रति दिन से घटकर 392 किलोमीटर प्रति दिन हो गई थी। निगम की बसों की वाहन उत्पादकता 390 किमी से घटकर 363 किमी प्रति दिन हो गई, तथापि, निगम ने इस स्थिति में सुधार के लिए सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की थी।



### अनुसूचित किलोमीटर का निरस्तीकरण

- वर्ष 2014-19 के दौरान, अनुसूचित किलोमीटर के निरस्त होने की प्रतिशतता मुख्य रूप से बसों की पर्याप्त संख्या में तैनाती नहीं किए जाने, चालक दल की कमी एवं अन्य कारण जैसे कि यंत्रदोष, दुर्घटना, निम्न आय इत्यादि के कारण लगातार बढ़कर 7.25 से 14.20 हो गई थी। 2014-19 के दौरान निगम केवल बसों एवं चालक दल की आवश्यकता के कारण अनुसूचित किलोमीटर निरस्त करने के परिणामस्वरूप ₹ 72.95 करोड़ के राजस्व से वंचित हो गया था।

### यात्री भार

- निगम का प्रदर्शन कमजोर रहा क्योंकि यह वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान लक्षित यात्री भार प्राप्त नहीं कर सका। सम-विच्छेद यात्री भार का प्रतिशत बहुत अधिक था एवं 83.01 प्रतिशत से 102.55 प्रतिशत के मध्य रहा। साथ ही, इसमें 2016-17 के पश्चात निरन्तर वृद्धि हुई थी।

### ईंधन दक्षता

- निगम 2014-19 के दौरान औसत डीजल लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। 2014-19 के दौरान, चयनित 15 आगारों में से, वर्ष 2015-16 में राजसमंद आगार एवं वर्ष 2017-18 में करौली आगार को छोड़कर, कोई भी आगार केएमपीएल के आगार-वार लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। केएमपीएल के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने का कारण, मुख्य रूप से आयुपार वाहनों का परिचालन था, जो कि 322 से बढ़कर मार्च 2019 तक 749 अर्थात् निगम की कुल बसों का 18.46 प्रतिशत तक हो गई थी।

### केंद्रीय कार्यशाला जयपुर (सीडब्ल्यूएस) का प्रदर्शन

- सीडब्ल्यूएस, जयपुर के कार्य निष्पादन की स्थिति कमजोर थी, क्योंकि वर्ष 2014-15 में 81 प्रतिशत बसों की सामयिक मरम्मत के समक्ष वर्ष 2018-19 में मात्र 65 प्रतिशत बसों की मरम्मत समय पर की गई थी। साथ ही, 2017-18 एवं 2018-19 में स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई क्योंकि सीडब्ल्यूएस ने 145 बसों की मरम्मत के लिए 61 दिन से 365 दिन तक का समय लिया।

### निष्पादन संकेतकों की निगरानी

- प्रणाली में कमी थी क्योंकि विभिन्न मापदंडों पर संकलित सूचना की प्रभावशीलता एवं उपयोगिता की समीक्षा नहीं किए जाने के साथ-साथ एमआईएस परिवर्तनशील लागत से नीचे संचालित अनुसूचियों की सूचना प्रदान नहीं करता था। विभिन्न निष्पादन संकेतकों की आगार-वार सूचना से बीओडी को अवगत नहीं करवाया गया था।

### सिफारिशें

- निष्पादन लेखापरीक्षा में पांच सिफारिशें सम्मिलित हैं यथा निगम द्वारा (i) सार्वजनिक परिवहन में इसकी हिस्सेदारी में वृद्धि करने; (ii) नियोजित अनुसूची एवं बसों की

उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बसों के प्रापण/किराये पर लिए जाने की आवश्यकता के आंकलन हेतु एक प्रणाली विकसित करे; (iii) आरटीपीपी अधिनियम एवं नियमों की अनुपालना के साथ-साथ ठेकेदारों/ आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पादित संविदा अनुबंधों के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करे; (iv) बेड़े के इष्टतम उपयोग, वाहन उत्पादकता में सुधार, यात्री भार में सुधार, स्थायी लागत एवं ईंधन लागत में कमी करने हेतु ठोस कदम उठाये; एवं (v) आंतरिक लेखापरीक्षा एवं निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करे।

- साथ ही, यदि निगम इसकी परिचालन एवं वित्तीय निष्पादन में लक्षित समय सीमा के भीतर सुधार नहीं करता है, तो सरकार निगम के परिचालनों की निरन्तरता बनाए रखने के संबंध में अंतिम निर्णय कर सकती है।

## परिचय

**4.1** राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी/निगम) को राज्य में कुशल, पर्याप्त, मितव्ययी एवं उचित रूप से समन्वित सार्वजनिक सड़क परिवहन प्रदान करने के अधिदेश के साथ सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अंतर्गत स्थापित किया गया था (1 अक्टूबर 1964)। निगम के अतिरिक्त, निजी बस संचालकों (पीबीओ) को भी राज्य में सार्वजनिक सड़क परिवहन प्रदान करने की अनुमति है। निगम/पीबीओ को राज्य में बसों के संचालन के लिए परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार (जीओआर) से परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता है। परिवहन विभाग, जीओआर ने स्टेज कैरिज के संचालन के लिए सभी राष्ट्रीयकृत मार्गों को निगम के लिए आरक्षित कर दिया था, जबकि अन्य प्रकार के मार्ग<sup>1</sup> निगम के साथ-साथ पीबीओ द्वारा भी बसों के संचालन के लिए उपलब्ध थे। राजस्थान सरकार ने सितंबर 2015 में 476 मार्गों का अराष्ट्रीयकरण किया एवं पीबीओ द्वारा भी बसों के संचालन के लिए इन मार्गों को खोला गया।

निगम के पास 31 मार्च 2019 को 5030 बसों (973 किराए की बसों सहित) का बेड़ा था। निगम द्वारा 2018-19 के दौरान प्रतिदिन औसतन 8.51 लाख यात्रियों को ले जाया गया एवं 14.90 लाख किलोमीटर का संचालन किया गया था। निगम में 31 मार्च 2019 को 15,279 कर्मचारी थे। वर्ष 2017-18 के लेखापरीक्षित नवीनतम लेखों के अनुसार, निगम का ऋणात्मक निवल मूल्य ₹ 4177.02 करोड़ था क्योंकि इसमें ₹ 4815.98 करोड़ की संचित हानियों के समक्ष केवल ₹ 638.96 करोड़<sup>2</sup> की अंश पूंजी थी। वर्ष 2018-19 के अलेखापरीक्षित आंकड़ों के अनुसार, निगम की संचित हानियां एवं ऋणात्मक निवल मूल्य क्रमशः ₹ 4975.52 करोड़ एवं ₹ 4336.56 करोड़ तक बढ़ गईं।

### **संगठनात्मक संरचना**

**4.2** निगम, परिवहन विभाग, जीओआर के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। निगम का प्रबंधन निदेशक मंडल (बीओडी) में निहित है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं निदेशक सम्मिलित हैं। 31 मार्च 2019 को, निगम के निदेशक मंडल में सात निदेशक थे। प्रबंध निदेशक, जो निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, कार्यकारी निदेशकों (प्रशासन, यातायात, इंजीनियरिंग एवं विधि), वित्तीय सलाहकार, महाप्रबंधकों, मुख्य उत्पादन प्रबंधकों एवं मुख्य प्रबंधकों (आगार प्रभारी) की सहायता से दिन-प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करते हैं।

31 मार्च 2019 को निगम का एक प्रधान कार्यालय एवं 60 क्षेत्रीय कार्यालय थे। क्षेत्रीय कार्यालयों की श्रेणीवार स्थिति निम्नानुसार है:

- 
- 1 अंतर्राज्यीय, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का अध्याय V, शहरी एवं ग्रामीण मार्ग।
  - 2 इसमें राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई अंशपूंजी (₹ 80 करोड़ की अंशपूंजी आवेदन राशि को सम्मिलित करते हुये ₹ 612.13 करोड़) एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई अंशपूंजी (₹ 2.05 करोड़ के पूंजी योगदान को सम्मिलित करते हुए ₹ 26.83 करोड़) शामिल थी।

क्षेत्रीय कार्यालय की श्रेणी	क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या	गतिविधि की प्रकृति
आगार	52	आगार निगम की परिचालन इकाइयां हैं। निगम ने अपने सम्पूर्ण बेड़े को आगार के मध्य आवंटित किया हुआ है, जो कि बसों का संचालन करते हैं एवं उनके संचालन से राजस्व अर्जन करते हैं। इन आगारों में एक डीलक्स आगार, जयपुर सम्मिलित है, जो अपनी प्रकृति में विशेष है, क्योंकि यह आगार केवल लक्जरी बसें संधारित एवं संचालित करता है।
केंद्रीय बस स्टैंड (सीबीएस) एवं राज्य से बाहर की इकाइयां	4	निगम के पास जयपुर एवं अजमेर में दो सीबीएस हैं तथा अन्य दो इकाइयां राजस्थान से बाहर यथा दिल्ली एवं अहमदाबाद में स्थित हैं। यह सभी इकाइयां परिचालन नहीं करती हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी इकाई के पास बेड़ा नहीं है एवं यह अन्य आगार द्वारा संचालित बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को बुकिंग की सुविधा प्रदान करती हैं।
केंद्रीय कार्यशालाएं	3	केंद्रीय कार्यशाला बस बॉडी की मरम्मत, इंजनों की मरम्मत, ईंधन इंजेक्शन पंप एवं बसों की अन्य वृहद मरम्मत व रखरखाव का कार्य करती है। निगम ने जयपुर (बगराना), जोधपुर एवं अजमेर में तीन कार्यशालाएँ स्थापित की हैं।
केंद्रीय भण्डार	1	निगम के पास अपनी बसों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए आवश्यक प्रमुख कलपुर्जों के प्रापण एवं भंडारण के लिए एक केंद्रीय भण्डार है।
<b>कुल</b>	<b>60</b>	

तीन परिचालित आगारों (करौली, शाहपुरा एवं जैसलमेर), जिनके लेखों को अन्य तीन<sup>3</sup> परिचालन आगारों के साथ विलय कर दिया गया है, को छोड़कर निगम का प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय पृथक लेखे तैयार करते हैं। इसके अतिरिक्त, निगम के पास जयपुर एवं अजमेर में दो टायर रिट्रेडिंग संयंत्र तथा अजमेर में एक चालक प्रशिक्षण केंद्र है जो कि उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएंडएफएस) की सहायता से स्थापित किया गया था।

### लेखापरीक्षा का क्षेत्र

**4.3** निष्पादन लेखापरीक्षा में 2014-15 से 2018-19 के दौरान निगम द्वारा बसों के प्रापण एवं उपयोग को सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में निगम के प्रधान

3 करौली, शाहपुरा एवं जैसलमेर आगार के लेखों को क्रमशः हिंडौन, कोटपूतली एवं बाड़मेर आगार के लेखों के साथ तैयार किया जाता है।

कार्यालय एवं 15 चयनित आगारों<sup>4</sup> एवं एक केंद्रीय कार्यशाला (जयपुर) में संधारित चेसिस के प्रापण/बस के ढांचे के फैब्रिकेशन, बसों को किराए पर लेने हेतु निष्पादित सभी निविदाओं/ठेकों एवं बसों के उपयोग से संबंधित अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा सम्मिलित है। 13 आगारों का चयन यादृच्छिक नमूना विधि को अपनाकर किया गया था; एक आगार (डीलक्स आगार) को इसकी विशेष प्रकृति के कारण चुना गया था एवं एक आगार (हिंडौन आगार) को प्रविष्टि सभा के दौरान प्रबंधन की सिफारिश पर चयन किया गया था।

#### लेखापरीक्षा के उद्देश्य

**4.4** निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गई कि क्या:

- निगम राज्य में सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती मांग के साथ तालमेल रखने में सक्षम था;
- बसों की आवश्यकता का आंकलन उचित रूप से किया गया था एवं बसों के प्रापण एवं किराए पर लेने की योजना पर्याप्त थी;
- बसों को प्रापण/किराए पर लेते समय निर्धारित नियमों/विनियमों का पालन किया गया था;
- बसों का उपयोग मितव्ययी एवं कुशल रूप से किया गया था; एवं
- शीर्ष प्रबंधन द्वारा निगरानी के लिए एक सुदृढ़ तंत्र विद्यमान है।

#### लेखापरीक्षा मापदण्ड

**4.5** लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त लेखापरीक्षा मापदण्ड को अपनाया गया:

- राज्य सरकार द्वारा जारी दृष्टिकोण प्रपत्र/दिशानिर्देश एवं निर्देश तथा निगम की नीति;
- निगम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) अधिनियम, 2012/नियम 2013 द्वारा निर्धारित प्रापण प्रक्रिया; एवं
- राज्य सरकार एवं राज्य पथ परिवहन उपक्रम संगठन (एएसआरटीयू) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मानक प्रचलन/दिशानिर्देश।

#### लेखापरीक्षा कार्यविधि

**4.6** लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लेखापरीक्षा मापदंडों के संदर्भ में अपनाई गई कार्यविधि में निम्नलिखित को समाहित किया गया है:

4 अनूपगढ़, करौली, लोहागढ़, हनुमानगढ़, राजसमंद, अजयमेरु, सिरोही, टोंक, जयपुर, डूंगरपुर, सीकर, कोटा, बांसवाड़ा, डीलक्स एवं हिंडौन आगार।

- प्रविष्टि सभा (12 मार्च 2019) के दौरान सरकार/निगम के समक्ष लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा मापदण्डों की व्याख्या करना;
- निगम के प्रधान कार्यालय, 15 चयनित आगारों एवं एक चयनित कार्यशाला के अभिलेखों की संवीक्षा;
- लेखापरीक्षा प्रश्न जारी करना, उनके प्रत्युत्तर लेना एवं प्रबंधन के साथ चर्चा करना;
- सरकार/निगम को प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर तथ्यात्मक विवरण पत्र जारी (30 अगस्त 2019) करना;
- निगम के साथ 26 नवम्बर 2019 को आयोजित समापन सभा के दौरान लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा करना;
- सरकार/निगम को लेखापरीक्षा परिणामों पर सरकार के विचार/उत्तर (दिसम्बर 2019) को सम्मिलित करते हुये प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना।
- प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार के विचार/उत्तर (जून 2020) को सम्मिलित करने के पश्चात् प्रतिवेदन को अंतिम रूप देना

## आभार

4.7 लेखापरीक्षा के दौरान निगम एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों एवं राजस्थान सरकार द्वारा किए गए सहयोग हेतु लेखापरीक्षा आभार प्रकट करता है।

## वित्तीय निष्पादन

4.8 31 मार्च 2019 को समाप्त हुई पाँच वर्षों की अवधि के दौरान निगम के वर्षवार वित्तीय परिणाम निम्नानुसार हैं:

तालिका 4.1: 2014-15 से 2018-19 के दौरान निगम का वित्तीय निष्पादन

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
1.	राजस्व					
अ.	परिचालन आय	1702.66	1661.89	1674.49	1845.30	1722.75
ब.	गैर-परिचालन आय	131.13	45.67	98.76	348.06	437.27
	<b>कुल (अ+ब)</b>	<b>1833.79</b>	<b>1707.56</b>	<b>1773.25</b>	<b>2193.36</b>	<b>2160.02</b>
2.	व्यय					
अ.	परिचालन व्यय	2390.54	2199.54	3890.01	2307.87	2239.03
ब.	गैर-परिचालन व्यय	1.89	0.44	0.81	0.55	0.49
	<b>कुल (अ+ब)</b>	<b>2392.43</b>	<b>2199.98</b>	<b>3890.82</b>	<b>2308.42</b>	<b>2239.52</b>
3.	परिचालन हानि (1अ-2अ)	687.88	537.65	2215.52	462.57	516.28
4.	विनियोजन से पूर्व शुद्ध हानि (1-2)	558.64	492.42	2117.57	115.06	79.50

5.	विनियोजन के अनुसार समायोजन	69.84	210.20	-947.81	61.65	80.04
6.	विनियोजन के पश्चात शुद्ध हानि (3+4)	628.48	702.62	1169.76	176.71	159.54
7.	संचित हानि	2766.90	3469.51	4639.27	4815.98	4975.52
8.	निवल मूल्य (ऋणात्मक)	2127.94	2830.55	4000.31	4177.02	4336.56

\* अलेखापरीक्षित आंकड़े

निगम ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान कम यात्री भार, कार्मिक लागत एवं ईंधन की लागत में भारी वृद्धि तथा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 2016-17 में कर्मचारियों के गत वर्षों के सेवानिवृत्ति लाभों की मान्यता के कारण भारी हानि वहन की। यहां तक कि निगम परिचालन की अपनी लागत भी नहीं वसूल सका। परिणामस्वरूप, निगम की संचित हानियां एवं ऋणात्मक निवल मूल्य 2014-15 के ₹ 2766.90 करोड़ एवं ₹ 2127.94 करोड़ से सारभूत रूप से बढ़कर 2018-19 में क्रमशः ₹ 4975.52 करोड़ एवं ₹ 4336.56 करोड़ हो गये।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

**4.9** लेखापरीक्षा निष्कर्ष, जो मुख्य रूप से निगम के परिचालन निष्पादन, आवश्यकता का आंकलन, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) अधिनियम 2012/नियम 2013 का अनुपालन, स्वयं की बसों के लिए निरीक्षण, बीमा एवं आगार का आवंटन, बसों को किराए पर लेने, बसों का उपयोग एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र से संबंधित मुद्दों को सम्मिलित करते हैं, पर चर्चा आगामी अनुच्छेदों क्रमांक **4.10** से **4.36** में की गई है।

यह लेखापरीक्षा निष्कर्ष केवल नमूना प्रकरणों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित है एवं निगम में इस प्रकार के अन्य प्रकरण होने की संभावना है। इसलिए, सरकार/निगम से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे अन्य सभी प्रकरणों की समीक्षा करे जिसमें समान कमियों/ अनियमितताओं की संभावना हो तथा समान कमियां/अनियमितताएँ पाये जाने पर ऐसे प्रकरणों में सुधारात्मक कार्यवाही करे।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सरकार के उत्तर (दिसंबर 2019 व जून 2020) को सम्मिलित कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, 'समापन सभा' में चर्चा के दौरान, निगम के प्रबंधन ने गत कुछ माह में उठाए गए कदमों यथा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना, एसएपी के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही, सर्दियों एवं गर्मियों की समय-सारणी को तर्कसंगत बनाना, पुराने बेड़े को बदलने के लिए नई बसों का प्रापण तथा निगम के राजस्व एवं हिस्सेदारी में वृद्धि के लिए कर्मचारी लागत में कमी के संबंध में सूचित किया। प्रभावी परमितों की विसंगति/असमाशोधन के संबंध में, यह कहा गया कि यह समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि निगम के पास इस तरह के समकों के संधारण के लिए एक उचित आईटी समर्थ प्रणाली नहीं थी। इसने आगे कहा कि निगम एसएपी के कार्यान्वयन के पश्चात इस प्रकार की सभी समस्याओं से उबर जायेगा।

**परिचालन निष्पादन**

**4.10** 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित/नियोजित, संचालित एवं निरस्त किलोमीटर, बसों की आवश्यकता एवं उपलब्धता आदि के संबंध में निगम का परिचालन निष्पादन नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

**तालिका 4.2: 2014-15 से 2018-19 के दौरान निगम का परिचालन निष्पादन**

क्र. स.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
1.	नियोजित औसत अनुसूची (संख्या में)	4472	4327	4239	4542	4289	-
2.	नियोजित किलोमीटर (लाख में)	6562.54	6384.63	6234.75	6619.16	6215.13	<b>32016.21</b>
3.	नियोजित मार्ग (संख्या में)	2741	2671	2623	2845	2489	
4.	संचालित औसत अनुसूची (संख्या में)	4215	4003	3947	4184	3765	
5.	संचालित किलोमीटर (लाख में)	6086.72	5778.40	5687.77	6042.11	5332.39	<b>28927.39</b>
6.	औसत संचालित मार्ग (संख्या में)	2503	2368	2267	2419	2268	-
7.	औसत नियोजित अनुसूची के अनुसार बसों की आवश्यकता	4665	4516	4426	4722	4460	-
8.	बसों की औसत उपलब्धता						
	(i) स्वयं का बेड़ा	4493	4343	4284	4528	4270	
	(ii) किराये की बसें	211	186	351	916	1025	
	(iii) कुल	<b>4704</b>	<b>4529</b>	<b>4635</b>	<b>5444</b>	<b>5295</b>	
9.	औसत अनुसूची में कटौती	257	324	292	358	524	
10.	किलोमीटर में कटौती (लाख में)	475.82	606.23	546.98	577.05	882.74	<b>3088.82</b>
11.	मार्ग में कटौती	238	304	356	427	221	
12.	संचालित मार्गों की प्रतिशतता	91.32	88.62	86.43	85.00	91.12	
13.	आवश्यकता से अधिक बसों की उपलब्धता {8 (iii)-7}	39	13	209	722	835	
14.	प्रति किलोमीटर लागत (₹ में)	38.20	34.50	36.83	36.89	41.33	
15.	आय प्रति किलोमीटर (₹ में)	29.28	28.93	30.52	35.46	41.00	
16.	आय की हानि (₹ करोड़ में) (10*15)	139.32	175.38	166.93	204.62	361.92	<b>1048.17</b>

स्रोत: निगम के वार्षिक प्रतिवेदन एवं निगम द्वारा प्रदान की गयी सूचना/आंकड़े।



वर्ष 2014-15 के बजट भाषण में, यह कहा गया था (जुलाई 2014) कि सर्वोत्तम प्रयासों के उपरान्त भी, निगम राष्ट्रीयकृत सड़कों से जुड़े गाँवों/शहरों को सुविधाजनक एवं पर्याप्त परिवहन सुविधा प्रदान नहीं कर सका जो जनता को परिवहन के असुरक्षित साधनों का उपयोग करने के लिए बाध्य करता है। आगे यह कहा गया था कि सरकार का मुख्य उद्देश्य वैधानिक एवं सुविधाजनक परिवहन सुविधा प्रदान करना है एवं इसके लिए राज्य के राष्ट्रीयकृत मार्गों का अराष्ट्रीयकरण किये जाने का निर्णय किया गया। तदनुसार, मोटर वाहन अधिनियम 1939/1988 के अंतर्गत जारी योजनाओं को संशोधित (मई 2015) करने के पश्चात, राज्य सरकार ने अधिसूचित मार्गों पर सीमित संख्या में वाहनों एवं परिचक्रों के साथ निजी संचालकों के लिए 476 मार्गों को अधिसूचित किया (सितंबर 2015)।

निगम के परिचालन निष्पादन का मूल्यांकन नीचे वर्णित विभिन्न परिचालन मापदंडों पर किया गया था। यह भी देखा गया था कि क्या निगम सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती मांग के साथ तालमेल बनाए रखने में सक्षम था एवं परिचालन की लागत वसूल कर सका था। इस संबंध में लेखापरीक्षा परिणामों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि निगम के परिचालन निष्पादन के विभिन्न मापदण्डों में गिरावट हुई थी।

#### सार्वजनिक परिवहन में निगम की हिस्सेदारी

**4.11** राज्य में एक मितव्ययी एवं कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत/व्यापक यात्री परिवहन नीति आवश्यक है, जिसके उचित मूल्य पर यात्रियों को बेहतर/पर्याप्त सेवाएं प्रदान की जा सकें, अवैध यात्री परिवहन वाहनों के संचालन को समाप्त किया जा सके एवं व्यक्तिगत/निजी वाहनों में भारी वृद्धि के कारण भीड़भाड़/प्रदूषण को कम किया जा सके। लेखापरीक्षा पाया गया कि पंजाब सरकार ने पंजाब राज्य एवं अन्य राज्यों में सभी मार्गों एवं/अथवा सड़कों पर राज्य के रोडवेज के आवागमन का प्रतिशत आरक्षित करके एक कुशल, पर्याप्त, मितव्ययी एवं उचित रूप से समन्वित परिवहन सेवा प्रदान करने की दृष्टि से अपनी सड़क परिवहन नीति को अधिसूचित किया (22 फरवरी 2018) जिससे कि राज्य रोडवेज के मध्य अस्वस्थ प्रतियोगिता, जिसके परिणामस्वरूप तेज गति, अनाधिकृत ठहराव एवं अचानक गति-अवरोधन से बस में यात्रियों को असुविधा होती है एवं सड़क सुरक्षा को खतरा होता है, पर अंकुश लगाया जा सके।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य सरकार की कोई अभिलेखित परिवहन नीति नहीं है। राज्य में लोक परिवहन सार्वजनिक सड़क परिवहन निगम एवं निजी बस संचालकों द्वारा प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार का परिवहन विभाग सार्वजनिक परिवहन के लिए निगम/निजी बस संचालकों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों अर्थात् स्टैज केरिज एवं अनुबंध सेवा में परमिट जारी करता है। नीचे दी गई तालिका में राज्य में सार्वजनिक परिवहन की वृद्धि को दर्शाया गया है:

तालिका 4.3: राज्य में सार्वजनिक परिवहन की वृद्धि

क्र. स.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	स्टैज केरिज के अंतर्गत निगम को जारी प्रभावी परमिट	6696	6696	6696	6696	6696

2.	निगम की कुल बसें, किराये की बसों <sup>5</sup> सहित	4704	4529	4635	5444	5295
3.	निजी स्टैज केरिज़	40699	43163	44563	46060	47757
4.	सार्वजनिक परिवहन के लिये कुल बसें	45403	47692	49198	51504	53052
5.	<b>निगम की प्रतिशतता हिस्सेदारी की</b>	<b>10.36</b>	<b>9.50</b>	<b>9.42</b>	<b>10.57</b>	<b>9.98</b>
6.	निजी बस संचालकों की हिस्सेदारी की प्रतिशतता	89.64	90.50	90.58	89.43	90.02
7.	अनुमानित जनसंख्या (लाख में)	722.45	734.71	746.92	759.09	771.21
8.	प्रति एक लाख जनसंख्या पर वाहन का घनत्व (4/7)	62.85	64.91	65.87	67.85	68.79
9.	प्रति एक लाख जनसंख्या पर निगम बसों का वाहन घनत्व (2/7)	6.51	6.16	6.21	7.17	6.87
10.	औसत यात्री प्रति दिन <sup>6</sup> (लाख में)	9.81	9.26	8.72	9.37	8.51
11.	<b>जनसंख्या पर औसत यात्री प्रति दिन का प्रतिशत (10/7)</b>	<b>1.36</b>	<b>1.26</b>	<b>1.17</b>	<b>1.23</b>	<b>1.10</b>
12.	संचालित प्रभावी किमी (लाख में)	6086.72	5778.40	5687.77	6042.11	5332.39
13.	<b>प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति किमी (12/7)</b>	<b>8.43</b>	<b>7.86</b>	<b>7.61</b>	<b>7.96</b>	<b>6.91</b>

स्रोत: निगम एवं परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार के वार्षिक प्रतिवेदन

निगम सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती मांग को पूर्ण करने में सक्षम नहीं था क्योंकि 2014-19 के दौरान कुल जनसंख्या पर प्रतिदिन यात्रियों की औसत संख्या में निगम की हिस्सेदारी की प्रतिशतता 1.36 प्रतिशत से घटकर 1.10 प्रतिशत हो गई। सार्वजनिक परिवहन में भी निगम की हिस्सेदारी 2005-06 में 19.59 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 9.98 प्रतिशत रह गई थी। समीक्षा अवधि के दौरान बसों की संख्या 4704 से 5295 तक (12.6 प्रतिशत) वृद्धि हो जाने के उपरान्त भी, बस यातायात एवं प्रति व्यक्ति प्रभावी संचालित किलोमीटर में निगम की हिस्सेदारी निजी बसों के बेड़े में वृद्धि की अधिक दर एवं निगम के बेड़े के कम उपयोग के कारण क्रमशः 10.36 प्रतिशत से घटकर 9.98 प्रतिशत एवं 8.43 से घटकर 6.91 रह गई थी। इस प्रकार, निगम राज्य में बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त परिवहन सेवा प्रदान करने में विफल रहा।

सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया एवं कहा कि पंजाब जैसी परिवहन नीति जारी नहीं की गई थी जिसके कारण सड़क सुरक्षा की समस्या यथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, तीव्र गति, अनाधिकृत ठहराव इत्यादि विद्यमान थी। इसने यातायात नीति जारी किये जाने की आवश्यकता से भी सहमति व्यक्त की। सरकार ने आगे कहा कि निगम की सार्वजनिक परिवहन में हिस्सेदारी एवं

5 यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में धारित वाहनों की संख्या को दर्शाता है।

6 वर्ष के दौरान यात्रा करने वाले कुल यात्री/ 365 दिन।

प्रति व्यक्ति प्रभावी किलोमीटर में गिरावट मुख्यतः नई बसों को क्रय नहीं किए जाने, आयुपात्र बेड़े में वृद्धि एवं लोक परिवहन सेवा के अन्तर्गत बसों के संचालन के कारण थी।

### मार्ग एवं परमिट

**4.12** निगम की यातायात नियमावली वर्तमान बस सेवाओं के विस्तार, नए मार्गों, यात्री भार का आंकलन तथा जनता की मांग पर बस सेवाओं के विस्तार के लिए विस्तृत मार्ग सर्वेक्षण की आवश्यकता को निर्दिष्ट करती है।

निगम द्वारा बसों के संचालन के लिए आवंटित मार्गों की संख्या एवं लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान नए मार्गों पर बसों के संचालन के लिये प्राप्त अनुमति के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम ने 2014-19 के दौरान परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार से 295 नए स्थायी परमिट प्राप्त किए, तथापि इन परमितों को प्राप्त करने से पूर्व अपेक्षित मार्ग सर्वेक्षण करने के विवरण अभिलेखों में नहीं पाये गये थे। मार्ग सर्वेक्षण से संबंधित विवरणों के अभाव में, यह आंकलन नहीं किया जा सका कि नये परमिट उचित मार्ग सर्वेक्षण करने एवं मार्ग पर बसों को चलाने की व्यावहार्यता के संबंध में आंकलन करने के पश्चात प्राप्त किए गए थे।

**4.13** मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 66 में यात्री वाहन के संचालन का प्रावधान है। तदनुसार, निगम ने स्थायी एवं अस्थायी आधार पर पांच श्रेणियों<sup>7</sup> के अंतर्गत परमिट प्राप्त किये हैं। स्थायी परमिट को पांच साल के पश्चात नवीनीकृत किया जाता है एवं अस्थायी परमितों का नवीनीकरण परमिट अवधि समाप्त होने के पश्चात किया जाता है। राजस्थान सरकार ने परमिट पर बस संख्या का उल्लेख किये बिना ही बेड़े परमिट श्रेणी के अंतर्गत निगम को परमिट जारी किए। परिवहन विभाग, जीओआर के प्रशासनिक प्रतिवेदन में दर्शाये गये 6696 परमितों के समक्ष निगम द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार मार्च 2019 के अंत में कुल परमिट 8074 (7997 स्थायी एवं 77 अस्थायी) थे। परमिट की संख्या में अंतर लंबे समय से जारी है; तथापि, कभी भी इसका मिलान नहीं किया गया था।

चयनित आगारों में नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि हिंडौन/करौली आगार में 143 परमितों में से 21 परमिट पांच वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय थे। इसी प्रकार, कोटा आगार में, 224 परमितों में से 12 परमिट पांच वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय थे। इसके अतिरिक्त, निगम 2014-19 की अवधि के दौरान नियोजित किये गये मार्गों/समयसूचीयों को संचालित करने में सक्षम नहीं था, जैसा कि तालिका-4.2 से स्पष्ट है।

सरकार ने उत्तर में कहा कि निगम की नीति के अनुसार जनता की मांग पर नए मार्गों पर संचालन एवं पुराने मार्गों में वृद्धि हेतु वाहनो का संचालन मार्ग सर्वेक्षण एवं अपेक्षित भार तत्व के आंकलन के पश्चात किया जाता है। इसने आगे कहा कि निगम ने राज्य सरकार द्वारा खोले गये मार्गों पर मार्ग सर्वेक्षण को आवश्यक नहीं माना था। निगम परिवहन विभाग को नये मार्गों पर परमिट प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव मार्ग सर्वेक्षण के पश्चात भेजता है। निगम ने विभिन्न मार्गों पर वाहनो का संचालन संसाधनो/कार्मिक दल के अभाव, निम्न यात्री भार एवं आय इत्यादि के कारण से नहीं किया था।

7 राष्ट्रीयकृत मार्ग, अंतर्राज्यीय मार्ग, अध्याय 5 के मार्ग (अराष्ट्रीयकृत मार्ग), शहरी परमिट एवं ग्रामीण परमिट।

उत्तर यर्थाथपूर्ण नहीं था क्योंकि निगम के अभिलेखों में परमिट प्राप्त किए जाने से पूर्व किये गये मार्ग सर्वेक्षणों के विवरण उपलब्ध नहीं थे। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा खोले गये मार्गों पर मार्ग सर्वेक्षण नहीं किये जाने एवं ऐसे मार्गों पर व्यावहार्यता का आंकलन किये बिना वाहनों का संचालन भी न्यायोचित नहीं था।

## बसों की आवश्यकता का आंकलन

### आवश्यकता के आंकलन के लिए नीति/क्रियाविधि

**4.14.1** निगम की यातायात नियमावली का वाक्यांश 7 विभिन्न अनुसूचियों<sup>8</sup> के संचालन के लिए समय सारिणी के रूप में अर्द्ध-वार्षिक परिचालन योजना (अप्रैल एवं सितंबर) को तैयार करने के संबंध में निर्दिष्ट करता है। तदनुसार, निगम को प्रस्तावित अनुसूची की आगार-वार सूचना एकत्र करनी थी एवं संबंधित छमाही के लिए प्रस्तावित अनुसूची के आधार पर समय सारिणी को अंतिम रूप दिया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निगम ने अर्द्ध-वार्षिक परिचालन योजना तैयार की, जिसमें उक्त अवधि के लिये अनुसूचियों, परिचक्रों एवं किलोमीटर का नियोजन तथा नियोजित अनुसूचियों पर चार से पांच प्रतिशत गुंजाइश रखकर नियोजित अनुसूचियों के संचालन हेतु बसों की संख्या की आवश्यकता सम्मिलित थी। तथापि, निगम ने बसों की उपलब्धता एवं अर्द्ध-वार्षिक योजना में आवश्यकता के आंकलन को सहसंबंधित करके बसों के प्रापण/किराये पर लेने की सामयिक योजना तैयार करने के लिए एक तंत्र विकसित नहीं किया था।

सरकार ने उत्तर में कहा कि निगम एक मार्ग पर बसों की आवश्यकता का आंकलन अपेक्षित यात्री भार को विचार करते हुये करता है। साथ ही, निगम वाहन के प्रकार (स्वयं का/किराये पर) का निर्णय अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार करता है। तथापि, उत्तर निगम द्वारा बसों के प्रापण/किराये पर लेने हेतु नीति तंत्र बनाये जाने के मुद्दे पर मौन था।

### आगार-वार आवश्यकता प्राप्त किए बिना बसों को किराये पर लेना

**4.14.2** यातायात नियमावली के वाक्यांश 10 (निजी अनुबंधित वाहन शाखा) के अनुसार, निगम समय-समय पर निजी बस संचालकों (पीबीओ) से अनुबंध पर बसों को किराये पर लेता है। आगार के मुख्य प्रबंधकों को अनुबंध पर बसों को किराये पर लेने के लिए अधिकृत किया गया था, जो कि उस अवधि के दौरान संचालित कुल अनुसूचित सेवाओं के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं किया जाना था। बाद में, निगम ने इस सीमा को कुल अनुसूचित सेवाओं के 30 प्रतिशत तक बढ़ा दिया (5 दिसंबर 2016)। इसके अतिरिक्त, निगम ने 2015-16 से प्रधान कार्यालय के स्तर पर बसों को किराए पर लेना प्रारंभ किया एवं 2015-16 एवं 2016-17 में क्रमशः 400 एवं 800 बसों को पांच साल की अवधि के लिए किराए पर लेने के लिए निविदाएं आमंत्रित की।

8 अनुसूची एक नियोजित परिचक्र को संदर्भित करता है जहां एक वाहन का दो स्थानों, अर्थात् योजना की अवधि के दौरान प्रतिदिन परिचक्र के आरम्भ एवं समाप्ति के बिंदु, के मध्य संचालन निर्धारित किया गया होता है।

2014-19 के दौरान निगम द्वारा किराए पर ली गई बसों की आवश्यकता एवं उपलब्धता को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 4.4 : किराए पर ली गई बसों की आवश्यकता एवं उपलब्धता

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	वर्ष के लिये नियोजित अनुसूचियों की संख्या	नियोजित अनुसूचियों के संचालन हेतु बसों की आवश्यकता	वर्ष के प्रारंभ में बसों का स्वामित्व	किराये पर ली जाने वाली बसें	वर्ष के अंत में बसों की उपलब्धता			किराये के बेड़े का कुल बेड़े से प्रतिशत	किराये की बसों का आधि व्यय
					स्वयं का बेड़ा	किराये का बेड़ा	कुल बेड़ा		
1	2	3=2*105/100	4	5=3-4	6	7	8=6+7	9=7/8*100	10=7-5
2014-15	4366	4585	4392	193	4395	211	4606	4.58	18
2015-16	4381	4601	4395	206	4303	186	4489	4.14	-20
2016-17	4260	4473	4303	170	4482	351	4833	7.26	181
2017-18	4633	4865	4482	383	4465	916	5381	17.02	533
2018-19	4349	4567	4465	102	4057	1025	5082	20.17	923

यह देखा जा सकता है कि:

- वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, निगम का स्वयं का बेड़ा 4392 बसों से घटकर 4057 बसों का रह गया, जबकि किराये का बेड़ा 223<sup>9</sup> से बढ़कर 1025 बसों तक पहुंच गया। इस प्रकार, किराये के बेड़े पर निगम की निर्भरता अधिक बढ़ गई क्योंकि निगम इस अवधि के दौरान अपने आयु पार बेड़े को बदलने के लिए आवश्यक नई बसों का क्रय नहीं कर सका।
- वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान, निगम द्वारा किराये पर ली गई बसें इसकी आवश्यकता से बहुत अधिक थीं क्योंकि अतिरिक्त किराये की बसों की संख्या 181 से 923 के मध्य थी। निगम द्वारा किराये पर ली गई/रखी गई अतिरिक्त बसों की संख्या इससे भी अधिक थी क्योंकि संबंधित वर्ष के दौरान नियत अवधि के लिए नियोजित कई अनुसूचियां निरस्त कर दी गई थी, जैसा कि तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि संबंधित आगारों से बसों की आवश्यकता प्राप्त किए बिना बसों को केंद्रीयकृत स्तर पर किराए पर लिया गया था, जबकि बोलीदाताओं द्वारा बसों की आगार-वार दर एवं संख्या प्रस्तावित की जानी थी एवं इसके अनुसार संबंधित आगारों पर बसों को उपलब्ध कराया जाना था। साथ ही, निगम ने किराये की बसों के आवंटन से पूर्व आगारों से आवश्यकता की पुष्टि नहीं की थी, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि चार<sup>10</sup> आगारों ने अपेक्षित अनुसूचियों के अभाव में आवंटित बसों के संचालन में असमर्थता व्यक्त की थी। बसों के आवंटन पर चर्चा आगामी अनुच्छेद (संख्या 4.14.3) में भी की गई है।

सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि 2016-17 के दौरान निविदाओं को आमंत्रित करने से पूर्व आगारों से बसों की आवश्यकता को नहीं लिया गया था। तथापि, यह कहा गया कि परिचालन आवश्यकता एवं मापदंडों के अनुसार अप्रचलित बेड़े के संबंध में यातायात अनुभाग

9 1 अप्रैल 2014 को किराये के बेड़े की संख्या।

10 झालावाड़, बारों, टोंक एवं डीडवाना आगार।

द्वारा प्रदान की गई सूचना को ध्यान में रखते हुए सभी आगारों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। साथ ही, समापन सभा के दौरान प्रबंधन ने भविष्य में आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।

#### **आगारों को बसों का आवंटन**

**4.14.3** वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिये 14 चयनित आगारों (डीलक्स आगार को छोड़कर) से संबंधित आगार-वार आवश्यकता के समक्ष बसों के आवंटन का विश्लेषण **अनुबंध-14** में वर्णित है। यह देखा जा सकता है कि निगम ने 2016-17 से 2018-19 के दौरान समय पर पर्याप्त बसों को किराये पर लेना सुनिश्चित नहीं किया क्योंकि इन आगारों को 70, 275 एवं 289 किराये की बसों की आवश्यकता के स्थान पर क्रमशः 31, 144 एवं 282 किराये की बसें उपलब्ध करवायी गई थीं। साथ ही, 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी बसों का आवंटन दोषपूर्ण था, निगम ने बिना आवश्यकता/आवश्यकता से अधिक क्रमशः तीन एवं सात आगारों को बसों का आवंटन किया, जबकि इसने क्रमशः आठ एवं पांच आगारों को बसों का आवंटन नहीं किया/कम बसों का आवंटन किया। परिणामस्वरूप, 2016-19 के दौरान, चार से सात आगारों में 21 से 75 बसों के मध्य अधिशेष बसें थीं तथा पांच से आठ आगारों को 60 से 183 बसों की कमी का सामना करना पड़ा। बसों की कमी के कारण, चार से आठ आगारों को अपनी अनुसूचियों में कटौती करनी पड़ी जो कि 38 से 53 अनुसूचियों के मध्य थी। इसके अतिरिक्त, कोटा आगार (2016-17), राजसमंद एवं डूंगरपुर आगार (2017-18) एवं जयपुर आगार (2017-18 एवं 2018-19) के पास अतिरिक्त बसें थीं, लेकिन उन्हें बसों की कमी का सामना कर रहे अन्य आगारों में स्थानांतरित नहीं किया गया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि वर्ष 2016-17 के दौरान निगम ने निविदाएं आमंत्रित करने से पूर्व इसके आगारों से बसों की आवश्यकता प्राप्त नहीं की थी। इसने आगे कहा कि निगम ने, तथापि, परिचालन आवश्यकता एवं मापदंडों के अनुसार अप्रचलित बेड़े के संबंध में यातायात अनुभाग द्वारा प्रदान की सूचना को ध्यान में रखते हुए सभी आगारों के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं। तथापि, उत्तर 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान दोषपूर्ण आवंटन के संबंध में मौन था।

#### **आरटीपीपी अधिनियम 2012/नियम 2013 की अनुपालना**

**4.15** राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक प्रापण को विनियमित करने हेतु आरटीपीपी अधिनियम, 2012 लागू किया (22 मई 2012) तथा आरटीपीपी अधिनियम एवं उसके अंतर्गत आरटीपीपी नियम 2013 को अधिसूचित किया (जनवरी 2013)। आरटीपीपी अधिनियम 2012/नियम 2013 उनकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी हैं। आरटीपीपी अधिनियम 2012/नियम 2013 के कुछ प्रासंगिक प्रावधान **अनुबंध-15** में वर्णित हैं।

निगम के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, निम्नलिखित प्रकरण पाये गये थे जहां पर निगम ने आरटीपीपी अधिनियम 2012/नियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की थी:

### नये चेसिस का प्रापण

#### तकनीकी मूल्यांकन मापदण्ड को बोली प्रपत्र में सम्मिलित नहीं करना

**4.15.1** आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा 7 एवं आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 36 का अनुपालन नहीं किया गया था, क्योंकि 500 चेसिस के प्रापण के लिए जारी (अगस्त 2016) बोली दस्तावेजों में क्रय से संबंधित तकनीकी विशिष्टताएं सम्मिलित थी परन्तु तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए तकनीकी मापदंडों का उल्लेख नहीं किया गया था।

सरकार ने तथ्य को स्वीकार करते हुए भविष्य में आगामी निविदाओं में नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया।

### नये चेसिस पर बस बॉडी का फैब्रिकेशन

#### अनिवार्य मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कार्य आदेश जारी करना

**4.15.2** निगम ने 500 सुपर एक्सप्रेस ब्लू-लाइन बसों की बॉडी के फैब्रिकेशन के लिए बोलियां आमंत्रित कीं (जून 2016)। बोली प्रपत्र के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, निगम द्वारा प्रदान की गई चेसिस<sup>11</sup> पर निर्मित बस बॉडी की प्रतिकृति के लिए बोलीदाताओं को एक मान्यता प्रमाण पत्र<sup>12</sup> प्रस्तुत करना था। निगम को दो बोलीदाताओं से बोलियां प्राप्त हुई (सितंबर 2016), जिनमें से प्रथम बोलीदाता चार फैब्रिकेटर्स का एक संयुक्त उपक्रम/साझेदारी थी। अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित कुल पांच फैब्रिकेटर्स में से केवल संयुक्त उपक्रम/साझेदारी के दो फैब्रिकेटर्स ने अपेक्षित मान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए। निगम ने, तथापि, आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा 7 के प्रावधानों एवं निविदा प्रपत्र की इस शर्त को अनदेखा किया एवं चेसिस पर बस बॉडी के फैब्रिकेशन के लिए दोनों बोलीदाताओं को कार्य आदेश प्रदान किये।

सरकार ने कहा कि निविदा के अनुसार एआईएस052 प्रमाण पत्र वाली फर्में द्वारा बस बॉडी का फैब्रिकेशन किया गया था। उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं था कि संयुक्त उपक्रम फर्म के केवल दो फैब्रिकेटर्स के पास अपेक्षित प्रमाण पत्र थे एवं निगम ने उत्तर के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया था।

### बसों को किराये पर लेना

**4.15.3** वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, निगम ने खुली/प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों की बसों अर्थात् ब्लू-लाइन एक्सप्रेस, स्टार लाइन, शयनयान एवं लक्जरी/वोल्वो आदि को किराये पर लिया। वर्ष 2015-16 में 400 बसों एवं 2016-17 में 800 बसों को किराये पर लेने के लिए की गई निविदा प्रक्रिया से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा के दौरान कुछ प्रकरण पाये गए थे जिनमें निगम आरटीपीपी अधिनियम/नियमों के विशिष्ट प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा जैसे (i) धारा 4- एक व्यक्ति को तीन से पांच

11 टाटा चेसिस (1512/52 आईसी बीएस- III एबीएस 5195 एमएम)।

12 एआईएस052 मान्यता प्रमाण पत्र।

बोलीदाताओं की ओर से मोलभाव वार्ता में भाग लेने की अनुमति देना; (ii) धारा 5- आवश्यकता की मात्रा निर्धारित किये बिना ही निविदाओं को आमंत्रित करना; (iii) धारा 7- तकनीकी एवं वित्तीय योग्यता मानदंडों को निर्दिष्ट किए बिना निविदा जारी करना तथा ऐसे आपूर्तिकर्ता से बोली स्वीकार करना जो जीसीसी में निर्दिष्टानुसार पंजीकृत कम्पनी/समिति नहीं थी; (iv) धारा 7 एवं नियम 39- बोली प्रस्तुत करने वाले से भिन्न आपूर्तिकर्ता को अनुबंध प्रदान करना; (v) नियम 56- आवश्यक प्रपत्र प्राप्त किए बिना सात बोलियां खोलना एवं अनुबंध प्रदान करना, एवं (vi) नियम 75 (ई) - बैंक से अभिस्वीकृति प्राप्त किए बिना सावधि जमा रसीद के रूप में निष्पादन सुरक्षा को स्वीकार करना। प्रकरणों का विवरण **अनुबंध-15** में दिया गया है।

सरकार ने कहा कि निगम आगामी निविदाओं में आरटीपीपी अधिनियम एवं नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा। साथ ही, निगम लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए आक्षेपों को देखते हुए इसकी बोली प्रक्रियाओं में आवश्यक संशोधन करेगा।

### स्वयं की बसों का निरीक्षण एवं आगार आवंटन

**4.16** 2014-19 के दौरान, चेंसिस एवं बस बॉडीज के निरीक्षण किये जाने एवं आगार को चेंसिस-वार बसों के आवंटन करने में पायी गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

विषय	बोली प्रपत्र/अनुबंध का प्रावधान	लेखापरीक्षा आक्षेप
<b>अ. नये चेंसिस का क्रय</b>		
<b>चेंसिस का आपूर्ति पूर्व निरीक्षण (पीडीआई)</b>	बोली प्रपत्र के वाक्यांश 3 में प्रावधान है कि चेंसिस आपूर्तिकर्ता पीडीआई हेतु चेंसिस का प्रस्ताव करेगा एवं निगम के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा चेंसिस का निरीक्षण किया जायेगा।	निगम में न तो नियमित निरीक्षकों का एक समूह उपलब्ध है एवं ना ही निरीक्षकों के नामांकन के लिए उचित व्यवस्था है। साथ ही, निगम द्वारा तैयार किये गये चेंसिस निरीक्षण प्रतिवेदन (सीआईआर) में विभिन्न कमियां थीं यथा प्रतिवेदन में निरीक्षण दल के सदस्यों के दिनांक सहित हस्ताक्षर, संबंधित चेंसिस नंबरों के उत्कीर्ण अंकन, निरीक्षण के स्थान का उल्लेख इत्यादि नहीं थे। समस्त प्रकरणों में, निरीक्षण प्रतिवेदन पर उल्लेखित क्रय आदेश (पीओ) संख्या समान थी जबकि चेंसिस के क्रय हेतु दो भिन्न पीओ जारी किये गए थे। 23 सीआईआर की नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा को सात प्रकरण मिले जहां सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन के बिना निरीक्षण अवकाश के दिन/अवकाश पर रहने वाले कर्मियों द्वारा किया गया था। सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया एवं सुधारात्मक कार्यवाही करने के संबंध में आश्वस्त किया।
<b>आपूर्ति में विलम्ब के लिए शास्ति</b>	विवेकपूर्ण प्रक्रिया/प्रणाली के रूप में, सुपुर्दगी/आपूर्ति अनुसूची प्रत्येक क्रय आदेश (पीओ) का अभिन्न अंग होना चाहिए एवं इसलिए प्रत्येक पीओ में आदेशित सामग्री की आपूर्ति में	टाटा को 500 चेंसिस के लिए दिए गए क्रयादेशों (जनवरी/ फरवरी 2017) में आपूर्ति में विलम्ब के लिए शास्ति के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, निगम, चेंसिस की आपूर्ति में दो महीने तक के विलम्ब के लिए टाटा पर कोई शास्ति नहीं लगा सका। सरकार ने इस प्रकरण पर उत्तर नहीं दिया।



	विचलन/विलम्ब के लिए आपूर्तिकर्ता पर शास्ति लगाने का प्रावधान होना चाहिए।	
<b>ब. बस बाँड़ी का फैब्रिकेशन</b>		
<b>द्वि-स्तरीय निरीक्षण</b>	फैब्रिकेशन अनुबंध में द्वि-स्तरीय निरीक्षण यथा ढांचे के पूर्ण होने एवं बस तैयार होने के पश्चात निरीक्षण करने का प्रावधान था।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 117 प्रकरणों में, प्रथम एवं द्वितीय चरण के निरीक्षण एक ही निरीक्षण दल द्वारा किये गए थे, जो पेशेवर नैतिकता के विरुद्ध है एवं जिसके परिणामस्वरूप फैब्रिकेटर्स के साथ मिलीभगत हो सकती है।</li> <li>• ऐसे तीन प्रकरण थे, जहां द्वितीय चरण के निरीक्षण में संबंधित निरीक्षण दलों ने एक ही दिन में 30 बसों, 46 बसों एवं 53 बसों का क्रमशः दो, तीन एवं चार स्थानों पर निरीक्षण किया (6 एवं 11 फरवरी 2017 एवं 2 मार्च 2017) एवं चेसिस निरीक्षण प्रतिवेदन भी तैयार किया। जैसा कि द्वितीय चरण का निरीक्षण एक समय लेने वाली प्रक्रिया है एवं इसमें विभिन्न परीक्षण/जांच (पानी के रिसाव का परीक्षण सहित) सम्मिलित हैं, विभिन्न स्थानों पर एक दिन में 30 से 53 बसों का निरीक्षण या तो अव्यावहारिक था अथवा नियत प्रक्रिया/अपेक्षित तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया गया था।</li> </ul> <p>उत्तर में, सरकार ने कहा कि निरीक्षण 31 मार्च 2017 के पश्चात बीएस-III वाहनों के पंजीकरण न होने की तात्कालिक परिस्थितियों में सुबह से देर शाम तक किए गए थे।</p> <p>उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं था क्योंकि सरकार ने विधिवत निरीक्षण प्रक्रिया को अपनाकर एवं वांछित तकनीकी मापदंडों की अनुपालना के अनुसार निरीक्षण किये जाने का कोई भी अभिलेख/प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया था।</p>
<b>बस-बाँड़ी निरीक्षण प्रतिवेदन (बीआईआर)</b>	एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया/प्रणाली के रूप में, निरीक्षण दल को निरीक्षण स्थल पर बीआईआर तैयार करना चाहिए एवं बीआईआर की एक प्रति फैब्रिकेटर को देनी चाहिए एवं बीआईआर की अन्य प्रति नामांकन करने वाले प्राधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करनी चाहिए।	<p>बोली प्रपत्र/फैब्रिकेशन अनुबंध में कमी थी क्योंकि यह संबंधित निरीक्षण दल द्वारा बीआईआर प्रस्तुत करने के लिए कोई समयसीमा प्रावधित नहीं करता था। प्रथम चरण निरीक्षण के 304 एवं द्वितीय चरण के निरीक्षण के 348 प्रकरणों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि निरीक्षण दलों ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में 15 दिन तक का समय लिया। यह इंगित करता है कि समयावधि निर्दिष्ट किये जाने के अभाव में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ।</p> <p>उत्तर में, सरकार ने कहा कि निरीक्षण के पश्चात, निरीक्षण प्रतिवेदन बस बाँड़ी शाखा में निर्धारित समयावधि में जमा करवायी गई थी। सरकार द्वारा प्रस्तुत उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि निगम ने न तो कोई समयसीमा निर्धारित की है एवं न ही सभी प्रकरणों में संबंधित प्राधिकारी को अविलम्ब प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया।</p>
<b>आगार का आवंटन</b>	यातायात नियमावली/प्रचलित रीति के अनुसार, निगम के यातायात अनुभाग के	द्वितीय चरण के निरीक्षण के पश्चात, संबंधित निरीक्षण दलों ने तैयार बसों की प्राप्ति के लिए अभियांत्रिकी अनुभाग के पक्ष में गेट पास तैयार किए एवं तदनुसार, अभियांत्रिकी अनुभाग ने सभी निरीक्षण की गई बसों के लिए निरीक्षण नोट जारी किया।

<p>प्रमुख द्वारा विभिन्न आगारों को नई बसों का आवंटन किया जाना चाहिए।</p>		<p>लेखापरीक्षा ने देखा कि गेट पास एवं निरीक्षण नोट में प्रत्येक निरीक्षण की गई बस के समक्ष आगार का नाम अंकित था। इस प्रकार, आगार के लिए बसों का आवंटन यातायात अनुभाग के स्थान पर निरीक्षण दलों/बस बॉडी अनुभाग द्वारा किया गया था। सरकार ने कहा कि प्रत्येक आगार को आवंटित की जाने वाली बसों की संख्या निगम के यातायात अनुभाग द्वारा तय की गई थी एवं बसों की आवंटित संख्या के आधार पर, निगम के अभियांत्रिकी अनुभाग ने आगारों को चेसिस वार बसों का आवंटन किया था। तथापि, निगम के अभिलेखों में यातायात अनुभाग द्वारा आगारों को बसों के आवंटन से संबंधित कोई प्रपत्र नहीं मिला था।</p>
--	--	--

### बसों को किराये पर लेना

**4.17** निगम ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान लक्जरी एवं गैर-लक्जरी दोनों प्रकार की बसें किराये पर ली थीं। अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, बसों के किराये पर लेने से संबंधित निम्नलिखित कमियां पायी गई थी:

#### अ. लक्जरी बसों को किराये पर लेना

##### धरोहर जमाराशि को जब्त नहीं करना

**4.18** निगम ने 46<sup>13</sup> लक्जरी/वातानुकूलित बसों के लिए निविदाएं आमंत्रित की (जून 2016) तथा निविदा प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत ठेकेदार-अ को 30 बसों (20 सिंगल एक्सेल वोल्वो एवं 10 एसी शयनयान बसें) के लिए एवं ठेकेदार-ब को सात बसों (2x2 एसी बसें) के लिए एलओआई (2 दिसम्बर 2016 एवं 28 अक्टूबर 2016) जारी किये गए। अनुबंध के वाक्यांश 48 के अनुसार, बोलीदाता/ठेकेदार द्वारा एलओआई की दिनांक से 120 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर अथवा अगले 30 दिनों के भीतर निर्धारित दरों पर विलम्ब शास्ति के साथ बसों की आपूर्ति की जानी थी। साथ ही, निगम के पास अपने विवेकाधिकार से ठेकेदार द्वारा दी गई धरोहर जमा राशि (ईएमडी) को जब्त करने का अधिकार भी था।

ठेकेदार-अ ने संपूर्ण अवधि का विस्तार जून 2017 तक करने के लिए अनुरोध किया (जनवरी एवं मार्च 2017)। तत्पश्चात, ठेकेदार-अ ने नौ बसों (पांच वोल्वो सिंगल एक्सेल बस एवं चार एसी शयनयान बस) की आपूर्ति (अप्रैल-मई 2017) 27 से 29 दिनों के विलम्ब सहित कर दी तथा अन्य 15 सिंगल एक्सेल वोल्वो बसों की संपूर्ण निर्धारित समय के पश्चात करने का प्रस्ताव दिया (मई 2017)। इस पर, डीलक्स आगार ने प्रकरण को प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया (मई-जून 2017) एवं सूचित किया कि शेष 6 एसी शयनयान बसों की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, ठेकेदार-ब नियत संपूर्ण अवधि के भीतर आदेशित बसों की सुपुर्दगी प्रारंभ नहीं कर सका, एवं इसलिए निगम ने ईएमडी को जब्त कर लिया।

निगम ने शेष 15 वोल्वो सिंगल एक्सेल बसों की संपूर्ण विलम्ब से आनुपातिक रूप से बढी हुई दरों पर विलम्ब हेतु शास्ति के साथ स्वीकार की (जुलाई से अगस्त 2018) जबकि उसने

13 छह वॉल्वो मल्टी एक्सेल बसें, 20 वॉल्वो सिंगल एक्सेल बसें, 10 वातानुकूलित शयनयान बसें एवं 10 वातानुकूलित 2x2 बसें।

शेष छः एसी शयनयान बसों की एलओआई निरस्त कर दी (अगस्त 2018)। निगम ने ठेकेदार-अ द्वारा प्रस्तुत समस्त ईएमडी वापस कर दी (दिसंबर 2018)। विलम्ब के साथ संपूर्ण की गई सभी 24 बसों के संबंध में, निगम ने ठेकेदार-अ पर संपूर्ण की वास्तविक तिथि/संपूर्ण हेतु बसों की प्रस्तुत करने की तिथि तक शास्ति लगाई, जबकि इसने छः संपूर्ण नहीं की गई एसी शयनयान बसों के संबंध में ठेकेदार-अ की ईएमडी को जब्त नहीं किया था।

इस प्रकार, निगम ने न केवल इन बसों को किराए पर लेने के प्रकरण का निर्णय करने में असाधारण रूप से विलम्ब किया, अपितु ठेकेदार-अ द्वारा बसों की संपूर्ण नहीं किये जाने के उपरांत भी संबंधित ईएमडी को जब्त नहीं करके ₹ छः लाख का अनुचित लाभ प्रदान किया।

सरकार ने कहा कि इस प्रयोजन के लिए गठित समिति के प्रशासनिक निर्णय के अनुसार समय विस्तार की अनुमति दी गई थी एवं चूंकि ठेकेदार-अ ने 30 बसों के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत कर दी थी, इसलिए ईएमडी वापस कर दी गई थी। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि ठेकेदार-अ ने सभी 24 बसों की आपूर्ति विलम्ब के साथ की थी। साथ ही, निगम ने छः एसी शयनयान बसों की आपूर्ति नहीं करने के लिए ठेकेदार-अ के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी।

सरकार ने अपने बाद के उत्तर में आगे कहा कि आवश्यकता को देखते हुए, निगम ने अप्रैल 2019 में शेष छः एसी शयनयान में से दो बसों की संपूर्ण स्वीकार की। तथापि, उत्तर प्रकरण का निर्णय करने में असाधारण रूप से विलम्ब एवं विलंबित/आपूर्ति नहीं की गई बसों हेतु ठेकेदार-अ के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने के मुद्दे पर मौन था।

#### किराये की लक्जरी बसों के संचालन से हानि

**4.19** निगम ने ठेकेदार-अ (अनुच्छेद 4.18 में संदर्भित) से किराये पर ली गई 24 लक्जरी बसों<sup>14</sup> का संचालन विभिन्न मार्गों यथा जयपुर-जोधपुर, जयपुर-लखनऊ, जयपुर-देहरादून इत्यादि पर किया। निगम द्वारा निजी बस मालिक/ठेकेदार को भुगतान किये गये किराया, डीजल की लागत, परिचालक/यातायात अनुभाग का वेतन एवं वहन किये गये करों को सम्मिलित करने के उपरांत प्रत्येक बस के लिए ₹ 5 प्रति किमी की माहवार लाभप्रदता की गणना की गयी थी। इन लक्जरी बसों में से, 2017-19 के दौरान 10 बसों की माहवार लाभप्रदता का विस्तृत विश्लेषण किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 4.5 : जयपुर-जोधपुर मार्ग पर परिचालित आठ वॉल्वो सिंगल एक्सल बसों की लाभप्रदता

बस नंबर	माह, जिसमें बसों का परिचालन प्रारम्भ किया गया	संचालन के माह	अवधि के दौरान अर्जित लाभ		अवधि के दौरान वहन की गई हानि		मार्ग पर यात्री भार की सीमा ( % में)
			माह में	राशि ( ₹ में)	माह में	राशि ( ₹ में)	
7382	मई 2017	9	0	0	9	1681388	51-57
7384		9	1	50676	8	1293804	47-60
7385		8	0	0	8	1100234	49-66
7387		18	4	732556	14	2485414	43-70
7519	अगस्त 2018	8	0	0	8	1929366	45-55
7520		8	0	0	8	1705581	45-62

14 अप्रैल-मई 2017 में सुपुर्द की गई पांच वॉल्वो सिंगल एक्सल बसें एवं चार एसी स्टीपर बसें एवं जुलाई-अगस्त 2018 में सुपुर्द की गई 15 वॉल्वो सिंगल एक्सल बसें।

7521		8	1	25564	7	1492179	46-61
7522		4	0	0	4	510158	53-66
	<b>कुल</b>	<b>4 से 18</b>	<b>1 से 4</b>	<b>808796</b>	<b>4 से 14</b>	<b>12198124</b>	

तालिका 4.6 : जयपुर-अहमदाबाद/माउन्ट आबू/लखनऊ मार्ग पर परिचालित दो एसी शयनयान बसों की लाभप्रदता

बस नंबर	माह, जिसमें बसों का परिचालन प्रारम्भ किया गया	संचालन के माह	अवधि के दौरान अर्जित लाभ		अवधि के दौरान वहन की गई हानि		मार्ग पर यात्री भार की सीमा ( % में)
			माह में	राशि (₹ में)	माह में	राशि (₹ में)	
7395	मई 2017	23	1	252170	22	3982654	34-76
7396		23	3	225562	20	4239214	31-83
	<b>कुल</b>	<b>23</b>	<b>1 से 3</b>	<b>477732</b>	<b>20 से 22</b>	<b>8221868</b>	

यह देखा जा सकता है कि ऊपर दिए गए मार्गों पर लकजरी बसों (वोल्वो/शयनयान बसें) के परिचालन से भारी हानि वहन की गई थी। साथ ही, एकमात्र लाभ अर्जित करने वाली बस (बस नं. 7387 जिसने चार माह की अवधि के लिए लाभ अर्जित किया था) ने भी जूलाई-अगस्त 2018 के पश्चात जयपुर-जोधपुर मार्ग पर अनेक लकजरी बसों के परिचालन के पश्चात लगातार हानि वहन की थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम ने इन मार्गों पर उचित आवश्यकता एवं बसों के परिचालन की व्यावहार्यता के आंकलन के बिना ही इन लकजरी बसों को किराये पर लिया एवं परिचालित किया। यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि इन बसों का यात्री भार जयपुर-जोधपुर एवं जयपुर-अहमदाबाद/माउंट आबू/लखनऊ मार्ग पर क्रमशः 43 प्रतिशत से 70 प्रतिशत एवं 31 प्रतिशत से 83 प्रतिशत के मध्य था। परिणामस्वरूप, अलाभकारी मार्गों पर इन बसों के परिचालन से निगम ने ₹ 1.91 करोड़ (अर्थात् ₹ 1.14 करोड़ + ₹ 0.77 करोड़) की शूद्ध हानि वहन की। लगातार घाटे के उपरान्त, भी निगम ने इन बसों के परिचालन हेतु वैकल्पिक मार्ग तलाश करने के प्रयास नहीं किये थे।

सरकार ने कहा कि निगम का गठन राज्य की जनता को मितव्ययी, विश्वसनीय एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था, न कि लाभ अर्जन करने के लिए। इसने यह भी कहा कि निगम परिचालन लागत को कम करने एवं घाटे को कम करने हेतु नियमित प्रयास कर रहा है, तथापि, कुछ अनियंत्रणीय कारणों जैसे कि जन प्रतिनिधियों की मांग एवं राज्य सरकार के निर्देशों पर बसों का परिचालन, डीजल, तेल, कलपुर्जो एवं टायर की कीमतों में वृद्धि से निगम के घाटे में वृद्धि हुई है। उत्तर संतोषजनक नहीं था, क्योंकि निगम ने लकजरी बसों को किराये पर लेने एवं इन मार्गों पर परिचालन करने से पूर्व लागत-लाभ का विश्लेषण नहीं किया था। सरकार ने इसके बाद के उत्तर में आगे कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मार्गों, जिन पर एसी बसें परिचालित की गई थी, पर यात्री भार मूल्यतः यातायात के अन्य साधनों द्वारा समानान्तर यातायात सेवाओं के परिचालन के कारण कम रहा। तथ्य यह रहा कि निगम ने इन मार्गों पर बसों का परिचालन उचित आवश्यकता एवं परिचालन की व्यावहार्यता का आंकलन किये बिना किया था।

**ब. गैर-लकजरी (ब्लू-लाइन, स्टार लाइन एवं शयनयान) बसों को किराये पर लेना**

**4.20** अभिलेखों की समीक्षा के दौरान देखी गई अनियमितताएं/कमियां जैसे कि वर्ष 2015-16 के लिए किराए पर ली गई बसों की सुपुर्दगी के लिए अनुचित समय विस्तार, 2016-17 के

लिए बसों को किराये पर लेने में अनियमितताएं, चूककर्ता ठेकेदार की प्रतिभूति जमाराशि को जब्त नहीं करना एवं 2016-17 के दौरान बसें किराए पर लेने से संबंधित अन्य अनियमितताओं पर **अनुबंध-16** में चर्चा की गई है।

#### **किराए पर ली गई सेमी-डीलक्स बसों (गैर-लक्जरी) के परिचालन से हानि**

**4.21** अजमेर आगार ने सभी पांच आवंटित बसें (2 X 2 सेमी-डीलक्स बसें) डीलक्स आगार, जयपुर को वापस/हस्तांतरित कर दी (जून 2017) एवं इनका परिचालन जयपुर-मथूरा, जयपुर-बिदासर, जयपुर-कैला देवी एवं जयपुर-अलीगढ़ मार्गों पर किया गया। जून 2017 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए इन बसों की माह-वार लाभप्रदता का विश्लेषण किया गया था, जैसा नीचे दर्शाया गया है :

**तालिका 4.7 : डीलक्स आगार द्वारा परिचालित पांच सेमी डीलक्स बसों (गैर-लक्जरी) की लाभप्रदता**

बस नंबर	संचालन की अवधि	संचालन के माह	अवधि के दौरान अर्जित लाभ		अवधि के दौरान वहन की गई हानि		मार्ग पर यात्री भार की सीमा (% में)
			माह में	राशि	माह में	राशि	
				(₹ में)		(₹ में)	
4522	जून	22	1	6105	21	1733189	58-88
4523	2017	22	6	173848	16	826706	49-94
4524	से मार्च	22	3	42778	19	899246	58-87
4526	2019	22	8	192082	14	638892	65-93
4538		22	6	135130	16	774083	70-85
	<b>कुल</b>	<b>22</b>	<b>1 से 8</b>	<b>549942</b>	<b>14 से 21</b>	<b>4872116</b>	

यह देखा जा सकता है कि 2017-19 के दौरान इन बसों को 14 महीनों से 21 महीनों के मध्य की अवधि के लिए भारी हानि वहन करनी पड़ी। यह इंगित करता है कि निगम ने इन मार्गों पर बसों के परिचालन की उचित आवश्यकता एवं व्यावहार्यता के आंकलन किये बिना ही, इन गैर-लक्जरी बसों को किराए पर लिया/परिचालित किया। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि इन बसों का यात्री भार 49 प्रतिशत से 94 प्रतिशत के मध्य था। परिणामस्वरूप, निगम को अलाभकारी मार्गों पर इन बसों के परिचालन के कारण ₹ 0.43 करोड़ रुपए की शुद्ध हानि हुई।

सरकार ने कहा कि निगम का गठन राज्य की जनता को मितव्ययी, विश्वसनीय एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था, न कि लाभ अर्जन करने के लिए। इसने यह भी कहा कि निगम परिचालन लागत को कम करने एवं घाटे को कम करने हेतु नियमित प्रयास कर रहा है, तथापि, कुछ अनियंत्रणीय कारणों जैसे कि जन प्रतिनिधियों की मांग एवं राज्य सरकार के निर्देशों पर बसों का परिचालन, डीजल, तेल, कलपुर्जों एवं टायर की कीमतों में वृद्धि से निगम के घाटे में वृद्धि हुई है। उत्तर संतोषजनक नहीं था, क्योंकि निगम ने सेमी-डीलक्स बसों को किराये पर लेने एवं इन मार्गों पर परिचालन करने से पूर्व लागत-लाभ का विश्लेषण नहीं किया था।

#### **निजी बस स्वामियों/ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान/अतिरिक्त डीजल**

**4.22** किराये पर ली गई बसों के संबंध में निगम एवं संबंधित निजी बस स्वामियों/ठेकेदारों के मध्य निष्पादित अनुबंधों में, अन्य प्रावधानों के साथ, यह प्रावधान है कि:

- निजी बस स्वामी/ठेकेदार को अनुसूचित किलोमीटर/वास्तविक राजस्व किलोमीटर के लिए भुगतान अनुमत्य किया जाना था। (वाक्यांश 3)
- किराए पर ली गई बस के परिचालन हेतु आवश्यक डीजल, अनुबंध में निर्दिष्ट डीजल उपभोग मानदंड के अनुसार संचालक को प्रदान किया जाना था। अधिक डीजल औसत के संबंध में, डीजल की बचत का लाभ संचालक को दिया जाना था। इसी प्रकार कम डीजल औसत के संबंध में संबंधित संचालक से वसूली डीजल की अधिक स्वपत के पेटे डीजल की प्रचलित बाजार दर पर की जानी थी। (वाक्यांश 4)
- यदि कोई भी वाहन मार्ग में यांत्रिक दोष के कारण अपनी अनुसूची/परिचक्र पूर्ण करने में असफल रहा, उस वाहन द्वारा वास्तविक संचालित किलोमीटर के लिए भुगतान किया जाना था। तथापि, एक महीने में एक बार ही वाहन का यांत्रिक दोष स्वीकार किया जाना था एवं द्वितीय यांत्रिक दोष पर, अनुसूची के लिए संचालित किलोमीटर को भुगतान योग्य नहीं माना गया था। (वाक्यांश 29)

15 चयनित आगारों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम ने अनुबंध-17 में वर्णानुसार बसों को किराए पर लेने पर ₹ 29.13 लाख का अतिरिक्त व्यय किया क्योंकि इसने संबंधित अनुबंधों के निर्धारित प्रावधानों के विरुद्ध एक आगार (क्रम संख्या 5) में अनाधिक किलोमीटर के लिए भुगतान की अनुमति दी, नौ आगारों (क्रम संख्या 1 से 4, 6, 7 एवं 9 से 11) में द्वितीय यांत्रिक दोष पर अतिरिक्त डीजल/अतिरिक्त किलोमीटर के लिए निजी बस स्वामी/ठेकेदार को भुगतान किया एवं एक आगार (क्रम संख्या 8) में प्रचलित बाजार दर से कम दरों पर डीजल के अतिरिक्त उपभोग की वसूली की।

सरकार ने कहा कि कार्यालय आदेश दिनांक 9 जनवरी 2019 एवं वित्त विभाग के दिनांक 31 अक्टूबर 2018 के आदेशानुसार, किराए पर ली गई बसों को अनाधिक किलोमीटर एवं द्वितीय यांत्रिक दोष के बिंदु तक के लिए डीजल प्रतिपूर्ति योग्य है, इसलिए कोई अतिरिक्त भुगतान जारी नहीं किया गया था। उत्तर, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं था कि इंगित वसूलियां मार्च 2018 से पूर्व की अवधि से संबंधित हैं। सरकार ने अपने बाद के उत्तर में कहा कि संबंधित आगारों से अतिरिक्त भुगतान/अतिरिक्त डीजल जारी किए जाने के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति मांगी जा रही है।

## बसों का उपयोग

### बेड़े की क्षमता एवं इसका आयु विवरण

4.23 निगम के पास स्वयं की बसों के बेड़े के साथ ठेके पर किराये की बसें भी हैं। किराये पर ली गई बसों के संबंध में लेखापरीक्षा के परिणामों पर पूर्व के अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 4.17 से 4.22) में चर्चा की जा चुकी है। निम्न अनुच्छेद निगम के स्वयं के बेड़े की स्थिति को स्पष्ट करते हैं।

निगम ने वाहनों के निरस्तीकरण करने के लिए आठ वर्ष अथवा आठ लाख किलोमीटर, जो भी अधिक हो, के मापदंड तय (2011) किये हैं। नीचे दी गई तालिका निगम द्वारा धारित बसों के आयु विवरण को दर्शाती है:

तालिका 4.8: बेड़े की क्षमता एवं आयु विवरण

क्र. सं.	विवरण <sup>15</sup>	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	वर्ष के प्रारम्भ में बसों की संख्या	4392	4395	4303	4482	4465
2	वर्ष के दौरान वृद्धि	301	10	448	260	3
3	वर्ष के दौरान निष्प्रयोजित बसें	298	102	269	277	411
4	वर्ष के अंत में धारित बसें (1+2-3)	4395	4303	4482	4465	4057
5	क्रम संख्या 4 में, 8 वर्ष से अधिक पुरानी बसों की संख्या	322	220	867	841	749
6	कुल बसों से आयुपार बसों की प्रतिशतता	7.33	5.11	19.34	18.83	18.46

नोट: वर्ष के दौरान वृद्धि में मिडी बसें भी सम्मिलित हैं जिन्हें ग्रामीण मार्गों पर संचालन के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान प्रापण किया गया था एवं बाद में निगम के बेड़े में सम्मिलित की गई (वर्ष 2014-15, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में क्रमशः 300, 150, 43 एवं 3 बसें)।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि निगम निर्धारित मानदंडों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका था। वर्ष 2014-19 के दौरान, निगम ने ₹ 107.64 करोड़<sup>16</sup> की लागत से 525 नई बसों को सम्मिलित किया। वर्ष 2018-19 के अंत में बसों के आयु मानक को प्राप्त करने के लिए, निगम द्वारा 749 नई बसें क्रय करने की आवश्यकता है। तथापि, निगम बसों को प्रतिस्थापित करने के लिए अपने परिचालन से पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं जुटा सका, क्योंकि 2018-19<sup>17</sup> के दौरान निगम ने ₹ 159.54 करोड़ की हानि वहन की थी। आयुपार बसों की प्रतिशतता वर्ष 2014-15 में 7.33 से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 19.34 प्रतिशत हो गई एवं यह 2018-19 में 18.46 प्रतिशत तक घट गई। लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम कोषों की अनुपलब्धता के कारण आयु पार बसें प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं था।

आयुपार बेड़े में उच्च रस्वरस्वाव की आवश्यकता होती है, जिसकी परिणति अतिरिक्त लागत एवं वाहनों की कम उपलब्धता के रूप में होती है। इस प्रकार, निगम का अस्तित्व बनाये रखने एवं विकसित होने की क्षमता, परिचालनात्मक अक्षमताओं को दूर करने, लागत में कटौती करने एवं गैर-परंपरागत राजस्व के अवसरों का दोहन करने के इसके प्रयासों पर निर्भर करती है जिससे कि वह अपने पूंजीगत व्ययों को पोषित कर सके एवं आत्मनिर्भर हो सके।

सरकार ने उत्तर में कहा कि निगम इसकी वित्तीय स्थिति स्वराब होने के कारण नई बसों का प्रापण कर आयुपार बेड़े को प्रतिस्थापित नहीं कर सका था। इसने आगे कहा कि आयुपार बेड़े

15 किराये की बसों के अतिरिक्त।

16 ₹ 81.31 करोड़ की 498 ब्लू लाइन बसें एवं ₹ 26.33 करोड़ की 27 लक्जरी बसें।


17 2018-19 के वित्तीय विवरणों के अलेखापरिक्षित आंकड़े।

को प्रतिस्थापित करने हेतु नई बसों के प्रापण की प्रक्रिया जारी है जिससे कि बेड़े की क्षमता में वृद्धि होगी एवं बेड़े की औसत आयु में कमी होगी।

### बेड़ा उपयोगिता

**4.24** बेड़ा उपयोगिता, निगम द्वारा धारित बसों (किराये की बसों को छोड़कर) एवं मार्ग पर बसों के अनुपात को दर्शाता है। परिचालन निष्पादन में वृद्धि के लिए बेड़े का इष्टतम उपयोग आवश्यक है। निगम ने वर्ष 2014-19 की अवधि के लिए आगार स्तर पर इसके स्वयं के बेड़े की उपयोगिता के लिए 94 प्रतिशत से 96 प्रतिशत के मध्य मासिक लक्ष्य के साथ समग्र रूप से निगम के लिए 95 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया था। समीक्षा अवधि का विवरण नीचे दिये गए ग्राफ में दर्शाया गया है:

ग्राफ 4.1 : निगम की लक्षित बेड़ा उपयोगिता के समक्ष औसत बेड़ा उपयोगिता एवं अखिल भारतीय औसत बेड़ा उपयोगिता



वर्ष 2014-15 में निगम की औसत बेड़ा उपयोगिता अखिल भारतीय औसत बेड़ा उपयोगिता से अधिक थी परन्तु स्वयं के लक्ष्यों से कम थी एवं तत्पश्चात इसमें लगातार गिरावट होकर 2018-19 में 68 प्रतिशत रह गई। लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम की 92 प्रतिशत से 68 प्रतिशत की बेड़ा उपयोगिता की तुलना में केएसआरटीसी, एमएसआरटीसी एवं एपीएसआरटीसी की बेड़ा उपयोगिता क्रमशः 90.57 प्रतिशत से 91.70 प्रतिशत, 91.50 प्रतिशत से 93 प्रतिशत एवं 99.20 प्रतिशत से 99.70 प्रतिशत के मध्य थी।

साथ ही, चयनित 15 आगारों में 2014-15 की तुलना में 2018-19 में निगम की बसें एवं परिचालित किलोमीटर में गिरावट क्रमशः 1357 से 1146 (15.55 प्रतिशत) एवं 19.37 करोड़ किमी से 13.09 करोड़ किमी (32.42 प्रतिशत) की थी। दूसरी तरफ, 2014-19 के दौरान किराये पर ली गई बसों की संख्या एवं उनके परिचालन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। वर्ष



2014-15 की तुलना में किराये पर ली गई बसों की संख्या एवं परिचालित किमी में क्रमशः 235 एवं 164 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2014-19 के दौरान यंत्र-दोष, यांत्रिक समस्याओं, बसों आवंटन नहीं किए जाने एवं अन्य कारणों इत्यादि से अनुसूचित किलोमीटर की कटौती में वृद्धि के कारण बेड़ा उपयोगिता प्रतिशतता खराब हुई। चयनित 15 आगारों में लेखापरीक्षा ने देखा कि 2014-18 के दौरान इन कारणों से अनुसूचित किलोमीटर में कटौती 4.44 प्रतिशत एवं 6.30 प्रतिशत के मध्य थी। निगम में हड़ताल के कारण वर्ष 2018-19 के दौरान इन आगारों में कुल अनुसूचित किलोमीटर में कटौती महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर 12.27 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार, निगम 2014-19 में अपने बेड़े की क्षमता का इष्टतम उपयोग करने में सक्षम नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप इसके परिचालन निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

सरकार ने बेड़ा उपयोगिता में गिरावट के तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा कि यह निगम की वित्तीय स्थिति में निरंतर गिरावट के कारण था, जिसके कारण वाहनों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए कलपूर्जों का अभाव हो गया था। इसके अतिरिक्त, मानवशक्ति की अनुपलब्धता, तकनीकी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, आयुपार बेड़े में वृद्धि एवं यांत्रिक स्थिति में गिरावट के कारण भी बेड़े के उपयोग में कमी आयी, जिसके लिये शीर्ष प्रबंधन के स्तर पर बेड़े के उपयोग में सुधार के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

#### **वाहन उत्पादकता**

**4.25** वाहन उत्पादकता एक वर्ष में प्रत्येक बस द्वारा प्रति दिन चलने वाले औसत किलोमीटर को दर्शाती है। वाहन का इष्टतम उपयोग, न्यूनतम लागत के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लागत के कुछ तत्व निश्चित हैं एवं निगम की लाभप्रदता पर इन लागतों का प्रत्यक्ष प्रभाव है। निगम एवं चयनित आगारों की वाहन उत्पादकता **अनुबंध-18** में दी गई है।

अनुबंध से यह देखा जा सकता है कि निगम की समग्र वाहन उत्पादकता (किराये पर ली गई बसों सहित) वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान 397 किमी से घटकर 392 किमी प्रतिदिन रह गई थी। 2014-19 के दौरान, निगम की बसों की वाहन उत्पादकता 390 किमी से घटकर 363 किमी प्रति दिन हो गई जबकि किराये पर ली गई बसों की उत्पादकता 539 किमी से घटकर 486 किमी प्रति दिन हो गई। चयनित 15 आगारों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम के अपने बेड़े की वाहन उत्पादकता वर्ष 2014-15 के 314-531 किमी प्रति दिन से सारभूत रूप से घटकर वर्ष 2018-19 में 208-455 किमी तक हो गई। चयनित आगारों में आगे विश्लेषण से उजागर हुआ कि सभी 15 आगारों में 2016-17 से वाहन उत्पादकता में गिरावट हो रही थी, तथापि, निगम ने इसकी निगरानी नहीं की थी एवं इसलिए वाहन उत्पादकता में सुधार के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी।

सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया एवं कहा कि निगम में परिचालित किलोमीटर में गिरावट इसके बेड़े की औसत आयु में वृद्धि, चालकों/परिचालकों की कमी, मानकों के अनुसार अप्रचलित बेड़े को नई बसों के प्रापण/किराये पर नहीं लेने के कारण प्रति वर्ष बसों की कमी के कारण थी। इसने आगे आश्वासन दिया कि निगम इसके बेड़े में नये वाहन ला रहा है एवं इसके प्रत्येक वाहन के प्रतिदिन परिचालित किलोमीटरों में वृद्धि हेतु प्रयास कर रहा है। उत्तर को

निगम के पास बसों की उपलब्धता, जैसा कि तालिका 4.8 में दर्शाया गया है, को ध्यान में रखते हुए देखने की आवश्यकता है, एवं इस तथ्य के कारण भी कि नए क्रय/किराये पर ली गई बसों को लगाने के पश्चात भी चयनित आगारों में गिरावट की प्रवृत्ति के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया था।

### अनुसूचित किलोमीटर का निरस्तीकरण

4.26 परिचालन से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 2014-19 के दौरान नियोजित अनुसूचित किलोमीटर पूर्ण रूप से परिचालित नहीं हुए थे। अनुसूचित किलोमीटर, अनुसूचित किलोमीटर के समक्ष परिचालित प्रभावी किलोमीटर एवं निरस्त किये गये किलोमीटर का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.9 : अनुसूचित एवं परिचालित किलोमीटर

(लाख किलोमीटर में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	अनुसूचित किलोमीटर	6562.54	6384.63	6234.75	6619.16	6215.13
2.	प्रभावी किलोमीटर <sup>18</sup>	6086.72	5778.40	5687.77	6042.11	5332.39
3.	निरस्त किलोमीटर	475.82	606.23	546.98	577.05	882.74
4.	निरस्तीकरण की प्रतिशतता	7.25	9.50	8.77	8.72	14.20
	<b>कारण-वार विश्लेषण</b>					
5.	बसों का आवंटन	18.81	31.85	41.71	17.88	24.39
6.	चालक दल की आवश्यकता	62.00	70.73	76.88	96.98	54.26
7.	अन्य	395.01	503.65	428.39	463.02	803.88
8.	प्रति किमी योगदान <sup>19</sup> (₹ में)	13.01	15.70	15.32	14.79	14.20
9.	परिहार्य निरस्तीकरण (5+6)	80.81	102.58	118.59	114.86	78.65
10.	योगदान की हानि (8x9) (₹ करोड़ में)	10.51	16.11	18.17	16.99	11.17

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2014-19 के दौरान, अनुसूचित किलोमीटर के निरस्त होने की प्रतिशतता लगातार बढ़कर 7.25 से 14.20 हो गई, जो कि मुख्य रूप से बसों की पर्याप्त संख्या में तैनाती नहीं किए जाने, चालक दल की कमी एवं अन्य कारण जैसे कि यंत्रदोष, दुर्घटना, निम्न आय इत्यादि के कारण से थी। चयनित आगारों में लेखापरीक्षा ने देखा कि आवंटन, यांत्रिक समस्याओं एवं यंत्रदोष के कारण अनुसूचित किलोमीटर के निरस्तीकरण की प्रतिशतता क्रमशः 5.14 व 17.37, 12.61 व 45.13 तथा 10.05 व 16.84 के मध्य थी। 2014-19 के दौरान निगम केवल बसों एवं चालक दल की आवश्यकता के कारण अनुसूचित किलोमीटर निरस्त करने के परिणामस्वरूप ₹ 72.95 करोड़ के योगदान से वंचित हो गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि प्रतिवर्ष सेवानिवृत्ति के कारण चालक दल की कमी, भर्ती नहीं होने, परिचालन वाहनों का समय पर रखरखाव नहीं होने, आय-पार वाहनों तथा अलाभकारी अनुसूचियों, यथा जिनमें राजस्व परिचालन लागत से ₹ 20 कम है, को बंद

18 अनुसूचित किलोमीटर से अधिक चले किलोमीटर सम्मिलित नहीं है।

19 प्रति किमी यातायात राजस्व - प्रति किमी परिवर्तनीय लागत।

किये जाने के कारण अनुसूचित किलोमीटर में कटौती की गयी थी। उत्तर संतोषजनक नहीं था, क्योंकि इन तथ्यों से निगम भलीभांति अवगत था, तथापि, इसने वार्षिक परिचालन योजना बनाते समय इन पर विचार नहीं किया था।

### यात्री भार

**4.27** एक परिवहन उपक्रम की क्षमता उपयोगिता यात्री भार के रूप में मापी जाती है, जो कि कुल बैठक क्षमता के समक्ष वाहित यात्रियों के प्रतिशत को दर्शाती है। नीचे दी गई तालिका में यात्री भार के निर्धारित लक्ष्य, वास्तविक यात्री भार तथा वाहन उत्पादकता एवं प्रति किलोमीटर कुल लागत के दिए गए स्तर पर गणना किये गये यातायात राजस्व के लिए सम-विच्छेद यात्रीभार (बीईएलएफ) के विवरण दिए गए हैं:

तालिका 4.10 : लक्षित यात्री भार, वास्तविक यात्री भार एवं सम-विच्छेद यात्री भार

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	यात्री भार के लिए निर्धारित लक्ष्य* (% में)	77	79	79	81	81
2.	वास्तविक यात्री भार (% में)	73	73	68	71	73
3.	लागत प्रति किमी (₹)	38.20	34.50	36.83	36.89	41.33
4.	100 प्रतिशत यात्री भार पर प्रति किलोमीटर यातायात राजस्व (₹)	37.25	39.82	44.37	43.49	45.16
5.	केवल यातायात राजस्व के आधार पर बीईएलएफ (% में) (3/4)	102.55	86.64	83.01	84.82	91.52

\* निगम द्वारा निर्धारित मासिक लक्ष्य का औसत

यह देखा जा सकता है कि निगम का प्रदर्शन कमजोर रहा क्योंकि यह वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान लक्षित यात्री भार प्राप्त नहीं कर सका। लेखापरीक्षा ने देखा गया कि सम-विच्छेद यात्री भार का प्रतिशत बहुत अधिक था एवं इसमें 2016-17 के पश्चात निरन्तर वृद्धि हुई थी। सम-विच्छेद यात्री भार में निरन्तर वृद्धि के उपरान्त भी, निगम ने न तो कारणों का विश्लेषण किया एवं न ही सम-विच्छेद यात्री भार एवं वास्तविक यात्री भार के बीच के अंतराल को कम करने के लिए कदम उठाये। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि निगम ने गत दो दशकों में हानि वहन की थी एवं इसलिये मार्च 2019 में संचित हानियां ₹ 4975.52 करोड़ तक बढ़ गईं। कारणों की चर्चा अनुच्छेद 4.28 से 4.31 में की गई है।

सरकार ने कहा कि यात्री भार में वृद्धि एवं राजस्व में रिसाव को नियंत्रित करने के लिए निगम का निरीक्षण प्रकोष्ठ (i) राज्य के साथ-साथ अंतर्राज्यीय क्षेत्रों में केन्द्रीय उड़नदस्ता; (ii) शनिवार व रविवार को मूस्य प्रबंधको; एवं (iii) यादृच्छिक जाँच प्रणाली, जहाँ निरीक्षक आकस्मिक रूप से बसों की जाँच करते हैं, के माध्यम से जाँच करवा रहा है।

### बाध्यकारी सेवाओं के अंतर्गत बसों का परिचालन

**4.28** बसों का बाध्यकारी सेवाओं के अंतर्गत अलाभकारी मार्गों पर संचालन भारी परिचालन हानियों के कारणों में से एक है। नवंबर 2011 से निगम की विभिन्न बैठकों में हानियों में वृद्धि एवं वित्तीय संकट के मुद्दे पर चर्चा हुई तथा राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय पुनर्गठन, हानि वहन करने वाले 'डी' श्रेणी के मार्गों को बंद करने, परिवर्तनीय लागत से कम आय अर्जन करने

वाली बस सेवाओं के पुनर्निर्धारण की सहायता से परिचालन को सम-विच्छेद बिन्दु (बीईपी) तक लाने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जूलाई 2014 से मार्च 2019 के दौरान निगम के 52 आगारों में से 32 से 40 आगारों में बाध्यकारी सेवाओं के अंतर्गत अलाभकारी मार्गों पर 189 से 302 अनुसूचियां संचालित की गईं, जिसके परिणामस्वरूप नीचे तालिका में दर्शाये गये अनुसार निगम को ₹ 179.95 करोड़ की हानि हुई:

तालिका 4.11 : बाध्यकारी सेवाओं के अंतर्गत बसों का परिचालन

वर्ष	बाध्यकारी सेवाओं के अंतर्गत परिचालन करने वाले आगारों की संख्या	अनुसूचियों की संख्या	कुल परिचालित किमी (लाखों में)	परिचालन हानि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5
2014-15 (जूलाई 2014 से मार्च 2015)	40	275-302	224.36	35.12
2015-16	37	250-280	285.28	40.64
2016-17	37	230-247	263.88	38.33
2017-18	34	212-241	234.75	33.46
2018-19	32	189-221	196.90	32.40
कुल		189-302	1205.17	179.95

स्रोत: निगम के सांख्यिकी अनुभाग द्वारा जूलाई 2014 से मार्च 2019 तक की अवधि हेतु प्रदान की गई बाध्यकारी सेवाओं के अंतर्गत बसों के संचालन की मासिक एमआईएस के अनुसार सूचना।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि राजस्थान सरकार ने जयपुर शहर एवं नगरीय क्षेत्रों में बस सेवाओं के लिए एक विशेष प्रयोजन कम्पनी (एसपीवी) जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड (जेसीटीएसएल) का गठन किया, तथापि निगम ने विद्याधर नगर एवं वैशाली नगर आगार के अंतर्गत साधारण एवं बाध्यकारी मार्गों पर बसों का परिचालन जारी रखा, जिसने भी निगम के कुल परिचालन घाटे में योगदान दिया।

#### अलाभकारी मार्गों पर बसों का संचालन

4.29 मांग की पूर्ति एवं उच्च यात्री भार प्राप्त करने के लिए उचित मार्ग नियोजन आवश्यक है। निगम, मार्गों के स्थान पर, अनुसूची-वार लाभप्रदता का नियोजन एवं निगरानी करता है। निगम ने मार्गवार लाभप्रदता का आंकलन करने के लिए अभिलेख संधारित नहीं किये थे, तथापि, इसने आगार स्तर पर अनुसूची-वार लाभप्रदता का निर्धारण किया। साथ ही, निगम ने अप्रैल 2014 से नवंबर 2017 एवं दिसंबर 2017 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए 52 आगारों के समक्ष क्रमशः 46 एवं 48 आगारों की अनुसूची-वार लाभप्रदता की सूचना प्रदान की। वर्ष 2014-19 के दौरान अनुसूचियों की लाभप्रदता की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 4.12 : 2014-19 के दौरान अनुसूचियों की लाभप्रदता

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अनुसूचियों की संख्या	4003	3836	3745	3990	3866
लाभप्रद अनुसूचियां	276	448	437	737	713
हानि वहन करने वाली अनुसूचियां	3727	3388	3308	3253	3153
लाभप्रद अनुसूचियों का प्रतिशत	7	12	12	18	18

यह देखा जा सकता है कि निगम समीक्षा अवधि के दौरान अधिकांश अनुसूचियों पर परिचालन की लागत को वसूल नहीं कर सका। लेखापरीक्षा विश्लेषण से आगे उजागर हुआ कि 2014-19 के दौरान, निगम को 72 प्रतिशत से 83 प्रतिशत के मध्य अनुसूचियों पर ₹ पांच प्रति किलोमीटर से अधिक की हानि वहन करनी पड़ी। परिचालन की लागत वसूल नहीं कर पाने के कारणों में वाहन उत्पादकता में गिरावट, कम यात्री भार, जो 2014-19 के दौरान 68 से 73 के मध्य था, तथा अधिक ईंधन लागत सम्मिलित थे। साथ ही, 2014-19 के दौरान चयनित 15 आगारों में से 14 आगार 379 परिचालित अनुसूचियों, अर्थात् कुल परिचालित अनुसूची के छह प्रतिशत, में परिवर्तनीय लागत की भी वसूली नहीं कर सके।

अनुच्छेद 4.28 एवं 4.29 के उत्तर में सरकार ने कहा कि निगम की स्थापना का उद्देश्य राज्य की जनता को मितव्ययी, विश्वसनीय एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना था न कि लाभ अर्जन करना। इसने आगे कहा कि परिचालन लागत कम करने एवं हानियों को कम करने के लिए नियमित प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि, कुछ अनियंत्रणीय कारणों जैसे कि जन प्रतिनिधियों की मांग एवं राज्य सरकार के निर्देशों पर अलाभकारी मार्गों पर बसों के परिचालन, डीजल, तेल, कलपूर्जों एवं टायर के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप परिचालन लागत में कमी नहीं की जा सकी। उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संतोषप्रद नहीं है कि निगम ने कारणों का विश्लेषण नहीं किया था एवं तदनुसार इसने मार्गों एवं अनुसूचियों को तर्कसंगत बनाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की थी।

#### ईंधन लागत

4.30 ईंधन, निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष किए गए कुल व्यय का एक प्रमुख लागत तत्व है एवं इसलिये एक पथ परिवहन उपक्रम द्वारा ईंधन की लागत नियंत्रण का इसकी उत्पादकता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। निगम, प्रत्येक आगार के लिए प्रति किलोमीटर डीजल उपभोग/औसत के लिये मासिक लक्ष्य निर्धारित करता है एवं प्रत्येक आगार के प्रदर्शन का आंकलन इन लक्ष्यों के समक्ष किलोमीटर प्रति लीटर (केएमपीएल) में प्राप्त डीजल औसत के आधार पर किया जाता है। सम्पूर्ण निगम के लिए लक्ष्य तय नहीं किया गया था, तथापि, आगार के औसत लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये निगम के लिए लक्ष्य की गणना की गई है। डीजल उपभोग, प्रति लीटर में प्राप्त किलोमीटर (अर्थात् केएमपीएल) एवं अनुमानित अतिरिक्त व्यय का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.13 : डीजल उपभोग एवं प्राप्त किलोमीटर

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	निगम की बसों के परिचालित किलोमीटर (लाखों में)	5879.82	5568.49	5172.38	4595.36	3842.17
2.	वास्तविक उपभोग (लाख लीटर में)	1173.62	1113.70	1022.21	901.05	762.34
3.	प्रति लीटर में परिचालित किलोमीटर (केएमपीएल)	5.01	5.00	5.06	5.10	5.04
4.	निगम द्वारा केएमपीएल का निर्धारित लक्ष्य	5.11	5.13	5.15	5.22	5.17
5.	आंतरिक लक्ष्य के अनुसार उपभोग (लाख लीटर में) (1/4)	1150.65	1085.48	1004.34	880.34	743.17

6.	अधिक उपभोग (लाख लीटर में) (5-2)	22.97	28.22	17.87	20.71	19.17
7.	प्रति लीटर औसत लागत (₹ में)	57.35	46.06	54.30	57.46	67.17
8.	अतिरिक्त व्यय (₹ करोड़ में) (7X6)	13.17	13.00	9.70	11.90	12.88

लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम 2014-19 के दौरान औसत डीजल लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा। साथ ही, निगम ने केएमपीएल के लक्ष्यों को वर्ष 2017-18 के लिये 5.22 से घटाकर 2018-19 में 5.17 कर दिया। 2014-19 के दौरान, चयनित 15 आगारों में से, वर्ष 2015-16 में राजसमंद आगार एवं वर्ष 2017-18 में करौली आगार को छोड़कर, कोई भी आगार केएमपीएल के आगार-वार लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। साथ ही, इस अवधि के दौरान डुंगरपुर आगार का प्रदर्शन निरंतर खराब होता गया क्योंकि यह वर्ष 2014-15 में 4.88 केएमपीएल से घटकर 2018-19 में 4.52 केएमपीएल हो गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि केएमपीएल के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने का कारण, मुख्य रूप से आयुपार वाहनों का परिचालन था, जो कि 322 से बढ़कर मार्च 2019 तक 749 अर्थात् निगम की कुल बसों का 18.46 प्रतिशत तक हो गई थी। निगम ने समीक्षा अवधि के दौरान स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये गये अपने आंतरिक लक्ष्यों की तुलना में ₹ 60.65 करोड़ मूल्य के 108.94 लाख लीटर ईंधन का अधिक उपभोग किया।

सरकार ने कहा कि कम डीजल औसत का मुख्य कारण पुराना बेड़ा है। इसने आगे कहा कि आयुपार बेड़े को बदलने के लिए नई बसों का प्रापण नहीं किया जाना, मानवशक्ति की कमी, नियमित रखरखाव के लिए समय पर कलपुर्जों की अनुपलब्धता के कारण डीजल के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके, तथापि, इंजन की मरम्मत एवं अनुरक्षण तथा चालकों को प्रशिक्षण देने के माध्यम से ईंधन दक्षता में सुधार के लिए नियमित प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर संतोषजनक नहीं था, क्योंकि निगम को डीजल उपभोग के लक्ष्य निर्धारित करते समय आयुपार बेड़े की संख्या के संबंध में जानकारी थी। इसके अतिरिक्त, क्रय की गई नई बसों के उपयोग के पश्चात भी केएमपीएल 2017-18 में 5.10 की तुलना में 2018-19 में घटकर 5.04 हो गया है।

#### **राजस्व किलोमीटर से अधिक के लिए बसों का परिचालन**

**4.31** अनाधिक किलोमीटर से आशय बस स्टैंड एवं आगार कार्यशाला अथवा ईंधन भरने के स्थान के मध्य बसों के परिचालन, पड़ाव, मरम्मत एवं पुनर्स्थापना, फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बसों को भेजने एवं मार्गों के परिवर्तन के कारण परिचालित किलोमीटर इत्यादि से है। सकल परिचालित किलोमीटर एवं प्रभावी राजस्व किलोमीटर में अंतर अनाधिक किलोमीटर हैं।

चयनित 15 आगारों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्गों के परिवर्तन के कारण बसों का परिचालन राजस्व किलोमीटर से अधिक था। इन प्रकरणों में, मार्ग का परिवर्तन अल्प समय के लिए अथवा किसी विशेष कारण से नहीं किया गया था, परन्तु बायपास मार्गों से बसों के परिचालन के कारण अतिरिक्त किलोमीटर परिचालित हुए। इस प्रकार, यह मार्ग परिवर्तन स्थायी प्रकृति के थे एवं राजस्व किलोमीटर में संशोधन करके अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया वसूल किया जाना चाहिए था। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम द्वारा किराये में

संशोधन नहीं करने के कारण समीक्षा अवधि के दौरान 15 आगारों में ₹ 44.49 करोड़<sup>20</sup> के राजस्व की हानि हुई।

सरकार ने तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा कि यात्री किराया अनुसूचित किलोमीटर के अनुसार प्रभारित किया जाता है, तथापि, कुछ स्थानों पर, प्रशासनिक कारणों से वाहनों का परिचालन अनुसूचित मार्गों के स्थान पर बायपास या अन्य मार्गों से किया जा रहा है। इसने आगे कहा कि संबंधित आगार से सूचना प्राप्त होने पर किराया संशोधित किया जाता है एवं सामान्य रूप से, किराया वास्तव में परिचालित किलोमीटर के अनुसार वसूल किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि चयनित आगारों में मार्गों में परिवर्तन स्थायी प्रकृति के थे, परन्तु वास्तव में परिचालित किलोमीटर के अनुसार किराये में संशोधन का प्रस्ताव अभिलेखों में नहीं पाया गया था।

### **सुधारबद्ध योजना के मापदंडों की उपलब्धि का अभाव**

**4.32** निगम वर्ष 1997-98 से हानि वहन कर रहा था एवं मार्च 2014 को संचित हानियां ₹ 1975 करोड़ तक बढ़ गई थी। निगम की सुधार योजना (आरए) से संबद्ध अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सहमति व्यक्त की गई (मार्च 2014)। वर्ष 2014-15 के दौरान सुधार योजना अनुमोदित हुई थी (अप्रैल 2014) एवं आरए के अंतर्गत निर्मित सुधारबद्ध योजना (आरएलपी) में निम्न मापदंडों को सम्मिलित किया गया था:

- यात्री भार के वर्तमान स्तर 74 प्रतिशत की तुलना में माह-वार 72 प्रतिशत से 82 प्रतिशत के मध्य वृद्धि।
- बस बेड़े के युक्तिकरण, प्रति किलोमीटर स्थायी लागत का नियंत्रण एवं परिचालन मार्गों एवं अनुसूचियों की गहन समीक्षा कर परिवर्तनशील लागत + ₹ 5 प्रति किलोमीटर से कम आय देने वाले मार्गों को पुनः निर्धारित करना/बंद करना।
- 2014-15 में 5 केएमपीएल की डीजल औसत के साथ प्रत्येक वर्ष में 0.05 केएमपीएल की वृद्धि।

बजट भाषण (जुलाई 2014) में राज्य सरकार ने, निगम को आरएलपी के मापदंडों की प्राप्ति पर प्रति माह ₹ 10 करोड़ का अनुदान देने की घोषणा की। लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम, केवल 2014-15 के दौरान आरएलपी के मापदंडों की उपलब्धि पर ₹ 70 करोड़ का अनुदान प्राप्त कर सका (अप्रैल से जून 2014 एवं जनवरी 2015 के महीनों के लिये 100 प्रतिशत एवं डीजल औसत के केवल एक लक्ष्य की प्राप्ति के कारण जुलाई से दिसंबर 2014 माह के लिये 50 प्रतिशत)।

इसी प्रकार, निगम ने 2015-16 के लिए 73 प्रतिशत औसत यात्री भार, बस बेड़े के युक्तिकरण, किराये अथवा सरकार से अनुमति प्राप्त कर बसों के क्रय द्वारा बेड़े के वर्तमान स्तर को बनाये रखना एवं 5.01 केएमपीएल डीजल औसत के लक्ष्यों के साथ, आरएलपी को तैयार किया (अप्रैल 2015)। परिवहन विभाग (टीडी) की समीक्षा बैठक (11 मई 2015) में यह निर्देश दिये गए थे कि निगम, हानि कम करने एवं कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए

20 2014-15 में ₹ 8.01 करोड़, 2015-16 में ₹ 9.16 करोड़, 2016-17 में ₹ 9.96 करोड़, 2017-18 में ₹ 8.89 करोड़ एवं 2018-19 में ₹ 8.47 करोड़।



विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करें। बजट समीक्षा बैठक में निगम द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2014-15 की तुलना में लक्ष्यों को कम करते हुए वर्ष 2015-16 के लिए आरएलपी को स्वीकार नहीं किया (मई 2015) एवं निगम को 2014-15 के आरएलपी के अनुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। निगम वर्ष 2015-16 के किसी भी माह में मापदंड को प्राप्त नहीं कर सका।

वर्ष 2016-17 के लिए आरएलपी में निगम ने अन्य मापदंडों को दोहराते हुए 74.25 प्रतिशत का यात्री भार एवं 5 केएमपीएल का डीजल औसत प्रस्तावित किया (फरवरी 2016)। परिवहन विभाग ने प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया (अप्रैल 2016)। वर्ष 2016-17 के आरएलपी में निर्धारित मापदंडों को प्राप्त नहीं करने के कारण, निगम को केवल ₹ 40 करोड़ का अनुदान (अप्रैल, मई, जून एवं अगस्त 2016 के लिए) प्राप्त हो सका था। राज्य सरकार ने आरएलपी अनुदान को अप्रैल 2017 से बंद कर दिया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम ने आरएलपी के मापदंडों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार नहीं की थी। साथ ही, बस बेड़े को युक्तिकरण नहीं करने, अलाभकारी मार्गों के पुनर्निर्धारण/बंद करने के लिए मार्ग वार लाभप्रदता की समीक्षा नहीं किया जाना एवं आगारों, जिनका डीजल उपभोग में प्रदर्शन कमजोर था, की सामयिक प्रभावी निगरानी नहीं करने के कारण, निगम 2014-15 से 2016-17 के दौरान ₹ 250 करोड़ की अनुदान राशि प्राप्त करने से वंचित हो गया।

सरकार ने कहा कि आरएलपी के मापदंड, वर्षा ऋतु, कर्मचारियों की कमी, औसत डीजल लक्ष्य, नई बसों के प्रापण नहीं होने तथा आयुवार बेड़े के कारण प्राप्त नहीं किये जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि निगम ने इन कारकों पर विचार करते हुए आरएलपी के लक्ष्य प्रस्तावित किये थे एवं वह ही सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए थे।

सरकार ने अपने बाद के उत्तर में कहा कि आरएलपी मापदंडों को प्राप्त नहीं किए जाने के कारण, निगम ने इसकी शीतकालीन समय सारणी 2019 से कम यात्री भार वाली अनुसूचियों के परिचालन में कटौती की है। तथ्य यह रहा कि आरएलपी मापदंडों को प्राप्त करने को सुनिश्चित किये जाने हेतु पर्याप्त प्रयासों के अभाव में निगम, राज्य सरकार से महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता की प्राप्ति से वंचित रहा।

### केंद्रीय कार्यशाला जयपुर का प्रदर्शन

**4.33** बसों की प्रमुख मरम्मत या दुर्घटना जनित मरम्मत केन्द्रीय कार्यशाला (सीडब्ल्यूएस) में की जाती है। निगम की अनुरक्षण नियमावली में सीडब्ल्यूएस द्वारा बस के अनुरक्षण हेतु कार्यशाला में बस को रखने के दिनों का उल्लेख नहीं है; तथापि, प्रचलन के अनुसार 30 दिनों से अधिक के लिए केंद्रीय कार्यशाला में कोई वाहन नहीं रखा जाना चाहिए। 2014-19 के दौरान बसों की मरम्मत हेतु सीडब्ल्यूएस जयपुर द्वारा लिये गए समय का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.14 : सीडब्ल्यूएस जयपुर में बसों की मरम्मत

(आंकड़े संख्या में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
मरम्मत की गई बसों की कुल संख्या	336	173	42	322	272
30 दिनों के अंतर्गत मरम्मत	273	101	17	173	177



समय पर मरम्मत की गई बसों का %	81	58	40	54	65
30 दिनों से अधिक में बसों की मरम्मत:					
31-60 दिन	60	66	6	57	36
61-90 दिन	3	16	9	36	18
91-365 दिन	0	0	10	55	36
365 दिन से अधिक	0	0	0	0	4

नोट: निगम ने दिसम्बर 2015 से फरवरी 2017 की अवधि के लिए सूचना प्रदान नहीं की थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सीडब्ल्यूएस, जयपुर के कार्य निष्पादन की स्थिति कमजोर थी, क्योंकि वर्ष 2014-15 में 81 प्रतिशत बसों की सामयिक मरम्मत के समक्ष वर्ष 2018-19 में मात्र 65 प्रतिशत बसों की मरम्मत समय पर की गई थी। साथ ही, 2017-18 एवं 2018-19 में स्थिति बहत अधिक खराब हो गई क्योंकि सीडब्ल्यूएस ने 145 बसों की मरम्मत के लिए 61 से 365 दिन तक का समय लिया जबकि चार बसों की मरम्मत में 365 दिनों से भी अधिक का समय लिया गया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि कर्मचारियों की अत्यधिक कमी, मांग के समक्ष केन्द्रीय भंडार एवं अन्य सीडब्ल्यूएस (सीडब्ल्यूएस, अजमेर) द्वारा कलपूर्जों/मरम्मत किये गये इंजनों को उपलब्ध करवाने में विलंब के कारण बसों की मरम्मत समय से नहीं की जा सकी थी। इसने आगे आश्वस्त किया कि निगम तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती एवं कार्य को संविदात्मक आधार पर करवाने का प्रयास कर रहा है। यह दर्शाता है कि सीडब्ल्यूएस एवं केन्द्रीय भंडार में उचित समन्वय नहीं था।

#### वाहनों का रखरखाव

**4.34** निगम ने दो निवारक रखरखाव सारणी निर्धारित की हैं यथा (1) लीलैंड/टाटा बसों के लिये क्रमशः 16,000 किमी/18,000 किमी की पूर्णता पर जिसमें तेल बदलना, पहिया संरेखण, ईंधन इंजेक्शन पंप की सफाई, इंजन ट्यूनिंग, ब्रेक समायोजन इत्यादि एवं (2) 40,000 किमी पूर्ण होने पर सघन मरम्मत रखरखाव जिसमें इंजन, स्प्रिंग लीव्स, पहियों, ब्रेक, ईंधन इंजेक्शन पंप, शीतलन प्रणाली इत्यादि की पूर्ण जांच एवं मरम्मत तथा गियर तेल को बदलना, बस बॉडी का कार्य आदि आगार कार्यशाला में किये जाते हैं।

चयनित 15 आगारों में संवीक्षा से उजागर हुआ कि मानदंडों के अनुसार सघन मरम्मत रखरखाव का कार्य नहीं किया गया था जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 4.15 : बसों का सघन मरम्मत रखरखाव

वर्ष	कुल की गई मरम्मत	समय पर मरम्मत	विलम्ब से मरम्मत	विलम्ब से की गई मरम्मत का %	किलोमीटर की सीमा
2014-15	1523	523	1000	65.66	41288-84461
2015-16	2166	485	1681	77.61	43235-99902
2016-17	1784	481	1303	73.04	44888-98206
2017-18	1498	418	1080	72.10	42242-98846
2018-19	1551	320	1231	79.37	42772-84182
	<b>8522</b>	<b>2227</b>	<b>6295</b>	<b>73.86</b>	

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान 74 प्रतिशत बसों के मरम्मत का कार्य 40000 किलोमीटर से अधिक परिचालन के पश्चात, जो कि 41288 से 99902 किमी के मध्य था, पर किया गया था। मरम्मत में विलम्ब की परिणति ईंधन के कम औसत, बार-बार यंत्रदोष एवं मुख्य मरम्मत के लिए बस को सीडब्ल्यूएस में भेजने के रूप में हुई।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि गत वर्षों में पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन किये जाने हेतु नये वाहनों को क्रय नहीं किये जाने, मानवशक्ति में निरंतर कमी, प्रतिदिन पुराने बेड़े में यांत्रिक कार्य में वृद्धि एवं कलपर्जों की अनुपलब्धता, के कारण समय पर मरम्मत पूर्ण नहीं की जा सकी, तथापि, मरम्मत कार्य को समय पर निष्पादित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तथ्य यह रहा कि मरम्मत कार्य को समय पर नहीं करने के कारण निगम को कम ईंधन दक्षता एवं बार-बार यंत्रदोष की समस्या का सामना करना पड़ा था।

## आंतरिक नियंत्रण तंत्र

### आंतरिक लेखापरीक्षा

**4.35** आंतरिक लेखापरीक्षा एक संगठन के कार्यकलापों पर आंतरिक नियंत्रण बनाए रखने का तरीका है। निगम के वित्त विभाग की नियमावली का अध्याय 9 आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के कार्य विहित करता है, जिसमें अन्य कार्यों के साथ राजस्व पक्ष, व्यय पक्ष की लेखापरीक्षा एवं बृकिंग कार्यालयों की लेखापरीक्षा सम्मिलित है। बसों एवं कार्यशालाओं के संचालन एवं उपयोग की लेखापरीक्षा का कार्य आंतरिक लेखापरीक्षा को नहीं सौंपा गया था। लेखापरीक्षा में देखा कि मार्च 2019 को, निगम की 58 लेखाकंन इकाइयों में से केवल दो इकाइयों की वर्ष 2018-19 आंतरिक लेखापरीक्षा तक पूर्ण की गई थी। शेष 56 इकाइयों में से, 4 इकाइयों, 20 इकाइयों, 22 इकाइयों, 3 इकाइयों एवं 7 इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा क्रमशः पांच वर्ष, चार वर्ष, तीन वर्ष, दो वर्ष एवं एक वर्ष से लंबित थी। साथ ही, 31 मार्च, 2019 को आंतरिक लेखापरीक्षा के कुल 3052 बकाया अनुच्छेदों में से, 1993-94 से 2002-03 की अवधि के लिए आठ संभागों के 222 अनुच्छेद बकाया थे। यह आंतरिक लेखापरीक्षा की अप्रभावशीलता तथा शीर्ष प्रबंधन द्वारा निगरानी के अभाव को भी दर्शाता था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि लेखाकंन कार्मिकों की अत्यधिक कमी के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्य में विलम्ब हुआ है। साथ ही, 1993-94 से 2002-03 तक की अवधि से संबंधित 222 बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अधिकांश प्रकरणों में सरकारी संगठनों व सेवानिवृत्त/पदच्युत/मृत कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित कानूनी विवाद एवं वसूलियों के कारण इन प्रकरणों के निपटान में विलम्ब हुआ है।

### निष्पादन संकेतकों की निगरानी

**4.36** पथ परिवहन निगम जैसे संगठन के लिए मितव्ययतापूर्ण, दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से संचालन में सफल होने हेतु, लक्ष्यों एवं मापदंडों की प्राप्ति को प्रतिवेदित करने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) होनी चाहिए। उपलब्धियों की समीक्षा, कमियों के समाधान तथा आगामी वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक है। निगम में एक सांख्यिकीय प्रकोष्ठ है जो कि विभिन्न निष्पादन संकेतकों के लिए आगारों से प्राप्त मासिक सूचना का

संकलन करता है एवं इसकी मासिक सूचना कार्यकारी निदेशकों, अभियांत्रिकी एवं यातायात तथा वित्त सलाहकार को देता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इस प्रणाली में कमी थी क्योंकि विभिन्न मापदंडों पर संकलित सूचना की प्रभावशीलता एवं उपयोगिता की समीक्षा नहीं की गई थी। साथ ही, एमआईएस परिवर्तनशील लागत से नीचे संचालित अनुसूचियों की सूचना प्रदान नहीं करता था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि गत वर्ष की समान अवधि से परिणामों की तुलना के साथ मात्र संक्षिप्त तिमाही परिचालनात्मक परिणाम निदेशक मंडल (बीओडी) के समक्ष रखे जाते हैं, परन्तु विभिन्न निष्पादन संकेतकों की आगार-वार सूचना से बीओडी को अवगत नहीं करवाया गया था। इसके अभाव में, बीओडी, आगारों के संचालन में कमजोर प्रदर्शन के संबंध में सूधारात्मक कार्यवाही की सिफारिश करने की स्थिति में नहीं था। इसके अतिरिक्त, बसों को किराये पर लेने के निर्णय लेते समय निगम ने बेड़ा उपयोगिता एवं वाहन उत्पादकता आदि से संबंधित आंकड़ों का उपयोग नहीं किया था।

सरकार ने कहा कि सांख्यिकीय शाखा, प्रत्येक महीने आगार-वार परिचालनात्मक परिणाम तैयार करती है एवं इसके आधार पर शीर्ष प्रबंधन, उन आगारों, जहां तुलनात्मक गिरावट देखी जाती है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करता है। परिचालित किलोमीटर, यात्री भार एवं ईंधन की दक्षता के संबंध में, परिचालन परिणामों का तुलनात्मक विवरण, जब भी वांछित हो, बीओडी के समक्ष रखा जाता है। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि निगम ने गत वर्ष के अनुरूपी समकों से तुलना करते हुए परिचालन परिणामों को केवल संक्षेप में रखा था। एक व्यापक एमआईएस से बीओडी को सूचना आधारित बेहतर निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होगी।

## निष्कर्ष एवं सिफारिशें

### निष्कर्ष

निगम, वर्ष 2014-19 के दौरान बेड़े की क्षमता बढ़ाने के उपरान्त भी राज्य में सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती मांग की पूर्ति करने में सक्षम नहीं था क्योंकि राज्य के कुल स्टेज कैरिज में (लगभग 10 प्रतिशत) एवं प्रतिदिन औसत वाहित यात्रियों (एक प्रतिशत) के रूप में निगम की प्रतिशत हिस्सेदारी बहुत कम रही। निगम ने नये परमिट प्राप्त करने से पूर्व मार्ग सर्वेक्षण एवं मार्गों पर चलने वाली बसों की व्यावहार्यता का आंकलन नहीं किया था। बसों की आवश्यकता आवंटन के आंकलन से संबंधित नीति/तंत्र अपूर्ण/दोषपूर्ण था क्योंकि बसों के प्रापण/अनुबंध पर किराये पर लेने हेतु आवधिक योजनाएं तैयार नहीं की गई थी। साथ ही, आगार-वार आवश्यकता की सूचना प्राप्त किए बिना ही बसों की आवश्यकता का आंकलन एवं आवंटन किया गया था। निगम ने आरटीपीपी अधिनियम 2012 / नियम 2013 के प्रावधानों की उचित अनुपालना सुनिश्चित नहीं की थी। साथ ही, नये चेसिस/बसों के लिए जारी किए गये क्रय/फेब्रिकेशन आदेश भी दोषपूर्ण/अपूर्ण थे। निगम ने ईएमडी/सुरक्षा जमा राशि जब्त नहीं करके, बिना शास्ति लगाये समय विस्तार की अनुमति इत्यादि के द्वारा ठेकेदारों को अदेय लाभ प्रदान किया। निगम ने बसों के परिचालन की उचित आवश्यकता तथा व्यावहार्यता का आंकलन किये बिना ही, लक्जरी

एवं गैर-लक्जरी बसों को किराये पर लिया/लगाया तथा अलाभकारी मार्गों पर परिचालित किया। निगम अधिकांश अनुसूचियों की परिचालन की लागत भी वसूल नहीं कर सका, क्योंकि अलाभकारी मार्गों पर अनुसूचियों के परिचालन; बाध्यकारी सेवाओं के अंतर्गत परिचालन; डीजल औसत लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने के कारण ब्रेक इवन यात्री भार बहुत अधिक था। किराये में संशोधन किये बिना, बसों का मार्ग बदलने के कारण राजस्व किलोमीटर से अधिक बसों के परिचालन ने लाभप्रदता को विपरीत रूप से प्रभावित किया। केन्द्रीय कार्यशाला, जयपुर का प्रदर्शन असंतोषजनक था क्योंकि बसों की समय पर मरम्मत करने का प्रतिशत 2014-15 में 81 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 65 प्रतिशत हो गया। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली कमजोर थी तथा शीर्ष प्रबंधन ने प्रमुख परिचालनात्मक मानदण्डों की निगरानी हेतु एमआईएस का प्रभावी उपयोग नहीं किया। संक्षेप में, निगम राज्य में प्रभावी, पर्याप्त एवं उचित रूप से समन्वित सार्वजनिक पथ परिवहन सेवाएं प्रदान करने के अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में विफल रहा। साथ ही, संचित हानियों ने निवल मूल्य का पूर्णतया क्षरण कर दिया क्योंकि प्रबंधन निगम की परिचालनात्मक एवं वित्तीय दक्षता को सुनिश्चित नहीं कर सका।

### सिफारिशें

हम सिफारिश करते हैं कि सरकार द्वारा निगम को निर्देश जारी किये जाने चाहिए कि:

- सार्वजनिक परिवहन में इसकी हिस्सेदारी में वृद्धि करने के अपने प्रयासों में सुधार करे;
- नियोजित अनुसूची एवं बसों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बसों के प्रापण/किराये पर लिए जाने की आवश्यकता के आंकलन हेतु एक प्रणाली विकसित करे;
- आरटीपीपी अधिनियम एवं नियमों की अनुपालना के साथ-साथ ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पादित संविदा अनुबंधों के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करे;
- बेड़े के इष्टतम उपयोग, वाहन उत्पादकता में सुधार, यात्री भार में सुधार, स्थायी लागत एवं ईंधन लागत में कमी करने हेतु ठोस कदम उठाये; एवं
- आंतरिक लेखापरीक्षा एवं निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करे।

साथ ही, यदि निगम इसके परिचालन एवं वित्तीय निष्पादन में लक्षित समय सीमा के भीतर सुधार नहीं करता है, तो सरकार निगम के परिचालनों की निरन्तरता बनाए रखने के संबंध में अंतिम निर्णय कर सकती है।

## अध्याय-V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के उपक्रमों से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

**राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के उपक्रमों से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप**

राज्य सरकार की ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के व्यवहारों की नमूना जांच के दौरान ज्ञात हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में सम्मिलित किये गए हैं।

**राजस्थान वित्त निगम**

**5.1 राजस्थान वित्त निगम में गैर निष्पादन सम्पत्तियों (एनपीए) का प्रबंधन**

**परिचय**

**5.1.1** राजस्थान वित्त निगम (निगम) का गठन (17 जनवरी 1955) राजस्थान में सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्योगों<sup>1</sup> को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (एसएफसी अधिनियम) के अन्तर्गत किया गया था। राज्य वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार, निगम, औद्योगिक इकाइयों, जिनकी प्रदत्त पूंजी एवं मुक्त कोष ₹ 30 करोड़ से अधिक नहीं है, को अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमाओं में वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। तदनुसार, निगम की ऋण नीति 2018-19 में कंपनी या सहकारी समिति को ₹ 20 करोड़ एवं किसी अन्य प्रकरण में ₹ आठ करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। निगम ऋणों की लागू ब्याज सहित समान त्रैमासिक किश्तों के रूप में समयबद्ध वसूली को सुनिश्चित करने हेतु ऋणीयों को ऋण अनुबंध के अनुसार वसूली की एक अनुसूची सूचित करता है। चूक की स्थिति में, उधारकर्ता के पास बकाया न चुकाने के लिए वैध कारण होने पर निगम को किश्तों/ऋण को फिर से निर्धारित करने, स्थगित करने, आस्थगित करने एवं पुनर्निर्धारित करने का अधिकार है। निगम एसएफसी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत बकाया की वसूली के लिए भी कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है।

निगम के कार्यकलापों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन एवं प्रबंधन निदेशक मंडल (बीओडी) में निहित है। 31 मार्च 2019 को, निदेशक मंडल में एक अध्यक्ष एवं एक प्रबंध निदेशक सहित आठ निदेशक सम्मिलित थे। प्रबंध निदेशक निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं एवं उनकी

1 उत्पादन, निर्माण एवं प्रसंस्करण या संरक्षण में लगे उद्योग के लिए, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एक ऐसे उद्योग को संदर्भित करते हैं जहां संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश क्रमशः ₹ 25 लाख, ₹ 25 लाख से ₹ 5 करोड़ एवं ₹ 5 करोड़ से ₹ 10 करोड़ से अधिक नहीं हो, जबकि सेवायें प्रदान करने वाले उद्योग के लिए, यह एक ऐसे उद्योग को संदर्भित करता है जहां उपकरणों में निवेश क्रमशः ₹ 10 लाख, ₹ 10 लाख से ₹ 2 करोड़ एवं ₹ 2 करोड़ से ₹ 5 करोड़ से अधिक नहीं हो। इसमें होटल, रिजोर्ट, गेस्ट हाउस, मल्टीप्लेक्स, अस्पताल एवं वाणिज्यिक अचल सम्पत्ति परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं।

सहायता दो कार्यकारी निदेशकों, महाप्रबंधकों, उप-महाप्रबंधकों (डीजीएम), विभागीय प्रमुखों एवं शाखा प्रबंधकों द्वारा की जाती हैं। निगम के 31 मार्च 2019 को 22 शाखा<sup>2</sup> कार्यालय थे।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निर्धारित किया (जुलाई 2015) कि यदि ब्याज अथवा मूलधन की किश्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है, तो ऋणों को गैर निष्पादित सम्पत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निगम ने अपनी स्थापना के पश्चात से कुल ₹ 6175.06 करोड़ की राशि के ऋण स्वीकृत किये हैं तथा 31 मार्च 2019 को उधारकर्ताओं से वसूले जाने वाले कुल बकाया ₹ 868.47 करोड़ (2950 ऋण स्वाते) थे। इन ऋण स्वातों में से, 1652 ऋण स्वाते जिनमें ₹ 666.99 करोड़ (76.80 प्रतिशत) बकाया था एवं 1298 ऋण स्वाते जिनमें ₹ 201.48 करोड़ (23.20 प्रतिशत) बकाया था को क्रमशः मानक सम्पत्तियों एवं गैर निष्पादन सम्पत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अतः एनपीए का स्तर बहुत अधिक था जिसके परिणामस्वरूप निगम में हानियों का संचय हुआ।

### लेखापरीक्षा के उद्देश्य एवं क्षेत्र

**5.1.2** वर्तमान अध्ययन यह मूल्यांकन करने के लिए किया गया (जनवरी 2019 से जून 2019 तक) था कि क्या बकाया की वसूली एवं चूक के प्रकरण में की गई कार्यवाही एसएफसी अधिनियम, 1951 के प्रावधानों एवं निगम द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुसार थी, एनपीए का वर्गीकरण भारत सरकार, आरबीआई एवं निगम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार था, निगम ने एनपीए में कमी एवं पुराने बकाया की वसूली के लिए पर्याप्त प्रयास किए थे, बकाया राशियों का निस्तारण अनुमोदित नीतियों के अनुसार किया गया था एवं समय-समय पर लागू की गई एक-मुश्त निपटारा (ओटीएस) योजनाएं अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही थी।

अध्ययन में 2015-16 से 2018-19 के दौरान निगम में एनपीए के प्रबंधन का आंकलन किया गया। लेखापरीक्षा में, निगम के मुख्यालय एवं 24 शाखा कार्यालयों में से चयनित आठ<sup>3</sup> शाखा कार्यालयों के 2015-16 से 2018-19 की अवधि के अभिलेखों की जांच सम्मिलित थी। निगम के सात प्रशासनिक प्रभागों में से प्रत्येक से यादृच्छिक नमूने का उपयोग करके शाखा कार्यालयों के 25 प्रतिशत का चयन बहु-स्तरीय चयन पद्धति को अपनाकर किया गया था। नमूना चयन के समय (फरवरी 2019), चयनित शाखा कार्यालयों में एनपीए के कुल 554 प्रकरण थे, जिसमें से 169 प्रकरण (30 प्रतिशत) उच्चतम मौद्रिक मूल्य के आधार पर, वाणिज्यिक अचल सम्पत्ति (सीआरई) क्षेत्र के एनपीए के सभी सात प्रकरणों<sup>4</sup> के साथ, विस्तृत अध्ययन के लिए चुने गये थे।

2 निगम ने 2018-19 के दौरान दो शाखा कार्यालयों यथा चित्तौड़गढ़ का भीलवाड़ा शाखा कार्यालय में एवं राजसमंद का उदयपुर शाखा कार्यालय में विलय (दिसम्बर 2018 एवं फरवरी 2019) हो गया।

3 आबूरोड़, भिवाड़ी, बीकानेर, जयपुर (केन्द्रीय), झालावाड़, किशनगढ़, सवाईमाधोपुर एवं उदयपुर।

4 इनमें से तीन प्रकरण चयनित शाखा कार्यालयों से संबंधित 169 चयनित प्रकरणों में सम्मिलित है एवं शेष चार प्रकरण निगम के अन्य शाखा कार्यालयों से संबंधित हैं।

### एनपीए प्रकरणों में वसूली के लिए एसएफसी अधिनियम, 1951 एवं अन्य प्रासांगिक कानूनों की रूपरेखा

**5.1.3** निगम को एसएफसी अधिनियम 1951 की धारा 29, 30, 31 एवं 32 के प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक उपायों के साथ सशक्त एवं संपन्न बनाया गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

- धारा 29 औद्योगिक इकाई के प्रबंधन या स्वामित्व अथवा दोनों को लेने का अधिकार प्रदान करती है एवं साथ ही साथ निगम को प्रत्याभूत, गिरवी, दृष्टिबंधक अथवा सौंपी गई सम्पत्ति को पट्टे अथवा विक्रय के द्वारा हस्तांतरित कर के वसूली का अधिकार प्रदान करती है;
- धारा 30 निगम को सहमत अवधि से पहले पूर्ण पुनर्भुगतान की मांग करने की अनुमति प्रदान करती है;
- धारा 31 दीवानी मुकदमा दायर करके दावों के प्रवर्तन के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है एवं
- धारा 31 के अन्तर्गत दायर किए जाने वाले आवेदन के संबंध में प्रक्रिया धारा 32 निर्दिष्ट करती है। धारा 32-जी (जो कि अगस्त 1985 में अधिनियम में संशोधन के दौरान सम्मिलित की गई) निगम को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से भू-राजस्व के बकाया के रूप में अपना बकाया वसूलने की अनुमति देती है।

धारा 29, 30, 31 एवं 32-जी के विस्तृत प्रावधान **अनुबंध-19** में दिये गए हैं। इसके अतिरिक्त, निगम, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) 2016 आदि के प्रावधानों के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही करने का विकल्प चुन सकता है।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

**5.1.4** लेखापरीक्षा निष्कर्षों में मुख्य रूप से औद्योगिक ऋण में निगम की हिस्सेदारी, एनपीए के उच्च स्तर, ऋणों के विस्तार एवं वसूली में कमियां/अनियमितताएं, बकाया की वसूली के लिए विलंबित/अपर्याप्त कानूनी कार्यवाही, धारित इकाइयों के निस्तारण में विलम्ब आदि से संबंधित प्रकरण सम्मिलित हैं।

यह लेखापरीक्षा निष्कर्ष केवल चयनित प्रकरणों के हमारे विश्लेषण पर आधारित हैं एवं निगम में इस तरह के अन्य प्रकरण होने की संभावना हो सकती है। इसलिए, सरकार/निगम से अपेक्षा की जाती है कि वह अन्य सभी प्रकरणों, जिनमें समरूप कमियों/अनियमितताओं की संभावना हो की समीक्षा करें तथा जिन प्रकरणों में समरूप कमियां/अनियमितताएं पाई जाती हैं उनमें सुधारात्मक कार्यवाही करें।

समापन सभा (14 अगस्त 2019) के दौरान प्रबंधन के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों एवं सरकार द्वारा प्रस्तुत उत्तर (नवंबर 2019) पर विचार करने के पश्चात आक्षेप को अंतिम रूप दिया गया है।



### औद्योगिक ऋण में निगम की हिस्सेदारी

**5.1.5** निगम की स्थापना राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। चूंकि निगम भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना जमाओं को स्वीकार करने हेतु अधिकृत नहीं था, अतः इसने भारतीय लघु उद्योग विकास निगम (सिडबी) से पुर्नवित्त सुविधा की व्यवस्था की। सिडबी से पुर्नवित्त सुविधा वित्तीय वर्ष 2013-14 से समाप्त कर दी गई थी एवं तत्पश्चात् निगम के व्यवसाय में अत्यधिक कमी आयी। वित्तीय सहायता (बकाया ऋणों) को प्रदान किये जाने में निगम की उपलब्धि का विश्लेषण राजस्थान में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋणों के साथ किया गया है, जैसा नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 5.1.1: औद्योगिक ऋण में निगम की हिस्सेदारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
प्रावधान के पश्चात शुद्ध बकाया ऋण				
राजस्थान वित्त निगम	480.95	525.20	629.07	715.72
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	39900.00	42200.00	49000.00	उ. न.
कुल शुद्ध बकाया ऋण	40380.95	42725.20	49629.07	-
कुल बकाया ऋणों में आरएफसी की हिस्सेदारी (%)	1.19	1.23	1.27	-

इसके अतिरिक्त, निगम की दक्षता की जाँच हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की कार्मिक लागत का अन्य दो एसएफसी यथा केरल वित्त निगम एवं कर्नाटक राज्य वित्त निगम के साथ तुलनात्मक विश्लेषण भी किया गया था। विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका 5.1.2: वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की कार्मिक लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>अ. स्वीकृत राशि</b>				
राजस्थान वित्त निगम	328.20	410.22	386.68	314.89
केरल वित्त निगम	1025.99	385.31	723.93	1644.95
कर्नाटक राज्य वित्त निगम	731.94	733.43	842.13	1098.73
<b>ब. कार्मिक लागत</b>				
राजस्थान वित्त निगम	39.04	39.31	47.23	43.16
केरल वित्त निगम	27.01	28.63	34.08	36.10
कर्नाटक राज्य वित्त निगम	66.52	66.72	68.38	83.59
<b>स. कार्मिक लागत की कुल स्वीकृत राशि से प्रतिशतता</b>				
राजस्थान वित्त निगम	11.90	9.58	12.21	13.71
केरल वित्त निगम	2.63	7.43	4.71	2.19
कर्नाटक राज्य वित्त निगम	9.09	9.10	8.12	7.61

निगम एमएसएमई क्षेत्र की औद्योगिक ऋण हेतु बढ़ती हुई मांग के साथ गति बनाये रखने में असमर्थ रहा था क्योंकि 2015-18 के दौरान निगम का पोर्टफोलियो औद्योगिक क्षेत्र के कुल बकाया ऋणों के 1.19 प्रतिशत व 1.27 प्रतिशत के मध्य रहा। साथ ही, निगम की कार्मिक लागत कुल स्वीकृत ऋण के अनुपात में बहुत अधिक थी एवं इसी अवधि के दौरान केरल वित्त

निगम (2.19 प्रतिशत व 7.43 प्रतिशत के मध्य) एवं कर्नाटक राज्य वित्त निगम (7.61 प्रतिशत व 9.10 प्रतिशत के मध्य) की तुलना में 2015-19 के दौरान 9.58 प्रतिशत व 13.71 प्रतिशत के मध्य रही। लेखापरीक्षा ने देखा कि कर्नाटक राज्य वित्त निगम का प्रदर्शन अच्छा था क्योंकि इसका ऋण पोर्टफोलियो 2015-19 के दौरान ₹ 732 करोड़ से बढ़कर ₹ 1099 करोड़ हो गया जबकि 2016-19 के दौरान निगम का पोर्टफोलियो ₹ 410 करोड़ से घटकर ₹ 315 करोड़ रह गया था। यद्यपि निगम ने वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कुछ लाभ अर्जित किया था परन्तु संचित हानियों, बाजार में नगण्य हिस्सेदारी एवं ऋण देने की उच्च कार्मिक लागत को देखते हुये निगम इसके मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु समर्थ नहीं था।

### गैर निष्पादन सम्पत्तियों (एनपीए) का उच्च स्तर


**5.1.6** किसी भी वित्तीय संस्थान में एनपीए की स्थिति वित्तीय सुदृढ़ता के सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। आरबीआई समय-समय पर एनपीए के वर्गीकरण के लिए मानदंडों को निर्धारित करता है। आरबीआई द्वारा जारी (जुलाई 2015) मुख्य परिपत्र<sup>5</sup> में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार, यदि ब्याज अथवा मूलधन की किश्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है तो ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उप-मानक सम्पत्तियों में वह सम्पत्तियां सम्मिलित होती हैं, जो 12 महीने तक की अवधि के लिए एनपीए रहीं, जबकि संदिग्ध सम्पत्तियों में ऐसी सम्पत्तियां सम्मिलित हैं, जो 12 महीने की अवधि के लिए उप-मानक सम्पत्तियां बनी रहीं। साथ ही, हानि सम्पत्तियां वह हैं जहां निगम द्वारा हानि की पहचान कर ली गई है परन्तु राशि पूर्णतया अपलिखित नहीं की गई है। दूसरे शब्दों में, इस तरह की सम्पत्ति को अवसूलनीय एवं इतने कम मूल्य का माना जाता है कि स्वीकार्य सम्पत्ति के रूप में इसकी निरंतरता वांछित नहीं है, यद्यपि कुछ निस्तारण या वसूली योग्य मूल्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त, संदिग्ध सम्पत्तियों को चूक की आवधिकता के आधार पर आगे और तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है यथा संदिग्ध-ए, संदिग्ध-बी एवं संदिग्ध-सी। निगम के मानदंड<sup>6</sup> यह प्रावधान करते हैं कि गैर-चूककर्ता इकाइयों पर गहन अनुवर्ती कार्यवाही एवं नियमित निगरानी के माध्यम से खाते के एनपीए में प्रवेश की निगरानी रखी जानी चाहिए। यह आगे प्रावधान करता है कि यदि चूक के संबंध में कोई संकेत ध्यान में आता है तो उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए।

2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान वर्ष के अंत में बकाया रहे कुल ऋण एवं उनका मानक एवं एनपीए में वर्गीकरण नीचे चार्ट में दर्शाया गया है:

5 मुख्य परिपत्र- आय निर्धारण, सम्पत्तियां वर्गीकरण एवं अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड।

6 एफआर परिपत्र -515 दिनांक 29 अप्रैल 2008 ।

### चार्ट 5.1.1: 2015-16 से 2018-19 के दौरान कुल बकाया ऋण, मानक सम्पत्तियां एवं एनपीए



2015-16 से 2018-19 के दौरान कुल बकाया ऋणों एवं मानक सम्पत्तियों का अंतिम शेष क्रमशः ₹ 647.37 करोड़ से बढ़कर ₹ 868.47 करोड़ एवं ₹ 429.45 करोड़ से बढ़कर ₹ 666.99 करोड़ हो गया। एनपीए का अंतिम शेष 2015-16 में ₹ 217.92 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 237.62 करोड़ हो गया जो कि वर्ष 2018-19 में घटकर ₹ 201.48 करोड़ हो गया। यद्यपि, वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान एनपीए का स्तर 33.66 प्रतिशत से सुधरकर 23.20 प्रतिशत हो गया परन्तु अभी भी यह बहुत अधिक था क्योंकि अभी भी एनपीए कुल बकाया ऋणों का लगभग एक चौथाई हिस्सा थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 मार्च 2019 को एनपीए के अंतिम शेष में क्रमशः ₹ 48.43 करोड़, ₹ 73.70 करोड़ एवं ₹ 79.35 करोड़ की उप-मानक, संदिग्ध एवं हानि सम्पत्तियां सम्मिलित थीं, जहां कुल संदिग्ध सम्पत्तियों के 83.13 प्रतिशत (₹ 61.27 करोड़) को चार वर्षों से अधिक की अवधि से ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक के कारण संदिग्ध-सी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इस प्रकार, 31 मार्च 2019 तक कुल एनपीए का प्रमुख हिस्सा (69.79 प्रतिशत) या तो लंबी अवधि के लिए अवसूलनीय रहा अथवा निगम द्वारा इसकी वसूली की अत्यधिक क्षीण संभावना को देखते हुए अवसूलनीय माना गया था। सम्पूर्ण निगम के लिये, अचल सम्पत्ति क्षेत्र को स्वीकृत किये गये ऋणों के पेटे एनपीए, कुल एनपीए का 16.70 प्रतिशत था।

साथ ही, विस्तृत जांच के लिए चुने गए 169 प्रकरणों में से, 143 प्रकरण (अर्थात् 'हानि सम्पत्तियां' श्रेणी के अन्तर्गत 115 प्रकरण एवं 'संदिग्ध-सी' श्रेणी के अन्तर्गत 28 प्रकरण) जिनमें ₹ 48.12 करोड़ की वसूली सम्मिलित (₹ 191.92 करोड़ की ब्याज राशि के अतिरिक्त) थी चार वर्ष से 28 वर्ष तक की अवधि के लिए लंबित थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि निगम ने इस अवधि के दौरान कठिन प्रयास किए थे एवं एनपीए को कम करने के लिए ओटीएस लागू की थी, जिसके परिणामस्वरूप 2017-19 के दौरान इसके एनपीए के स्तर में कमी आई थी। इसने यह तथ्य भी स्वीकार किया


कि अधिकांश प्रकरण संदिग्ध-सी एवं हानि सम्पत्तियां श्रेणी के अन्तर्गत हैं, जहां धारा 32-जी के अन्तर्गत बकाया की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

तथापि, तथ्य यह रहा कि निगम द्वारा किए गए प्रयास वांछित परिणाम नहीं दे रहे थे एवं निगम 32-जी प्रकरणों (अनुच्छेद 5.1.19 से 5.1.22 में विस्तार से चर्चा की गई है) के विरुद्ध कार्यवाही करने में तत्पर नहीं था, क्योंकि एनपीए का उक्त स्तर अभी भी अधिक है।


### एनपीए की क्षेत्रवार स्थिति

**5.1.7** चयनित आठ शाखा कार्यालयों में, एनपीए के सभी 554 प्रकरणों में कुल बकाया राशि ₹ 291.15 करोड़ थी जिसमें मूलधन एवं ब्याज के पेटे क्रमशः ₹ 80.69 करोड़ एवं ₹ 210.46 करोड़ सम्मिलित थे। विस्तृत संवीक्षा के लिए चयनित एनपीए के 169 प्रकरणों में, कुल ₹ 258.60 करोड़ बकाया थे जिसमें मूलधन एवं ब्याज के पेटे क्रमशः ₹ 61.27 करोड़ एवं 197.33 करोड़ सम्मिलित थे। इनमें से मूलधन के पेटे देय राशि को निगम के लेखों में मान्यता दी गई, जबकि राजस्व मान्यता के लिए निगम द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार अतिदेय ब्याज की राशि को मान्यता नहीं दी गई। सभी 554 एनपीए प्रकरणों के साथ-साथ चयनित 169 एनपीए प्रकरणों के संबंध में कुल बकाया का क्षेत्र-वार वर्गीकरण नीचे दिये गए चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 5.1.2: कुल बकाया देयताओं का क्षेत्र-वार वर्गीकरण (एनपीए के 554 प्रकरण)



चार्ट 5.1.3: कुल बकाया देयताओं का क्षेत्र-वार वर्गीकरण (एनपीए के चयनित 169 प्रकरण)



सभी प्रकरणों के साथ-साथ चुने हुये शाखा कार्यालयों के चयनित प्रकरणों में कुल बकाया राशि का क्षेत्रवार वर्गीकरण दर्शाता है कि बकाया राशि मुख्य रूप से अन्य विनिर्माण क्षेत्र, धातु उत्पाद व मशीनरी क्षेत्र एवं सीआरई क्षेत्र से संबंधित है। आगे क्षेत्रवार बकाया राशि एवं संबंधित ऋण प्रकरणों की संख्या के विश्लेषण से पता चला कि सीआरई क्षेत्र प्रमुख चूककर्ता था क्योंकि तीन सीआरई ऋण<sup>7</sup> थे, जिसमें कुल बकाया राशि का लगभग 21 प्रतिशत (₹ 62.62 करोड़) एवं 169 चयनित प्रकरणों का 24 प्रतिशत (₹ 62.62 करोड़) सम्मिलित था।

### ऋणों को प्रदान करने एवं वसूली में कमियां/अनियमिततायें

**5.1.8** एनपीए प्रकरणों की विस्तृत जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्न पांच प्रकरण देखे, जहां निगम ने प्रतिबद्ध बकाया की वसूली के बिना गिरवी रखी गई सम्पत्ति के आंशिक विक्रय की अनुमति दी, किरायेदारों द्वारा धारित सम्पत्ति के समक्ष ऋण स्वीकृत किया, 'सिंडिकेट बैंक घोटाले' में संदिग्ध चूककर्ता के विरुद्ध शीघ्र वसूली की कार्यवाही नहीं की, एक ऐसे उधारकर्ता को चौथा ऋण जारी किया, जो गत तीन ऋणों में चूककर्ता था एवं वांछित समपार्श्विक प्रतिभूति सुनिश्चित किए बिना ऋण जारी किया जिसके परिणामस्वरूप संचित बकाया राशि ₹ 28.50 करोड़<sup>8</sup> तक पहुँच गई एवं साथ ही ₹ 0.38 करोड़ मूल्य की कम समपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त की गई।

#### प्रतिबद्ध बकाया की वसूली के बिना गिरवी रखी गई सम्पत्ति के आंशिक विक्रय की अनुमति

**5.1.9** निगम ने ऋणी (ऋण खाता संख्या 3205953679) के पक्ष में क्रमशः ₹ 10 करोड़ एवं ₹ 6 करोड़ के दो ऋण स्वीकृत किए (मार्च 2008 एवं सितंबर 2010)। ऋणी के अनुरोध पर, निगम ने होटल, दुकानों एवं शोरूमों से युक्त सम्पत्ति के 50 प्रतिशत के विक्रय के लिए इसके पक्ष में 'अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)' जारी करने का निर्णय (सितंबर 2013) इस शर्त के साथ किया कि ऋणी, क्रेता को होटल परिसर का कब्जा सौंपने से पहले आंशिक

7 ऋण खाता संख्या 3205953679, 2705192835 एवं 2705010302

8 ₹ 14.10 करोड़ + ₹ 2.17 करोड़ + ₹ 9.26 करोड़ + ₹ 2.97 करोड़।

सम्पत्ति की बिक्री की राशि (₹ सात करोड़), अनुमानित परियोजना मूल्य के शेष बकाया (₹ 3.17 करोड़) एवं पूर्ववर्ती तिमाही की अतिदेय राशि (₹ 1.22 करोड़) के पेटे ₹ 11.39 करोड़ जमा करवायेगा। तथापि, निगम/शाखा कार्यालय ने सितंबर/अक्टूबर 2013 में ₹ नौ करोड़ की राशी जमा कराने पर होटल एवं मल्टीप्लेक्स के विक्रय के लिए ऋणी को क्रमशः अक्टूबर 2013 एवं नवंबर 2013 में एनओसी जारी कर दी एवं यह आश्वासन लिया कि क्रेता को कब्जा सौंपने से पहले ऋणी शेष राशि ₹ 2.39 करोड़ भी जमा करवायेगा। तथापि, ऋणी ने निगम को शेष राशि जमा किए बिना होटल परिसर का कब्जा क्रेता को सौंप दिया। तत्पश्चात ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक के कारण निगम ने ऋणी इकाई के बिना बिके हुए भाग को विलम्ब से अपने कब्जे में ले लिया (फरवरी 2016) जो अभी भी निगम के कब्जे में है। मार्च 2019 में ऋणी से वसूली योग्य कुल बकाया राशि ₹ 14.10 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम ने गिरवी रखी गई सम्पत्ति के आंशिक विक्रय के लिए एनओसी जारी करके एवं वचनबद्ध बकाया राशि जमा किए जाने को सुनिश्चित किए बिना क्रेता को कब्जा सौंपने की अनुमति प्रदान कर चूककर्ता ऋणी को अनुचित लाभ प्रदान किया। तथापि, निगम ने इस प्रकरण में उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जहां शाखा कार्यालय द्वारा मुख्यालय के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि प्रतिबद्ध देय राशि जमा नहीं कराने एवं आगे पुनर्भुगतान में चूक के उपरान्त भी, निगम ने इकाई के बिना बिके भाग को अपने कब्जे में लेने में विलम्ब किया एवं जून 2019 तक उसका निस्तारण नहीं कर सका। इस प्रकार, ऋणी को अनुचित लाभ प्रदान करने एवं वसूली हेतु अपेक्षित कार्यवाही में विलम्ब के परिणामस्वरूप बकाया राशि ₹ 14.10 करोड़ तक पहुंच गई।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि आंशिक राशि जमा कराने के पश्चात, ऋणी ने बकाया राशियों की किश्त को पुनर्निर्धारित करने का अनुरोध किया, जिसे निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया गया था एवं इसने निरंतर अनुसरण करने के उपरान्त भी शेष राशि जमा नहीं करवाई थी। इसने आगे कहा कि निगम कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विक्रय नहीं कर सका क्योंकि इसके द्वारा आयोजित नीलामियों में कोई बोलीदाता नहीं आया, तथापि, इस सम्पत्ति का बाजार वसूलनीय मूल्य (एमआरवी) बकाया राशि की वसूली के लिए पर्याप्त है। तथापि, उत्तर ऋणी को प्रतिबद्ध देय राशि जमा कराये बिना सम्पत्ति पर कब्जा देने की अनुमति प्रदान करने के विषय पर, जिसके कारण बकाया राशि अभी भी अप्राप्त है, मौन था।

#### **किरायेदारों द्वारा धारित सम्पत्ति पर ऋण प्रदान करना**

**5.1.10** निगम (ऋण स्वाता संख्या: 2705195367) के पक्ष में दो ऋण (यथा, विद्यमान होटल के नवीनीकरण के लिए ₹ 55 लाख का ऋण एवं शोरूम के क्रय के लिए एवं विद्यमान होटल के परिसर के भूतल पर रेस्तरां गतिविधि प्रारम्भ करने के लिए ₹ 94 लाख का ऋण) स्वीकृत किये (मार्च 2010 एवं मार्च 2011)। ऋणी द्वारा दोनों ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक के पश्चात, निगम ने समस्त सम्पत्ति को कब्जे में लेने का निर्णय किया (अगस्त 2014) जिन पर यह दोनों ऋण प्रदान किये गए थे। तथापि, इकाई का दौरा करते समय, निगम ने पाया कि सम्पत्ति अतिक्रमण से मुक्त नहीं थी क्योंकि अधिकांश बंधक क्षेत्र किरायेदारों के कब्जे में था। ऋणी द्वारा बंधक रखे गए कुल क्षेत्रफल (3679.25 वर्ग फीट) की माप लेने (मई 2015) के पश्चात, निगम ने वह क्षेत्र (1857.46 वर्ग फीट) जो कि किसी भी अतिक्रमण से मुक्त था को वास्तविक कब्जे में ले लिया एवं किरायेदारों के कब्जे वाले क्षेत्र (1821.79 वर्ग फीट) का

कब्जा प्रपत्रों में ले लिया (जुलाई 2015)। सम्पत्ति का कब्जा लेने के समय, ऋणी से वसूली योग्य कुल बकाया राशि ₹ 1.27 करोड़ थी। निगम ने सम्पत्ति की एमआरवी का आंकलन किया (अक्टूबर 2015) जिसमें सम्पूर्ण सम्पत्ति एवं वास्तविक कब्जे में ली गई सम्पत्ति के एमआरवी का आंकलन क्रमशः ₹ 1.13 करोड़ एवं ₹ 0.38 करोड़ पर किया गया था। शाखा कार्यालय, जयपुर (केन्द्रीय) ने प्रबंधन को विलम्ब से सूचित किया (जुलाई 2018) कि कब्जे में ली गई सम्पत्ति की नीलामी नहीं की जा सकती क्योंकि इस पर किरायेदारों का कब्जा था। इसके उपरान्त भी, निगम ने सम्पत्ति की नीलामी के लिए बोलियां आमंत्रित की (जनवरी 2019) परन्तु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। इसके परिणामस्वरूप, ऋणी की बकाया राशि ₹ 2.17 करोड़ तक बढ़ गई (मार्च 2019)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ऋणों की स्वीकृति प्रदान करते समय, निगम ने इस तथ्य की उपेक्षा की कि इन ऋणों के समक्ष ऋणी द्वारा गिरवी रखी जा रही सम्पत्ति को कई किरायेदारों को किराए पर दिया गया था एवं इन ऋणों के पुनर्भुगतान में किसी भी चूक की स्थिति में, इस सम्पत्ति का कब्जा नहीं लिया जा सकेगा। इस प्रकार, निगम के हित की सुरक्षा के बिना, ऐसी सम्पत्ति के समक्ष जो कि अतिक्रमणों से मुक्त नहीं थी पर ऋण प्रदान किये गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.17 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

सरकार ने कहा कि निगम ने मौका निरीक्षण किया था एवं प्रवर्तक से शपथ-पत्र प्राप्त किया था, जिसमें प्रवर्तक ने घोषणा की थी कि संबंधित सम्पत्ति अतिक्रमण से मुक्त थी एवं इससे संबंधित कोई भी वाद लंबित नहीं थे। साथ ही, निगम सम्पत्ति का विक्रय नहीं कर सका क्योंकि किसी भी बोलीदाता ने निगम द्वारा आयोजित नीलामियों में भाग नहीं लिया था।

उत्तर आश्वासनीय नहीं है क्योंकि सम्पत्ति के पूर्व मालिक द्वारा की गई घोषणा (अगस्त 2009) में दर्शाये गए किरायेदार तथा कब्जा प्रतिवेदन (जुलाई 2015) में दर्शाये गए किरायेदार एक ही थे जो यह दर्शाता है कि यह किरायेदार ऋणों की स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व भी गिरवी सम्पत्ति पर काबिज थे एवं निगम के अधिकारियों का मौका निरीक्षण प्रतिवेदन एवं प्रवर्तक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र सही नहीं थे। साथ ही, संबंधित शाखा कार्यालय द्वारा ऋणी इकाइयों के नियमित निरीक्षण की प्रणाली भी कार्यात्मक नहीं थी, क्योंकि निगम इकाई को अपने कब्जे में लेना प्रारम्भ करने तक मिथ्या वर्णन की पहचान नहीं कर सका। निगम ने इस प्रकरण में उत्तरदायित्व निर्धारित करने एवं कानूनी प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए भी प्रभावी कदम नहीं उठाए थे, जिसके परिणामस्वरूप आदिनांक तक बकाया की वसूली नहीं हुई।

#### ***'सिंडिकेट बैंक घोटाले' में संदिग्ध चूककर्ता के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही का अभाव***

**5.1.11** निगम ने *गुमान बिल्डर्स एंड डिवेलपर्स (प्राइवेट) लिमिटेड* (ऋणी) को ₹ 7.72 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया (नवंबर 2014)। त्रैमासिक किश्त (जून 2016) के पुनर्भुगतान में ऋणी की चूक के पश्चात, निगम ने एसएफसी अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत ₹ 5.54 करोड़ की बकाया राशि जमा कराने के लिए एक कानूनी नोटिस जारी किया (जून 2016), परन्तु ऋणी ने नोटिस अवधि के भीतर राशि जमा नहीं करवाई थी। नोटिस के अनुसार, बकाया राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में, ऋणी इकाई को कब्जे में लिया जाना था, परन्तु निगम ने ऋणी इकाई को अपने कब्जे में लेने के स्थान पर, ऋणी को अतिदेय राशि जमा करने की तिथि को बढ़ाकर कई अवसर प्रदान किये (जुलाई से अक्टूबर 2016)। तथापि, ऋणी ने विस्तारित अवधि के भीतर राशि जमा नहीं करवाई थी एवं निगम ने 28 नवंबर 2016 को ऋणी इकाई को

अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच, भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी, जीओआई) ने निगम को सूचित किया (25 नवंबर 2016) कि ऋणी के मुख्य प्रवर्तक के विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, (सीबीआई) भारत सरकार द्वारा दर्ज (मार्च 2016) प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) के अन्तर्गत जांच चल रही थी। ईडी ने निगम को इसके पास प्रभारित सम्पत्ति के किसी भी प्रपत्र को जारी करने के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया, जो संबंधित प्रवर्तक, उसके संबंधियों एवं उनसे जुड़ी फर्मों से संबंधित थी। बाद में, ईडी ने एक अंतरिम कुर्की आदेश जारी करके गिरवी रखी गई सम्पत्ति को कुर्क कर लिया (मई 2018) जिसे निर्णायक प्राधिकरण<sup>9</sup> द्वारा बरकरार रखा गया था (नवंबर 2018)। कुर्की आदेश के विरुद्ध, निगम ने अपीलीय न्यायाधिकरण, धन शोधन रोकथाम अधिनियम में एक याचिका दायर की (दिसम्बर 2018), जिसने इस प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किया (जनवरी 2019) एवं यह प्रकरण अभी भी अपीलीय न्यायाधिकरण के पास लंबित है। (जून 2019)

लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम इन तथ्यों के संबंध में भलीभांति अवगत था कि सीबीआई ने सिंडिकेट बैंक घोटाले में एक एफआईआर दर्ज की थी (मार्च 2016) जिसमें ऋणी इकाई के मुख्य प्रवर्तक के भी सम्मिलित होने का संदेह था। इसके उपरान्त भी, निगम ने तुरंत कब्जा लेने के स्थान पर, ऋणी द्वारा बकाया राशि जमा कराने हेतु अनेक विस्तार अनुमत्य किए। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि सम्पत्ति जयपुर के एक प्रमुख स्थान पर स्थित थी एवं उसकी पर्याप्त एमआरवी (यथा जनवरी 2017 में ₹ 19.65 करोड़ आंकलित की गई) थी। यदि निगम ने सम्पत्ति के अधिग्रहण एवं निस्तारण के लिए त्वरित कार्यवाही की होती, तो वह अपना बकाया वसूल कर सकता था। तथापि, एक बैंक घोटाले में संदिग्ध चूककर्ता को बकाया चुकाने के लिए विस्तार अनुमत्य करने की परिणति अवांछित कानूनी कार्यवाही एवं ₹ 9.26 करोड़ मूल्य की बकाया राशि की वसूली नहीं होने में हुई।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि ऋणी ने निगम को सूचित किया था (22 जुलाई 2016) कि उसके बैंक खाते को सीबीआई ने अवरुद्ध कर दिया था जिसके कारण 1 जून 2016 को देय चेक बैंक ने अस्वीकृत कर दिया। साथ ही, ऋणी द्वारा अगस्त 2016 में प्रस्तुत किए गए तीन और चेक भी अनादरित हो गए थे। इसने आगे कहा कि अपीलीय प्राधिकरण ने इकाई की अचल सम्पत्तियों की नीलामी की अनुमति दे दी थी एवं तदनुसार, बकाया की वसूली के लिए सम्पत्ति का विक्रय किया जाएगा।

तथ्य यह रहा कि निगम इस तथ्य से भलीभांति अवगत था कि ऋणी इकाई का प्रवर्तक बैंक घोटाले में संदिग्ध था एवं सीबीआई ने मार्च 2016 में उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी। तथापि, निगम ने सम्पत्ति पर कब्जा करने के लिए त्वरित कार्यवाही प्रारम्भ करने के स्थान पर ऋणी को जुलाई से अक्टूबर 2016 के दौरान कई बार समयावधि विस्तार की अनुमति देने के संबंध में, जिसके कारण सारभूत बकाया की वसूली नहीं हो पाई, कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया था।

### **चूककर्ता ऋणी को अतिरिक्त ऋण स्वीकृत करना**

**5.1.12** निगम ने ऋणी (ऋण खाता संख्या 0505012643) के पक्ष में क्रमशः ₹ 65 लाख, ₹ 35 लाख एवं ₹ 71 लाख के तीन ऋण स्वीकृत किए (अगस्त 2007, अक्टूबर 2008 एवं

9 धन शोधन रोकथाम, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।



मई 2010)। ऋणी द्वारा इन ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक करने पर, निगम ने एसएफसी अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत ऋणी को बकाया/अतिदेय राशि जमा करने के लिए एक कानूनी नोटिस जारी किया (जुलाई 2012)। ऋणी ने बकाया जमा कराने के स्थान पर, माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष एक याचिका दायर की (अक्टूबर 2012)। ऋणी की याचिका का उत्तर देते हुए, न्यायालय ने ऋणी को चार सप्ताह की अवधि में निगम के पास ₹ 20 लाख जमा कराने एवं शेष अतिदेय राशि ₹ 50.13 लाख जनवरी 2013 के प्रथम सप्ताह के भीतर जमा कराने का आदेश दिया (नवंबर 2012)। यह भी आदेशित किया गया कि यदि इस आदेश के अनुसार ऋणी देयताओं के पुनर्भुगतान में चूक करता है, तो निगम होटल को कब्जे में लेने के लिए स्वतंत्र होगा। ऋणी ने निर्धारित समयसीमा के अनुसार ₹ 20 लाख जमा करवाए (दिसंबर 2012) परन्तु उसने शेष बकाया जमा कराने के अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया था। निगम ने समय-समय पर ऋणी को नोटिस जारी किए (मार्च 2013 से दिसंबर 2018), परन्तु निगम ऋणी द्वारा किए गए आंशिक भुगतानों को स्वीकार करते हुए ऋण चुकाने के लिए ऋणी को अवसर प्रदान करता रहा। निगम ने सभी तीन विद्यमान ऋणों को वर्ष 2016 की अंतिम तिमाही से त्रैमासिक किश्तों में पुनर्भुगतान के लिए पुनर्निर्धारित किया (दिसंबर 2014) तथा इसके पक्ष में ₹ 1.15 करोड़ का एक और ऋण स्वीकृत एवं जारी किया (अप्रैल-मई 2015)। ऋणी ने चतुर्थ ऋण के पुनर्भुगतान में भी चूक की। इस प्रकार, सभी चार ऋणों के संबंध में अतिदेय राशि एवं कुल बकाया राशि क्रमशः ₹ 1.85 करोड़ एवं ₹ 2.97 करोड़ थी (मार्च 2019)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पुनर्भुगतान में लगातार चूक के उपरान्त भी, निगम ने 2007-08 से 2010-11 के दौरान प्रदान किए गये पहले तीन ऋणों के पुनर्भुगतान में चूककर्ता ऋणी को न केवल कई अवसर प्रदान किए, अपितु गत ऋणों की संशोधित पुनर्भुगतान अनुसूची के प्रारम्भ होने से पहले ही एक और ऋण प्रदान कर दिया। इस प्रकार, विद्यमान ऋणों की वसूली के लिए उचित कार्यवाही के अभाव एवं एक और ऋण जारी करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण ₹ 2.97 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

सरकार ने कहा कि निगम ने एक परिपत्र जारी किया (जनवरी 2015) जिसमें होटल एवं अस्पतालों को आगे ऋण प्रदान करने के लिए कुछ मानदंड (विद्यमान ऋण स्वाते में कोई ब्याज अतिदेय नहीं होने को सम्मिलित करते हुए) निर्धारित किए थे जहां ऋण का पुनर्निर्धारण किया गया हो एवं परियोजना पूर्ण नहीं हुई हो तथा आगे और ऋण की आवश्यकता हो। इसने आगे कहा कि उक्त प्रकरण में, चतुर्थ ऋण इन मानदंडों की पूर्ति सुनिश्चित करने के पश्चात प्रदान किया गया था क्योंकि 31 मार्च 2015 को ऋणी का कोई अतिदेय नहीं था। साथ ही, नियमित दबाव के कारण, ऋणी अब पुनर्भुगतान के लिए संपर्क कर रहा है एवं उसके आवेदन का परीक्षण किया जा रहा है।

यह देखा जा सकता है कि निगम की नीति इसके स्वयं के वित्तीय हितों की सुरक्षा करने हेतु पर्याप्त सुदृढ़ नहीं है क्योंकि मानदंडों, जिनके अन्तर्गत निगम चूककर्ता ऋणी को अतिरिक्त ऋण प्रदान की अनुमति देता है, वह दोषपूर्ण थे, क्योंकि यह एक ऋणी को उसके द्वारा चुकाए गए अतिदेयों की तुलना में अधिक राशि के नए ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह उक्त प्रकरण से भी स्पष्ट है, जहां चूक करने वाले ऋणी के विद्यमान तीन ऋण स्वातंत्र्य को दिसंबर 2014 में पुनर्निर्धारित किया गया था एवं विद्यमान ऋणों को नियमित करने के तुरंत पश्चात

एक नया ऋण स्वीकृत एवं संवितरित किया गया (अप्रैल-मई 2015)। इस प्रकार, निगम को अपनी विद्यमान नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

### **वांछित समपार्श्विक प्रतिभूति सुनिश्चित किए बिना ऋण प्रदान करना**

**5.1.13** निगम ने ऋणी (ऋण खाता संख्या 2105950073) को ₹ 1.02 करोड़ का ऋण इन शर्तों के साथ स्वीकृत किया (मार्च 2014) कि ऋणी को स्वीकृत ऋण के कम से कम 50 प्रतिशत तक की एमआरवी की समपार्श्विक प्रतिभूति जमा करवानी होगी। प्राथमिक प्रतिभूति के साथ-साथ समपार्श्विक प्रतिभूति के स्वामित्व प्रपत्रों की निगम द्वारा जांच की जानी थी। चूंकि ऋण स्वीकृति के दौरान ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत की गई समपार्श्विक प्रतिभूति की एमआरवी निर्धारित सीमा से कम थी, समपार्श्विक प्रतिभूति को पर्याप्त नहीं माना गया एवं ऋण की स्वीकृति निरस्त कर दी गई थी (जनवरी 2015)। तत्पश्चात, ऋणदाता ने निरस्त किए गए ऋण के पुनरुद्धार के लिए अनुरोध किया (अप्रैल 2015) एवं एक अन्य समपार्श्विक प्रतिभूति के प्रपत्र प्रस्तुत किए। ऋणदाता के अनुरोध पर विचार करते हुए व समपार्श्विक प्रतिभूति की एमआरवी का आकलन ₹ एक करोड़ मानने के पश्चात, निगम ने ऋण की स्वीकृति को पुनर्सत्यापित किया (मई 2015) एवं ऋणी को ₹ 0.69 करोड़ का ऋण वितरित किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम ने समपार्श्विक प्रतिभूति की एमआरवी का गलत आंकलन किया क्योंकि सही एमआरवी केवल ₹ 0.13 करोड़ थी एवं इस प्रकार, आवश्यक समपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त किए बिना ऋण जारी किया गया। निगम को तथ्य का भान हुआ (नवंबर 2016) कि एमआरवी की गलत गणना के कारण इसने कम मूल्य की समपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त की थी। इसके उपरान्त भी, निगम ने न तो वांछित मूल्य की प्रतिभूति प्राप्त करने का कोई प्रयास किया एवं न ही कुल बकाया राशि की मांग कर बकाया की वसूली की गई। साथ ही, एमआरवी के आंकलन में धोखाधड़ी/मिलीभगत की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि यह बताया गया था कि एमआरवी की गणना अधिक की गई है एवं प्रकरण की जांच की जा रही है। इसने आगे कहा कि प्राथमिक प्रतिभूति की एमआरवी ₹ 0.92 करोड़ है एवं निगम ने ऋणी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है एवं बकाया की वसूली के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

तथ्य यह रहा कि निगम ने ऋण वितरित करते समय यथोचित सावधानी नहीं अपनाई थी। साथ ही, अपर्याप्त प्रतिभूति प्राप्त करने की गलती ज्ञात हो जाने के उपरान्त भी, इसने वांछित मूल्य की समपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करने अथवा बकाया राशि की वसूली करके ऋण को निरस्त करने की कार्यवाही नहीं की थी। साथ ही, प्राथमिक प्रतिभूति में भूमि का मूल्य केवल ₹ 0.09 करोड़ था, जबकि शेष प्राथमिक प्रतिभूति (अर्थात भवन, संयंत्र एवं मशीन आदि) ह्यासयोग्य प्रकृति की थी। इस प्रकार, उक्त ऋण को पूर्णतया सुरक्षित माना जाना विवेकपूर्ण नहीं है क्योंकि ऋण को उप-मानक सम्पत्तियों के अन्तर्गत पहले से ही वर्गीकृत किया जा चुका था। समापन सभा के दौरान, प्रबंधन ने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रकरण की समीक्षा करने एवं आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया जो कि तीन महीने से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रतीक्षित है (दिसंबर 2019)।

### बकाया की वसूली के लिए विलम्बित/अपर्याप्त कानूनी कार्यवाही

**5.1.14** लेखापरीक्षा ने तीन प्रकरणों का अवलोकन किया, जहां निगम ने चूककर्ता ऋणियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.37 करोड़ (₹ 14.60 करोड़ + ₹ 1.38 करोड़ + ₹ 0.39 करोड़) के बकाया/घाटा राशि कमी की वसूली नहीं हो सकी। इन पर नीचे चर्चा की गई है:

#### प्रकरण-1

निगम ने वर्ष 1987 एवं 1990 में ऋणी (ऋण खाता संख्या : 3205014022) के पक्ष में क्रमशः ₹ 39.50 लाख एवं ₹ 25.27 लाख के दो ऋण प्रदान किये। ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक के कारण, निगम ने ऋणी को कानूनी नोटिस जारी किया (1999) परन्तु इसने आगे कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि ऋणी के एक लेनदार ने वर्ष 1997 में ऋणी के विरुद्ध न्यायालय में एक समापन याचिका (डब्ल्यूयूपी) दायर की थी। संबंधित न्यायालय ने डब्ल्यूयूपी को निरस्त कर दिया (2005)। आधिकारिक परिसमापक (ओएल) ने निगम को सूचित किया (जून 2015) कि उसने 2005 में ही सम्पत्ति मुक्त कर दी थी। वर्ष 2005 में ही ऋणी की परिसम्पत्तियों को मुक्त करने के संबंध में सूचना मिलने पर, शाखा कार्यालय ने ऋणी के विरुद्ध बकाया राशि ₹ 4.27 करोड़ (जून 2015 तक) की गणना की। अन्य सरकारी विभागों/उपक्रमों यथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, जेवीवीएनएल, रीको आदि के ऋणी पर भारी बकाया राशि को ध्यान में रखते हुए निगम ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया (नवंबर 2016)। संबंधित शाखा कार्यालय ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने से संबंधित प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को अप्रैल 2017 में पूर्ण कर लिया, तथापि, प्रबंधन ने अनुमोदन में असामान्य विलम्ब किया (अप्रैल 2018)। तत्पश्चात, शाखा कार्यालय ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत ऋणी को नोटिस जारी किया (जुलाई 2018)। आईबीसी 2016 के 11 मई 2016 से लागू होने के पश्चात निगम ने ऋणी के विरुद्ध आईबीसी 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निर्णय लिया (सितंबर 2018)। तथापि, शाखा कार्यालय ने आईबीसी 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी क्योंकि वह इसके प्रावधानों से परिचित नहीं था। तत्पश्चात विलम्ब के साथ निगम ने फिर से अपने फेसले को पलट दिया (फरवरी 2019) एवं आईबीसी 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही को महंगा मानते हुए सरफेसी अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, ऋणी इकाई के मात्र ₹ 3.08 करोड़ की आंकलित एमआरवी के समक्ष ऋणी के विरुद्ध बकाया राशि ₹ 14.60 करोड़ हो गई। साथ ही, मार्च 2019 तक ऋणी इकाई का कब्जा नहीं लिया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम ने प्रकरण की निगरानी नहीं की थी क्योंकि यह न्यायालय द्वारा डब्ल्यूयूपी को निरस्त किये जाने एवं आधिकारिक परिसमापक द्वारा सम्पत्ति को मुक्त किये जाने से दस वर्षों तक अनभिज्ञ रहा तथा परिणामस्वरूप मार्च 2015 तक ऋणी की ऋणी इकाई को कब्जे में लेने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी। साथ ही निगम ने न केवल सरफेसी अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत ऋणी के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए निर्णय लेने में विलम्ब किया, बल्कि सरफेसी अधिनियम, 2002 की प्रयोज्यता पर अपने विधिक अनुभाग द्वारा प्रस्तुत गलत एवं विरोधाभासी परामर्श के कारण अपने निर्णयों को वापिस लेता रहा।

सरकार ने कहा कि प्रारंभ में निगम ने अधिकतम बकाया की वसूली के लिए एनसीएलटी के पास जाने का निर्णय किया, परन्तु इस प्रक्रिया में होने वाले व्ययों को देखते हुए, इसने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत बकाया राशि की वसूली करने का निर्णय लिया। इसने आगे कहा कि निगम ने सितंबर 2019 में सम्पत्ति का कब्जा ले लिया था एवं नीलामी के माध्यम से इसका निस्तारण किया जायेगा। समापन सभा के दौरान, निगम ने यह भी स्वीकार किया कि सरफेसी अधिनियम, 2002 की प्रयोज्यता/अस्तित्व पर भ्रम था। तथापि, उत्तर दस वर्षों की अवधि के लिए डब्ल्यूयूपी के निरस्तीकरण के संबंध में अवगत होने में निगम की विफलता एवं वसूली की अपेक्षित कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब के विषय पर मौन था।

(शाखा कार्यालय, भिवाड़ी)

#### प्रकरण-2

निगम ने ऋणी (ऋण खाता संख्या : 3205014907) को ₹ 75 लाख का ऋण स्वीकृत किया (दिसंबर

2000)। ऋण प्रदान किये जाने के पश्चात, ऋणी ने ऋण समझौते की निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार ऋण को पुनर्भुगतान नहीं कर सका। चूक के कारण, निगम ने प्राथमिक सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया (दिसम्बर 2003) एवं नीलामी के माध्यम से इसके निस्तारण के प्रयास किए परन्तु यह नवंबर 2007 तक ऋणी की प्राथमिक सम्पत्ति का निस्तारण नहीं कर सका। इस बीच, ऋणी ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर से प्राथमिक सम्पत्ति के निस्तारण के विरुद्ध स्थगनादेश ले लिया (नवंबर 2007)। निगम ने स्थगन आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की (दिसंबर 2007) जो अभी भी न्यायालय में लंबित है। विलम्ब से, निगम ने इस प्रकरण में शीघ्र सुनवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय में भी एक आवेदन प्रस्तुत किया (फरवरी 2018) जो भी न्यायालय में लंबित है (जून 2019)। मार्च 2019 तक ऋणी की ओर बकाया राशि ₹ 1.38 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम प्राथमिक सम्पत्ति का कब्जा लेने के पश्चात अदालत द्वारा स्थगन आदेश दिये जाने तक चार वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर भी सम्पत्ति का निस्तारण सुनिश्चित नहीं कर सका। निगम द्वारा नियुक्त अधिवक्ता ने न्यायालय के स्थगनादेश के हटने के संबंध में एवं प्रकरण की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के संबंध में 2008-18 के दौरान कई बार आग्रह करने पर भी प्रत्युत्तर नहीं दिया था। तथापि, निगम ने इस संबंध में कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, निगम ने स्थगनादेश से 10 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्रकरण की शीघ्र सुनवाई के लिए अदालत में याचिका दायर की, जो यह इंगित करता है कि तीन महीने से अधिक समय तक स्थगन प्रभावी रहने वाले प्रकरणों की नियमित निगरानी के स्पष्ट दिशानिर्देशों/निर्देशों के उपरान्त भी शाखा कार्यालय के साथ ही साथ प्रधान कार्यालय द्वारा प्रकरण की नियमित रूप से निगरानी नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि सितंबर 2012 में आंकलित किये गए एमआरवी के अनुसार, प्राथमिक एवं समपार्श्विक प्रतिभूति सम्पत्ति का मूल्य क्रमशः ₹ 69.65 लाख (₹ 43.88 लाख की मूल्यहास योग्य सम्पत्ति सहित) एवं ₹ 1.08 करोड़ था, तथापि, निगम ने समपार्श्विक प्रतिभूति के निस्तारण के माध्यम से अपनी बकाया राशि की वसूली के प्रयास नहीं किए थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि सूचीबद्ध अधिवक्ता से परामर्श के पश्चात, बकाया राशि को वसूलने के लिए इकाई को नीलामी के लिए रखा जाएगा। समापन सभा के दौरान, निगम ने उन प्रकरणों की समीक्षा करने का, जहां स्थगन के आदेश बहुत समय से विद्यमान थे एवं स्थगन मुक्त करवाने हेतु अन्य विकल्प तलाश करने का भी आश्वासन दिया।

(शाखा कार्यालय, भिवाड़ी)

### प्रकरण-3

निगम ने वर्ष 1997 ऋणी (ऋण खाता संख्या: 1205014248) को ₹ 40 लाख का ऋण प्रदान किया। ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक के कारण, निगम ने प्राथमिक सम्पत्ति को कब्जे में लिया (दिसंबर 2003) एवं ₹ 19.25 लाख में इसे विक्रय कर दिया (जून 2007)। प्रकरण में बकाया रही राशि की गणना ₹ 38.88 लाख की गई थी। निगम ने विलम्ब से, बकाया की वसूली हेतु समपार्श्विक सम्पत्ति को विक्रय करने के प्रयास प्रारम्भ किये (दिसम्बर 2009)। गिरवी रखी गई समपार्श्विक प्रतिभूति की एमआरवी की गणना हेतु सम्पत्ति का दौरा करते समय, निगम ने पाया (दिसंबर 2011) कि ऋणी ने पहले ही उस सम्पत्ति को बेच दिया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम ने समपार्श्विक सम्पत्ति के निस्तारण की प्रक्रिया में असामान्य विलम्ब किया। साथ ही, समपार्श्विक प्रतिभूति को गिरवी रखते हुए, निगम ने अपने वित्तीय हित की रक्षा नहीं की थी, क्योंकि इसने बंधक रखी गई सम्पत्ति को संबंधित राजस्व प्राधिकारी के अभिलेखों में अपने पक्ष में पृष्ठांकन अंकित किये जाने को सुनिश्चित नहीं किया था। परिणामस्वरूप, ऋणी ने इसे बिना किसी सूचना एवं निगम की अनुमति के विक्रय कर दिया। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि समपार्श्विक सम्पत्ति के अवैध रूप से निस्तारण के उपरान्त भी, निगम ने ऋणी के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही नहीं की थी, क्योंकि एफआईआर छह वर्ष से अधिक के विलम्ब के साथ दायर की गई थी (नवंबर 2017), जबकि समपार्श्विक प्रतिभूति के अनाधिकृत विक्रय को 'अमान्य एवं व्यर्थ' घोषित करने के लिए चूककर्ता ऋणी के विरुद्ध वाद जून 2019 तक दर्ज नहीं करवाया गया। परिणामस्वरूप, प्राथमिक सम्पत्ति के विक्रय से 12 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी बकाया राशि की वसूली नहीं हो पाई है।

समापन सभा के दौरान निगम ने स्वीकार किया कि उसने बंधक रखी गई सम्पत्ति को संबंधित राजस्व प्राधिकारी

के अभिलेखों में अपने पक्ष में पृष्ठांकन अंकित किये जाने को सुनिश्चित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, सरकार ने उत्तर में कहा कि इस प्रकरण में, निगम ने बकाया को वसूल करने के लिए निरंतर प्रयास किए थे, शाखा कार्यालय, डूंगरपुर ने समपार्श्विक सम्पत्ति के अनाधिकृत विक्रय के विषय पर एफआईआर संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को भेजी (मई 2013) एवं नवंबर 2017 में एक एफआईआर दर्ज की थी। इस प्रकार, निगम ने समपार्श्विक सम्पत्ति के निस्तारण के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब नहीं किया था।

उत्तर आश्वासनीय नहीं था क्योंकि निगम ने मई 2013 में एफआईआर दर्ज करवाने के समर्थन में प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए थे एवं यदि शाखा कार्यालय ने पुलिस को अनुरोध किया था तो इसने एफआईआर के दर्ज होने के लिए चार वर्ष तक प्रतीक्षा क्यों की। इस प्रकार, तथ्य यह रहा कि एफआईआर छह वर्ष से अधिक के विलम्ब से दर्ज की गई थी। अतः, यह एक ऐसा प्रकरण था जहां शाखा अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन सावधानी से नहीं किया था।

(शाखा कार्यालय, आबू रोड)

### कब्जे में ली गई सम्पत्ति के निस्तारण में विलम्ब

**5.1.15** निगम प्रतिवर्ष वसूली व्यूह रचना एवं जोखिम प्रबंधन नीति जारी करता है। इस नीति के अनुसार, निगम के द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्तियों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से एवं कब्जे में ली गई इकाइयों के लिए उपयुक्त क्रेताओं का पता लगाने हेतु सक्रिय प्रयास किए जाने चाहिये जिससे कि प्रतिस्पर्धी कीमतों पर परिसम्पत्तियों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। कोई भी ऐसी सम्पत्ति कब्जे में लिए जाने के पश्चात छह महीने से अधिक समय के लिए अनिस्तारित नहीं रहनी चाहिए जब तक कि कोई विशेष कारण नहीं हों।

31 मार्च 2019 को, निगम के कब्जे में 28 इकाइयां थीं एवं इन इकाइयों का अधिग्रहण नवंबर 1987 से मार्च 2019 के दौरान किया गया था जैसा कि **अनुबन्ध-20** में वर्णित है। इन इकाइयों का संक्षिप्त आयु-वार विश्लेषण नीचे दिया गया है:-

तालिका 5.1.3: 31 मार्च 2019 को कब्जे में इकाइयों की आयु-वार स्थिति

(₹ करोड में)

कब्जे की अवधि	इकाइयों की संख्या	31 मार्च 2019 को कुल बकाया राशि			
		मूलधन राशि	ब्याज राशि	अन्य राशि	योग
एक वर्ष से कम	6	1.36	0.71	0.02	2.09
1 वर्ष से 5 वर्ष	4	12.99	12.47	0.13	25.59
5 वर्ष से 10 वर्ष	5	19.89	89.56	1.21	110.66
10 वर्ष से 20 वर्ष	8	6.41	3.27	1.43	11.11
20 वर्षों से अधिक	5	0.33	0.42	0.09	0.84
<b>कुल योग</b>	<b>28</b>	<b>40.98</b>	<b>106.43</b>	<b>2.88</b>	<b>150.29</b>

इन 28 इकाइयों में से केवल तीन इकाइयां ऐसी थी, जहां 31 मार्च 2019 तक कब्जे ने छह महीने की सीमा को पार नहीं किया था, जबकि शेष 25 इकाइयां में कब्जे की अवधि सात महीने व 32 वर्ष के मध्य थी। इन इकाइयों में पांच<sup>10</sup> ऐसी इकाइयां सम्मिलित थी जो बिना किसी मुकदमे के तीन वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की अवधि के लिए कब्जे में थी एवं इन इकाइयों के विक्रय के लिए कई नीलामियां आयोजित की गई थी परन्तु निगम मार्च 2019 तक इन इकाइयों का निस्तारण नहीं कर सका। शेष 20 प्रकरणों में, 14 इकाइयों में वसूली की

10 अनुबन्ध 20 की क्रम संख्या 1,2,3,10 व 11

कार्यवाही के विरुद्ध वाद लम्बित हैं एवं छह प्रकरणों में, निगम ने मार्च 2019 तक वसूली की आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। इस प्रकार, कब्जे में ली गई इकाईयों के निस्तारण के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब, कई नीलामियों के उपरान्त भी इकाईयों का विक्रय नहीं हो पाने एवं लंबे समय से लंबित मुकदमों के कारण, इन सम्पत्तियों का कब्जा होने के उपरान्त भी ₹ 150.29 करोड़ की बकाया राशि की वसूली नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम ने सम्पत्तियों के विक्रय के लिए आयोजित नीलामी में कमजोर प्रतिक्रिया के कारणों का विश्लेषण नहीं किया था। साथ ही, इन इकाईयों के निस्तारण में होने वाले विलम्ब की परिणति उन प्रकरणों में परिसम्पत्तियों की एमआरवी में अत्यधिक गिरावट के रूप में हुई, जहां मूल्यह्रास योग्य सम्पत्ति जैसे संयंत्र एवं मशीनरी सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि एक प्रकरण<sup>11</sup>, में सम्पत्ति की एमआरवी अक्टूबर 2012 में ₹ 4.22 करोड़ से कम होकर नवंबर 2018 में ₹ 2.65 करोड़ ही रह गई क्योंकि संयंत्र एवं मशीनरी 11 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के कारण अप्रचलित हो गये थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि इन 28 इकाईयों में से 24 इकाईयों का निस्तारण, बोली प्राप्त नहीं होने, पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने, न्यायालय द्वारा स्थगनादेश प्रदान किये जाने आदि के कारण नहीं किया जा सका, जबकि दो इकाईयों का कब्जा हाल ही में लिया गया था जबकि शेष दो इकाईयों प्रवर्तकों को वापस सौंप दी गई थी। साथ ही, एक प्रकरण में, जहाँ ऋणी इकाई से संबंधित सम्पत्ति की एमआरवी कम हो गई थी, संबंधित परिसम्पत्तियों के एमआरवी का पुनः आंकलन/ संशोधन करने के लिए प्रकरण विचाराधीन है। तथापि, तथ्य यह रहा कि निगम ने अपने कब्जे में इकाईयों के गैर-निस्तारण की समस्या से उबरने हेतु कमजोर प्रतिक्रिया एवं परिणामस्वरूप ऐसी परिसम्पत्तियों की एमआरवी में हुई कमी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया था।

**5.1.16** लेखापरीक्षा ने एक ऐसे प्रकरण का अवलोकन किया, जहां निगम की बकाया राशि से अधिक के प्रस्ताव की प्राप्ति के उपरान्त भी निगम द्वारा इकाई का निस्तारण नहीं किया जा सका:

**ऋणी इकाई (ऋण खाता संख्या: 2505010688)**

निगम ने ऋणी को ₹ 1.85 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया (सितंबर 2008)। ऋण के पुनर्भुगतान में चूक होने पर, निगम ने इकाई को अपने कब्जे में ले लिया (सितंबर 2011), जहां ऋणी के कुल बकाया की गणना ₹ 1.31 करोड़ की गई थी। निगम ने समय-समय पर इकाई के एमआरवी का मूल्यांकन करवाया जहां स्वयं निगम के द्वारा आंकलित की गई एमआरवी दिसंबर 2011 ₹ 3.83 करोड़ से बढ़कर जून 2018 में ₹ 6.04 करोड़ हो गई एवं निजी मूल्यांकनकर्ता के माध्यम से करवाया गया एमआरवी का आंकलन जून 2012 में ₹ 2.42 करोड़ से बढ़कर जुलाई 2018 में ₹ 6.41 करोड़ हो गया। दोनों एमआरवी में अन्तर था क्योंकि निगम ने संबंधित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भूमि की दर को अपनाया, जबकि निजी मूल्यांकनकर्ता ने भूमि की बाजार दर को अपनाया। निगम ने बार-बार इकाई के निस्तारण का प्रयास किया परन्तु इकाई आदिनांक (जून 2019) विक्रय नहीं हो पाई है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम को मई 2014 में ₹ 2.66 करोड़ का प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो उस समय निगम के बकाया एवं निजी मूल्यांकनकर्ता द्वारा आंकलित एमआरवी (अर्थात् अक्टूबर 2013 में ₹ 2.36 करोड़) से अधिक था। तथापि, क्योंकि यह इसके स्वयं द्वारा आंकलित एमआरवी (अर्थात् अप्रैल 2014 में ₹ 5.07



करोड़) से कम था इसलिए निगम ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार, निगम बोलीदाता द्वारा पर्याप्त प्रस्ताव दिये जाने के उपरान्त भी इकाई के निस्तारण के अवसर का उपयोग नहीं कर सका, यदि यह स्वीकार कर ली जाती तो निगम अपने बकाया की वसूली कर सकने में समर्थ होता।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि यह निगम द्वारा आंकलित एमआरवी की तुलना में अपर्याप्त पाया गया था, क्योंकि निगम के अधिकारी द्वारा की गई एमआरवी की गणना डीएलसी दर पर आधारित थी एवं वही अधिक सटीक थी। साथ ही, निगम ने 2019-20 के दौरान इकाई की नीलामी करवाने का आश्वासन दिया।

तथ्य यह रहा कि निगम ने इकाई के निस्तारण के माध्यम से अपना बकाया वसूलने का अवसर खो दिया जिसके कारण आदिनांक तक बकाया की वसूली नहीं की जा सकी।

(शाखा कार्यालय, जयपुर-दक्षिण)

### वाणिज्यिक अचल सम्पत्ति (सीआरई) इकाईयों के निस्तारण का अभाव

**5.1.17** 31 मार्च 2019 तक निगम के कब्जे में 28 इकाईयां में से पांच<sup>12</sup> इकाईयां सीआरई क्षेत्र से सम्बंधित थी, जहां इन इकाईयों का कब्जा जनवरी 2010 व नवंबर 2016 के मध्य लिया गया था, परन्तु न्यायिक वाद, विक्रय पर प्रतिबंध लगा होने अथवा इकाई के क्रय के लिए अपेक्षित प्रस्ताव नहीं मिलने के कारण मार्च 2019 तक इनमें से किसी भी इकाई का निस्तारण नहीं किया जा सका था। लेखापरीक्षा ने देखा कि कब्जा लेने के समय इन इकाईयों का कुल बकाया ₹ 36.26 करोड़ था, जो कि कब्जे की अवधि में ब्याज प्रभारित किये जाने के कारण 31 मार्च 2019 तक बढ़कर ₹ 132.48 करोड़ हो गया। इन इकाईयों की एमआरवी का नवीनतम आंकलन (जनवरी 2017 से सितंबर 2018 तक) ₹ 114.25 करोड़ था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि निस्तारण में विलम्ब के कारण, इन पांच प्रकरणों में से तीन<sup>13</sup> में, इन इकाईयों की बकाया राशि (₹ 109.12 करोड़) इन इकाईयों की आंकलित एमआरवी (₹ 53.17 करोड़) से भी अधिक हो गई, जो बकाया की वसूली को प्रभावित कर सकता है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि गत चार से पांच वर्षों से क्षेत्र में मंदी के कारण सीआरई क्षेत्र इकाईयां विक्रय नहीं की जा सकी हैं। इसने आगे कहा कि तीन बड़ी सीआरई इकाईयों में से, दो सीआरई प्रकरणों (क्रम संख्या 18 व 19) में न्यायालय द्वारा नीलामी के विरुद्ध स्थगनादेश दिया गया था जबकि तीसरा प्रकरण सीआरई (क्रम संख्या 2) कानूनी विवाद में था। समापन सभा में निगम ने सीआरई प्रकरणों में कब्जे की अवधि के दौरान ब्याज प्रभारित करने की नीति की समीक्षा करने का आश्वासन दिया।

तथ्य यह रहा कि निगम ने एक सीआरई प्रकरण (क्र.सं.2) में सम्पत्ति के निस्तारण एवं अन्य दो सीआरई प्रकरणों (क्र.सं. 18 व 19) में स्थगनादेश को हटवाने हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किये थे। साथ ही, उत्तर इस विषय पर मौन था कि निगम ऐसे प्रकरणों में अपने संपूर्ण बकाया की वसूली कैसे सुनिश्चित करेगा जहां बकाया राशि कब्जे में स्थित सम्पत्ति की एमआरवी से भी अधिक हो गई है। उत्तर, नीति की समीक्षा/संशोधन हेतु कार्यवाही करने के विषय पर भी मौन था।

12 अनुबंध की क्रम संख्या 2,3,9,18 व 19

13 अनुबंध की क्रम संख्या 2,18 व 19

### चूककर्ता ऋणियों को लगातार अवसर प्रदान करना

**5.1.18** चयनित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान, तीन ऐसे प्रकरण पाये गए थे जहां निगम ने ऋणियों की निरंतर चूक को अनदेखा कर दिया एवं एसएफसीज अधिनियम की धारा 29/30 के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही करने के स्थान पर ऋणों/अतिदेय के पुनर्भुगतान के लिए उन्हें अवसर प्रदान करता रहा। इन तीन प्रकरणों में पायी गई कमियों पर **अनुबंध-21** में विस्तार से चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन प्रकरणों से निपटने में कमियों के कारण, निगम ₹ 1.91 करोड़ के बकाया की वसूली नहीं कर सका।

समापन सभा के दौरान, निगम ने एक नीति बनाने का आश्वासन दिया जिसमें सम्पत्ति पर कब्जा नहीं करने के संबंध में न्यूनतम राशि निर्धारित की जानी थी ताकि अनावश्यक मुकदमों एवं विलम्ब से बचा जा सके। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि एक प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष विचाराधीन है। शेष दो प्रकरणों में, निगम ने समझौते/पुनर्निर्धारण के द्वारा बकाया की वसूली करने का आश्वासन दिया। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमियों के साथ-साथ इस संबंध में अपेक्षित नीति निर्धारित करने के लिए कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर मौन था।

### राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (आरएलआर अधिनियम) के अन्तर्गत वसूली

**5.1.19** एसएफसीजी अधिनियम की धारा 32-जी, निगम को अपना बकाया भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलने का अधिकार देती है। प्राथमिक प्रतिभूति के निस्तारण के पश्चात, निगम राजस्व अधिकारियों की सहायता से प्रवर्तकों की समपाश्विक सम्पत्ति या अन्य परिसम्पत्तियों के निस्तारण के माध्यम से अपने बकाया की वसूली के लिए धारा 32-जी के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है। धारा 32-जी के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए, निगम संबंधित जिला कलेक्टर को ऋण प्रपत्र एवं धारा 30 के अन्तर्गत जारी किए गए नोटिस की प्रतियों के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुरोध भेजता है। धारा 32-जी के अन्तर्गत जिला कलेक्टर के यहां प्रकरणों को दर्ज करने की प्रक्रिया शाखा कार्यालयों द्वारा अग्रेषित प्रकरणों के आधार पर, निगम के मुख्यालय द्वारा संभाली जाती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निगम को प्रभारित प्राथमिक प्रतिभूति के निस्तारण के पश्चात, संबंधित ऋणी को एसएफसी अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में नोटिस जारी करने के 15 दिनों की अवधि के भीतर आपत्ति, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने हेतु एक नोटिस देता है। तत्पश्चात, ऋणी को धारा 30 के अन्तर्गत बकाया राशि/कमी की राशि के भुगतान के लिए नोटिस दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर बकाया की वसूली के लिए धारा 32-जी के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाती है। धारा 32-जी के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए नोटिस जारी होने के 15 दिनों की अवधि के पश्चात 'मांग के अनुरोध' (आरओडी) दर्ज करना आवश्यक होता है।

### धारा 32-जी के अन्तर्गत वसूली के लिए नोटिस जारी करने में विलम्ब

**5.1.20** विस्तृत जांच के लिए चुने गए एनपीए के 169 प्रकरणों में से, 31 मार्च 2019 को ₹ 88.57 करोड़ की वसूली से संबंधित 115 प्रकरणों को हानि सम्पत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत



किया गया था एवं यह धारा 32-जी के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने योग्य थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि 12 प्रकरणों में, निगम ने धारा 32-जी के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक नोटिस जारी नहीं किये थे। साथ ही, जिन 103 प्रकरणों में निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, केवल सात प्रकरणों में नोटिस समय पर जारी किए गए थे, जबकि अन्य सात प्रकरणों में, प्राथमिक सम्पत्ति के निस्तारण की तिथि उपलब्ध नहीं होने के कारण विलम्ब का पता नहीं लगाया जा सका। शेष 89 प्रकरणों में नोटिस जारी करने में हुये विलम्ब का विवरण नीचे दिया गया है:

**तालिका 5.1.4: धारा 32-जी के अन्तर्गत वसूली हेतु नोटिस जारी करने में विलंब**

विलम्ब की अवधि	प्रकरणों की संख्या	बकाया राशि (₹ करोड़ में)
पांच वर्षों तक	69	57.64
पांच से 10 वर्षों तक	12	6.62
10 वर्षों से अधिक	8	2.57
<b>कुल</b>	<b>89</b>	<b>66.83</b>

इस प्रकार, निगम धारा 32-जी के अन्तर्गत वसूली के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करने में तत्पर नहीं था। सरकार ने कहा कि मुख्य प्रतिभूतियों के निस्तारण के पश्चात, जब भी धारा 32-जी के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्णय लिया गया, तब शाखा कार्यालय द्वारा संबंधित प्रवर्तकों/निदेशकों/जमानतदारों को एसएफसी अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गए थे। साथ ही, इसने स्वीकार किया कि जहां प्रवर्तकों के पते ज्ञात नहीं थे, उन प्रकरणों में नोटिस जारी करने में विलम्ब हुआ था।

तथ्य यह रहा कि निगम ने न केवल धारा 32-जी के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक निर्णय लेने में विलम्ब किया, अपितु समय पर संबंधित प्रवर्तकों/निदेशकों/जमानतदारों से संबंधित वांछित विवरणों का पता करने में भी विफल रहा था।

#### **आरएलआर अधिनियम के अन्तर्गत वसूली के लिए कार्यवाही करने में विलम्ब/कमियां**

**5.1.21** आरएलआर अधिनियम के माध्यम से एसएफसी अधिनियम की धारा 32-जी के अन्तर्गत वसूली के लिए पात्र 115 प्रकरणों की समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि:

निगम ने मार्च 2019 तक केवल 74 प्रकरणों में ₹ 64.01 करोड़ की वसूली से संबंधित आरओडी प्रस्तुत किए थे। इन 74 प्रकरणों में आरओडी विलम्ब से, जो एक महीने व 137 महीने के मध्य था, प्रस्तुत किए गए थे। इन प्रकरणों में आगे विश्लेषण से उजागर हुआ कि 65, सात एवं दो प्रकरणों में, आरओडी प्रस्तुत करने में विलम्ब क्रमशः पांच वर्ष, पांच से दस वर्ष एवं दस वर्ष से अधिक था।

इन 74 प्रकरणों में, जहां आरओडी प्रस्तुत किये गए थे, राजस्व अधिकारियों ने प्रवर्तकों/जमानतदारों की सम्पत्ति एवं पते के अधिक विवरण प्राप्त करने के लिए 16 आरओडी वापस कर दिये थे, जबकि ₹ 1.53 करोड़ की राशि के दो प्रकरण का निपटान निगम द्वारा ₹ 0.35 करोड़ में कर दिया गया था। ₹ 50.39 करोड़ की वसूली से जुड़े शेष 56 प्रकरण (₹ 7.69 करोड़ के उन सात प्रकरणों सहित, जहां ऋणियों ने वसूली की कार्यवाही के विरुद्ध न्यायालयों की शरण ली) बकाया की वसूली के लिए अभी भी राजस्व अधिकारियों के पास लंबित थे।

31 मार्च 2019 को राजस्व अधिकारियों के पास लंबित 49 प्रकरणों<sup>14</sup> का आयु वार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

तालिका 5.1.5 (अ): 31 मार्च 2019 को राजस्व अधिकारियों के पास लंबित प्रकरण

अवधि, जबसे प्रकरण लंबित है	लंबित प्रकरणों की संख्या	लंबित प्रकरणों में बकाया राशि (₹ करोड़ में)
पांच वर्षों तक	1	0.77
पांच से 10 वर्षों तक	10	28.30
10 वर्षों से अधिक	38	13.63
<b>कुल</b>	<b>49</b>	<b>42.70</b>

लेखापरीक्षा ने देखा कि इनमें से 26 प्रकरण निगम द्वारा संबंधित प्रवर्तकों/जमानतदारों की सम्पत्ति/पते की वांछित/उचित सूचना प्रदान नहीं करने के कारण राजस्व अधिकारियों के पास लंबित थे। वांछित/उचित सूचना के अभाव में, राजस्व अधिकारी आरएलआर अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं कर सके।

16 प्रकरणों में, जहां संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा आरओडी को वापस कर दी गई थी, निगम प्रवर्तकों/जमानतदारों की सम्पत्ति एवं पते के और अधिक विवरण के अभाव में आरओडीज को पुनः प्रस्तुत नहीं कर सका था। 31 मार्च 2019 को राजस्व अधिकारियों को आरओडी को पुनः प्रस्तुत करने के लिए लंबित इन 16 प्रकरणों का आयु वार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

तालिका 5.1.5 (ब): मांग के अनुरोध (आरओडी) पुनः दर्ज करने हेतु लंबित प्रकरण

अवधि, जबसे प्रकरण लंबित है	लंबित प्रकरणों की संख्या	लंबित प्रकरणों में बकाया राशि (₹ करोड़ में)
पांच वर्षों तक	1	0.62
पांच से 10 वर्षों	7	3.98
10 वर्षों से अधिक	8	7.49
<b>कुल</b>	<b>16</b>	<b>12.09</b>

₹ 24.56 करोड़ की वसूली के शेष 41 प्रकरणों<sup>15</sup> में, निगम ने ₹ 0.61 करोड़ के दो प्रकरणों का निपटान किया एवं ₹ 0.42 करोड़ की वसूली की, जबकि अन्य प्रकरणों में, निगम ने प्रवर्तकों / जमानतदारों की सम्पत्ति एवं पते के विवरण के अभाव में, न तो वसूली की एवं न ही अब तक राजस्व अधिकारियों के पास आरओडी प्रस्तुत किये थे। (जून 2019)

इन 115 प्रकरणों के अतिरिक्त, एक अन्य प्रकरण था (ऋण खाता संख्या : 0605012892) जहां इकाई का कब्जा अप्रैल 2008 में लिया गया था एवं कुल बकाया राशि ₹ 6.59 करोड़ के समक्ष इसकी एमआरवी ₹ 5.74 करोड़ आंकलित की गई थी (जून 2008)। इस प्रकरण में कम एमआरवी के तथ्य से अवगत होने के उपरान्त भी, निगम ने धारा 32-जी/ आरएलआर अधिनियम के अन्तर्गत वसूली के लिए समानांतर कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि निगम ने इकाई के कब्जे में लेने के सात वर्ष से अधिक समय के पश्चात धारा

14 राजस्व अधिकारियों के पास लंबित कुल प्रकरण (56 प्रकरण)- न्यायालयों में लंबित प्रकरण (सात प्रकरण)

15 धारा 32-जी के तहत पंजीकरण के लिए पात्र कुल प्रकरण (115 प्रकरणों) प्रकरण जिसमें आरओडी प्रस्तुत किए गए थे (74 प्रकरण)।

32-जी/ आरएलआर अधिनियम के अन्तर्गत बकाया की वसूली के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की थी (अक्टूबर 2015), जो कि अभी प्रकियाधीन है। इस प्रकार, असामान्य विलम्ब के कारण, निगम जून 2019 तक बकाया की वसूली सुनिश्चित नहीं कर सका था।

समापन सभा के दौरान, निगम ने डिजिटल प्रणाली में अभिलेख स्वीकार करने के लिए कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। साथ ही, सरकार ने उत्तर में स्वीकार किया कि आरओडी प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ था, जो मुख्य रूप से प्रवर्तकों/जमानतदारों एवं उनकी अन्य सम्पत्तियों के संबंध में अपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण था। साथ ही, कुछ प्रकरणों में, प्रवर्तक/जमानतदार एवं उनकी सम्पत्तियां राज्य से बाहर स्थित थे। इसने आगे कहा गया कि निगम ने इन प्रकरणों में सम्पत्तियों/प्रवर्तकों के पते ज्ञात करने एवं त्वरित वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकारियों के एक दल का गठन (जून 2019) किया था। तथापि, उत्तर डिजिटल प्रणाली में अभिलेख लेने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करने के विषय पर मौन था।

एक अन्य प्रकरण (ऋण खाता संख्या 0605012892) में निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि राजकीय उपक्रम समिति द्वारा दिये गए (अगस्त 2015) निर्देशों की अनुपालना में धारा 32-जी के अन्तर्गत बकाया की वसूली के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। तथ्य यह रहा कि निगम ने धारा 32-जी के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने में सात वर्ष से अधिक का विलम्ब किया, जिससे परिणाम स्वरूप बकाया की वसूली में असामान्य विलम्ब हुआ।

#### **समपार्श्विक सम्पत्तियों के होने के उपरान्त भी बकाया की वसूली का अभाव**

**5.1.22** निगम की ऋण नीति 2018-19 के अनुसार, क्षेत्र स्तर पर ऋण स्वीकृत करते समय, अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यदि ऋण राशि विद्यमान एवं प्रस्तावित भूमि एवं भवन के एमआरवी से अधिक है, तो समपार्श्विक प्रतिभूति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायेगी। साथ ही, वसूली व्यूह रचना एवं जोखिम प्रबंधन (आरएसएंडआरएम) नीति 2018-19 प्रावधान करती है कि समपार्श्विक प्रतिभूतियों का दौरा/सत्यापन त्रैमासिक रूप से किया जाना आवश्यक है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सम्पत्ति विद्यमान है अथवा निस्तारित कर दी गई है। निगम ने यह भी प्रावधान किया (परिपत्र संख्या एफआर-528 दिनांक 5 जुलाई 2008) कि समपार्श्विक प्रतिभूति का एक रजिस्टर संधारित जाना चाहिये एवं समय-समय पर इसके अद्यतन किया जाना चाहिये।

अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने चार ऋण प्रकरण पाये, जहां निगम ने इन ऋणों को स्वीकृत किये जाते समय समपार्श्विक प्रतिभूतियां प्राप्त की थी, परन्तु घाटे की वसूली के लिए कार्यवाही के समय, निगम संबंधित प्रवर्तकों/जमानतदारों की समपार्श्विक प्रतिभूतियों/पूर्ववृत्तों की पहचान/पता नहीं कर सका, जैसा कि **अनुबंध-22** में वर्णित है। इन चार प्रकरणों में से, एक प्रकरण (क्रमांक 1) में निगम ने संबंधित राजस्व प्राधिकारी के पास आरओडी प्रस्तुत नहीं की थी, दो प्रकरणों (क्रमांक 2 एवं 3) में निगम द्वारा प्रस्तुत आरओडी संबंधित राजस्व प्राधिकारी द्वारा वापस कर जी गई थी जबकि शेष एक प्रकरण में (क्रमांक 4) आरओडी जून 2019 तक संबंधित राजस्व प्राधिकारी के पास थी। परिणामस्वरूप, निगम ₹ 1.02 करोड़ की बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित नहीं कर सका। इन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान, इन ऋणों की स्वीकृति करते समय समपार्श्विक प्रतिभूतियों के सत्यापन से संबंधित प्रपत्र/अभिलेख निगम के अभिलेखों में नहीं पाए गए थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि निगम संबंधित प्रवर्तकों/जमानतदारों की समपाश्विक प्रतिभूतियों/पूर्ववृत्तों की पहचान/पता लगाने के प्रयास कर रहा है। इसने आगे कहा कि इन प्रकरणों में, सम्पत्ति/प्रवर्तकों/जमानतदारों की पहचान होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

### निगरानी तंत्र

**5.1.23** निगम प्रति वर्ष एक वसूली व्यूह रचना एवं जोखिम प्रबंधन नीति जारी करता है जो शाखा प्रबंधकों को समय-समय पर जारी परिपत्र (एफआर संख्या 498) में विस्तृत वसूली रणनीति के अनुसार ऋण राशि के निरपेक्ष चूक के प्रत्येक प्रकरण की निगरानी एवं निरीक्षण के लिए तथा प्रत्येक प्रकरण में कार्यवाही की दिशा निर्धारित करने एवं वर्ष के दौरान नियमित आधार पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करती है।

### चूककर्ता इकाइयों की निगरानी के लिए अप्रभावी प्रणाली

**5.1.24** परिपत्र (एफआर क्रमांक 498 दिनांक 19 फरवरी 2008) प्रावधान करता है कि प्रत्येक शाखा कार्यालय को नियत ऋणी इकाइयों (चूककर्ता इकाइयों सहित) का नियमित आधार पर दौरा करना चाहिए। यह आगे प्रावधान करता है कि ₹ पांच लाख से अधिक अतिदेय वाली प्रत्येक चूककर्ता इकाई के प्रकरण में, शाखा प्रबंधक को (अ) छह महीने की अवधि में एक बार इकाई का दौरा करना चाहिए एवं (ब) वर्ष में एक बार विस्तृत निरीक्षण करना चाहिए। प्रत्येक चूककर्ता इकाई के प्रकरण में जहां अतिदेय राशि ₹ एक लाख से अधिक है, इकाई का वर्ष में एक बार दौरा किया जाना चाहिये एवं प्रत्येक वर्ष 25 प्रतिशत इकाइयों का विस्तृत निरीक्षण किया जाना चाहिए।

वर्ष 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान चयनित आठ शाखा कार्यालयों द्वारा चूककर्ता इकाइयों के किये गये दौरों की जानकारी नीचे दी गई है:

तालिका 5.1.6: 2015-18 के दौरान निरीक्षण की गई चूककर्ता इकाई एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

वर्ष	वर्ष के दौरान संबंधित शाखा कार्यालय द्वारा दौरा की जाने वाली चूककर्ता इकाइयों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान संबंधित शाखा कार्यालय द्वारा दौरा की गई चूककर्ता इकाइयों की संख्या	उन प्रकरणों की संख्या जहां वर्ष के दौरान दौरों का प्रतिवेदन तैयार किया गया	चूककर्ता इकाइयों की संख्या जिनका दौरा किया जाना था परन्तु वर्ष के दौरान जिनका दौरा नहीं किया गया	उन चूककर्ता इकाइयों की संख्या जिनके लिये वर्ष के दौरान दौरों का प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया
1	2	3	4	5=2-3	6=3-4
2015-16	428	178	5	250	173
2016-17	389	162	26	227	136
2017-18	325	194	34	131	160
<b>कुल</b>	<b>1142</b>	<b>534</b>	<b>65</b>	<b>608</b>	<b>469</b>

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2015-16 से 2017-18 के दौरान दौरा की जाने वाली 1142 चूककर्ता इकाइयों में से, चयनित शाखा कार्यालयों ने केवल 534 इकाइयों (46.76 प्रतिशत)

का दौरा किया। साथ ही, इस अवधि के दौरान, इन शाखा कार्यालयों ने 65 इकाईयों के सम्बन्ध में दौरों का प्रतिवेदन तैयार किये, जो इन शाखा कार्यालयों द्वारा दौरा की गई कुल इकाईयों का केवल 12.17 प्रतिशत था। चयनित शाखा कार्यालयों ने 2015-16 से 2017-18 के दौरान उनके द्वारा दौरा की गई इकाईयों से संबंधित कोई विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन भी उपलब्ध नहीं कराया था। यह इंगित करता है कि शाखा कार्यालयों ने निगम द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार चूककर्ता इकाईयों की निगरानी नहीं की थी। साथ ही, जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र पर्याप्त नहीं था क्योंकि इन मानदंडों की अनुपालना नहीं किये जाने के संबंध में की गई किसी कार्यवाही के अभिलेख नहीं पाये गये थे।

समापन सभा के दौरान, निगम ने शाखा कार्यालयों के निष्पादन की निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करने का आश्वासन दिया। साथ ही, सरकार ने कहा कि निगम ने शाखा कार्यालयों को सहायता प्रदत्त इकाईयों की निर्धारित मानदंडों के अनुसार नियमित निगरानी एवं निरीक्षण के लिए दिशा-निर्देश / निर्देश जारी किए थे (जून एवं अगस्त 2019)। तथापि, उत्तर चयनित शाखा कार्यालयों द्वारा निर्धारित मानदंडों की अनुपालना नहीं किये जाने, निगम द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही का अभाव एवं ऑनलाइन निगरानी प्रणाली को अपनाने के लिए की गई कार्यवाही के विषय पर मौन था।

#### **चूक समीक्षा समिति/अनुवर्ती कार्यवाही एवं वसूली समिति की बैठकें**

**5.1.25** निगम ने मुख्यालय के साथ-साथ शाखा कार्यालयों के स्तर पर इकाईयों की निगरानी के लिए 'चूक समीक्षा समितियों' (डीआरसी) का गठन भी किया (अप्रैल 2012 एवं जून 2017)। उक्त आदेश (जून 2017) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, शाखा स्तर की डीआरसी की बैठकें संबंधित शाखा प्रबंधक के स्तर पर मासिक रूप से आयोजित की जानी थी, जबकि मुख्यालय स्तर की डीआरसी की बैठकें महा-प्रबंधक (संचालन) के स्तर पर त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जानी थी। इन डीआरसी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक प्रकरण में चूक के कारणों की समीक्षा एवं विश्लेषण किया जाना था एवं यह निगम के बकाया की समय पर वसूली, नई चूक एवं गिरावट के लिए उत्तरदायी/जबाबदेह थे। शाखा स्तर की डीआरसी के मामले में, प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्तों को संबंधित उप-महाप्रबंधक (अनुवर्ती कार्यवाही एवं वसूली) को आगे के परीक्षण तथा बकाया की वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए प्रति माह प्रस्तुत किया जाना था। उप-महाप्रबंधक (अनुवर्ती कार्यवाही एवं वसूली) को नियमित आधार पर डीआरसी की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करना था। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक शाखा प्रबंधक को प्रत्येक प्रकरण की निगम द्वारा जारी प्रक्रिया एवं मार्गदर्शन (पीएंडजी) में निर्दिष्टानुसार समीक्षा करने के लिए प्रत्येक सोमवार को अनुवर्ती कार्यवाही एवं वसूली समितियों (एफआरसी) की बैठक का आयोजन करना था।

चयनित आठ शाखा कार्यालयों में अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि इन शाखा कार्यालयों (शाखा कार्यालय, उदयपुर को छोड़कर) ने 2015-19 के दौरान शाखा स्तर के डीआरसी एवं एफआरसी की एक भी बैठक आयोजित नहीं की थी। शाखा कार्यालय, उदयपुर ने भी निर्धारित मानदंडों के अनुसार बैठकों का आयोजन नहीं किया, क्योंकि इसने शाखा स्तर डीआरसी की केवल तीन बैठकें आयोजित (अर्थात् जुलाई 2017, नवंबर 2017 एवं मार्च 2019) की थी एवं इस अवधि के दौरान एफआरसी की एक भी बैठक का आयोजन

नहीं किया था। संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने भी निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन कर डीआरसीएस की बैठकों का आयोजन नहीं करने के लिए दोषी शाखा कार्यालय के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी। यह इंगित करता था कि ऋणियों द्वारा चूक के प्रकरणों की निगरानी के लिए निर्धारित तंत्र निष्क्रिय था क्योंकि शाखा कार्यालयों के साथ-साथ निगम के मुख्यालय द्वारा इसकी अनुपालना नहीं की जा रही थी।

चयनित शाखा कार्यालयों से संबंधित 554 एनपीए प्रकरणों की समीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि बकाया देय राशि ₹ 291.15 करोड़<sup>16</sup> थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि इनमें से अधिकांश प्रकरण (अर्थात् ₹ 268.55 करोड़ की कुल बकाया देय राशि वाले 483 प्रकरण) अप्रैल 2015 से पहले एनपीए के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे, परन्तु निगम 2015-19 के दौरान इन प्रकरणों में वसूली नहीं कर सका था। यह इंगित करता था कि निगम ने इस अवधि के दौरान बकाया की वसूली के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए थे। साथ ही, प्रभावी निगरानी के अभाव में, चूक के प्रकरणों का उचित रूप से विश्लेषण नहीं किया गया था एवं निगम अपने एनपीए के स्तर को अपेक्षित स्तर तक नियंत्रित नहीं कर सका था।

समापन सभा के दौरान, निगम ने शाखा कार्यालयों द्वारा बैठकों के कार्यवृत्त प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करने का आश्वासन प्रदान किया। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि सभी शाखा कार्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए निर्देश (अगस्त 2019) दिये जा चुके थे। तथापि, उत्तर ऑनलाइन निगरानी प्रणाली को अपनाने के लिए की गई कार्यवाही के संबंध में मौन है।

#### **एस्करो खाता खोलने/संचालित करने का अभाव**

**5.1.26** सीआरई क्षेत्र को दिये गए ऋणों से संबंधित अनुमति पत्र प्रावधान करते हैं कि ऋणी निगम के पक्ष में ऋण की अवधि के दौरान एक अनुसूचित बैंक में एक एस्करो खाता बनाएंगे तथा संधारित करेंगे जिसमें परिसर के क्षेत्रों की 'विक्रय आय' को जमा किया जाएगा। सीआरई क्षेत्र से संबंधित चयनित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रथम प्रकरण में, संबंधित ऋणी (ऋण खाता संख्या: 2705010302) द्वारा ऋण की स्वीकृति (नवंबर 2008) के 10 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी एस्करो खाता नहीं खोला गया था। इसके उपरान्त भी, निगम ने ऋणी से जून 2019 तक अपेक्षित एस्करो खाता खुलवाने के लिए प्रयास नहीं किया था। साथ ही, द्वितीय प्रकरण में, यद्यपि त्रिपक्षीय समझौते को निष्पादित (मार्च 2008) करके एस्करो खाता खोला गया था, परन्तु निगम ने ऋणी (ऋण खाता संख्या: 3205953679) द्वारा बकाया राशि के पुनर्भुगतान में चूक करने के पश्चात एस्करो खाते के संचालन की निगरानी नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.10 करोड़ के बकाया देय संचित हो गए थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एस्करो खाता खोलने की शर्त को संबंधित अनुमति पत्रों में ऋण के पुनर्भुगतान में चूक के प्रकरण में निगम के वित्तीय हित की रक्षा के लिए सम्मिलित किया गया था, परन्तु निगम ने इस शर्त के अनुपालन की निगरानी के लिए एक तंत्र तैयार नहीं किया था एवं इस प्रकार अपने वित्तीय हित की उचित रूप से सुरक्षा नहीं कर सका।

16 इसमें ₹ 80.69 करोड़ का बकाया मूलधन एवं ₹ 210.46 करोड़ का बकाया ब्याज सम्मिलित है।

प्रथम प्रकरण में, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि लेखापरीक्षा आक्षेप को ध्यान में रखते हुए, ऋणी को एस्करो समझौते को निष्पादित करने के लिए एक पत्र जारी किया गया था। तथापि, परियोजना अपूर्ण होने एवं वर्तमान में इकाई निगम के कब्जे में होने के कारण इसे निष्पादित नहीं किया जा सका था। निगम ने आगे आश्वासन प्रदान किया कि ऋणी को इकाई का कब्जा वापिस सौंपते समय एस्करो स्वाते/समझौते को खोलना/क्रियान्वित करना सुनिश्चित किया जाएगा।

द्वितीय प्रकरण में, सरकार ने कहा कि ऋणी वाणिज्यिक क्षेत्र को निगम से एनओसी प्राप्त किए बिना विक्रय नहीं कर सकता है एवं उसने वाणिज्यिक क्षेत्र के विक्रय हेतु एनओसी जारी किये जाने से पहले निगम के मानदंडों के अनुसार ऋण चुका दिया था। इसलिए, एस्करो स्वाते का संचालन जारी नहीं रखा गया था।

तथ्य यह रहा कि निगम ने अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित किए बिना प्रथम प्रकरण में ऋण प्रदान किया। द्वितीय प्रकरण में, उत्तर आश्वसनीय नहीं है क्योंकि निर्धारित मानदंडों के अनुसार एस्करो स्वाते के माध्यम से विक्रय आय संसाधित नहीं की गई थी। साथ ही, क्रेता को कब्जा देने से पूर्व निगम ने द्वितीय ऋणी से प्रतिबद्ध राशि जमा करना सुनिश्चित नहीं किया (जैसा कि अनुच्छेद 5.1.9 में वर्णित है)। यदि निगम विक्रय आय का प्रक्रियाकरण एस्करो स्वाते के माध्यम से सुनिश्चित करता, तो यह पर्याप्त बकाया देयता की वसूली कर सकता था।

#### **प्रवर्तकों/जमानतदारों की अन्य सम्पत्तियों के लिए रजिस्टर के संधारण का अभाव**

**5.1.27** निगम का (अनुवर्ती कार्यवाही व वसूली (एफआर) परिपत्र संख्या 678 दिनांक 09 जनवरी 2012) प्रावधान करता है कि प्राथमिक एवं समपार्श्विक प्रतिभूतियों के लिए रजिस्टर संधारित करने के अतिरिक्त, प्रवर्तकों/ जमानतदारों के स्वामित्व वाली अन्य सम्पत्तियों, जिनका विवरण ऋण आवेदन के साथ-साथ ऋण दस्तावेजों के निष्पादन के समय प्राप्त किया गया था, का विवरण रखने के लिए संबंधित शाखा कार्यालय पर एक अलग रजिस्टर भी संधारित किया जाना चाहिये। यह निगम को प्रवर्तकों/ जमानतदारों की सम्पत्तियों की निगरानी करने में सक्षम बनाएगा।

चयनित शाखा कार्यालयों के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि आठ चयनित शाखा कार्यालयों में से किसी ने भी प्रवर्तकों/जमानतदारों के स्वामित्वाधीन अन्य सम्पत्तियों के लिए अपेक्षित रजिस्टर संधारित नहीं किया था। इस प्रकार, शाखा कार्यालयों ने उच्च प्रबंधन द्वारा जारी किए गए निर्देशों की पालना नहीं की थी, जो पुनर्भुगतान में चूक की स्थिति में बकाया की वसूली में बाधा डाल सकता है। साथ ही, प्रबंधन ने निर्धारित मानदंडों/प्रक्रियाओं की अनुपालना नहीं करने पर कार्यवाही नहीं की।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि इस संबंध में शाखा कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी (अगस्त 2019) कर दिये गए हैं।



## आंतरिक नियंत्रण

### गुम हुए अभिलेखों से बकाया की वसूली में बाधा

**5.1.28** चयनित शाखा कार्यालयों से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, निम्न दो प्रकरण लेखापरीक्षा के ध्यान में आये, जहां निगम के पास सम्बंधित अभिलेख/फाइलें उपलब्ध नहीं होने के कारण ₹ 5.96 करोड़ की बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकी थी। प्रथम प्रकरण में, मूल ऋण फाइल एवं अन्य दस्तावेजों को संबंधित अधिवक्ता से वापस नहीं लिया जा सका जबकि द्वितीय प्रकरण में, मार्च 2019 तक ऋण फाइल का पता नहीं लगाया जा सका था:

#### अ. ऋणी इकाई (ऋण खाता संख्या: 0105046232) (31 मार्च 2019 को बकाया देयता: ₹ 5.17 करोड़)

इस मामले में प्रकरण की ऋण फाइल गुम थी। तत्पश्चात, यह ध्यान में आया (अक्टूबर 2009) कि इस प्रकरण से संबंधित मूल फाइल एवं अन्य प्रपत्र, इस मामले में नियुक्त अधिवक्ता के पास सन 1987 से रखे हुए थे। तथापि, निगम कई अनुस्मरण पत्र जारी करने के पश्चात भी अधिवक्ता से फाइल एवं अन्य प्रपत्र प्राप्त नहीं कर सका, जिसके अभाव में सम्पत्ति की स्थिति अनिर्धारित रही एवं बकाया की वसूली के लिए व्यापक कार्यवाही नहीं की जा सकी। (जून 2019)

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि सूचीबद्ध अधिवक्ता से प्रकरण के मूल अभिलेख को वापस लेने एवं प्रवर्तकों एवं उनकी सम्पत्तियों की सूचना प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

#### ब. ऋणी इकाई (ऋणी खाता संख्या: 3005017987) (31 मार्च 2019 को बकाया देय: ₹ 0.79 करोड़)

निगम के मुख्यालय के आदेश (सितंबर 2014) के अनुसार, इस घाटे के प्रकरण को शाखा कार्यालय, जयपुर (उत्तर) से शाखा कार्यालय, जयपुर (दक्षिण) में स्थानांतरित कर दिया गया था एवं इसलिए, इस प्रकरण से संबंधित संपूर्ण अभिलेख को शाखा कार्यालय, जयपुर (दक्षिण) में स्थानांतरित किये जाने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि शाखा कार्यालय, जयपुर (उत्तर) ने इस प्रकरण से सम्बंधित अनुवर्ती कार्यवाही फाइल एवं न्यायिक प्रकरण की फाइल को संबंधित शाखा कार्यालय को स्थानांतरित (सितंबर 2015 एवं दिसंबर 2016) किया था, परन्तु कई पत्राचार के उपरान्त भी, जून 2019 तक यह मूल ऋण फाइल प्रदान नहीं कर सका। अतः, क्योंकि मूल ऋण फाइल/प्रपत्र गुम है, एसएफसी अधिनियम 1951 की धारा 32-जी के अन्तर्गत बकाया की वसूली के लिए जून 2019 तक व्यापक कार्यवाही नहीं की जा सकी।

सरकार ने कहा कि बकाया की वसूली के लिए, निगम ने कलेक्टर, मुरैना, मध्य प्रदेश को एक पत्र प्रेषित किया (अप्रैल 2010) एवं तब से, वह नियमित रूप से प्रकरण की निगरानी कर रहा है।

उत्तर लेखापरीक्षा आक्षेप के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं था क्योंकि निगम, मूल ऋण फाइल/प्रपत्र के गुम होने के कारण बकाया की वसूली के लिए व्यापक कार्यवाही नहीं किये जा सकने के लेखापरीक्षा आक्षेप पर मौन है।

### निर्धारित मानदंडों/निर्देशों की अनुपालना का अभाव

**5.1.29** मुख्यालय स्तर पर निदेशक मंडल (बीओडी) द्वारा चूक के प्रमुख प्रकरणों की समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, निगम के मानदंड (एफआर परिपत्र दिनांक 29 अप्रैल 2008) यह प्रावधान करता है कि महा-प्रबंधक (विकास) द्वारा एनपीए प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा मासिक आधार पर या तो दौरा करके या मुख्यालय में समीक्षा करके की जाएगी एवं प्रतिवेदन सीएमडी को प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, यह देखा गया था कि मुख्यालय स्तर पर 2015-16



से 2018-19 के दौरान संबंधित प्राधिकारी द्वारा एनपीए प्रकरणों की मासिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान की अनुपालना नहीं की गई थी।

सरकार ने कहा कि शीर्ष 50 चूककर्ताओं की संक्षेप में स्थिति को नियमित रूप से बीओडी के समक्ष रखा जाता है एवं इन प्रकरणों को बीओडी के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संबंधित फाइलों के माध्यम से निपटाया जाता है।

उत्तर प्रासंगिक नहीं था क्योंकि निगम, मुख्यालय स्तर पर एनपीए प्रकरणों की मासिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान की अनुपालना सुनिश्चित नहीं किये जाने के लेखापरीक्षा आक्षेप पर मौन था।

### अन्य कमियां/त्रुटियां

#### राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) की बैठक आयोजित करने में विलंब

**5.1.30** निगम की राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी), मुख्यालय स्तर की समिति (एचओएलसी) के नए निर्णयों के विरुद्ध अपील, उद्यमियों की शिकायतों का निवारण, अन्य प्रकरण जहां ऋणी निगम के प्रबंध निदेशक के किसी भी आदेश से असंतुष्ट होते हैं की सुनवाई एवं निस्तारण करने के लिए गठित की गई एक समिति है। निगम की एसएलसी<sup>17</sup> को जून 2015 में पुनर्गठित किया गया था।

31 मार्च 2019 को, ₹ 3.76 करोड़ की वसूली योग्य बकाया राशि वाले 17 प्रकरण एसएलसी के पास निपटान के लिए लंबित थे, जहां ₹ 1.57 करोड़, ₹ 1.22 करोड़ एवं ₹ 0.97 करोड़ की वसूली से जुड़े क्रमशः नौ, चार एवं चार प्रकरण क्रमशः 12 महीने तक, 12 से 24 महीने एवं 24 महीने से अधिक की अवधि के लिए निपटान हेतु लंबित थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि इन प्रकरणों को अगस्त 2017 तक आयोजित की गई बैठकों में एसएलसी के सम्मुख नहीं रखने एवं अगस्त 2017 से एसएलसी की कोई भी बैठक आयोजित नहीं किये जाने के कारण निपटारा नहीं किया जा सका था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि एक प्रकरण में (ऋणी खाता संख्या: 3405027275) एसएलसी द्वारा किये गये निर्णय (मई 2017) के अनुसार बकाया के निपटान के लिए तैयार था (अक्टूबर 2017 से) परन्तु इसके पश्चात कोई बैठक आयोजित नहीं होने के कारण अपने बकाया का निपटान नहीं कर सका।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि अगस्त 2017 के पश्चात, एसएलसी की बैठकें बार-बार प्रस्तावित की गईं, परन्तु निगम आचार संहिता लगने अथवा अन्य कारणों से बैठकें आयोजित नहीं कर सका। इसने आगे आश्वासन दिया कि एसएलसी की अगली बैठक शीघ्र ही आयोजित की जाएगी एवं जिन प्रकरणों को पहले की बैठकों के दौरान एसएलसी के सम्मुख नहीं रखा गया था, उन्हें भी इसके समक्ष रखा जाएगा।

17 इसमें निगम की ओर से प्रबंध निदेशक (एमडी), कार्यकारी निदेशक (ईडी) एवं ईडी (वित्त), महा-प्रबंधक (जीएम)—संचालन, जीएम-विकास; एफएमडी, कानून एवं आरआरएमडी अनुभाग के उप-महाप्रबंधक तथा एमडी-रीको, जीएम-सिडबी एवं एलआईसी, शेरधारक बैंक एवं अन्य शेरधारकों की ओर से तीन नामित सदस्य सम्मिलित हैं।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि उत्तर में निगम ने न तो लंबित प्रकरणों को एसएलसी की गत बैठकों में इसके समक्ष नहीं रखने के कारण निर्दिष्ट किए थे एवं न ही 'अन्य कारणों' के लिए कोई विशेष विवरण दिया था, जिस वजह से प्रस्तावित बैठकें निरस्त कर दी गई थी। तथ्य यह भी रहा कि निगम ने अपने बकाया की वसूली सुनिश्चित करने के लिए लंबित प्रकरणों का समय पर निपटारा सुनिश्चित नहीं किया।

### अन्य सरकारी संस्थाओं से विभाजित बकाया की वसूली का अभाव

**5.1.31** निगम, औद्योगिक क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में संलग्न अन्य वित्तीय संस्थानों/सार्वजनिक उपक्रमों, यथा रीको एवं आईएफसीआई लिमिटेड इत्यादि के साथ संयुक्त वित्त प्रदान करता है। ऐसे प्रकरणों में, प्राथमिक एवं/अथवा अन्य प्रतिभूति पर कब्जा एवं निस्तारण प्राथमिक वित्तपोषण संस्था द्वारा किया जाता है एवं इससे प्राप्त की गई राशि सभी संयुक्त वित्तीय संस्थाओं में वितरित की जाती है।

चयनित शाखा कार्यालयों से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्न तीन प्रकरणों को देखा, जहां ऋणी इकाई पहले ही समापित/निस्तारित हो गई थी, परन्तु संबंधित प्रधान वित्तपोषण संस्था/आधिकारिक परिसमापक ने 31 मार्च 2019 तक निगम का हिस्सा जारी नहीं किया:

तालिका 5.1.7: 31 मार्च 2019 को वसूली हेतु लंबित संयुक्त वित्त प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ऋणी इकाई का ऋण खाता संख्या	निगम के हिस्से के पेटे वसूलनीय राशि	जिनसे वसूली की जानी है
1.	2305015356	0.91	रीको एवं आधिकारिक परिसमापक
2.	3205011601	0.28	रीको
3.	2605086739	0.44	आईएफसीआई लिमिटेड
	कुल	1.63	

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक प्रकरण में (क्रमांक 1), निगम का हिस्सा ₹ 10 लाख एवं ₹ 81 लाख, क्रमशः वर्ष 2003 से रीको से एवं वर्ष 2014 से इकाई के आधिकारिक परिसमापक से वसूलनीय था। साथ ही, शेष दो ऋणियों (क्रमांक 2 एवं 3) के प्रकरण में, निगम का हिस्सा क्रमशः नवंबर 2006 एवं मार्च 2017 से अप्राप्त रहा। इस प्रकार, निगम इन ऋणी इकाईयों के निस्तारण से 2 से 16 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी अपने हिस्से के ₹ 1.63 करोड़ की वसूली सुनिश्चित नहीं कर सका। यह इंगित करता था कि इन प्रकरणों में, निगम ने संयुक्त वित्त संस्थाओं से अपने हिस्से की वसूली के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि तीनों प्रकरणों में, संबंधित संयुक्त वित्त संस्थाओं (रीको / आईएफसीआई लिमिटेड) को निगम का हिस्से का भुगतान करने के लिए अनुग्रह किया जा रहा है।

## निष्कर्ष एवं सिफारिशें

### निष्कर्ष

निगम एसएसएमई क्षेत्र की औद्योगिक ऋणों की बढ़ती हुई मांग के साथ गति बनाए रखने में समर्थ नहीं था क्योंकि 2015-18 के दौरान निगम का पोर्टफोलियो औद्योगिक क्षेत्र के कुल बकाया ऋणों के 1.19 प्रतिशत व 1.27 प्रतिशत के मध्य रहा। इसके अतिरिक्त, निगम की कार्मिक लागत अन्य एसएफसी की तुलना में अधिक थी।

निगम ने बकाया की वसूली के लिए पर्याप्त एवं सामयिक कानूनी कार्यवाही नहीं की थी। निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने के कारण, ऋण स्वीकृत करने में कमियों की परिणीति अयोग्य ऋणियों को ऋण प्रदान करने के रूप में देखी गई। निगम ने राजस्व प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुसरण नहीं किया एवं चूककर्ता की सम्पत्तियों की पहचान करने में भी विफल रहा। निरन्तर चूक एवं मिथ्या प्रतिबद्धताओं के उपरान्त भी, ऋणियों को निरन्तर अवसर प्रदान किए गए थे। साथ ही, निगम कब्जे में ली गई सम्पत्तियों के निस्तारण में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप बकाया में वृद्धि हुई। सीआरई के प्रकरणों में, मुकदमों एवं सम्पत्तियों के निस्तारण नहीं होने के कारण बकाया राशि में भारी वृद्धि एवं सम्पत्तियों की एमआरवी से अधिक हो गई थी। शाखा स्तर पर निगरानी एवं निरीक्षण दोषपूर्ण था क्योंकि इकाईयों के दौरे निर्धारित मानदंडों के अनुसार आयोजित नहीं किए गए थे।

### सिफारिशें

हम सिफारिश करते हैं कि निगम:

- एमएसएमई क्षेत्र की वित्तीय सहायता में वृद्धि प्रदान कर इसके ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने हेतु शीघ्र कदम उठाये;
- ऋण प्रदान करने से पूर्व प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित नियमों/प्रक्रियाओं की अनुपालना सुनिश्चित करे;
- मानक सम्पत्तियों की एनपीए में परिवर्तन को रोकने के लिए सघन निगरानी करे;
- एनपीए प्रकरणों की निगरानी के लिए निर्धारित नियमों/प्रक्रियाओं की अनुपालना सुनिश्चित करे;
- बकाया की वसूली के लिए नियमानुसार त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करे एवं घाटे के प्रकरणों में सम्पत्तियों का पता लगाने के लिए टोस प्रयास करे; तथा
- कब्जे में ली गई इकाईयों की नीलामी की विफलता के कारणों की समीक्षा करे एवं सीआरई प्रकरणों में वसूली के तरीकों की तलाश करे।

यदि निगम की वित्तीय स्थिति एवं संचालन निष्पादन में एक लक्षित समय सीमा में सुधार नहीं होता है, राज्य सरकार निगम के संचालन की निरन्तरता के उद्देश्य की समीक्षा करे।

## राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

### 5.2 नवीन एकीकृत चीनी परिसर का निर्माण एवं परिचालन निष्पादन

#### परिचय

**5.2.1** राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (कम्पनी) का सम्मेलन (1 जुलाई 1956) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में गन्ने एवं चुकंदर से चीनी उत्पादन एवं चीनी, गन्ने, चुकंदर एवं शीरा का व्यापार करने; गन्ना, चुकंदर एवं अन्य फसलों की पैदावार; तथा परिशोधित डिस्चिस्ट, देसी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल) में डिस्टिलरी, निर्माता एवं वितरक के रूप में व्यवसाय करने के मुख्य उद्देश्यों के साथ हुआ था।

राजस्थान सरकार (जीओआर) की 2007-08 की बजट उद्घोषणा की अनुपालना, में कम्पनी ने कमीनपुरा, श्रीगंगानगर में एक नवीन चीनी मिल, एक 4.95 एमडब्लू का सह-उत्पादन संयंत्र एवं डिस्टिलरी के सहित एक एकीकृत चीनी परिसर (आईएससी) विकसित करने का निर्णय किया (2010)। कम्पनी ने एकीकृत चीनी परिसर की स्थापना के लिए कमीनपुरा में 37.70 हेक्टर भूमि अधिग्रहित की (नवम्बर 2008)। कम्पनी ने एक प्रारंभिक प्रारूप परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया, जिसमें परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 95 करोड़ आंकलित की गई थी (सितंबर 2010) जिसे संशोधित करके (सितंबर 2012) ₹ 145.35 करोड़ कर दिया गया था एवं पुनः संशोधित (अगस्त 2014) करके ₹ 180 करोड़ किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा परियोजना वित्तपोषित की गई एवं तदनुसार, ₹ 177.56 करोड़ की राशि (मार्च 2016 तक) कम्पनी को पूँजी के रूप में जारी की गई। साथ ही, कम्पनी ने पुरानी चीनी मिल एवं डिस्टिलरी को बंद करने का निर्णय भी लिया (मार्च 2015)।

लेखापरीक्षा, आईएससी का निर्माण, इसे प्रारम्भ करने एवं इसको विकसित किये जाने के परिकल्पित उद्देश्यों के संदर्भ में 2016-2019 के दौरान नवीन चीनी संयंत्र, सह-उत्पादन संयंत्र एवं डिस्टिलरी के संचालन के संबंध में कम्पनी के समग्र प्रदर्शन का आंकलन करने हेतु की गई थी।

#### लेखापरीक्षा परिणाम

**5.2.2** लेखापरीक्षा परिणाम मुख्यतः आईएससी की स्थापना; चीनी, सह-उत्पादन संयंत्र एवं डिस्टिलरी की परिचालन दक्षता; एवं पर्यावरणीय नियमों एवं विनियमों की अनुपालना संबंधी विषयों से संबंधित हैं। लेखापरीक्षा जांच परिणामों को सम्मिलित करते हुए एक प्रारूप अनुच्छेद 11 सितंबर 2019 को राज्य सरकार एवं प्रबंधन को जारी किया गया था, जिस पर सरकार से उत्तर 1 नवम्बर 2019 को प्राप्त हुआ था।

#### नवीन चीनी मिल एवं डिस्टिलरी की स्थापना

**5.2.3** कम्पनी ने नवीन चीनी मिल एवं डिस्टिलरी की स्थापना हेतु कई अध्ययन करवाए थे। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा परियोजना को सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने के निर्णय के पश्चात कम्पनी ने तकनीकी सलाहकार एवं वास्तुकार सलाहकार नियुक्त किये थे (अक्टूबर

2010)। विभिन्न कार्यों का क्षेत्र निर्धारित करने की प्रक्रिया में सलाहकारों के प्रतिवेदनों एवं सुझावों के अनुसार एवं इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पूर्व में तैयार किए गए अनुमान वास्तविक नहीं थे, लागत अनुमान डीपीआर 2012 में संशोधित किये गये थे।

कम्पनी द्वारा नवीन चीनी मिल एवं डिस्टिलरी की स्थापना हेतु प्रदान किए गए प्रमुख ठेके निम्नानुसार थे:

(राशि: ₹ करोड़ में)

कार्य आदेश/अनुबंध का विवरण	कार्य आदेश जारी करने की तिथि	कार्य आदेश की राशि
परामर्श कार्य	5 अक्टूबर 2010	0.42
चीनी संयंत्र/डिस्टिलरी के सिविल निर्माण कार्य	7 फरवरी 2013	₹ 45 करोड़ की अनुमानित लागत (वास्तविक लागत में 7.5 प्रतिशत एजेन्सी प्रभार जोड़ते हुये)
1500 टीसीडी के चीनी संयंत्र के साथ सह-उत्पादन संयंत्र की स्थापना का कार्य	29 जुलाई 2013	68.75
डिस्टिलरी संयंत्र की स्थापना	19 जुलाई 2013	42.85
2016-18 की अवधि के लिए चीनी एवं सह-उत्पादन संयंत्र का संचालन एवं रखरखाव	14 नवंबर 2016	सत्र: 0.46 प्रतिमाह गैर-सत्र: 0.91 (सम्पूर्ण गैर सत्र अवधि के लिए)
2018-20 की अवधि के लिए चीनी एवं सह-उत्पादन संयंत्र का संचालन एवं रखरखाव	18 अक्टूबर 2018	सत्र: 0.71 प्रतिमाह गैर-सत्र: 0.24 प्रतिमाह

#### आईएससी के क्रियान्वयन में विलम्ब

5.2.4 आईएससी के क्रियान्वयन के लिए तय समय सारणी नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

क्र. सं.	कार्य विवरण	ठेकेदार	कार्य प्रदान/ एमओयू करने की तिथि	अनुमत्य समय अवधि	कार्य समाप्ति तिथि/ संयंत्र के प्रारम्भ होने की तिथि	विलम्ब
1.	चीनी संयंत्र/ डिस्टिलरी के सिविल निर्माण कार्य	राजकीय उपक्रम	7 फरवरी 2013	24 माह	16 जनवरी 2016	11 माह
2.	1500 टीसीडी के चीनी संयंत्र के साथ सह-उत्पादन संयंत्र की स्थापना	ठेकेदार अ	29 जुलाई 2013/ 7 अगस्त 2013	14 माह 14 माह	16 जनवरी 2016 9 मई 2016	15 माह 19 माह
3.	डिस्टिलरी संयंत्र की स्थापना	ठेकेदार ब	19 जुलाई 2013/ 1 अगस्त 2013	8 माह	24 नवंबर 2016	32 माह

नोट: विलम्ब की गणना अनुबंध तिथि से चीनी संयंत्र एवं डिस्टिलरी के संचालन के प्रारंभ होने की तिथि से की गई है क्योंकि लेखापरीक्षा को कार्यपूर्णता के प्रमाण उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं।

तथापि, नवीन चीनी मिल, चीनी संयंत्र, सह-उत्पादन संयंत्र एवं डिस्टिलरी के सिविल कार्य 11 व 32 माह के मध्य विलम्ब से पूर्ण हुये थे।

परियोजना के विलम्ब से पूर्ण होने के कारण नीचे दिये गये हैं:

*i. सिविल कार्य*

**5.2.5** राजकीय उपक्रम एमओयू के निष्पादन में इसके द्वारा आंकलन प्रस्तुत करने के पश्चात, 12 माह का महत्वपूर्ण विलम्ब हुआ था। साथ ही, एमओयू के निष्पादन के 5 माह के उपरान्त सिविल कार्यों के लिए स्थल एवं रूपरेखा उपलब्ध कराये गये थे।

राजकीय उपक्रम के साथ निष्पादित अनुबंध के वाक्यांश 7 में वर्णित था कि कम्पनी द्वारा कार्य का क्षेत्र निर्धारित करने के 24 माह की अवधि में कार्य पूर्ण किया जाना था। तथापि, कम्पनी द्वारा कार्य के क्षेत्र को निर्धारित करने की तिथि के अभिलेख उपलब्ध नहीं थी।

सरकार ने कहा कि किसी भी परियोजना के सिविल एवं आधार कार्य का निर्धारण रूपरेखा को अंतिम रूप देने एवं संबंधित प्राधिकारियों की आवश्यक स्वीकृति इत्यादि के पश्चात ही किया जा सकता है। इसने आगे कहा कि आईएससी के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (आरएसपीसीबी) की अनुमति क्रमशः जनवरी 2013 एवं मई 2013 में प्राप्त हुई थी एवं इसलिए, सिविल कार्य जनवरी 2014 में प्रारम्भ हो सका था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि किसी भी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए इससे जुड़ी सभी गतिविधियां साथ-साथ प्रारम्भ किया जाना आवश्यक हैं, तथापि, कम्पनी यह सुनिश्चित नहीं कर सकी। साथ ही, उत्तर राजकीय उपक्रम के कार्य का क्षेत्र निर्धारण किये जाने की तिथि के विषय पर मौन था।

*ii. चीनी संयंत्र एवं सह-उत्पादन संयंत्र*

**5.2.6** राजकीय उपक्रम द्वारा सिविल कार्यों को पूर्ण नहीं करने के कारण, कम्पनी ने पूर्णता अवधि को 5 माह अर्थात 8 जून 2016 तक बढ़ा (फरवरी 2016) दिया, तथापि, ठेकेदार अ कई कार्यों को आदिनांक (जून 2019) पूर्ण नहीं कर सका जैसा कि अनुबंध-23 में दर्शाया गया है।

सरकार ने कहा कि शेष कार्य जून 2019 तक पूर्ण नहीं करने के कारण इसने ठेकेदार अ की ₹ 3.43 करोड़ की सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली थी। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि समस्त कार्यों के पूर्ण नहीं होने के कारण संयंत्र का प्रदर्शन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था। साथ ही, धारित राशि, संयंत्र के कमजोर प्रदर्शन के कारण हुई हानि को वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

*iii. डिस्टिलरी संयंत्र*

**5.2.7** कम्पनी ने डिस्टिलरी संयंत्र की पूर्णता अवधि को भी 8 जून 2016 तक बढ़ा (फरवरी 2016) दिया, तथापि, ठेकेदार ब द्वारा क्रमशः ₹ 2.25 करोड़ एवं ₹ 0.45 करोड़ की लागत के बायोमेथेनेशन संयंत्र एवं कन्डेनसेट पॉलिशिंग इकाई का स्थिरीकरण मई 2019 तक नहीं किया जा सका था।

सरकार ने कहा कि कार्य को पूर्ण नहीं करने के कारण ठेकेदार ब से क्षतिपूर्ति की वसूली करके एवं कानूनी नोटिस प्रदान (मई 2019) करके कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बायोमेथेनेशन संयंत्र एवं कन्डेनसेट पॉलिशिंग इकाई के पूर्ण नहीं होने के

कारण, कम्पनी द्वारा न केवल पर्यावरण मानकों का उल्लंघन किया गया अपितु वह डिस्टिलरी के बॉयलर में उपयोग होने वाले ईंधन की बचत से भी वंचित हुई थी।

#### **आईएससी के क्रियान्वयन में अतिरिक्त लागत**

**5.2.8** कम्पनी ने एक प्रारंभिक डीपीआर तैयार की, जिसमें परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 95 करोड़ आंकलित की गई थी (सितंबर 2010) जिसे संशोधित करके (सितंबर 2012) ₹ 145.35 करोड़ कर दिया गया था एवं पुनः संशोधित (अगस्त 2014) करके ₹ 180 करोड़ किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएससी को ₹ 208.28 करोड़ की कुल लागत से स्थापित किया गया था जो कि संशोधित लागत से 16 प्रतिशत अधिक थी। लागत में वृद्धि का कारण सिविल कार्य एवं सहउत्पादक संयंत्र की अधिक लागत था। परियोजना के निष्पादन में पायी गई कमियों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है:

#### **परियोजना के सिविल कार्य के लिए ठेका**

**5.2.9** कम्पनी द्वारा एकीकृत चीनी परिसर के सिविल निर्माण कार्यों के कार्य आदेश प्रदान करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई (अप्रैल/मई 2011)। चार बोलीदाताओं ने निविदा में भाग लिया एवं सभी बोलीदाताओं की तकनीकी बोलियां 30 जून 2011 को खोली गई थी। तत्पश्चात, तकनीकी रूप से योग्य तीन बोलीदाताओं की वित्तीय निविदाएं 17 अगस्त 2011 को खोली गई थी जिसमें न्यूनतम बोलीदाता (एल<sub>1</sub>) ने ₹ 45.17 करोड़ (बीएसआर 2009 के अनुसार अनुमानित लागत ₹ 31.95 करोड़ पर 41.40 प्रतिशत प्रिमियम पर) की दर उद्धृत की, जो की मोलभाव के उपरांत घटकर ₹ 43.77 करोड़ हो गई थी। निविदा के वाक्यांश 6.3.3.0 के अनुसार दरों की अनुसूची में उल्लेखित दरों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी या वृद्धि का प्रावधान नहीं था। दरों को उचित पाया गया था एवं इसलिए चार निदेशकों की उपसमिति ने निदेशक मंडल (बीओडी) को एल<sub>1</sub> बोलीदाता के प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनुशंसा की (18 नवंबर 2011)। तथापि, बीओडी ने एल<sub>1</sub> बोलीदाता को बीएसआर 2011 के अनुसार अनुमानों पर 2.4 प्रतिशत प्रीमियम जो कि बीएसआर 2009 पर 25.04 प्रतिशत के बराबर था, पर प्रति प्रस्ताव देने का निर्णय किया (24 नवम्बर 2011)। बोलीदाता ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया एवं इसलिए प्रबंधन ने निविदा को निरस्त करने एवं कार्य को राजकीय उपक्रम से ₹ 45 करोड़ की अनुमानित लागत के उपर 7.5 प्रतिशत एजेन्सी प्रभारों के आधार पर करवाने का निर्णय किया (जनवरी 2012)। तदनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से जनवरी 2013 में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात, कम्पनी ने राजकीय उपक्रम के साथ 24 माह की पूर्णता अवधि के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया (7 फरवरी 2013)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- i. कम्पनी के वित्त समूह द्वारा बीओडी को अवगत कराया गया प्रति प्रस्ताव (बीएसआर 2011 के अनुसार अनुमानित लागत पर 2.4 प्रतिशत प्रीमियम), गैर बीएसआर मदों को सम्मिलित करने के कारण दोषपूर्ण था।
- ii. राजकीय उपक्रम ने ₹ 45 करोड़ की अनुमानित लागत पर (वास्तविक लागत में 7.5 प्रतिशत एजेन्सी प्रभारों को जोड़ते हुये) कार्य निष्पादित करने की सहमति व्यक्त की अर्थात बीएसआर 2009 के अनुसार ₹ 31.95 करोड़ की अनुमानित लागत पर 40.84 प्रतिशत प्रीमियम जबकि एल<sub>1</sub> बोलीदाता कार्य को 37 प्रतिशत प्रीमियम पर बगैर किसी वृद्धि के

- निष्पादित करने को सहमत था। साथ ही, राजकीय उपक्रम ने आकस्मिकता एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए लागत का क्रमशः 3 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत शुल्क भी लिया।
- iii. इसके अतिरिक्त, निविदा के वाक्यांश के अनुसार, एल<sub>1</sub> बोलीदाता को कार्य पूर्ण होने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक दोष दायित्व अवधि का पालन करना भी आवश्यक था, तथापि, एमओयू के वाक्यांश 21 के अनुसार, राजकीय उपक्रम कार्य की समाप्ति की तिथि से 6 माह के भीतर सभी अवलोकित दोषों को स्वयं की लागत से दूर करने के लिए उत्तरदायी था। इसके अलावा, राजकीय उपक्रम ने संरचना को 5 वर्ष तक संधारण करने के लिए पूर्णता लागत का 5 प्रतिशत प्रभारित किया था।
- iv. राजकीय उपक्रम द्वारा तत्पश्चात परिकल्पित किए गए ₹ 13.25 करोड़ के कार्यों के अतिरिक्त कार्य को ₹ 75.68 करोड़ की कुल लागत, से पूर्ण किया था।

इस प्रकार, कम्पनी ने पर्याप्त औचित्य के बिना एल<sub>1</sub> बोलीदाता को निम्न दरों पर प्रति प्रस्ताव देकर सिविल कार्यों पर ₹ 31.91 करोड़<sup>18</sup> का अतिरिक्त व्यय किया। साथ ही, पूर्ण होने में विलम्ब के कारण कार्यों की लागत में भी वृद्धि हो गई।

सरकार ने कहा कि एल<sub>1</sub> बोलीदाता द्वारा उद्धरित (जून 2011) दरें बीएसआर 2009 की दरों से 37 प्रतिशत अधिक थीं एवं इसलिए बीएसआर 2009 से 25.04 प्रतिशत अधिक का प्रति प्रस्ताव फर्म को दिया गया था जो कि उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। तत्पश्चात, सिविल कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता को देखते हुए, राजकीय उपक्रम से कार्य करवाया गया था। इसने आगे कहा कि सिविल कार्य निष्पादित करने के लिए राजकीय उपक्रम के साथ एमओयू किया गया था, जिसमें सलाहकार के प्रतिवेदन के अनुसार, सिविल कार्य की अनुमानित लागत ₹ 45 करोड़ थी, तथापि मशीनों के डिजाइन एवं रूपरेखा की स्वीकृति के पश्चात सामग्री की वास्तविक मात्रा का आंकलन किया जा सका इसलिए सिविल कार्यों की लागत 2014 में संशोधित कर ₹ 61.55 करोड़ की गई थी।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एल<sub>1</sub> बोलीदाता को दिया गया प्रति प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण आंकड़ों पर आधारित था। साथ ही, प्रबंधन ने राजकीय उपक्रम को कार्य प्रदान करने से पूर्व वित्तीय विवेक नहीं अपनाया था क्योंकि कार्य लागत पर प्रीमियम के आधार पर दिया गया था जो कि एल<sub>1</sub> बोलीदाता को दिये गए प्रति प्रस्ताव की तुलना में बीएसआर 2009 के अनुसार ₹ 31.95 करोड़ की अनुमानित लागत पर ₹ 5.05 करोड़ अधिक था।

### **चीनी संयंत्र एवं सह-उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिये ठेका**

**5.2.10** कम्पनी ने 1500 टीसीडी चीनी संयंत्र के साथ 4.95 एमडब्ल्यू के सह-उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए बोलियां आमंत्रित की (अप्रैल 2011), तथापि, कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए, नेशनल फेडरेशन आफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड (तकनीकी सलाहकार) के परामर्श पर अगस्त 2011 में बोलियां पुनः आमंत्रित की गई थी तथापि, इसे निरस्त कर दिया गया (मई 2012)। तत्पश्चात, कम्पनी ने डीपीआर को संशोधित किया एवं तदनुसार, सहउत्पादन संयंत्र के साथ 2500 टीसीडी तक विस्तार योग्य 1500 टीसीडी चीनी संयंत्र की स्थापना हेतु बोलियां आमंत्रित की गई (27 फरवरी 2013)। इस निविदा को भी

18 डीपीआर में परिकल्पित सिविल कार्य (₹ 75.68 करोड़) की वास्तविक लागत (आरएसआरडीसीसी के एजेन्सी प्रभार सहित) -एल<sub>1</sub> बोलीदाता का मोलभाव पश्चात स्थिर मूल्य (₹ 43.77 करोड़)।



निरस्त कर दिया गया था क्योंकि एल, बोलीदाता द्वारा उद्धरित दरें (₹ 78.17 करोड़ एवं तत्पश्चात मोलभाव के दौरान ₹ 73.30 करोड़ तक कम की गई) कम्पनी के द्वारा तैयार किये आंतरिक अनुमानों (₹ 56.60 करोड़) से अधिक थी। आगामी निविदा में, चार बोलीदाताओं की वित्तीय निविदाएं खोली गई (12 जुलाई 2013) जिसमें ठेकेदार अ द्वारा उद्धरित मूल्य (₹ 74.01 करोड़) सबसे कम था। मोलभाव के उपरांत, ठेकेदार अ ने अपना मूल्य घटाकर ₹ 68.75 करोड़ कर दिया, जिस पर कम्पनी ने सहमति व्यक्त की थी एवं तदनुसार, ठेकेदार अ को एक आशय पत्र जारी (29 जुलाई 2013) कर किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया की कार्य आदेश प्रदान करने से पूर्व एक सर्वोच्च समिति<sup>19</sup> का गठन ठेकेदार अ द्वारा पूर्व में स्थापित चीनी मिल के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए किया गया था। कमेटी ने रोहतक, हरियाणा में स्थित शुगर फैक्ट्री का दौरा किया (मई 2011)। समिति ने प्रतिवेदित किया कि चीनी मिल का प्रदर्शन पूर्णतया असंतोषजनक था एवं यह परीक्षण एवं वास्तविक संचालन के दौरान पूर्णतया विफल रही थी। तथापि, बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के दौरान सर्वोच्च समिति के निष्कर्षों की अनदेखी की गई थी। साथ ही, ठेकेदार अ के पक्ष में कार्य आदेश प्रदान करने से पूर्व कभी भी निदेशक मंडल को प्रतिकूल निष्कर्षों से अवगत नहीं करवाया गया था।

इस प्रकार तकनीकी रूप से अयोग्य एवं अनुभवहीन फर्म को, बावजूद उसके अन्य परियोजनाओं में कमजोर प्रदर्शन के बारे में जानकारी होने के उपरान्त भी, कार्य आदेश प्रदान करने की परिणीति फर्म द्वारा चीनी संयंत्र की मशीनरी/उपकरणों की स्थापना में अकुशलता के रूप में हुई जैसा की आगामी अनुच्छेदों 5.2.11 से 5.2.17 में चर्चा की गई है।

सरकार ने समिति के प्रतिकूल राय के तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि नवीन चीनी संयंत्र के कार्य को टर्नकी के आधार पर प्रदान किया गया था एवं इसलिए मूल्य निविदा खुलने के पश्चात, समिति द्वारा न्यूनतम मूल्य पर अन्य आपूर्तिकर्ताओं से प्रस्ताव लेने का सुझाव पारदर्शिता अधिनियम एवं निर्दिष्ट नियमों के विपरीत था। साथ ही, ठेकेदार अ को कार्य आदेश दिया गया था क्योंकि समिति की कोई सिफारिश नहीं थी कि यह एक काली सूची में डाली गई फर्म थी अथवा निविदा में भागीदारी से प्रतिबंधित थी। संयंत्र एवं मशीनरी की लागत में वृद्धि वर्ष 2011 एवं 2013 में आमंत्रित निविदाओं में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण हुयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी ने ना केवल समिति की सिफारिश की अनदेखी की अपितु ऐसी फर्म को कार्यदेश प्रदान किया, जिसका प्रदर्शन अन्य संयंत्रों में पूर्णतया असंतोषजनक था।

## परियोजना का क्रियान्वयन

### चीनी संयंत्र के साथ सह-उत्पादन संयंत्र की स्थापना

5.2.11 चीनी संयंत्र के साथ सह-उत्पादन संयंत्र की स्थापना से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से उजागर हुआ कि ठेकेदार अ ने संयंत्र एवं मशीनरी के कुछ उपकरण संविदा अनुबंध में निर्दिष्ट बनावट एवं विन्यास के अनुरूप नहीं लगाये थे:

19 महाप्रबंधक (मुख्यालय), वित्तीय सलाहकार, महाप्रबंधक (श्रीगंगानगर) एवं मुख्य परियोजना अधिकारी।

- एनएचईसी/डब्ल्यूआईएल/थाइसेन कृप इंड/पोर्ट/एफसीबी-केसीपी/उत्तम बैच टाइप के स्थान पर स्वयं निर्मित सेंट्रीफ्यूगल मशीन स्थापित की गई थी।
- सीमेंस, यूरोथर्म, श्नाइडर, इमर्शन निर्मित के स्थान पर वीएफडी पैनल (एबीबी/क्रॉम्पटन /एलएंडटी निर्मित) स्थापित किये गये।
- मशीनरी स्थापित किए गए में कुछ अन्य पार्ट्स जैसे कि एस.एस. कंडेंसर, बॉयलर सेफ्टी वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व संविदा अनुबंध में वर्णित उत्पादकों के नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रबंधन ने मशीनरी के बनावट/ विन्यास में परिवर्तन की अनुमति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् कम्पनी के निदेशक मंडल की अनुमति के बिना ही प्रदान की थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि ठेकेदार अ को तकनीकी सलाहकार द्वारा अनुमोदित एवं अनुबंध के साथ संलग्न आपूर्तिकर्ताओं की सूची के अनुसार क्रय सामग्री की आपूर्ति करनी थी। तथापि, ठेकेदार अ ने सूची में निर्माता/आपूर्तिकर्ता के रूप में स्वयं के नाम के आद्याक्षर सम्मिलित कर दिये एवं स्वयं द्वारा निर्मित कई मर्दों<sup>20</sup> की आपूर्ति की थी।

सरकार ने कहा कि चीनी संयंत्र के कार्य को टर्नकी के आधार पर दिया गया था एवं ठेकेदार अ की सेंट्रीफ्यूगल मशीन/क्लैरीफायर/वैक्यूम फिल्टर राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की महत्वपूर्ण उपकरणों की सूची में सम्मिलित थे, अंतः बीओडी की अनुमति आवश्यक नहीं थी। तथापि, इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि बॉयलर सेफ्टी वाल्व एवं बटर फ्लाई वाल्व की आपूर्ति निविदा के अनुसार नहीं की गई थी। उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं थी कि संविदा अनुबंध में निर्दिष्ट बनावट/ विन्यास अनुसार मर्दों की स्थापना/आपूर्ति नहीं की गई थी।

### नवीन चीनी संयंत्र का परिचालन निष्पादन

**5.2.12** कम्पनी ने गन्ना पिराई सत्र 2015-16 के दौरान नवीन चीनी संयंत्र का संचालन प्रारम्भ (जनवरी 2016) कर दिया बावजूद इसके की यह संचालन के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं था एवं इसका परीक्षण संचालन भी नहीं किया गया था। पिराई सत्र 2015 -18 के दौरान चीनी संयंत्र का निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया था जैसा कि आगे चर्चा की गई है:

#### अत्यधिक यंत्रदोष

**5.2.13** कम्पनी ने डीपीआर में वास्तविक पिराई के घंटों के अनुपात में यंत्रदोष के कारण घंटों के नुकसान के लिए मापदंड निर्धारित नहीं किए थे। तथापि, नवीन चीनी संयंत्र के संचालन एवं रखरखाव के लिए ठेकेदार स को ठेका प्रदान (14 नवंबर 2016) करते समय इसने प्रत्येक पिराई सत्र के लिए अधिकतम दो प्रतिशत के ठहराव के मापदंड निर्धारित किए थे। संयंत्र के संचालन, यंत्रदोष के कारण घंटों के नुकसान का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

20 सी/एफ मशीन, वी फिल्टर, क्लैरीफायर, कैन अनलोडर, फीडर टेबल, कैन कैरियर ईओटी एवं हॉट क्रेन्स, पीआरडीएस इत्यादि।

तालिका 5.2.1: पिराई हेतु उपलब्ध घंटे व पिराई के वास्तविक घंटे

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पिराई के लिए उपलब्ध कुल घंटे	2792.60	2808.50	1599.75	2469.35
पिराई के वास्तविक घंटे	1994.42	2182.50	1275.05	2068.40
घंटों का नुकसान	798.18	626.00	324.70	400.95
कुल नुकसान हुए घंटों का कुल पिराई घंटों से प्रतिशत	28.58	22.29	20.30	16.23
मानक से अधिक घंटों का नुकसान (प्रतिशत)	26.58	20.29	18.30	14.23

यह देखा जा सकता है कि यंत्रदोष के कारण नुकसान होने वाले घंटे निर्धारित मापदंडों से बहुत अधिक थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि चीनी संयंत्र के रुकने के मुख्य कारणों में पावर हाउस के ब्रेकर में ट्रिपिंग, एमबीसी (मुख्य बगास कैरियर) में यंत्रदोष एवं आरबीसी (रिटर्न बगास कैरियर) में समस्या थी। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि टरबाइन में ट्रिपिंग के नियमित प्रकरण थे, तथापि, ठेकेदार अ द्वारा अप्रैल 2019 तक इसे ठीक नहीं किया गया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि 2015-16 के सत्र में, अत्यधिक यंत्रदोष प्रारम्भ एवं परीक्षण सत्र होने के कारण तथा ठेकेदार अ द्वारा संविदा अनुबंध के अनुसार परीक्षण निष्पादन भी पूर्ण नहीं किये जाने के कारण हुआ था जिसके लिए चालू बिलों में से कटौती कर ली गई है। इसके आगे कहा कि ओएण्डएम अनुबंधकर्ता (ठेकेदार स) से सत्र 2016-19 के दौरान मापदंडों से अधिक यंत्रदोष के लिए वसूली की गई थी है। उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं था, क्योंकि अत्यधिक यंत्रदोष के कारण होने वाली हानि के समक्ष सत्र के दौरान प्रदर्शन मानकों की अप्राप्ति (ठहराव) के लिए आरोपित शास्ति<sup>21</sup> मामूली थी। कम्पनी ने अत्यधिक यंत्रदोष के कारणों का विश्लेषण नहीं किया था एवं शास्ति को परिचालन निष्पादन में हुई हानि के अनुसार युक्ति संगत भी नहीं किया गया था।

#### बगास का अतिरिक्त उपभोग

**5.2.14** चीनी संयंत्र एवं सह-उत्पादन संयंत्र की डीपीआर में बगास उत्पादन एवं उपभोग क्रमशः 19.60 टन प्रति घंटा (टीपीएच) एवं 13.06 टीपीएच परिकल्पित किया गया था। इस प्रकार, 6.54 टन बगास की बचत होनी थी, जो कि सत्र के दौरान पिराई किये गये गन्ने के 9.41 प्रतिशत के बराबर थी। संयंत्र के संचालन, गन्ने की पिराई, बगास का उत्पादन, ईंधन के रूप में बगास का उपयोग, खुले बाजार से बगास के क्रय का वर्षवार विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

21 2016-18 के दौरान ₹ 2.00 लाख प्रति सत्र एवं 2018-19 के दौरान ₹ 4 लाख से ₹ 6 लाख प्रति सत्र।

तालिका 5.2.2: 2015-16 से 2018-19 के दौरान बगास का उपयोग

(मात्रा क्विंटल में)

वर्ष	गन्ना पिराई	अनुमानित बचत	उत्पादित बगास	क्रय किये गये बगास का उपभोग	बगास का कुल उपभोग	मानक अनुसार उपभोग	अतिरिक्त उपभोग
2015-16	888864	83642.10	312556	60698	373254	260471	112783
2016-17	1189328	111915.76	383913	58823	442736	285035	157701
2017-18	773505	72786.82	245222	67148	312370	166522	145848
2018-19	1161153	109264.00	362140	58821	420961	270133	150828

स्रोत: फॉर्म आरटी-8सी में सत्र के लिए अंतिम उत्पादन प्रतिवेदन, डीपीआर एवं बगास के क्रय का विवरण।

यह देखा जा सकता है कि संयंत्र का निष्पादन अत्यधिक कमजोर था। डीपीआर में परिकल्पित गन्ना पिराई के 9.41 प्रतिशत की बचत के समक्ष, न केवल गन्ना पिराई से उत्पादित समस्त बगास का उपभोग किया गया था अपितु बल्कि 10 अप्रैल 2019 तक समाप्त गत चार सत्रों के दौरान कम्पनी को बाजार से 245490 क्विंटल बगास का क्रय करना पड़ा था। लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी चार गन्ना पिराई सत्रों में बगास का उपभोग डीपीआर में परिकल्पित मानकों से अधिक था। बगास के अतिरिक्त उपभोग के मुख्य कारण ठेकेदार अ द्वारा इंसुलेशन कार्य के पूर्ण नहीं किया जाना था जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न उपकरणों में ऊष्मा विकिरण हानि सामान्य से अधिक थी; मिल में हाइड्रोलिक दबाव के असामान्य कार्य करना, जिसके परिणामस्वरूप नमी की मात्रा थी अधिक (जो  $\leq 50$  प्रतिशत के मानकों के समक्ष 50.16 प्रतिशत व 51.92 प्रतिशत के मध्य थी), बॉयलर में भाप का अधिक उपभोग एवं टरबाइन में बारम्बार ट्रिपिंग थे।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि संयंत्र के कमजोर निष्पादन के कारण कम्पनी को बगास के क्रय पर ₹ 8.40 करोड़<sup>22</sup> का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि बगास के उपभोग को कम करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है, जिसके तहत बार-बार होने वाली ट्रिपिंग की समस्या से उबरने हेतु टरबाइन नियंत्रक में यांत्रिक समायोजन कर एवं इंसुलेशन कार्य जो कि ठेकेदार अ द्वारा नहीं किया गया था। को पूर्ण किया जा रहा है, तथ्य यह रहा कि अपूर्ण कार्य के कारण संयंत्र का प्रदर्शन असंतोषजनक रहा, जिसके कारण बगास का अतिरिक्त उपभोग हुआ था।

#### गन्ने से चीनी की प्राप्ति

**5.2.15** चीनी संयंत्र एवं सह-उत्पादन संयंत्र की डीपीआर में आगामी 5 वर्षों के दौरान की गन्ने से चीनी की 9.50 प्रतिशत प्राप्ति की परिकल्पित (अनुमानित) थी। गत चार सत्रों अर्थात् 10 अप्रैल 2019 तक गन्ने की पिराई एवं चीनी की प्राप्ति का विवरण निम्नानुसार है:

22 क्रय मात्रा का उपभोग \* सत्र के दौरान प्रति क्विंटल औसत निर्गम दर {2015-16 (60698\* ₹ 377.16), 2016-17 (58823\* ₹ 342.94), 2017-18 (67148\* ₹ 330.209) एवं 2018-19 (58821 \* 319.45)}

तालिका 5.2.3: गन्ने से चीनी की वसूली

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
गन्ने की कुल पिराई (क्विंटल)	888864	1189328	773505	1161153
गन्ने से चीनी की वास्तविक वसूली (%)	5.88%	8.55%	9.02%	9.18%
गन्ने से चीनी की वास्तविक वसूली (क्विंटल)	52265.20	101687.54	69770.15	106593.85
गन्ने में चीनी की हानि का प्रतिशत (डीपीआर के अनुसार)	1.85	1.85	1.85	1.85
गन्ने में चीनी की हानि क्विंटल में (डीपीआर के अनुसार)	16443.98	22002.57	14309.84	21481.33
चीनी की वास्तविक हानि (%)	3.63	2.58	2.23	2.20
चीनी की वास्तविक हानि (क्विंटल में)	32265.76	30684.66	17249.16	25545.37
अतिरिक्त हानि (क्विंटल में)	15821.78	8682.09	2939.32	4064.04
प्रति क्विंटल चीनी की दर/₹ (31 मार्च को)	3147.12	3541.36	2973.95	2956.91
चीनी की कम प्राप्ति के कारण हानि (₹ लाख में)	497.93	307.46	87.41	120.17

स्रोत: सत्र के लिये फॉर्म आरटी-8सी में अंतिम उत्पादन प्रतिवेदन, डीपीआर एवं कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना।

यह देखा जा सकता है कि चीनी की प्राप्ति मापदंडों से कम थी एवं चीनी की हानि का प्रतिशत मापदंडों से अधिक था। लेखापरीक्षा ने देखा कि मापदंडों से अधिक उत्पादन हानि होने के कारण 2015-16 से 2018-19 के दौरान कम्पनी को ₹ 10.13 करोड़ रुपए की हानि वहन करनी पड़ी थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि कम्पनी ने वर्ष 2018-19 में चीनी संयंत्र के संचालन व रखरखाव का ठेका ठेकेदार द को प्रदान किया था (18 अक्टूबर 2018)। ठेकेदार द ने चीनी संयंत्र की कमियों के अवलोकन के उपरांत, चीनी संयंत्र की परिचालन दक्षता में सुधार हेतु ₹ 4.19 करोड़ के अनुमानित व्यय का सुझाव दिया था। तथापि, प्रबंधन द्वारा जून 2019 तक की निर्णय नहीं लिया गया था।

इस प्रकार, सभी चार पिराई सत्रों के दौरान, चीनी संयंत्र का समग्र निष्पादन संतोषजनक नहीं था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि ठेकेदार अ ने निष्पादन परीक्षण अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं किये थे एवं इसलिये 2015-19 के सत्रों के दौरान निर्धारित मापदंडों से अधिक यंत्रदोषों के कारण चीनी की प्राप्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी। तथापि, अनुबंध के अनुसार चीनी की कम प्राप्ति के लिए ओएण्डएम ठेकेदारों (ठेकेदार स व द) से वसूली कर ली गई थी। तथ्य यह रहा कि चीनी संयंत्र के कमजोर निष्पादन के कारण सभी चारों सत्रों में चीनी की हानि मापदंडों से अधिक थी। इसके अतिरिक्त सरकार का यह कथन यथार्थपूर्ण नहीं था कि ओएण्डएम अनुबंधकर्ताओं से वसूली कर ली गई थी, क्योंकि चीनी की हानि के समक्ष वसूली बहुत कम थी।

**बगास आधारित सह-उत्पादन संयंत्र का निष्पादन**

**5.2.16** डीपीआर में परिकल्पित था कि 4.95 मेगावाट (4950 किलोवाट) बगास आधारित सह-उत्पादन संयंत्र को बॉयलर से जनित भाप से संचालित किया जाना था। साथ ही, गन्ना पिराई सत्र के दौरान 2100 केडब्ल्यूएच विद्युत की स्वयं की आवश्यकता (तत्पश्चात 2800 केडब्ल्यूएच तक संशोधित) एवं गैर-सत्र के दौरान 700 केडब्ल्यूएच की मांग पूरी करने के पश्चात शेष विद्युत ग्रिड में डाली जानी थी। तदनुसार तीनों डिस्कॉम्स<sup>23</sup> के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध निष्पादित (30 दिसंबर 2015) किये गये थे। सह-उत्पादन संयंत्र को 9 मई 2016 को प्रारम्भ किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चीनी संयंत्र के प्रारंभ होने की तिथि अर्थात् 16 जनवरी 2016 से 8 मई 2016 तक टरबाइन 2167 घंटे संचालित किया गया था। तथापि, ग्रिड के साथ जुड़े नहीं होने के कारण, कम्पनी 2015-16 के सत्र के दौरान डिस्कॉम को विद्युत निर्यात नहीं कर सकी थी। 2016-17 से 2018-19 के दौरान सह-उत्पादन संयंत्र से विद्युत का अनुमानित/वास्तविक उत्पादन एवं उत्पादित विद्युत का निर्यात नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

**तालिका 5.2.4: सह-उत्पादन संयंत्र से विद्युत का उत्पादन व निर्यात**

वर्ष	टरबाइन का वास्तविक संचालन (घंटों में)	स्थापित क्षमता पर अनुमानित उत्पादन (केडब्ल्यूएच में)	वास्तविक उत्पादन (केडब्ल्यूएच में)	वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता	डीपीआर के अनुसार स्वयं के उपयोग (2800 केडब्ल्यूएच) के पश्चात निर्यात के लिए उपलब्ध योग्य अधिशेष विद्युत (केडब्ल्यूएच में)	विद्युत निर्यात (केडब्ल्यूएच में)	विद्युत निर्यात में कमी (केडब्ल्यूएच में)
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
2016-17	2427	12013650	8636100	71.88	5218050	2561951	2656099
2017-18	1413	6994350	5593317	79.97	3037950	2019717	1018233
2018-19	2228	11028600	7741645	70.19	4790200	2490180	2300020

यह देखा जा सकता है कि पिराई सत्र 2016-17 से 2018-19 के दौरान सह-उत्पादन संयंत्र का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था क्योंकि वास्तविक उत्पादन केवल 71.88 प्रतिशत एवं 79.97 प्रतिशत के मध्य था। लेखापरीक्षा ने देखा कि पूर्ण क्षमता पर विद्युत उत्पादन नहीं होने के कारण, वित्त वर्ष 2016-19 के दौरान डिस्कॉम्स को निर्यात की जाने वाली विद्युत में कमी रही थी। इस प्रकार, कम्पनी को ₹ 3.40 करोड़<sup>24</sup> के राजस्व की हानि हुई। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि गैर सत्र के दौरान बगास की अनुपलब्धता के कारण कम्पनी सह-उत्पादन संयंत्र के संचालन में विफल रही।

23 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

24 2656099 इकाईयां \* ₹ 5.53 प्रति इकाई (अर्थात: स्थाई शुल्क: ₹ 2.43 प्रति इकाई एवं परिवर्तनशील शुल्क: ₹ 3.10 प्रति इकाई), 1018233 इकाईयां \* ₹ 5.685 प्रति इकाई (परिवर्तनशील शुल्क में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को सम्मिलित करते हुए) एवं 2300020 इकाईयां\* ₹ 5.8478 प्रति इकाई राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार।

सरकार ने कहा कि कमी की गणना 2.1 एमडब्ल्यू का घरेलू भार मानते हुए की गई है जबकि चीनी संयंत्र का घरेलू भार 2.8 एमडब्ल्यू था क्योंकि डीपीआर तैयार करते समय बहुत सारे घटकों पर विचार नहीं किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कमी की गणना संयंत्र के पूर्ण क्षमता (4950 केडब्ल्यूएच प्रति घंटा) पर संचालन के आधार पर तथा कम्पनी के स्वयं 2800 केडब्ल्यूएच प्रति घंटा के उपभोग को ध्यान में रखते हुए की गई थी।

### प्रेस मड का उपयोग

**5.2.17** प्रेस मड का उपयोग भरपूर पोषक तत्वों से युक्त, उच्च गुणवत्ता वाले जैविक पदार्थ के रूप में किया जाता है; जब इसे मृदा में खाद के रूप में मिलाया जाता है तो बेहतर सतत उपज प्राप्त होती है। प्रेस मड पोषक तत्व से भरपूर नरम, स्पंजी, अनाकार एवं गहरे भूरे सफेद रंग की सामग्री है। डिस्टिलरी से प्राप्त स्पेंट वाश<sup>25</sup> को संमिश्रित प्रक्रिया के माध्यम से प्रेस मड के साथ उपयोग में लिया जाता है। साथ ही, प्रेस मड एवं स्पेंट वाश का 1:3.5 अनुपात का मिश्रण जैविक खाद के लिए अनुकूलतम है।

चीनी संयंत्र के संचालन, उत्पादित प्रेस मड एवं जैविक खाद के वास्तविक उत्पादन का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 5.2.4: प्रेस मड एवं जैविक खाद का उत्पादन

(मात्रा क्विंटल में)

सत्र	उत्पादित प्रेस मड	प्रेस मड का संचयी उत्पादन	जैविक खाद का उत्पादन
2015-16	21401.20	21401.20	-
2016-17	33726.33	55127.53	18000
2017-18	18850.00	73977.53	22400
2018-19	37938.90	111916.43	-

लेखापरीक्षा ने देखा कि पिराई सत्र 2015-16 एवं 2018-19 के दौरान जैविक खाद का उत्पादन नहीं किया जा सका क्योंकि डिस्टिलरी 2015-16 में संचालित नहीं हुई थी, जबकि यह 2018-19 के दौरान बंद रही थी। इस प्रकार, प्रेस मड की बहुत बड़ी मात्रा जैविक खाद के उत्पादन में प्रयुक्त नहीं हो सकी थी।

सरकार ने कहा कि डिस्टिलरी के संचालन के पश्चात जैविक खाद का उत्पादन प्रारम्भ हुआ एवं 12000 क्विंटल जैविक खाद का विक्रय किया जा चुका है। इसने आगे कहा गया कि 2018-19 के दौरान उत्पादित जैविक खाद की बिक्री के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। उत्तर स्वीकार नहीं था, क्योंकि कम्पनी द्वारा 2015-16 के दौरान उत्पादित संपूर्ण प्रेस मड का उपयोग स्पेंट वाश अनुउपलब्धता होने के कारण नहीं किया जा सका था। इसके अतिरिक्त, 2018-19 के दौरान डिस्टिलरी बंद थी एवं इसलिए जैविक खाद के उत्पादन की कोई संभावना नहीं थी।

25 डिस्टिलरी उद्योग का अपशिष्ट जल पूरी तरह से संयंत्र जनित होता है एवं इसमें भारी मात्रा में घुलनशील जैविक पदार्थ एवं पोषक तत्व होते हैं, परन्तु इनमें कोई विषैले यौगिक नहीं होते हैं।

### नवीन डिस्टिलरी संयंत्र का प्रदर्शन

**5.2.18** कम्पनी ने एकीकृत चीनी परिसर में चीनी मिल के साथ 30 केएलपीडी क्षमता की एक डिस्टिलरी संयंत्रकी स्थापना की थी। डिस्टिलरी संयंत्र को वर्ष में 330 मानव दिवसों (शीरा प्रणाली एवं धान्य प्रणाली अनाज आधार पर क्रमशः 140 दिन एवं 190 दिन) हेतु संचालित किया जाना था। संयंत्र के संचालन के लिए आवश्यक शीरा चीनी मिल से उत्पादित किया जाना था, जबकि संयंत्र के धान्य प्रणाली पर संचालन के लिए कम्पनी ने खुले बाजार से चावल की टुकड़ी क्रय की थी। संयंत्र का शीरा प्रणाली व धान्य प्रणाली पर संचालन क्रमशः 24 नवंबर 2016 एवं 31 जनवरी 2018 से प्रारम्भ किया गया था। संयंत्र के संचालन का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 5.2.5: नवीन डिस्टिलरी संयंत्र का संचालन

विवरण	2016-17		2017-18	
	शीरा प्रणाली	धान्य प्रणाली	शीरा प्रणाली	धान्य प्रणाली
कुल उपलब्ध संचालन घण्टे	2904	-	3360	936
वास्तविक संचालित घण्टे	1705	-	1848	535
विवश रुकावट	1199	-	1512	401
कुल उपलब्ध घण्टों से विवश रुकावट की प्रतिशतता	41%	-	45%	43%
प्रत्याशित उत्पादन (में लीटर बल्क लाख)	23.10	-	23.10	12.29
वास्तविक उत्पादन (में लीटर बल्क लाख)	15.95	-	14.56	3.27
प्रत्याशित उत्पादन की प्रतिशतता से वास्तविक उत्पादन	69.05		63.03	26.61

नोट: प्रत्याशित उत्पादन की गणना कुल उपलब्ध घण्टों के स्थान पर उन दिनों पर की गई जब संयंत्र संचालन में था।

लेखापरीक्षा में पाया कि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान संयंत्र का संचालन नहीं हुआ था। बॉयलर में दोषों जैसे कि नलियों में रिसाव, मुख्य बायोमास वाहक में चैन की समस्या, कम भाप, डेक नियंत्रण प्रणाली की समस्या एवं मशीनरी में यांत्रिक दोष के कारण संयंत्र की विवश रुकावट बहुत अधिक थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि संयंत्र के खराब प्रदर्शन के लिए ठेकेदार ब को कानूनी नोटिस जारी किए गए थे एवं सुरक्षा राशि में भी कटौती की गई थी। इसने ने आगे कहा कि पूर्व के ओएण्डएम अनुबंधकर्ता को मापदंडों/ अनुबंध के अनुसार कार्य नहीं करने के कारण पूर्ण भुगतान जारी नहीं किया गया था एवं वर्तमान में ओएण्डएम अनुबंध एक नये ठेकेदार को प्रदान (मार्च 2019) किया गया है, जिसमें परिशोधित स्पिरिट का उत्पादन अनुबंध की शर्तानुसार पाया गया था। तथ्य यह रहा कि डिस्टिलरी संयंत्र का निष्पादन संतोषजनक नहीं था।

#### डिस्टिलरी संयंत्र की परिचालन व्यवहार्यता

**5.2.19** कम्पनी ने चीनी मिल में उत्पादित शीरा एवं खुले बाजार से क्रय किए गए चावल की टुकड़ी से शीरा प्रणाली एवं धान्य प्रणाली पर परिशोधित स्पिरिट का उत्पादन किया था। वर्ष



2016-17 एवं 2017-18 के दौरान, परिशोधित स्पिरिट के उत्पादन का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	परिशोधित स्पिरिट का उत्पादन (बीएल में)		परिशोधित स्पिरिट की उत्पादन लागत (₹ प्रति बीएल)		परिशोधित स्पिरिट की क्रय लागत (₹ प्रति बीएल)		परिशोधित स्पिरिट की उच्च उत्पादन लागत के कारण हानि (₹ करोड़ में)	
	शीरा आधार	धान्य आधार	शीरा आधार	धान्य आधार	शीरा आधार	धान्य आधार	शीरा आधार	धान्य आधार
1	2		3		4		5 = (3-4) x 2	
2016-17	1595000	-	80.61	-	43.82	-	5.87	-
2017-18	1456000	327000	109.25	221.73	41.75	41.75	9.83	5.89
<b>कुल योग</b>	<b>3051002</b>	<b>327000</b>					<b>15.70</b>	<b>5.89</b>

लेखापरीक्षा ने देखा कि शीरा आधार पर उत्पादन 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान क्रमशः 69 प्रतिशत एवं 63 प्रतिशत पर बहुत कम हुआ था। साथ ही, धान्य से परिशोधित स्पिरिट का उत्पादन परिकल्पित उत्पादन का केवल 26.61 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि शीरा प्रणाली एवं धान्य प्रणाली से परिशोधित स्पिरिट का उत्पादन कम्पनी के लिए वित्तीय रूप से व्यवहारिक नहीं था क्योंकि 2016-18 के दौरान परिशोधित स्पिरिट के उत्पादन पर कम्पनी ने ₹ 21.58 करोड़ की हानि वहन की थी। साथ ही, संयंत्र 2018-19 के दौरान संचालित नहीं था परंतु, कम्पनी को डिस्टिलरी के संचालन के लिए आबकारी विभाग को ₹ 25 लाख का लाइसेंस शुल्क देना पड़ा था। साथ ही, संयंत्र का निष्पादन संतोषजनक नहीं था क्योंकि आसवन, बॉयलर, टरबाइन मिलिंग, द्रवीकरण एवं किण्वन अनुभाग से संबंधित कई कार्य या तो लंबित थे अथवा अप्रैल 2018 तक कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रहे थे; फिर भी कम्पनी ने संयंत्र का संचालन करने का निर्णय लिया। कम्पनी ने ठेकेदार ब को कई नोटिस जारी किए, तथापि, मई 2019 तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ था।

सरकार का उत्तर 2016 -18 के दौरान शीरा प्रणाली/धान्य प्रणाली पर परिशोधित स्पिरिट की अधिक उत्पादन लागत पर मौन था। तथापि, उसने कहा कि 2019-20 के दौरान एक नवीन ठेकेदार डिस्टिलरी का संचालन ₹ 19.35 (जीएसटी अतिरिक्त) प्रति बीएल की रूपान्तरण लागत पर कर रहा है। साथ ही, आबकारी नीति के नियमों के अनुसार लाइसेंस शुल्क प्रति वर्ष जमा किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, डिस्टिलरी के शेष कार्यों को ठेकेदार ब के जोखिम एवं लागत के आधार पर करवाने की प्रक्रिया जारी है। उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं था क्योंकि इसमें वर्तमान में दिये गए अनुबंध की केवल रूपान्तरण लागत उल्लेखित है जिसमें प्रशासनिक लागत एवं उपरिव्यय लागत सम्मिलित नहीं की गई थी।

### पर्यावरणीय मुद्दे

**5.2.20 चीनी मिल एवं डिस्टिलरी संयंत्र स्थानीय पर्यावरण को बहुत प्रभावित करते हैं। इन संयंत्रों के संचालन के प्रत्यक्ष प्रभाव में सम्मिलित हैं:**

**वायु प्रदूषण:** बगास को बॉयलर में चीनी मिल के ईंधन के रूप में उपयोग करने से सूक्ष्म कण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन, सल्फर एवं जल वाष्प उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म कणों को

सामान्यता फ्लाई ऐश के रूप में जाना जाता है, जिसमें राख, अधजले बगास एवं कार्बन के कण होते हैं।

**जल प्रदूषण:** चीनी मिल प्रति टन गन्ने की पिराई पर 1000 लीटर अपशिष्ट जल उत्पन्न करती है, अपशिष्ट मुख्य रूप से सतह साफ करने के लिये अवशिष्ट जल एवं घनीभूत जल होता है। इसी प्रकार डिस्टिलरी से स्पेंट वाश भी उत्पन्न होता है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कम्पनी को डिस्टिलरी संयंत्र के साथ एकीकृत चीनी परिसर स्थापित करने हेतु पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) प्रदान की गई (जनवरी 2013)। साथ ही, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) ने चीनी संयंत्र एवं डिस्टिलरी संयंत्र के संचालन के लिए सहमति (सीटीओ) जारी की थी (18 दिसम्बर 2015)। ईसी एवं सीटीओ के नियमों एवं शर्तों में, अन्य प्रावधानों के साथ, चीनी मिल के अवशिष्ट जल के शोधन के लिए अवशिष्ट शोधन संयंत्र के साथ-साथ स्पेंट वाश के शोधन के लिए बायो-मेथेनेशन संयंत्र की स्थापना सम्मिलित थी।

#### **अवशिष्ट शोधन संयंत्र (डिस्टिलरी)**

**5.2.21** डिस्टिलरी संयंत्र की डीपीआर में शीरा आधारित संचालन के दौरान डिस्टिलरी से निकलने वाले स्पेंट वाश के लिए एक अवशिष्ट शोधन संयंत्र (ईटीपी) की स्थापना भी परिकल्पित थी। ईटीपी को तीन भागों में विभाजित किया गया था (अ) बायो-मेथेनेशन संयंत्र (ब) बायो-कंपोस्टिंग संयंत्र (स) कन्डेनसेट पॉलिशिंग इकाई। बायो-मेथेनेशन संयंत्र की स्थापना, डिस्टिलरी संयंत्र के अवशिष्ट भार को कम करने हेतु एवं डिस्टिलरी संयंत्र के पूरक ईंधन की आवश्यकता<sup>26</sup> की पूर्ति के लिये समृद्ध मिथेन बायोगैस का उत्पादन करने के लिए की जानी थी। बायोगैस का कैलोरी मान उच्च होता है एवं इसका उपयोग बायोगैस आधारित विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है।

ठेकेदार ब ने ₹ 3.40 करोड़<sup>27</sup> की कुल लागत से बायो-मेथेनेशन संयंत्र, बायो-कंपोस्टिंग संयंत्र एवं कन्डेनसेट पॉलिशिंग इकाई का निर्माण किया था (नवम्बर-2016)।

#### **बायो-मेथेनेशन संयंत्र का स्थिरीकरण नहीं किया जाना**

**5.2.22** यह परिकल्पित किया गया था कि बायो-मेथेनेशन संयंत्र डिस्टिलरी के शीरा प्रणाली से संचालन के 15 दिवस के पश्चात बायोगैस का उत्पादन करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बायो-मेथेनेशन संयंत्र का स्थिरीकरण मई, 2019 तक नहीं हुआ था एवं यहां तक कि संयंत्र का परीक्षण संचालन भी नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि शीरा प्रणाली पर संचालन के दौरान उत्पन्न हुए स्पेन्ट वॉश का शोधन भी नहीं किया गया था एवं अशोधित स्पेन्ट वॉश को इस प्रकार बाहर बहाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

26 बायो-मेथेनेशन संयंत्र के संचालन पर बायोगैस का परिकल्पित उत्पादन डिस्टिलरी संयंत्र की 1/3 पूरक ईंधन की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, जबकि शेष 2/3 ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति सरसों के भूसे से की जानी थी।

27 बायो-मेथेनेशन संयंत्र (₹ 2.25 करोड़), बायो-कंपोस्टिंग संयंत्र (₹ 0.70 करोड़) एवं कन्डेनसेट पॉलिशिंग इकाई (₹ 0.45 करोड़)।

साथ ही, इस तथ्य के उपरान्त भी कि संयंत्र का स्थिरीकरण/संचालन प्रारंभ नहीं हुआ था कम्पनी ने पूर्ण भुगतान जारी कर दिया। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि संयंत्र का संचालन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप, 136400 घन मीटर बायोगैस का परिकल्पित उत्पादन सुनिश्चित नहीं किया जा सका एवं इसलिए डिस्टिलरी संयंत्र का संचालन केवल सरसों के भूसे से किया गया था। इस प्रकार, कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में डिस्टिलरी संयंत्र को शीरा प्रणाली पर संचालन करने से ₹ 0.95 करोड़ के ईंधन की अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ी थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि ठेकेदार ब के विरुद्ध कार्यवाही कानूनी नोटिस जारी करके एवं निष्पादन गारंटी की कटौती कर प्रारंभ कर दी गई है। तथ्य यह रहा कि बायो-मेथेनेशन संयंत्र के अभाव में डिस्टिलरी द्वारा उत्पादित स्पेन्ट वॉश का शोधन नहीं किया जा सका था एवं इस प्रकार कम्पनी पर्यावरण मानकों की अनुपालना नहीं कर सकी।

### **कन्डेनसेट पालिशिंग ईकाई**

**5.2.23** कार्य के क्षेत्र के अनुसार ठेकेदार ब को अपशिष्ट जल में उपस्थित जैविक पदार्थ को हटाने एवं पीने के अतिरिक्त अन्य उपयोग हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कन्डेनसेट पालिशिंग ईकाई (सीपीयू) एवं आरओ संयंत्र स्थापित करना था। सीपीयू एवं आरओ संयंत्र की स्थापना क्रमशः ₹ 45 लाख एवं ₹ 48.40 लाख की लागत से की जानी थी। ठेकेदार ब ने संयंत्रों का निर्माण किया एवं तदनुसार कम्पनी ने संयंत्रों की लागत (सीपीयू के लिए ₹ एक लाख के अतिरिक्त) का भुगतान कर दिया।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि इन दोनों संयंत्रों का स्थिरीकरण आदिनांक (मई 2019) तक भी नहीं किया गया था; सीपीयू के विविध कार्य अभी तक बकाया होने के कारण कम्पनी डिस्टिलरी के संचालन के लिये आवश्यक पर्यावरणीय मानकों को प्राप्त नहीं कर सकी थी।

इस प्रकार बायो-मेथेनेशन संयंत्र एवं सीपीयू का स्थिरीकरण नहीं किये जाने के कारण कम्पनी द्वारा पर्यावरण मानकों का उल्लंघन किया गया क्योंकि उत्पादित स्पेन्ट वॉश का शोधन नहीं किया जा सका था।

सरकार ने प्रकरण पर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

### **‘संचालन करने की सहमति’ के नियमों एवं शर्तों की अनुपालना**

**5.2.24** आरएसपीसीबी द्वारा चीनी संयंत्र एवं डिस्टिलरी संयंत्र के लिये जारी (दिसम्बर 2015) ‘संचालन करने की सहमति’ के नियमों एवं शर्तों में यह विहित था कि वायु का उत्सर्जन एवं घरेलू सीवरेज एवं संचालन अपशिष्ट का निस्तारण इस प्रकार किया जाना चाहिये कि वह संबंधित अधिनियमों/नियमों/विनियमों के अंतर्गत नियत मानकों के अनुरूप हो। साथ ही, कम्पनी को उत्सर्जन के स्रोत/ परिवेश वायु/ अपशिष्ट जल/ शोर का त्रैमासिक विश्लेषण/ निगरानी प्रतिवेदन राज्य बोर्ड की प्रयोगशाला अथवा एमओईएफ, भारत सरकार से स्वीकृत/ मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से प्रस्तुत करना होगा।

चीनी संयंत्र से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि परिवेश वायु (अर्थात् चिमनी निगरानी प्रतिवेदन) के लिये स्वीकृत/ मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के प्रतिवेदन जनवरी 2019 से आरएसपीसीबी को प्रस्तुत किये गये जबकि शोर के स्तर को स्वीकार्य मानकों

तक बनाये रखने के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के साक्ष्य कम्पनी के अभिलेखों में नहीं पाये गये थे।

आरएसपीसीबी को प्रस्तुत किये गये अपशिष्ट जल के विश्लेषण के मासिक प्रतिवेदन (दिसम्बर 2018 तक की अवधि के लिये) कम्पनी के स्वयं के स्तर पर तैयार किये गये प्रतीत होते हैं। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि यह प्रतिवेदन राज्य बोर्ड की प्रयोगशाला अथवा एमओईएफ, भारत सरकार से स्वीकृत/मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से प्राप्त प्रपत्रों के आधार पर तैयार किये गये थे।

डिस्टिलरी संयंत्र के संबंध में, कम्पनी ने 2018-19 तक आवश्यक प्रतिवेदन आरएसपीसीबी को प्रस्तुत करने के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये थे। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि आरएसपीसीबी ने एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया (अक्टूबर 2018) क्योंकि कम्पनी ने संचालन करने की सहमति में नियत राज्य बोर्ड की प्रयोगशाला अथवा स्वीकृत/मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के विश्लेषण एवं निगरानी प्रतिवेदन सहित अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये थे।

सरकार ने यह कहा कि आरएसपीसीबी ने चीनी मिल/डिस्टिलरी का निरीक्षण किया था व 31 अगस्त 2023 तक संचालन करने की सहमति जारी की एवं संचालन करने की सहमति में दिये गए सभी दिशा-निर्देशों की आवश्यकता अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर संतोषजनक नहीं था, क्योंकि कम्पनी ने 2016-18 की अवधि के लिए राज्य बोर्ड की प्रयोगशाला अथवा एमओईएफ, भारत सरकार से स्वीकृत/मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से उत्सर्जन के स्रोत/परिवेश वायु/अपशिष्ट जल शोर के त्रैमासिक विश्लेषण/निगरानी प्रतिवेदन के समर्थन में कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये थे।

## वित्तीय प्रबंधन

### ठेकेदार अ के विरुद्ध वित्तीय धारण

**5.2.25** निष्पादित किये गए संविदा अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार अ द्वारा समय पर संपूर्ण (बीजी-I) एवं चीनी संयंत्र एवं सह-उत्पादन संयंत्र के संतोषप्रद संचालन के लिए निष्पादन सुरक्षा (बीजी- II) के पेटे दो बैंक गारंटी (बीजी), प्रत्येक अनुबंध मूल्य (₹ 68.75 करोड़) के पांच प्रतिशत के बराबर, प्रस्तुत करनी थी। ठेकेदार अ ने ₹ 3.44 करोड़ की राशि की बीजी-I प्रस्तुत कर दी (अगस्त 2013) जबकि कम्पनी ने निविदा की शर्तों के अनुसार बीजी-II हेतु बिलों से यथाअनुपात कटौती का निर्णय (मई 2013) किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने ₹ 3.44 करोड़ की बीजी-I को जब्त करने के संबंध में विलंब से निर्णय लिया (दिसम्बर 2018) क्योंकि कई स्मरण-पत्रों के उपरान्त भी ठेकेदार अ ने चीनी संयंत्र एवं सह-उत्पादन संयंत्र से संबंधित कार्यों को पूर्ण नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि कम्पनी ने कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण बीजी-I जब्त कर ली थी तथापि, चीनी संयंत्र एवं सह-उत्पादन संयंत्र के असंतोषजनक निष्पादन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जैसा की अनुच्छेद 5.2.12 से 5.2.15 में चर्चा की गई है। साथ ही, संविदा अनुबंध के अनुलग्नक-III में सूचीबद्ध निष्पादन मापदंड यथा लगातार 5 दिनों तक 1500 टीसीडी/22 घंटे की पिराई दर को प्राप्त करना एवं ऊर्जा टरबाइन के द्वारा 4950 किलोवाट का विद्युत

उत्पादन कभी भी प्राप्त नहीं किया था। ठेकेदार अ ने विलंब से चीनी संयंत्र एवं सह-उत्पादन संयंत्र का निष्पादन परीक्षण (20 फरवरी 2018 से 25 फरवरी 2018) किया, तथापि, यह असफल रहे थे एवं इस प्रकार दोनों संयंत्र जून 2019 तक सफलतापूर्वक संचालित घोषित नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि चीनी संयंत्र एवं सह-उत्पादन संयंत्र के असंतोषजनक निष्पादन के कारण कम्पनी को ₹ 21.93 करोड़<sup>28</sup> की हानि वहन करनी पड़ी थी हुई। तथापि, ₹ 3.44 करोड़ की बीजी-I जब्त करने के पश्चात कम्पनी के पास केवल ₹ 3.29 करोड़ (संतोषजनक निष्पादन बीजी-II के पेटे बिलों से 5 प्रतिशत कटौती) का वित्तीय धारण था। यद्यपि, कम्पनी ने ₹ 2.52 करोड़ राशि के बिल रोक रखे हैं, किन्तु वसूली को प्रभावी करने का निर्णय नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि ठेकेदार अ के विरुद्ध उपलब्ध कुल वित्तीय धारण, हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

सरकार ने यह कहा कि ठेकेदार अ की बीजी-I जब्त कर ली गई है एवं निविदा शर्तों के अनुसार बीजी-II को जब्त करने दिशा-निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि कम्पनी के पास हानि की प्रतिपूर्ति हेतु पर्याप्त वित्तीय अधिकार नहीं थे।

#### **ठेकेदार ब की निष्पादन बैंक गारंटी का विस्तार/नवीनीकरण नहीं किया जाना**

**5.2.26** संविदा अनुबंध के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, ठेकेदार ब द्वारा डिस्टिलरी के संयंत्र एवं मशीनरी के संतोषजनक निष्पादन के पेटे निष्पादन प्रतिभूति (पीएस) I एवं II प्रत्येक अनुबंध मूल्य ₹ 42.85 करोड़ के पाँच प्रतिशत के बराबर प्रस्तुत की जानी थी। ठेकेदार ब ने ₹ 2.14 करोड़ राशि की पीएस-I प्रस्तुत की थी (29 जुलाई 2013), जबकि पीएस-II की राशि की कटौती निविदा के नियमों के अनुसार बिलों से यथानुपात की जानी थी। पीएस-I की वैधता अवधि 29 जनवरी 2016 तक थी। साथ ही, अनुबंध की शर्तों के अनुसार, पीएस को संयंत्र एवं मशीनरी के सफलतापूर्वक स्थापना से 24 माह की अवधि तक सभी प्रकार से संतोषजनक निष्पादन के 90 दिनों के पश्चात मुक्त की जानी थी।

ठेकेदार ब ने प्रमुख कार्यों को मार्च 2017 तक पूर्ण कर लिया जबकि ₹ 59.60 लाख की राशि के कार्य अप्रैल 2019 तक लंबित थे। कम्पनी ने ठेकेदार ब को ₹ 41.86 करोड़ का भुगतान किया एवं पीएस-II के पेटे ₹ 2.03 करोड़ की कटौती की।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ठेकेदार ब द्वारा स्थापित डिस्टिलरी का निष्पादन रुकावट के कारण घंटों के अत्यधिक नुकसान, परिशोधित स्पिरिट के कम उत्पादन एवं अवशिष्ट शोधन संयंत्र के स्थिरीकरण नहीं किये जाने को देखते हुए असंतोषप्रद था जैसा कि अनुच्छेद **5.2.21** एवं **5.2.22** में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि ठेकेदार ब द्वारा डिस्टिलरी संयंत्र का निष्पादन परीक्षण अभी तक नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि ठेकेदार ब द्वारा प्रस्तुत की गई पीएस-I की वैधता अवधि 29 जनवरी 2016 को समाप्त हो गई थी एवं संविदा अनुबंध के नियमों एवं शर्तों के अनुसार इसका पुनः वैधीकरण नहीं किया गया था। कम्पनी ने ठेकेदार ब के चालू बिलों से पीएस-I की राशि की कटौती का निर्णय लिया। तथापि यह देखा गया था कि, इस तथ्य के बाद भी कि ₹ 4.90 करोड़ मूल्य के बिल जनवरी 2016 के पश्चात पारित किए गए थे, चालू बिलों से कोई कटौती नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि

28 ₹ 8.40 करोड़ (अनुच्छेद 5.2.14), ₹ 10.13 करोड़ (अनुच्छेद 5.2.15) एवं ₹ 3.40 करोड़ (अनुच्छेद 5.2.16)

ठेकेदार ब संविदा अनूबंध के नियमों एवं शर्तों के अनुसार संयंत्र एवं उपकरण की सफलतापूर्वक स्थापना एवं निष्पादन में असफल रहा था एवं इस प्रकार सम्पूर्ण निष्पादन प्रतिभूति को जब्त किये जाने की आवश्यकता थी। साथ ही, कम्पनी ने स्थानीय क्रय, विद्युत शुल्क, दिये गये अग्रिम, निर्धारित क्षतिपूर्ति एवं जोखिम एवं लागत पर निष्पादित कराये जाने वाले लम्बित कार्यों के पेटे ठेकेदार ब से ₹ 1.10 करोड़ की वसूली की गणना की थी। तथापि, कम्पनी के पास ठेकेदार ब के विरुद्ध पूर्ण वित्तीय धारण नहीं था क्योंकि पीएस-I की वैधता अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी एवं इस प्रकार इसके पास पीएस-II के अंतर्गत केवल ₹ 2.03 करोड़ ही उपलब्ध थे।

सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया एवं कहा कि कार्य पूर्ण करने में विलंब के लिए ₹ 5.96 लाख की निर्धारित क्षतिपूर्ति समायोजित की जा चुकी है तथा बिलों में से राशि की कटौती नहीं करने एवं पीएस-I का नवीनीकरण नहीं करने के संबंध में एक जांच की जा रही है। साथ ही, निष्पादन परीक्षण नहीं करने के संबंध में एवं बीजी-II जब्त करने हेतु विधिक कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। तथ्य यह रहा कि महत्वपूर्ण प्रकरणों का निपटारा करने में इसकी दुलमुल कार्यशैली के कारण कम्पनी वसूली नहीं कर सकी।

### **सत्यापन के बिना बिलों का भुगतान**

**5.2.27** कम्पनी ने एकीकृत चीनी परिसर के समेकित कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा निविदा की शर्तों/कार्य क्षेत्र के अनुसार संयंत्र एवं मशीनरी की विशिष्टताओं को सुनिश्चित करने एवं आपूर्तिकर्ताओं के बिलों के सत्यापन करने के लिये मुख्य परियोजना अधिकारी (सीपीओ) के नियंत्रण में एक पृथक प्रकोष्ठ का गठन किया था (सितम्बर 2014)। साथ ही, कम्पनी ने तकनीकी, वित्तीय एवं भण्डार समिति का गठन (जनवरी 2013 एवं जनवरी 2014) क्रमशः तकनीकी कार्य, वित्तीय कार्य एवं परियोजना कि निगरानी के लिये किया था।

अभिलेखों कि हमारी संवीक्षा से यह उजागर हुआ कि कम्पनी ने ठेकेदार ब लिमिटेड को तीन बिलों<sup>29</sup> के पेटे ₹ 37.28 लाख का भुगतान किया, जिसका सत्यापन इस प्रयोजन के लिए गठित समिति के साथ-साथ सीपीओ प्रकोष्ठ द्वारा भी नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि कम्पनी ने राजकीय उपक्रम को केवल उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सिविल कार्यों के लिये ₹ 83.79 करोड़ (फरवरी 2013 व सितम्बर 2018 के मध्य) का भुगतान किया तथा विस्तृत बिल कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थे। बिलों के अभाव में, राजकीय उपक्रम द्वारा सिविल कार्य हेतु प्रभारित बीएसआर/गैर-बीएसआर मदवार दरों का कम्पनी द्वारा सत्यापन नहीं किया जा सका था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि भण्डार समिति द्वारा सामग्री की प्राप्ति के सत्यापन के पश्चात भुगतान जारी किये गये थे। साथ ही, सरकार ने राजकीय उपक्रम द्वारा प्रदान की गई बीएसआर/गैर-बीएसआर मदों की सूची भी संलग्न की। तथ्य यह रहा कि कम्पनी ने बिलों के भुगतान की निर्धारित प्रक्रिया को सुनिश्चित नहीं किया था क्योंकि इसने उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर भुगतान जारी कर दिये एवं लेखापरीक्षा द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने के पश्चात ही बीएसआर/गैर-बीएसआर मदों की सूची प्रदान की गई थी।

29 बिल संख्या 14000089 दिनांक 30 दिसम्बर 2013, 14000090 एवं 14000091 दिनांक 6 जनवरी 2014।

### संचालन एवं अनुरक्षण का परिहार्य भुगतान

**5.2.28** कम्पनी द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिये, चीनी मिल के सम्पूर्ण संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य सत्र के लिये ₹ 45.77 लाख प्रतिमाह एवं गैर-सत्र (आठ माह) के लिये ₹ 90.85 लाख, लागू करों सहित की दर से ठेकेदार स को प्रदान किया (14 नवम्बर 2016)। कार्य के क्षेत्र के अनुसार कम्पनी को स्वयं की लागत पर चीनी मिल के संचालन के लिए 210 कार्मिक (118 स्थाई कर्मचारी एवं 62 अस्थाई कर्मचारी) नियुक्त करने थे। साथ ही, ठेकेदार स को संचालन एवं अनुरक्षण के लिये कुशल कार्मिक भी नियुक्त करने थे।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने 148 कार्मिक ही नियुक्त किये थे अतः ठेकेदार स ने 62 कार्मिक, जो कि कम्पनी ने तैनात नहीं किये थे, के पारिश्रमिक के पुनर्भरण की मांग की। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी एवं ठेकेदार स 31 कार्मिकों के न्यूनतम वेतन के पुनर्भरण के लिये परस्पर सहमत हुए। कम्पनी ने 2017-18 के दौरान ठेकेदार स को ₹ 25.80 लाख एवं ₹ 59.55 लाख<sup>30</sup> का भुगतान (दिसम्बर 2016 से मार्च 2018 के मध्य) ठेकेदार स द्वारा कार्मिकों की वास्तविक नियुक्ति के सत्यापन के बिना किया था। इस प्रकार कम्पनी ने ठेकेदार स को ₹ 0.85 करोड़<sup>31</sup> का परिहार्य भुगतान किया।

सरकार ने कहा कि 31 कार्मिकों हेतु भुगतान ठेकेदार स के साथ परस्पर सहमति के अनुसार किया गया था। इसने आगे कहा कि पूर्व में ठेकेदार स द्वारा ₹ 20000 प्रति कार्मिक की मांग की गई थी जो कि मोलभाव करके ₹ 17330 तक कम करवायी गई थी। उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं है क्योंकि कम्पनी ने भुगतान जारी करने से पूर्व ठेकेदार स द्वारा वास्तविक संख्या में नियुक्त किये गये कार्मिकों का सत्यापन नहीं किया था।

### आरटीपीपी नियमों की अनुपालना नहीं किया जाना

**5.2.29** राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियम, 2013 का नियम 73 (2) (ब) मूल अनुबंध के माल अथवा सेवाओं के मूल्य के 50 प्रतिशत तक की अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरावृत्ति आदेश जारी करने का प्रावधान करता है। कम्पनी ने 1100 एमटी बगास की आपूर्ति की निविदा आमंत्रित की (सितंबर 2015) एवं तकनीकी एवं वित्तीय बोलियों को खोलने के पश्चात सत्र 2015-16 के लिये ₹ 3770 प्रति एमटी की दर से आपूर्तिकर्ता अ के पक्ष में क्रय आदेश जारी किया गया (नवम्बर 2015)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने आरटीपीपी नियमों के उल्लंघन में आपूर्तिकर्ता अ को 5050 एमटी बगास (मूल आदेशित मात्रा का 459 प्रतिशत) की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति के लिए कई पुनरावृत्ति आदेश प्रदान (दिसम्बर 2015 व अप्रैल 2016 के मध्य) किये। इसी प्रकार, 2016-17 के दौरान, कम्पनी ने 3000 एमटी बगास की आपूर्ति के लिये निविदा आमंत्रित की (जुलाई 2016) एवं आपूर्तिकर्ता ब के पक्ष में आरम्भ में 1000 एमटी बगास की आपूर्ति के आदेश जारी किये (दिसम्बर 2016)। तत्पश्चात, कम्पनी ने आपूर्तिकर्ता ब को 6500 एमटी बगास की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति हेतु पुनरावृत्ति आदेश जारी (दिसम्बर 2016 व फरवरी

30 सत्र के समय में 31 कार्मिकों के लिये ₹ 1494806 एवं गैर सत्र के समय 25 कार्मिकों के लिये ₹ 4460317।

31 ₹ 25.80 लाख + ₹ 59.55 लाख।



2017 के मध्य) किये। तदनुसार, कम्पनी ने आरटीपीपी नियमों में निर्धारित सीमा के ऊपर बगास की 100 प्रतिशत अतिरिक्त मात्रा का प्रापण किया।

सरकार ने कहा कि पिराई सत्र में अत्यावश्यकता को ध्यान रखते हुए आरटीपीपी नियमों की पालना सुनिश्चित नहीं की जा सकी क्योंकि निविदा आमंत्रित करने में समय लगता एवं बगास की अनुपलब्धता के कारण संयंत्र बंद होने के साथ-साथ कानून एवं व्यवस्था की समस्या की संभावना भी थी जिसके कारण और अधिक हानि होती। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी बगास की आवश्यकता का सही अनुमान लगाने में विफल रही जिसके कारण आरटीपीपी नियमों की अनुपालना आगामी वर्षों में भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी।

### **पुरानी चीनी मिल एवं डिस्टिलरी का निस्तारण**

**5.2.30** कम्पनी ने को पुराने चीनी मिल एवं डिस्टिलरी से संबंधित संयंत्र एवं मशीनरी, गैर-कारखाना एवं आवासीय भवन, भंडार सामग्री एवं अन्य अवशेष सामग्री के मूल्यांकन करने के लिये मूल्यांकक को अधिकृत किया (जून 2016)। मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार संपत्तियों का कुल कीमत ₹ 686 लाख (तत्पश्चात बढ़ाकर ₹ 700 लाख कर दिया गया) निकाला गया। कम्पनी ने चीनी मिल तथा डिस्टिलरी के संयंत्र व मशीनरी एवं भवन (भूखण्ड, वृक्षों एवं आवासीय भवन के अतिरिक्त) के लिये आरक्षित मूल्य ₹ 535 लाख रखते हुए विक्रय हेतु बोली आमंत्रित की (अगस्त 2017)। साथ ही, तकनीकी एवं वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन करने के पश्चात कम्पनी ने लागू करों को सम्मिलित करते हुए ₹ 1007.72 लाख के मूल्य पर पुरानी चीनी मिल एवं डिस्टिलरी के मशीनरी संयंत्र व भवन के विक्रय के लिये *मैसर्स अग्रवाल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (क्रेता)*, जयपुर के पक्ष में आदेश जारी किया (अक्टूबर 2017)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि क्रेता ने पुरानी चीनी मिल के भंडार में रखा हुआ ₹ 65.24 लाख<sup>32</sup> का उपयोग योग्य कलपुर्जे एवं अन्य सामग्री भी उठा ली जो की मूल्यांकन प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं थी। कम्पनी ने यह सामग्री वापिस लेने के लिये प्रकरण क्रेता के समक्ष उठाया था (सितम्बर 2018)। लेखापरीक्षा ने देखा कि क्रेता ने केवल ₹ 14.24 लाख की भंडार सामग्री वापिस की एवं ₹ 51 लाख की भण्डार सामग्री जून 2019 तक क्रेता के पास थी। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि पुरानी चीनी मिल के निस्तारण के कार्य की अपर्याप्त निगरानी के कारण यह हानि हुई थी। साथ ही, कम्पनी के पास क्रेता की ₹ 50.39 लाख की निष्पादन प्रतिभूति थी, तथापि, उसने निष्पादन प्रतिभूति को जब्त नहीं किया था।

सरकार ने कहा कि संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही पृथक से प्रारम्भ की जा रही है। तथ्य यही रहा कि निष्पादन प्रतिभूति को जब्त करने की कार्यवाही अभी तक नहीं की गई थी।

### **परियोजना की अप्रभावी निगरानी**

**5.2.31** एकीकृत चीनी परिसर एवं डिस्टिलरी संयंत्र का निर्माण फरवरी 2013 में आरंभ हुआ। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी के प्रबंधन ने बीओडी को केवल कार्य की प्रगति की सूचना से अवगत कराया। परियोजना के पूर्ण होने में विलंब, चीनी संयंत्र के उपकरणों की

32 इंजीनियरींग मद (₹ 51.16 लाख), उपभोग्य (₹ 1.70 लाख), विविध मद (₹ 3.55 लाख) एवं जलाऊ लकड़ी (₹ 8.83 लाख)।



विशिष्टताओं/बनावट में विचलन; अवशिष्ट शोधन संयंत्र का स्थिरीकरण का अभाव, पूर्व परीक्षण के असफल होने इत्यादि से संबन्धित प्रकरण बीओडी के समक्ष नहीं रखे गये थे। प्रबंधन ने बीओडी को, सत्र के दौरान चीनी एवं शीरा उत्पादन की कम प्राप्ति के साथ ही ईंधन की उच्च खपत के तथ्यों को स्पष्ट करते हुए चीनी एवं सह-उत्पादन संयंत्र के निष्पादन के संबंध में विलम्ब से अवगत कराया (जून 2016)।

गुणवत्तापूर्ण कार्य करने एवं डिस्टिलरी संयंत्र के सहित नवीन आईएससी की सामयिक स्थापना करने के लिये, कम्पनी ने मुख्य परियोजना अधिकारी (सीपीओ) के पर्यवेक्षण में एक पृथक प्रकोष्ठ स्थापित किया। प्रकोष्ठ द्वारा विशिष्टता अनुसार सामग्री के उपयोग; प्राप्त सामग्री का गेट रजिस्टर में इंद्राज; कार्यस्थल के दौरे के दौरान उसके परीक्षण एवं साप्ताहिक आधार पर निरीक्षण/प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को सुनिश्चित किया जाना था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि गठित प्रकोष्ठ ने विभिन्न अनुबंधकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री के गेट रजिस्टर में इंद्राज करने एवं साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार/प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने के संबंध में अपने कर्तव्यों का निष्पादन नहीं किया था।

सरकार ने कहा कि परियोजना की निगरानी, इससे संबंधित प्रकरणों पर बीओडी स्तर पर; नियमित बैठकों का आयोजन; आपूर्ति की गई सामग्री की जांच इत्यादि करके की गई थी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर द्वारा भी मशीनरी की गुणवत्ता, यांत्रिक एवं सिविल कार्यों का परीक्षण किये गये थे तथा चीनी मिल/डिस्टिलरी की स्थापना के कार्य के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण हेतु वास्तुकार सलाहकार द्वारा भी मुख्य अभियंता के स्तर का अधिकारी नियुक्त किया गया था। उत्तर इस तथ्य को ध्यान रखते हुए यथाथपूर्ण नहीं था कि चीनी मिल/ डिस्टिलरी की स्थापना एवं संचालन से संबन्धित महत्वपूर्ण प्रकरण बीओडी को समय पर अवगत नहीं कराये गये थे।

## निष्कर्ष एवं सिफारिशें

### निष्कर्ष

एकीकृत चीनी परिसर का निर्माण भारी अतिरिक्त लागत पर हुआ था, जो कि मुख्यतः सिविल कार्यों में एवं अभियांत्रिकी अनुबंधों अतिरिक्त समय लगने से लागत में वृद्धि डीपीआर में परिकल्पित नहीं किये गए कुछ कार्यों के क्रियान्वयन के कारण थी। चीनी मिल एवं सह-उत्पादन संयंत्र का परिचालन निष्पादन अत्यधिक यंत्रदोष, बगास के अतिरिक्त उपभोग, गन्ने से चीनी की कम प्राप्ति, सह-उत्पादन संयंत्र के कमजोर निष्पादन के परिणामस्वरूप डिस्कॉम्स को विद्युत के कम निर्यात के परिणामस्वरूप प्रभावित हुआ था। डिस्टिलरी संयंत्र का मार्च 2020 तक सम्पूर्ण रूप से स्थिरीकरण नहीं किया जा सका जिसकी परिणति कमतर उत्पादन एवं उत्पादित परिशोधित स्प्रिट की उच्च लागत के रूप में हुई। कम्पनी ने निर्धारित पर्यावरणीय मानकों की पालना नहीं की क्योंकि इसने अवशिष्ट शोधन संयंत्र का स्थिरीकरण नहीं किया था। साथ ही, कमजोर वित्तीय प्रबंधन के भी प्रकरण थे एवं कम्पनी परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिये निगरानी का एक प्रभावी तंत्र विकसित नहीं कर सकी।

### सिफारिशें

हम यह सिफारिश करते हैं कि कम्पनी:

- चीनी मिल एवं सह-उत्पादन संयंत्र की परिचालन दक्षता में वृद्धि करने के लिए प्रभावी कदम उठाये;
- वित्तीय व्यावहार्यता का आंकलन करने के पश्चात परिकल्पना अनुसार डिस्टिलरी का संचालन करे;
- पर्यावरणीय मानकों की अनुपालना के लिये कदम उठाए; एवं
- वित्तीय प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करे।

### राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड

#### 5.3 ठेकेदार से वसूली का अभाव

ठेकेदार के साथ अस्थायी आधार पर टोल वसूली हेतु करार निष्पादित करते समय नई टोल नीति 2016 के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करने एवं दोषी ठेकेदार के विरुद्ध समय पर कार्यवाही प्रारंभ नहीं करने के कारण ₹ 6.08 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने एक नई टोल नीति (निविदा प्रक्रिया के मापदण्ड एवं टोल टैक्स के संग्रहण के लिए शर्तें) -2016 लागू की (मार्च 2016), जो 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी थी। कम्पनी ने नई टोल नीति को संशोधित किया (अप्रैल 2017), जो अन्य बातों के साथ यह प्रावधान करती है कि:

- सक्षम प्राधिकारी की सहमति के पश्चात, अनुमोदित/सफल बोलीदाता अग्रिम टोल राशि (अर्थात अनुबंध राशि का पांच प्रतिशत) एवं निष्पादन प्रतिभूति<sup>33</sup> (अर्थात अनुबंध राशि का 20 प्रतिशत) निर्दिष्ट समय के भीतर जमा करेगा (भाग अ का वाक्यांश 6)। इसके अतिरिक्त, बोलीदाता को टोल अनुबंध की शेष राशि की किश्तों के पेटे अतिरिक्त अग्रिम चेक भी जमा करवाने होंगे (भाग अ का वाक्यांश 8)।
- ऐसा प्रकरण जिसमें सफल बोलीदाता अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध को रोक देता है अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुबंध को रद्द कर दिया जाता है, निविदा अनुमोदन समिति क्रमशः दूसरे, तीसरे उच्चतम बोलीदाताओं को कार्य का प्रस्ताव अनुमोदित दर पर एवं यदि उनके द्वारा अनुमोदित दर अस्वीकृत की जाती है तो उनकी स्वयं की दरों पर यदि उक्त दरें आरक्षित दर से अधिक है, तीन माह की अधिकतम अवधि के लिए अथवा नई निविदा के अनुमोदन तक, जो भी पहले हो, हेतु जारी कर सकती है। इसमें आगे यह प्रावधान है कि आपातकालीन स्थिति में कम्पनी के अध्यक्ष टोल संग्रहण का अनुबंध किसी भी एजेंसी को अन्य अनुमोदित दर पर अधिकतम तीन माह के लिए अथवा नई निविदा के

33 निष्पादन प्रतिभूति एक अनुसूचित बैंक की बैंक गारन्टी/सावधि जमा रसीद के रूप में प्रस्तुत की जानी थी एवं बोलीदाता के पेटे प्रापण इकाई के नाम से होनी थी तथा बोलीदाता द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जानी थी।

अनुमोदन तक, जो भी पहले हो, हेतु प्रदान कर सकते हैं। {भाग ब का वाक्यांश 1 (अ) एवं (ब)}।

कम्पनी ने डबोक-मावली-कपासन-चित्तौड़गढ़ मार्ग (एसएच-9) पर टोल संग्रहण हेतु ₹ 51.02 करोड़ (अर्थात ₹ 6.99 लाख प्रति दिन) की आरक्षित दर पर दो वर्ष (1 नवम्बर 2016 से 31 अक्टूबर 2018 तक) की अवधि के लिए निविदा आमंत्रित की (सितंबर 2016)। कम्पनी को निविदा के समक्ष चार बोलियां प्राप्त हुई तथा उच्चतम बोलीदाता ठेकेदार अ के पक्ष में ₹ 57.40 करोड़, अर्थात ₹ 7.86 लाख प्रति दिन, पर कार्य प्रदान किया (अक्टूबर 2016)। तथापि, ठेकेदार अ द्वारा निर्धारित किशतों को जमा कराने में चूक करने के कारण कम्पनी ने टोल संग्रहण अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ₹ 7.35 करोड़ के संचित बकाए के पेटे बैंक गारंटी (₹ 8.61 करोड़) जब्त करते हुए तथा उसे एक वर्ष की अवधि के लिए निषेधित करते हुए अनुबंध को निरस्त कर दिया (23 जून 2017)। कम्पनी ने शेष अवधि के लिए टोल संग्रहण का कार्य प्रदान करने के लिए नई निविदाएं आमंत्रित की (31 मई 2017) परन्तु प्राप्त एकल बोली को बोलीदाता द्वारा अपनी बोली के साथ बयाना राशि एवं निविदा शुल्क जमा नहीं करने के कारण अस्वीकार कर दिया था (22 जून 2017)।

इसी दौरान, कम्पनी ने नया अनुबंध प्रदान किया जाने तक के लिए प्रतिदिन टोल संग्रहण आधार पर सीमित निविदा आमंत्रित की (मई 2017)। कम्पनी को पांच फर्मों<sup>34</sup> से प्रस्ताव प्राप्त हुए (31 मई 2017 से 8 जून 2017 तक) एवं उच्चतम बोलीदाताओं (एच 1 एच 2) के पक्ष में कार्य प्रदान करने का निर्णय किया (20 जून 2017 एवं 21 जून 2017)। परन्तु दोनों बोलीदाताओं ने कार्य का निष्पादन करना अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात, कम्पनी को ठेकेदार ब से ₹ 5.35 लाख प्रतिदिन की दर पर कार्य निष्पादित करने के लिए एक स्वप्रेरित प्रस्ताव प्राप्त हुआ (22 जून 2017)। ठेकेदार के एकल एवं स्वप्रेरित प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी के अध्यक्ष ने नए अनुबंध निष्पादित होने तक, प्रस्तावित दर (दो प्रतिशत कर जोड़कर) पर कार्य प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्रदान की (22 जून 2017) तथा ईकाई कार्यालय उदयपुर ने टोल संग्रहण कार्य के लिए ठेकेदार ब के साथ एक अनुबंध निष्पादित किया (23 जून 2017)। अनुबंध के अनुसार ठेकेदार ब को उसके द्वारा देय अनुबंध राशि की किशतों के पेटे पांच दिन एवं आगे के लिये अग्रिम चेक जमा करवाये जाने थे। इसके अतिरिक्त, इसमें चूक की स्थिति में ठेकेदार ब 18 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। ठेकेदार ब ने उक्त मार्ग पर टोल का संग्रहण प्रारम्भ किया (26 जून 2017) एवं कम्पनी द्वारा नियमित आधार पर कार्य का आदेश जारी करने (13 दिसंबर 2017) तक 171 दिनों की अवधि (13 दिसंबर 2017 तक) हेतु उक्त कार्य को जारी रखा। अनुबंध अवधि के दौरान ₹ 9.49 करोड़<sup>35</sup> की कुल वसूली योग्य राशि के समक्ष, कम्पनी 28 सितंबर 2017 तक ₹ 4.08 करोड़<sup>36</sup> वसूल कर सकी एवं तत्पश्चात ठेकेदार ब ने कोई अन्य भुगतान नहीं

34 फर्म-1 (₹ 5.80 लाख प्रतिदिन), फर्म-2 (₹ 5.75 लाख प्रतिदिन), फर्म-3 व 4 (₹ 5.25 लाख प्रतिदिन) तथा फर्म-5 (₹ 4.50 लाख प्रतिदिन)।

35 ₹ 9.33 करोड़ अर्थात ₹ 5.35 लाख प्रतिदिन x 102 प्रतिशत x 171 दिन (अर्थात 26 जून 2017 से 13 दिसम्बर 2017 तक) + ₹ 0.16 करोड़ (13 दिसम्बर 2017 तक का शास्ति ब्याज)

36 इसमें अगस्त 2017 में जब्त किए गये ₹ 1.47 करोड़ सम्मिलित है जो कि ठेकेदार द्वारा कम्पनी को अन्य अनुबंध हेतु जमा करवायी गई अमानत राशि से संबंधित थे।

किया था। इसके बाद की ₹ 0.50 करोड़ की वसूली (अप्रैल 2018) को ध्यान में रखने के पश्चात भी ठेकेदार ब से 31 मार्च 2019 को ₹ 6.08 करोड़<sup>37</sup> राशि बकाया थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने नई टोल नीति के प्रावधानों की उपेक्षा की क्योंकि इसने न तो अन्य तीन बोलीदाताओं, जिन्होंने मूल निविदा में भाग लिया था एवं मूल निविदा की आरक्षित दर से अधिक दरें<sup>38</sup> प्रस्तावित की थी, को कार्य प्रदान करने के विकल्प का प्रयोग किया तथा न ही ठेकेदार ब के साथ निष्पादित अनुबंध में आवश्यक प्रावधानों यथा अनुबंध की अवधि एवं प्रारंभिक अग्रिम राशि तथा निष्पादन प्रतिभूति की शर्तों को सम्मिलित किया। साथ ही, ठेकेदार ब को एकल एवं स्वप्रेरित प्रस्तावित दर (₹ 5.35 लाख प्रतिदिन), जो कि ठेकेदार अ (₹ 7.86 लाख प्रतिदिन) एवं अन्य तीन बोलीदाताओं की दर से बहुत कम थी, के आधार पर कार्य प्रदान किया गया, तथापि, इस संबंध में कोई कारण अभिलेखों पर नहीं पाए गए थे। यह इंगित करता है कि कम्पनी ने दर की औचित्यता का आंकलन किए बिना एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अन्तर्गत प्रदत्त पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त कार्य प्रदान किया। कम्पनी ने अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति किये बिना टोल संग्रहण केन्द्र भी ठेकेदार ब को हस्तांतरित कर दिया।

देय किश्तों के भुगतान में चूक / देरी / अनिर्ंतरता होने के उपरांत भी, कम्पनी ने बकाया राशि की वसूली के लिए अपेक्षित कार्यवाही नहीं की थी तथा इसके स्थान पर ठेकेदार ब को टोल संग्रहण कार्य निर्धारित अधिकतम अवधि से आगे भी जारी रखने दिया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने ठेकेदार ब के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही विलम्ब से जून 2018 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करवाकर एवं सितंबर 2018 में दीवानी वाद दायर कर प्रारम्भ की तथापि, इस प्रकरण में अक्टूबर 2019 तक कोई आगामी वसूली नहीं की जा सकी।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2019) एवं कहा कि उसने ठेकेदार अ से टोल प्लाजा का कब्जा लेने की अत्यावश्यकता के कारण ठेकेदार ब द्वारा प्रस्तावित स्वप्रेरित दर पर अनुबंध प्रदान किया। साथ ही, ठेकेदार ब से निष्पादन प्रतिभूति नहीं ली गई थी क्योंकि अनुबंध अस्थायी था एवं अनुबंध की अवधि नियत नहीं थी। कम्पनी ने बकाया की वसूली हेतु एक न्यायिक वाद एवं एक एफआईआर दर्ज की है एवं प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

तथ्य यह रहा कि निर्दिष्ट नियमों/विनियमों की अनुपालना किए बिना एवं दरों की औचित्यता का आंकलन किए बिना अनुबंध प्रदान किया गया था। साथ ही, कम्पनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा किये बिना अनुबंध का निष्पादन किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.08 करोड़ की बकाया राशि की वसूल नहीं हुई।

37 ₹ 4.75 करोड़ (अर्थात ₹ 5.25 करोड़ - ₹ 0.50 करोड़) की बकाया टोल संग्रहण राशि + बकाया राशि पर ब्याज ₹ 1.33 करोड़।

38 ₹ 7.21 लाख प्रतिदिन से ₹ 7.67 लाख प्रतिदिन।

**राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड**

**5.4 शास्ति वाक्यांश में अनाधिकृत सीमा निर्धारण के कारण कम वसूली**

गैर निष्पादन/निम्न निष्पादन के लिए शास्ति को परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक सीमित करने के स्वतः निष्फल करने वाले अनाधिकृत वाक्यांश को सम्मिलित करने के कारण ₹ 11.48 करोड़ शास्ति की वसूली नहीं हो पाई।

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (कम्पनी) ने जैसलमेर में पांच मेगावाट (तृतीय चरण) की पवन ऊर्जा परियोजना (डब्ल्यूपीपी) की स्थापना एवं 20 वर्षों की अवधि के लिए संचालन व रखरखाव (ओएण्डएम) के लिए निविदाएं आमंत्रित की (फरवरी 2003)। निविदा प्रपत्र के अनुसार बोलीदाताओं को शुद्ध न्यूनतम गारंटी उत्पादन<sup>39</sup> (एनएमजीजी) को उद्धृत करना था एवं एनएमजीजी से कमी के लिए, निर्धारित दरों पर आरोपित राशि की वसूली की जानी थी। 26 फरवरी को 2003 आयोजित बोली से पूर्व बैठक के दौरान, इच्छुक बोलीदाताओं ने एनएमजीजी की शर्त को हटाने का अनुरोध किया था। भारतीय पवन-चक्की निर्माता संघ (आईडब्ल्यूटीएमए) ने भी अनुरोध किया (13 मार्च 2003) कि एनएमजीजी के स्थान पर 'शक्ति वक्र आधारित गारंटी उत्पादन' (पीसीजीजी) को स्वीकार करके एनएमजीजी की शर्त में ढील दी जाए। तथापि, कम्पनी ने एनएमजीजी से संबंधित निविदा शर्तों को शिथिल करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इसके पश्चात, कम्पनी का निदेशक मंडल भी निविदा शर्तों को शिथिल करने के लिए सहमत नहीं हुआ था (जून 2003)।

एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एवं एक ठेकेदार की तकनीकी वाणिज्यिक बोलियां, समिति द्वारा खोली गई (22 अगस्त 2003) थी एवं तत्पश्चात वित्तीय बोली खोलने से पूर्व बोलीदाताओं के साथ उनकी बोली में विचलनों को वापस लेने के लिए चर्चा की गई (26 सितंबर 2003)। ठेकेदार ने केवल प्रथम 10 वर्षों के लिए एनएमजीजी प्रदान करना स्वीकार किया एवं विचलन अनुसूची पर संशोधित अनुशेष के साथ संशोधित मूल्य बोली प्रस्तुत की जबकि केन्द्रीय उपक्रम ने किसी भी विचलन को हटाने की अनिच्छा प्रकट की (6 अक्टूबर 2013)। बाद में, ठेकेदार ने परियोजना की स्थापना से 15 वर्षों तक एनएमजीजी प्रदान करने की सहमति प्रदान की (16 अक्टूबर 2003)। परियोजना समूह ने कम्पनी के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मामले की अंतिम स्थिति का वर्णन (17 अक्टूबर 2003) किया जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह तथ्य भी सम्मिलित थे कि (i) ठेकेदार निविदा शर्तों के अनुसार 15 वर्षों के लिए एनएमजीजी प्रदान करने एवं अगले पांच वर्षों अर्थात् 16वें से 20वें वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मानकों के अनुसार ऊर्जा वक्र की अनुकूलता व न्यूनतम 95 प्रतिशत मशीन उपलब्धता की गारंटी पर सहमत है तथा (ii) ठेकेदार ने प्रथम 10 वर्षों के लिए 90 लाख यूनिट प्रतिवर्ष एवं अगले पांच वर्षों के लिए 75 लाख यूनिट प्रतिवर्ष की एनएमजीजी उद्धृत की है तथा वित्तीय बोलियों, जो कि समिति द्वारा समर्थित/अनुमोदित थीं को खोलने की अनुमति मांगी। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात वित्तीय बोलियां खोली गई थी (22

39 डब्ल्यूईजी के लिए आहरित ऊर्जा, यदि कोई हो, के सहित विंड फार्म के आंतरिक उपयोग के लिए ग्रिड से आहरित ऊर्जा को घटाने के पश्चात विंड फॉर्म से उत्पादित एवं ग्रिड में डाली गई यूनिट की न्यूनतम संख्या (के डब्ल्यूएच)।

अक्टूबर 2003) एवं ठेकेदार के पक्ष में ₹ 22.25 करोड़<sup>40</sup> का विस्तृत आशय पत्र (डीएलओआई) जारी किया गया था (फरवरी 2004)। डब्ल्यूपीपी (चरण-III) मार्च 2004 में स्थापित हुआ एवं इसलिए एनएमजीजी वाक्यांश 15 वर्षों की अवधि अर्थात् 2004-05 से 2018-19 के लिए प्रभावी रहा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पूर्णतया समझ से बाहर कदम के तहत डीएलओआई के एनएमजीजी वाक्यांश के अंतर्गत एक प्रावधान सम्मिलित किया गया था जिसमें कमी के लिए अधिकतम शास्ति को, वास्तविक कमी के मूल्य के स्थान पर परियोजना की कुल लागत के 25 प्रतिशत अर्थात् ₹ 5.56 करोड़ तक सीमित किया गया। ठेकेदार 2004-05 से 2018-19 के दौरान न्यूनतम गारंटी उत्पादन की पालना नहीं कर सकी एवं 2004-19 के दौरान एनएमजीजी में समग्र कमी कुल एनएमजीजी (1275 लाख यूनिट) का 31 प्रतिशत (394.41 लाख यूनिट<sup>41</sup>) थी। प्रारम्भिक दो खंडों के दौरान, कम्पनी ने वास्तविक कमी के पेटे ₹ 3.75 करोड़<sup>42</sup> की शास्ति वसूल की। तृतीय खंड (2010-14) के दौरान, कम्पनी ने मात्र ₹1.81 करोड़ की शास्ति लगायी जबकि इस खंड के दौरान वास्तविक कमी के लिए शास्ति ₹ 6.36 करोड़<sup>43</sup> थी। साथ ही, कम्पनी ने चौथे खंड (2014-19) के दौरान कोई भी शास्ति नहीं लगाई थी, जो की ₹ 6.93 करोड़<sup>44</sup> थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सीमित शास्ति अनुमत्य करने का प्रावधान स्वतः निष्फल होने वाला एवं पूर्ण रूप से अनाधिकृत था क्योंकि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष स्थिति को वर्णित करते समय एवं उनकी स्वीकृति प्राप्त करते समय इसको उजागर/रेखांकित नहीं किया गया था। साथ ही, लगाई जाने वाली शास्ति की राशि की सीमा निर्धारण के कारण, एनएमजीजी से संबंधित वाक्यांश ने समग्र गारंटी उत्पादन अवधि (2004-19) के मध्य में ही अपनी प्रासंगिकता खो दी, क्योंकि शास्ति लगाने की अधिकतम सीमा 2011-12 के दौरान ही पार हो गई थी।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2019) कि क्षतिपूर्ति की सीमा से संबंधित प्रकरण प्रारम्भ में परियोजना समूह द्वारा उल्लेखित किया गया था (17 अक्टूबर 2003)। साथ ही, समिति ने न्यूनतम बोली दाता (ठेकेदार) के साथ मोलभाव करने हेतु अनुमति प्राप्त करते समय भी इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया (24 अक्टूबर 2003) जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था। चूंकि ठेकेदार के साथ मोलभाव को प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया था एवं ठेकेदार द्वारा मूल्य प्रस्ताव शास्ति को 25 प्रतिशत तक सीमित करने की शर्त के साथ दिया गया था, अतः वाक्यांश को अनाधिकृत नहीं कहा जा सकता क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा डीएलओआई जारी करने के लिए अंतिम अनुमोदन (नवम्बर 2003) से पूर्व चर्चा की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी।

40 इसमें ओएण्डएम प्रभारों का मूल्य, जो ₹ 0.22 एवं ₹ 0.93 प्रति के मध्य युनिट की दर पर देय थे, सम्मिलित नहीं है।

41 चार खंडों अर्थात् 2004-07, 2007-10, 2010-14 एवं 2014-19 के दौरान एनएमजीजी से कमी क्रमशः 51.88 लाख, 40.88 लाख, 128.44 लाख एवं 173.21 लाख यूनिट की थी।

42 खंड I एवं II के लिये क्रमशः ₹ 2.12 करोड़ (₹ 4.08 प्रति इकाई की दर से) एवं ₹ 1.63 करोड़ (₹ चार प्रति इकाई की दर से)

43 128.44 लाख यूनिट X ₹ 4.95 प्रति यूनिट

44 173.21 लाख यूनिट X ₹ चार प्रति यूनिट

उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं था क्योंकि सक्षम प्राधिकारी ने केवल प्रकरण के अंतिम परिणाम को स्वीकृति प्रदान की जिसमें शास्ति को परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक सीमित किये जाने के तथ्य को उजागर नहीं किया गया था एवं ठेकेदार के साथ केवल मोलभाव वार्ता आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। अतः, न तो समिति ने शास्ति को सीमित करने के लिए स्वीकृति मांगी एवं न ही ने इस तरह की स्वीकृति प्रदान की गई थी एवं इस प्रकार प्रावधान को सम्मिलित किया जाना अनाधिकृत था। उत्तर इस संबंध में मौन था कि स्वतः निष्फल होने वाले प्रावधान को सम्मिलित करने के कारण एनएमजीजी वाक्यांश आठवें वर्ष के दौरान ही अप्रभावी हो गया। अतः इस अन्यायोचित प्रावधान को सम्मिलित करने के कारण कम्पनी को प्रयोज्य शास्ति में शिथिलता प्रदान करने से ₹ 11.48 करोड़ की भारी हानि हुई।



### 5.5 ठेकेदारों को उच्चतर डीजल लागत के भुगतान के कारण परिहार्य वित्तीय भार

कम्पनी द्वारा आवश्यक लागत-लाभ विश्लेषण किए बिना ठेकेदारों को डीजल की आपूर्ति करने का प्रचलन बंद करने के कारण ₹ 22.19 करोड़ की उच्चतर डीजल लागत का परिहार्य अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा।

राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड (कम्पनी) ने झामरकोटरा रॉक फास्फेट (जेआरपी) स्वदान, उदयपुर का स्वनिज पट्टा 30 वर्षों की अवधि के लिए प्राप्त किया (मार्च 1999)। प्रचलन के अनुसार, कम्पनी ने स्वनिज ठेके इस शर्त के साथ प्रदान किये कि प्रदत्त कार्य की सभी मर्दों के लिए उपभोग मापदण्डों के तहत निर्धारित सीमा तक डीजल वास्तविक उपभोग के आधार पर मुफ्त प्रदान किया जाएगा। ठेकों में यह भी प्रावधान था कि डीजल की मुफ्त आपूर्ति पर सेवा कर लागू नहीं है। तथापि, डीजल की मुफ्त आपूर्ति पर सेवाकर का दायित्व, यदि लागू हो कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा।

बाद में, कम्पनी की प्रबंधन समिति ने ठेकेदारों को प्रदान की गई डीजल की मुफ्त आपूर्ति पर सेवाकर की प्रयोज्यता के मुद्दे पर चर्चा की (जनवरी 2012) एवं गहन लागत लाभ विश्लेषण किए बिना सभी आगामी ठेकों में डीजल की मुफ्त आपूर्ति को बंद किये जाने का निर्णय लिया।

मुफ्त डीजल प्रदान किये जाने की प्रथा को बंद करने के पश्चात, कम्पनी ने ठेकेदार अ को जेआरपी स्वदान से रॉक फास्फेट के स्वनिज का ठेका तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया (दिसंबर 2012)। इस ठेके के पूर्ण होने के पश्चात, कम्पनी ने आगे (मई, जुलाई एवं नवंबर 2016) इस स्वदान से रॉक फास्फेट की खुदाई के लिए तीन ठेके<sup>45</sup> तीन से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किये। ठेकेदारों द्वारा क्रय किये जाने वाले डीजल की आधार दर प्रारंभिक अनुबंध (ठेकेदार अ को प्रदत्त) ₹ 49.01 प्रति लीटर तय की गई थी जबकि बाद के तीन ठेकों के लिए डीजल की आधार दरें क्रमशः ₹ 51.40 प्रति लीटर, ₹ 51.07 प्रति लीटर एवं ₹ 56.52 प्रति लीटर निर्धारित की गई थी। इन चार ठेकों में सम्मिलित 'डीजल वाक्यांश' के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की उदयपुर में डीजल की आधार दर डीजल का आधार मूल्य थी एवं उपभोग किये गये डीजल की मात्रा के लिये डीजल मूल्य में वृद्धि/कमी डीजल की आधार दर (पी<sub>0</sub>) व आईओसीएल की प्रचलित दर (पी<sub>1</sub>) में अंतर के आधार पर विचार किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इन ठेकों के तहत ठेकेदारों ने दिसम्बर 2012 से मार्च 2019 के दौरान 324.74 लाख लीटर डीजल का उपभोग किया। कम्पनी ने डीजल लागत का पुनर्भुगतान ₹ 47 प्रति लीटर व ₹ 78.54 प्रति लीटर (सेवाकर के अतिरिक्त) के मध्य किया गया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने समय-समय पर लागू दरों के अनुसार इसके द्वारा पुनर्भुगतान की गई डीजल की लागत पर सेवाकर का भी भुगतान किया।

इस बीच कम्पनी ने 2012-19 के दौरान स्वयं के उपभोग हेतु हाई स्पीड डीजल के प्रापण के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के साथ दर अनुबंध किये थे एवं इसे एचएसडी की थोक आपूर्ति पर छूट के साथ साथ केंद्रीय विक्रय कर के तहत 'सी' फॉर्म के प्रस्तुतीकरण पर रियायती कर का लाभ प्राप्त हुआ। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी द्वारा ओएमसीज से इस

45 प्रथम ठेका सी, डी व ई ब्लाक के लिए तथा द्वितीय ठेका एफ व जी ब्लाक के लिए ठेकेदार ब को एवं तृतीय ठेका ए एक्सटेंशन, ए व बी ब्लॉक के लिए ठेकेदार स को दिया गया।



अवधि के दौरान क्रय किये गए डीजल की उतराई तक लागत<sup>46</sup> ₹ 38.88 प्रति लीटर एवं ₹ 76.17 प्रति लीटर के मध्य रही।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने अपनी संशोधित नीति जिसमें ठेकेदार द्वारा डीजल की व्यवस्था किया जाना प्रावधित था, के वित्तीय प्रभाव का आंकलन नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार अ को प्रदान किये गये ठेके के लिए ₹ 5.94 करोड़ एवं ठेकेदार ब ठेकेदार स के ठेकों के लिए ₹ 13.45 करोड़, जिसका विवरण **अनुबंध-24** में दिया गया है, डीजल के पेटे परिहार्य अतिरिक्त व्यय (सेवा कर के अतिरिक्त) हुआ। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने संशोधित नीति अपनाने के पश्चात ठेकेदारों को डीजल की लागत पर सेवा कर का भी पुनर्भुगतान समय-समय पर लागू दरों से किया था। अतः, 2012-19 के दौरान इन स्वनन ठेकों में उपभोग किये गये डीजल के लिए उच्चतर लागत वहन करने के अलावा कम्पनी ने डीजल की इस अलावा लागत पर ₹ 2.80 करोड़ के सेवा कर का भी अतिरिक्त भुगतान किया। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवंबर 2019) एवं कहा कि स्वनन गतिविधियों को सेवा कर के दायरे में लाने के पश्चात, जिसके लिए इनपुट क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था, कम्पनी ने मुफ्त में डीजल की आपूर्ति करने का प्रचलन शुरू किया ताकि सेवा कर की देयता को कम किया जा सके। बाद में, डीजल की मुफ्त आपूर्ति पर सेवाकर की मांगों एवं इसकी प्रभार्यता पर अनिश्चितता के कारण, नीति को आवश्यक विचार विमर्श एवं इसके वित्तीय प्रभावों पर विचार करने के पश्चात बन्द कर दिया गया क्योंकि सेवा कर की देयता बहुत अधिक होती।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी ने गहन लागत लाभ विश्लेषण किए बिना ठेकेदारों को डीजल की आपूर्ति करने के प्रचलन को बंद कर दिया था। इसने इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि सेवा कर के प्रभाव को छोड़ने के उपरान्त भी, कम्पनी द्वारा क्रय किया गया एवं ठेकेदारों को आपूर्ति किया गया डीजल ओएमसीज द्वारा छूट देने एवं रियायती विक्रय कर के लाभ के कारण ठेकेदारों द्वारा खुदरा दरों पर क्रय किये गये डीजल से सस्ता था। साथ ही, संशोधित नीति को अपनाने के पश्चात, कम्पनी ने 2012-19 के दौरान ठेकेदारों द्वारा उपभोग किये गये डीजल की पूरी मात्रा पर सेवा कर का पूर्ण भुगतान किया था। इस प्रकार, यह निर्णय उचित सावधानी एवं वित्तीय विवेक के साथ समर्थित नहीं था एवं जिसके परिणामस्वरूप रॉक फास्फेट के उत्पादन पर ₹ 22.19 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।

## राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड

### 5.6 आवंटी फर्म को अदेय लाभ

कम्पनी ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों एवं निदेशक मण्डल के निर्देशों का उल्लंघन किया एवं इस प्रकार न केवल औद्योगिक पार्क (नीमराना) में गैर-औद्योगिक/वाणिज्यिक उपयोग की सीमा को बढ़ाया अपितु रूपांतरण शुल्क की संशोधन-पूर्व दर पर वसूली करके आवंटी को ₹ 3.55 करोड़ का अदेय लाभ भी प्रदान किया।

46 उतराई तक लागत से आशय यहां कम्पनी द्वारा गणना की गई उतराई तक की लागत से है { (अर्थात मूल मूल्य + उत्पाद शुल्क एवं अतिरिक्त उत्पाद शुल्क + भाड़ा, बीमा एवं अन्य सुपुर्दगी प्रभार + राज्य विशिष्ट प्रभार + अन्य प्रभार - छूट) + केन्द्रीय विक्रय कर } + प्रवेश कर (जून 2017 तक लागू)

रीको भूमि निस्तारण नियम, 1979 (भूमि नियम) का नियम 20-सी, अन्य प्रावधानों के साथ, यह प्रावधान करता है कि सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र में आवंटन की प्रचलित दर से दुगुनी दर से रूपांतरण शुल्क की वसूली करके कुल योजना क्षेत्र के 15 प्रतिशत तक के क्षेत्र का औद्योगिक से वाणिज्यिक में भू उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) किया जा सकता है। साथ ही, यदि भूखण्ड आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईए के अन्तर्गत आयकर की छूट का लाभ लेने के लिये भारत सरकार (जीओआई) की औद्योगिक पार्क योजना (आईपीएस), 2002 में अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है तो इस पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुज्ञेय सीमा के अंतर्गत ही विचार किया जायेगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उजागर हुआ कि भारत सरकार ने (जीओआई) औद्योगिक क्षेत्र, नीमराना फेज-1 को आईपीएस, 2002 के अन्तर्गत अधिसूचित किया (अप्रैल 2006 एवं दिसम्बर 2006)। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने आवंटी फर्म के पक्ष में एक औद्योगिक भूखण्ड<sup>47</sup> के पट्टेदारी स्वामित्व के स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की (जुलाई 2013)। आवंटी फर्म ने औद्योगिक से वाणिज्यिक में सीएलयू की अनुमति मांगी (सितम्बर 2013) जिसे सीएलयू समिति द्वारा विलंब से अस्वीकृत कर दिया गया (अप्रैल 2015) क्योंकि सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र में गैर-औद्योगिक उपयोग की प्रतिशतता पूर्व में ही 15 प्रतिशत की सीमा को पार कर चुकी थी। तत्पश्चात, आवंटी फर्म के अभ्यावेदन के प्रत्युत्तर में प्रकरण, कम्पनी की आधारभूत संरचना विकास समिति (आईडीसी) के समक्ष रखा गया था (अगस्त 2015) जिसने प्रस्ताव को उन्हीं आधारों पर अस्वीकार कर दिया। उसके पश्चात, आवंटी फर्म ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष एक समादेश याचिका दायर की (जनवरी 2016)। न्यायालय के निर्देशों (जनवरी 2017) के अनुसार, कम्पनी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का पुनरावलोकन किया गया (अप्रैल 2017) परन्तु अनुरोध को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि कम्पनी की प्रचलित नीति के अंतर्गत यह संभव नहीं था।

आगे अभिलेखों की संवीक्षा से यह उजागर हुआ कि निदेशक मंडल (बीओडी) गैर-औद्योगिक उपयोग की अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने, जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित किया गया (मार्च 2018), के पक्ष में नहीं था क्योंकि संतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों में गैर-औद्योगिक उपयोग की प्रतिशतता में महत्वपूर्ण विचलन था। तथापि, इसने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को, प्रकरण से प्रकरण आधार पर ऐसे संतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों (उनके अतिरिक्त जो आईपीएस 2002 के अंतर्गत अधिसूचित थे) के लिये, जहां गैर-औद्योगिक उपयोग कुल योजना क्षेत्र के 13 प्रतिशत से अधिक हो गया है, अधिकतम सीमा को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने हेतु अधिकृत किया।

उपरोक्त वर्णित निर्णय (मार्च 2018) के पश्चात, औद्योगिक क्षेत्र नीमराना फेज-1 को पुनर्नियोजित किया गया था (मई 2018) एवं सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से इस औद्योगिक क्षेत्र (13 अन्य औद्योगिक क्षेत्रों सहित) में गैर-औद्योगिक उपयोग की अधिकतम सीमा को कुल योजना क्षेत्र के 20 प्रतिशत तक बढ़ दिया गया था। इकाई कार्यालय, नीमराना ने आवंटी फर्म को क्षेत्र में अधिकतम सीमा में वृद्धि के सम्बन्ध में सूचित किया (मई 2018) एवं निर्धारित नियमों के अनुसार सीएलयू के लिए नया आवेदन, इस वचन पत्र के साथ कि उनके निवेदन पर विचार किये जाने पर समादेश याचिका वापिस ले ली जायेगी, मांगा। प्रकरण, ऐसे मामलों में

47 क्रमांक एसपी2-6 (सी) जिसका क्षेत्रफल 10028.15 वर्ग मीटर है।

सीएलयू पर विचार करने के लिये अधिकृत भू नियोजन समिति के समक्ष रखा गया था (जुलाई 2018) जहां पर समिति ने भूखण्ड के औद्योगिक से वाणिज्यिक में सीएलयू की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की। इकाई कार्यालय, नीमराना ने आवंटी के स्वामित्व वाले भूखण्ड के सीएलयू की सैद्धान्तिक स्वीकृति के निर्णय से सूचित किया (अगस्त 2018) एवं रूपान्तरण प्रभारों के पेटे ₹ 7.10 करोड़<sup>48</sup> की मांग की। आवंटी फर्म ने रूपान्तरण प्रभारों के पेटे ₹ 6.02 करोड़ (10 अगस्त 2018 को जमा ₹ 3.70 करोड़ को सम्मिलित करते हुए) दिसम्बर 2018 तक जमा करवा दिये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने इस औद्योगिक पार्क हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति में नियत नियम एवं शर्तों की पालना नहीं की थी क्योंकि इसने वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित प्रतिशतता (3.11 प्रतिशत) को भारत सरकार की अनिवार्य स्वीकृति के बिना ही पार (कुल योजना का 7.13 प्रतिशत) कर दिया। साथ ही, कम्पनी ने क्षेत्र में वाणिज्यिक उपयोग की पूर्व में ही पार हुई सीमा की उपेक्षा कर सीएलयू के आवेदन पत्र को स्वीकार करके एवं आगे इसके निस्तारण में दो वर्ष (जुलाई 2013 से अप्रैल 2015) का विलम्ब करके अनावश्यक मुकदमेबाजी को बढ़ावा दिया। यह भी देखा गया था कि आईपीएस 2002 के अर्न्तगत औद्योगिक पार्क के रूप में अधिसूचित क्षेत्र के संबंध में गैर-औद्योगिक उपयोग की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाना निदेशक मण्डल के निर्णय का भी उल्लंघन था।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने स्वप्रेरणा से आवंटी फर्म के पक्ष में भूखण्ड के सीएलयू की 'सैद्धान्तिक अनुमति', उसके द्वारा दायर की गई समादेश याचिका के वापस लिये जाने को सुनिश्चित किये बिना ही, प्रदान कर दी (जुलाई/अगस्त 2018)। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि इस औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन दर संबंधित सक्षम समिति<sup>49</sup> की स्वीकृति (23 जुलाई 2018) से ₹ 3000 प्रति वर्ग मीटर से संशोधित कर ₹ 4500 प्रति वर्ग मीटर कर दी गयी थी। तथापि, दरों में संशोधन को प्रभावी करने वाला कार्यालय आदेश विलंब से 24 अगस्त 2018 को जारी किया गया था। इकाई प्रमुख, नीमराना ने आवंटन दर को संशोधित करने हेतु आयोजित बैठक (जुलाई 2018) में भाग लिया था एवं इस प्रकार वह क्षेत्र की आवंटन दर में संशोधन से पूर्णतया अवगत थे। इसके उपरान्त भी, इकाई कार्यालय ने रूपान्तरण प्रभार की संशोधन पूर्व दर से मांग जारी (8 अगस्त 2018) की जिसके आवंटी फर्म को ₹ 3.55<sup>50</sup> करोड़ का अदेय लाभ प्रदान किया गया।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2018) कि कम्पनी ने इस औद्योगिक पार्क के लिये 2006-16 में आयकर छूट का लाभ उठाया था एवं इस औद्योगिक क्षेत्र के गैर-औद्योगिक उपयोग की अधिकतम सीमा को इसे सामान्य औद्योगिक क्षेत्र मानते हुए बढ़ाया गया था। इसने आगे कहा कि लेखापरीक्षा के आक्षेप को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी फर्म को रूपान्तरण प्रभारों के अन्तर की राशि को जमा कराने के लिये मांग जारी की जा चुकी है (दिसम्बर 2018)। तत्पश्चात,

48 रूपान्तरण शुल्क = ₹ 6000 प्रति वर्ग मीटर (अर्थात् आवंटन की प्रचलित दर ₹ 3000 प्रति वर्ग मीटर की दुगुनी) \* 10028.50 वर्ग मीटर (अर्थात् भूखंड का क्षेत्रफल) \* 118 प्रतिशत (अर्थात् 18 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवा कर को सम्मिलित करते हुए) = ₹ 7.10 करोड़।

49 मुख्य महाप्रबंधक (जीएम) एवं अतिरिक्त महाप्रबंधक (बीपी), वित्तीय सलाहकार, सलाहकार (इन्फ्रा) एवं इकाई प्रमुख।

50 रूपान्तरण प्रभारों का अंतर = ₹ 3000 प्रति वर्ग मीटर \* 10028.50 प्रति वर्ग मीटर \* 118 प्रतिशत = ₹ 3.55 करोड़।

सरकार ने कहा (जुलाई 2019) कि देय राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण सीएलयू की स्वीकृति वापस ले ली गई है (जनवरी 2019) एवं आवंटी फर्म ने कम्पनी के विरुद्ध एक दीवानी वाद दायर कर दिया था जो कि लंबित है। (जुलाई 2019)

सरकार ने बाद के उत्तर में यह कहा (अक्टूबर 2019) कि भारत सरकार से स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि आईपीएस 2002 के अंतर्गत कुल आवंटन क्षेत्र के 10 प्रतिशत तक वाणिज्यिक उपयोग अनुमत्य था। साथ ही, कार्यालय आदेश जारी करने में विलंब हुआ था क्योंकि सक्षम प्राधिकारी ने अन्य राज्यों के जापानी औद्योगिक क्षेत्र में प्रचलित आवंटन दरों के सम्बन्ध में व्यवसाय संवर्धन प्रकोष्ठ को निर्देश दिये थे एवं इकाई कार्यालय द्वारा उस समय प्रचलित दर के अनुसार रूपांतरण प्रभारों की मांग एवं वसूली की गयी थी।

सरकार का बाद वाला उत्तर पहले वाले उत्तर के अंतर्विरोधी था एवं स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आईपीएस 2002 में नियत सीमा (10 प्रतिशत) अधिकतम सीमा थी एवं कम्पनी वाणिज्यिक उपयोग के लिये निर्धारित प्रतिशतता (3.11 प्रतिशत) में वृद्धि केवल भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही कर सकती थी। इस प्रकार, कम्पनी द्वारा बीओडी के निर्देशों की पालना भी नहीं की गयी थी। साथ ही रूपांतरण प्रभारों की वसूली पूर्व संशोधित दरों पर किया जाना इसकी स्वयं के जनवरी 1991 की नीति के उल्लंघन में था जिसके कारण अनावश्यक मुकदमेबाजी हुई। इस प्रकार, कम्पनी ने मामले को विवेकपूर्ण ढंग से नहीं निपटाया एवं आवंटी फर्म को ₹ 3.55 करोड़ का अदेय लाभ प्रदान किया।

जयपुर

दिनांक

28 जुलाई, 2020



(अतूर्वा सिन्हा)

महालेखाकार


(लेखापरीक्षा-II), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक

29 जुलाई, 2020



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



अनुबंध

अनुबंध-1

(पृष्ठ संख्या 12 पर अनुच्छेद 1.8, पृष्ठ संख्या 14 पर अनुच्छेद 1.9 एवं पृष्ठ संख्या 19 पर अनुच्छेद 1.13 में संदर्भित)  
लेखों को अंतिम रूप दिये जाने वाले नवीनतम वर्ष के लिए ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	गतिविधि एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य <sup>1</sup>	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>अ.</b>	<b>उत्पादन</b>								
1	छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	2018-19	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	-0.04
2	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	2018-19	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	-0.04
3	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	2018-19	-164.31	-324.13	-49.00	370.05	-659.62	-894.72	-1264.77
4	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2018-19	3236.65	138.42	14487.45	10067.95	45737.00	5682.96	-4382.81
5	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2018-19	20.73	17.16	102.79	12.94	185.18	185.18	172.24
	<b>गतिविधि-वार योग</b>		<b>3093.07</b>	<b>-168.55</b>	<b>14541.24</b>	<b>10451.04</b>	<b>45262.58</b>	<b>4973.44</b>	<b>-5475.42</b>
<b>ब.</b>	<b>प्रसारण</b>								
6	बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 9 की सहायक कम्पनी)	2018-19	-0.27	-0.27	0.00	0.05	-9.57	-9.57	-9.62
7	बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 9 की सहायक कम्पनी)	2018-19	-0.02	-1.80	0.00	0.05	-17.05	-17.05	-17.10
8	केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 9 की सहायक कम्पनी)	2018-19	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00	-2.05
9	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2018-19	913.55	-127.99	2815.14	4441.04	14379.45	3171.76	-1269.28
	<b>गतिविधि-वार योग</b>		<b>913.26</b>	<b>-130.06</b>	<b>2815.14</b>	<b>4443.19</b>	<b>14352.83</b>	<b>3145.14</b>	<b>-1298.05</b>
<b>स.</b>	<b>वितरण</b>								
10	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	2981.12	466.82	12355.47	10018.03	-2084.25	-19000.52	-29018.55
11	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	4080.54	906.09	17213.81	10783.47	-1654.58	-20277.18	-31060.49
12	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	4000.40	1233.76	13396.52	9954.57	-3873.42	-19820.20	-29774.77
	<b>गतिविधि-वार योग</b>		<b>11062.06</b>	<b>2606.67</b>	<b>42965.80</b>	<b>30756.07</b>	<b>-7612.25</b>	<b>-59097.90</b>	<b>-89853.81</b>
<b>द.</b>	<b>अन्य</b>								
13	राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 5 की सहायक)	2018-19	13.94	10.94	20.06	0.05	30.21	30.21	30.16

1 निवल मूल्य प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों एवं अधिशेष घटायें संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय का कुल योग होता है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रकरण में निवल मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रमशः ₹ 2.18 करोड़ एवं ₹ 0.16 करोड़ की डीआरई घटाई गई।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

क्र. सं.	गतिविधि एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य <sup>1</sup>	संचित लाभ/हानि
	कम्पनी)								
14	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	0.02	0.00	13.22	50.00	50.00	50.00	0.00
15	राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम	2018-19	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.03	-0.02
	गतिविधि-वार योग		<b>13.96</b>	<b>10.94</b>	<b>33.28</b>	<b>50.10</b>	<b>80.24</b>	<b>80.24</b>	<b>30.14</b>
	कुल योग		<b>15082.35</b>	<b>2319.00</b>	<b>60355.46</b>	<b>45700.40</b>	<b>52083.40</b>	<b>-50899.08</b>	<b>-96597.14</b>



अनुबंध-2

(पृष्ठ संख्या 17 पर अनुच्छेद संख्या 1.12 में संदर्भित)

राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों की स्थापना से 31 मार्च 2019 तक निवेशित निधियों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एवीवीएनएल			जेवीवीएनएल			जेडिवीवीएनएल			आरवीपीएन एल	आरवीयूएनए ल	आरआरई सीएल	आरयूवी एनएल	आरआरवी वीवीएनएल	कुल		
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	पूँजी में परिवर्तित आईएफएल	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	पूँजी में परिवर्तित आईएफएल	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	पूँजी में परिवर्तित आईएफएल	पूँजी	पूँजी	पूँजी	पूँजी	पूँजी	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	पूँजी में परिवर्तित आईएफएल
2000-01	150.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	-465.99	432.72	3.65	0.00	0.00	380.38*	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00
2002-03	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	79.00	209.00	6.43	0.00	0.00	338.43	0.00	0.00
2003-04	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	79.00	159.00	0.76	0.00	0.00	282.76	0.00	0.00
2004-05	57.00		0.00	60.00		0.00	55.00		0.00	56.00	120.00	2.00	0.00	0.00	350.00		0.00
2005-06	75.50	118.70	0.00	80.00	131.97	0.00	74.00	99.33	0.00	70.00	331.00	0.10	0.00	0.00	630.60	350.00	0.00
2006-07	83.00	51.75	0.00	88.00	55.50	0.00	81.00	42.75	0.00	90.00	352.00	0.00	0.00	0.00	694.00	150.00	0.00
2007-08	120.00	54.00	0.00	80.00	54.00	0.00	80.00	42.00	0.00	125.00	658.00	0.00	0.00	0.00	1063.00	150.00	0.00
2008-09	120.00	90.00	0.00	235.00	90.00	0.00	110.00	70.00	0.00	165.00	706.00	0.00	0.00	0.00	1336.00	250.00	0.00
2009-10	160.00	61.20	0.00	230.00	61.20	0.00	0.00	47.60	0.00	240.00	650.00	0.00	0.00	0.00	1280.00	170.00	0.00
2010-11	192.29	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00	400.00	336.00	0.00	0.00	0.00	1540.29	0.00	0.00
2011-12	524.36	295.47	375.65	562.67	391.34	392.67	466.68	308.19	301.68	400.00	521.00	0.00	0.00	0.00	2474.71	995.00	1070.00
2012-13	916.66	371.35	0.00	969.18	309.23	0.00	877.16	319.42	0.00	449.00	636.00	0.00	0.00	0.00	3848.00	1000.00	0.00
2013-14	910.18	0.00	0.00	901.57	0.00	0.00	1000.25	0.00	0.00	326.00	740.00	0.00	0.00	0.00	3878.00	0.00	0.00
2014-15	988.46	70.88	271.85	1041.10	94.50	231.11	968.15	70.87	226.44	370.00	881.50	0.00	0.00	0.00	4249.21	236.25	729.40
2015-16	2485.70	70.88	394.97	2726.78	94.50	469.46	2540.18	70.87	401.17	537.16	1144.00	0.00	0.00	0.00	9433.82	236.25	1265.60
2016-17	1041.70	0.00	0.00	1108.76	0.00	0.00	1026.62	0.00	0.00	194.56	694.08	0.00	50.00	0.00	4115.72	0.00	0.00
2017-18	1078.58	0.00	0.00	1162.06	0.00	0.00	1062.99	0.00	0.00	250.01	296.28	0.00	0.00	0.00	3849.92	0.00	0.00
2018-19	1084.60	0.00	0.00	1158.35	0.00	0.00	1062.54	0.00	0.00	170.31	346.50	0.00	0.00	0.05	3822.35	0.00	0.00
कुल	10018.03	1184.23		10783.47	1282.24		9954.57	1071.03		3535.05	9576.08	12.94	50.00	0.05	43930.19	3537.50	3065.00

\* यह राजस्थान सरकार द्वारा निवेशित निवल निवेश/पूँजी में से संचित हानियों को घटाने के पश्चात दर्शाता है। आरएसईवी को पांच कम्पनियों में विभाजित करने में कुल जावक ₹ 376.73 करोड़ (अर्थात् पूँजी ₹ 1774.59 करोड़ – आरएसईवी की संचित हानियां ₹ 1397.86 करोड़) + ₹ 3.65 करोड़ (आरआरईसी की प्रारंभिक पूँजी)।

अनुबंध-3

(पृष्ठ संख्या 28 पर अनुच्छेद संख्या 1.24 में संदर्भित)

निरीक्षण प्रतिवेदन पर प्रत्युत्तर के अभाव को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र . .सं	पीएसयू का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुच्छेद			प्रथम अनुपालना प्राप्त नहीं हुई		
		बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	मौद्रिक मूल्य (करोड़ में ₹)	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	मौद्रिक मूल्य (करोड़ में ₹)
01	छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	2	3	-	-	-	-
02	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	3	7	1.20	-	-	-
03	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	2	9	28.18	-	-	-
04	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	25	65	2296.22	-	-	-
05	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	3	13	28.95	-	-	-
06	बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (की सहायक कम्पनी 9 क्रम संख्या)	-	-	-	-	-	-
07	बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (की सहायक कम्पनी 9 क्रम संख्या)	-	-	-	-	-	-
08	केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (की सहायक कम्पनी 9 क्रम संख्या)	-	-	-	-	-	-
09	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	20	44	255.96	-	-	-
10	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	48	173	386.83	-	-	-
11	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	32	118	1510.63	-	-	-
12	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	40	136	717.76	-	-	-
13	राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 5 की सहायक कम्पनी)	2	3	1.27	-	-	-
14	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	1	3	3.80	-	-	-
15	राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
	<b>कुल</b>	<b>178</b>	<b>574</b>	<b>5230.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

अनुबंध-4

(पृष्ठ संख्या 32 पर अनुच्छेद संख्या 2.2.2 में संदर्भित)

वित्तीय समापन योग्य क्रयादेश (पीओ) एवं वित्तीय समापित प्रकरणों में से क्रयादेश के चयन की वर्गवार संख्या तथा वित्तीय समापन हेतु लंबित प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(आंकड़े संख्या में)

क्रम संख्या	विवरण	ट्रांसफॉर्मर्स	मीटर	वैक्यूम सर्किट ब्रेकर (वीसीबी)	इस्पात मर्दे	कंडक्टर/केबल	कुल (अन्य सामग्री के अतिरिक्त)	अन्य सामग्री	कुल
	1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6	8	9=7+8
1	समापन योग्य पीओ की संख्या (अर्थात 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2018 तक जारी पीओ)	418	81	29	343	445	1316	2792	4108
2	वित्तीय समापन योग्य पीओ में से समापित पीओ की संख्या	90	22	1	95	30	238	275	513
3	समापित पीओ में से किया गया नमूना चयन (20%)	18	4	1	20	6	49	-	49
4	वित्तीय समापन हेतु लंबित पीओ की संख्या (1-2)	328	59	28	248	415	1078	2517	3595
5	समापन हेतु लंबित प्रकरणों में से किया गया नमूना चयन (10%)	33	7	4	25	42	111	-	111

अनुबंध-5

(पृष्ठ संख्या 49 पर अनुच्छेद संख्या 2.4.1 में संदर्भित)

जीएसएस एवं लाइनों की संख्या के विवरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्रम सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	योग	लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए चयन
<b>अ. जीएसएस की संख्या</b>						
1.	वर्ष के प्रारंभ में	515	543	562		
2.	वर्ष के दौरान जोड़े गए					
	132 केवी	20	16	11	47	-
	220 केवी	7	1	2	10	3
	400 केवी	1	3	2	6	3
	<b>योग</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>63</b>	<b>6</b>
3.	वर्ष के दौरान संवर्धित जीएसएस	0	1	1	2	
4.	वर्ष के अंत में कुल जीएसएस	543	562	576		
<b>ब. प्रसारण लाइनें (सीकेएम)</b>						
1.	वर्ष के प्रारंभ में	33959	35643.93	37606.58		
2.	वर्ष के दौरान जोड़ी गई					
	132 केवी	589.964 (32)	418.247 (27)	428.346 (22)	1436.557 (81)	-
	220 केवी	785.823 (16)	540.003 (7)	217.736 (7)	1516.562 (30)	776.263 (8)
	400 केवी	308.678 (4)	1004.402 (4)	1336.167 (7)	2649.247 (15)	1730.146 (7)
	<b>योग</b>	<b>1684.47</b>	<b>1962.652</b>	<b>1982.25</b>	<b>5625.932</b>	<b>2506.409 (15)</b>
3.	वर्ष के अंत में कुल लम्बाई	35643.93	37606.58	39588.834		
<b>स. ट्रांसफार्मर्स की क्षमता (एमवीए)</b>						
1	वर्ष के प्रारंभ में क्षमता	68036.50	72553.00	78610.50		
2.	वर्ष के दौरान जोड़ी गई	4516.50	6057.50	3470.00	14044.00	
3.	वर्ष के अंत में क्षमता	72553.00	78610.50	82080.50		

\* कोष्ठक में आंकड़े लाइनों की संख्या को दर्शाते हैं।

अनुबंध-6

(पृष्ठ संख्या 52 पर अनुच्छेद संख्या 2.4.6 में संदर्भित)

जीएसएस एवं लाइनों के निर्माण अनुसूची में समन्वय में अभाव के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

परियोजना/ योजना/ कार्य का नाम	परियोजना अनुमोदन तिथि/ कार्यादेश तिथि	निर्धारित/ वास्तविक पूर्णता तिथि	विलम्ब एवं विलम्ब के कारण	विलम्ब के कारण अवरुद्ध राशि/हानि (₹ करोड़ में)
<b>जीएसएस की अनुपलब्धता/ अपूर्ण होने के कारण अनुपयोगी रही लाइनें</b>				
220 केवी द्वि-पथिय छत्रेल-रामगढ़ (60 किमी) लाइन	दिसम्बर 2011 (बीओडी) एवं फरवरी 2012 (जीओआर)/ फरवरी 2014	18 अप्रैल 2015/ 4 जुलाई 2016	443 दिन, जिसमें से कम्पनी के भाग पर 375 दिनों का विलम्ब जीओआर से राजपत्र में अधिसूचना जारी करवाने, रामगढ़ एवं छत्रेल छोर पर गैन्ट्रीज को अंतिम रूप दिए जाने, विद्युत प्रसारण लाइन को पार करने के स्थान में परिवर्तन करने के कारण लाइन के मार्ग में परिवर्तन, आरओडब्ल्यू की समस्या, ठेकेदार को तार जारी करने, सहायक लाइनों की शट डाउन देने एवं रिवेटमेंट कार्य <sup>2</sup> को अंतिम रूप देने के कारण हुआ।	₹ 79.38/ सम्बंधित जीएसएस के उपलब्ध नहीं होने के कारण कम्पनी द्वारा मार्च 2016 से चोरी निरोधक उद्देश्य से लाइन को केवल 11 केवी पर चार्ज किया जा सका एवं इस प्रकार परिकल्पित लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सका।
220 केवी द्वि-पथिय जयपुर (उत्तर)-मनोहरपुर लाइन (31 किमी) के साथ 9.5 किमी लम्बी वीकेआईए-कूकस लीलो लाइन	जनवरी 2013/ फरवरी 2014	30 दिसम्बर 2017	1108 दिन, जिनमें से 1064 दिन का विलम्ब कम्पनी के भाग पर मुख्यतः लाइन को 220 केवी एक पथिय वीकेआईए-कूकस लाइन तक बढ़ाने, वन अनुमति एवं आरओडब्ल्यू की समस्या के हुआ।	₹ 29.13/ लाइन का निर्माण सम्बंधित जीएसएस की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना किया गया। इसके अतिरिक्त, जीएसएस के लिए क्रय की गई ₹ 16.17 करोड़ मूल्य की भूमि का उपयोग नहीं किया जा सका, जिसके लिए ₹ 3.15 करोड़ के लीज किराये का व्यर्थ भुगतान किया गया।
220 केवी जीएसएस अम्बेरी	मई 2011/ नवम्बर 2016	मार्च 2017/ मार्च 2018	अम्बेरी जीएसएस के विद्युत कार्य अत्याधिक विलम्ब से प्रदान किया गया यथा बीओडी के अनुमोदन के 5 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात। समय पर समरूप सामग्री की अनुपलब्धता, सिविल समूह द्वारा नींव भरने/ ग्राउटिंग कार्य, भूमिकार्य में विलम्ब, एवं जीएसएस के विद्युत ले-आउट प्लान में परिवर्तन के कारण निर्धारित पूर्णता तिथि से 355 दिनों के विलम्ब से कार्य पूर्ण हुआ था।	₹ 7.26/ 2016 एवं 2017 में पूर्ण हुई तीन सम्बंधित लाइनें, (220 केवी एक पथिय कांकरोली-देबारी लाइन, 132 केवी एक पथिय देबारी-सुस्वेर लाइन एवं 132 केवी एक पथिय सुस्वेर-सीसारमा लाइन) 12 से 26 माह तक की अवधि तक निष्क्रिय रहीं जिसके परिणामस्वरूप डीपीआर में परिकल्पित ऊर्जा की हानि हुई।

2 सामान्यतया यह प्रक्रिया वहां अपनाई जाती है जहां भूतल अनियमित होता है अथवा जहां टावर की नींव के आसपास मृदा के स्तर में महत्वपूर्ण अंतर होता है। जहां इस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, नींव के उन हिस्सों के चारों ओर पत्थर की चुनाई द्वारा दीवार का संरक्षण प्रदान किया जाता है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

दो संबंधित लाइनों के साथ 220 केवी जीएसएस भवानी मंडी का निर्माण	मई 2014 (बीओडी)/ सितम्बर 2015 में सीएलआरसी दर अनुबंध	23 नवम्बर 2016/ 16 जुलाई 2018	600 दिन, जिसमें से 450 दिनों का विलम्ब कम्पनी के भाग पर ले-आउट प्लान देने में आठ माह का विलम्ब एवं समय पर सामग्री की आपूर्ति नहीं करने के कारण हुआ था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने बीओडी की अनुमति के पश्चात, तकनीकी अनुमति एवं कार्यादेश जारी करने में 17 माह का समय लिया।	₹ 29.93/ दोनों सम्बंधित लाइन यथा भवानी मंडी-मोडक लाइन (39.91 किमी) एवं भवानी मंडी-कालीसिंध लाइन (33.752 किमी) जो कि क्रमशः 4 मार्च 2017 एवं 11 अगस्त 2017 को पूर्ण हो गई थी, जीएसएस के पूर्ण नहीं होने के कारण जुलाई 2018 तक अनुपयोगी रही जिसके परिणामस्वरूप परिकल्पित ऊर्जा की हानि हुई।
400 केवी जीएसएस जोधपुर प्रसारण लाइन पर 400 केवी द्वि-पथिय राज-वेस्ट जोधपुर लाइन का 50 किमी लीलो सर्किट का निर्माण	अप्रैल 2011 (बीओडी)/ 12 जून 2013	12 दिसम्बर 2014/ 6 मई 2016	आरओडब्ल्यू की समस्या, उड्डयन प्राधिकरण से अनापत्ति लेने, उपज की क्षतिपूर्ति को भुगतान इत्यादि में विलम्ब	₹ 61.03/ कम्पनी ने 400 केवी जोधपुर (नवीन) जीएसएस की अनुपलब्धता के कारण लाइन को 132 केवी पर केवल चोरी निरोधक उद्देश्य से चार्ज किया था।
<b>संबंधित लाइन के पूर्ण नहीं होने के कारण अनुपयोगी रहे जीएसएस</b>				
400 केवी द्वि-पथिय भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ लाइन (50 किमी) का निर्माण	अगस्त 2009 (बीओडी) एवं नवम्बर 2009 (जीओआर)/ नवम्बर 2011	मई 2013/ 7 सितम्बर 2018	1954 दिनों का विलम्ब ठेकेदार, उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश एवं आरओडब्ल्यू समस्या इत्यादि के कारण। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने जीओआर के अनुमोदन के पश्चात निविदा आमंत्रित करने एवं इसे अंतिम रूप देने में 23 माह का समय लिया।	₹ 285.79/ लाइन के निर्माण में विलम्ब के कारण, सितम्बर 2013 में निर्मित चित्तौड़गढ़ जीएसएस 5 वर्षों तक अनुपयोगी रहा।
400 केवी द्वि-पथिय भीलवाड़ा-अजमेर लाइन (150 किमी) का निर्माण	अगस्त 2009 (बीओडी) / सितम्बर 2012	25 मार्च 2014/ 14 मार्च 2018	1315 दिनों का विलम्ब (सेवा-665 दिन एवं आपूर्ति 650 दिन)। 344 दिनों का विलम्ब ठेकेदार के भाग पर तथा 321 दिन का विलम्ब कम्पनी के भाग पर हुआ। रेत के खनन पर उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक, आरओडब्ल्यू की समस्या, ठेकेदार को भुगतान में विलम्ब, अगस्त 2016 में नागरिक उड्डयन से अनापत्ति की प्राप्ति इत्यादि के कारण	

अनुबंध-7

(पृष्ठ संख्या 53 पर अनुच्छेद संख्या 2.4.7 में संदर्भित)

कार्यों के निष्पादन से पूर्व प्रारंभिक गतिविधियां नहीं करने के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

परियोजना/ योजना/ कार्य का नाम	माह जिसमें कार्यादेश प्रदान किया गया था	निर्धारित/ वास्तविक पूर्णता तिथि	अनुमानित परियोजना लागत/ कार्यादेश की लागत (₹ करोड़ में)	अंतिम लागत (₹ करोड़ में)	विलम्ब	विलम्ब के कारण
पीजीसीआईएल के 400/220 केवी कोटपूतली जीएसएस (पीजी) से बानसूर (प्रस्तावित 220 केवी जीएसएस) तक 220 केवी द्वि-पथिय लाइन- 20 किमी	अगस्त 2013	अगस्त 2014/ मई 2016	5.82 (कार्यादेश)	13.18	20 माह	जीएसएस के स्थान में परिवर्तन के कारण लाइन की लम्बाई में 41 किमी तक की वृद्धि।
220 केवी द्वि- पथिय अजमेर-जेठाना लाइन का निर्माण-60 किमी	जनवरी 2013	26 फरवरी 2014/ दिसम्बर 2016	12.20 (डीपीआर)	34.45	1028 दिन	सामग्री की अनुपलब्धता एवं एनएचएआई से अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब।
220 केवी जीएसएस पिण्डवाडा पर वैकल्पिक 220 केवी के आपूर्ति स्रोत बनाने के लिए 220 केवी एक पथिय सिरोही-पिण्डवाडा लाइन (25 किमी) का निर्माण	दिसम्बर 2013	17 जुलाई 2014/ 14 फरवरी 2019	14.50 (संशोधित अनुमान)	12.24	54 माह	वन अनुमति प्राप्त करने एवं ठेकेदार द्वारा कार्य करने में विलम्ब के कारण।
220 केवी द्वि-पथिय बड़ीसिद-आऊ लाइन (50 किमी)	दिसम्बर 2013	17 नवम्बर 2014/ 13 अप्रैल 2016	23.28 (डीपीआर)	28.57	513 दिन	आरओडब्ल्यू अनुमति, रेलवे से अनुमति, टॉवर की सामग्री, अर्थ वायर, तार, हार्डवेयर एवं अन्य सहायक सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब।
220 केवी जीएसएस भेरुन्दा से सम्बंधित 220 केवी द्वि-पथिय अजमेर-भेरुन्दा लाइन का निर्माण	जनवरी 2017	2 मार्च 2018/ 23 जनवरी 2019	18.95 (डीपीआर)	23.69	327 दिन	वन अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब।
भेरुन्दा जीएसएस का निर्माण	मार्च 2016 एवं सितंबर 2016	अगस्त 2017/ दिसम्बर 2018	24.77 (डीपीआर)	15.23	468 दिन, जिनमें से 233 दिनों का विलम्ब कम्पनी के भाग पर था।	ट्रांसफॉर्मर्स, इससे सम्बंधित सामग्री एवं नक्शों की आपूर्ति में विलम्ब।
220 केवी द्वि-पथिय प्रतापगढ़-चित्तोड़गढ़ (400 केवी जीएसएस) लाइन	अक्टूबर 2014	25 जनवरी 2016/ 22 फरवरी 2018	11.95 (कार्यादेश)	57.46	165 दिनों का विलम्ब ठेकेदार के पेटे एवं 594 दिनों का विलम्ब	वन अनुमति लेने में 401 दिनों का विलम्ब एवं आरओडब्ल्यू समस्या के समाधान हेतु

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

					आरआरवीपीएनएल पेटे	कार्यवाही का अभाव
भडला से बीकानेर तक 180 किमी लम्बी द्वि-पथिय 400 केवी चतुर्थ मूज कंडक्टर लाइन का निर्माण	अप्रैल 2013	09 अक्टूबर 2014/ 15 अप्रैल 2017 को चार्ज की गई	232.88 (कार्यादेश)	359.69	30 माह	न्यायालय का स्थगन आदेश, आरओडब्ल्यू, समस्याएं एवं वन अनुमति, नागरिक उड्डयन से अनुमोदन इत्यादि के कारण विलम्ब
विद्युत निष्क्रमण हेतु प्रसारण तंत्र के लिए आकल (जैसलमेर) से जोधपुर (नवीन) तक 240 किमी 400 केवी द्वि-पथिय चतुर्थ एसीएसआर मूज प्रसारण लाइन	नवम्बर 2014	16 मई 2016/ 21 दिसम्बर 2018	567.84	471.14	31 माह का विलम्ब	आरओडब्ल्यू समस्या, संविधिक प्राधिकरण से अनुमति, लाइन के कुछ भाग का पुनः पथ निर्धारण, ओपीजीडब्ल्यू के संदर्भ में भारत से बाहर निरीक्षण का प्रकरण।
400 केवी जीएसस जोधपुर पर 400 केवी एक पथिय जोधपुर-मेड़ता लीलो लाइन	जून 2013	13 दिसम्बर 2014/ 23 जून 2016 एवं 31 जनवरी 2017	40.52 (कार्यादेश)	70.95	18 माह	आरओडब्ल्यू समस्या, वन के कारण पथ परिवर्तन, नागरिक उड्डयन से अनापत्ति, प्रमाण-पत्र अपर्याप्त कोषों के कारण भुगतान में विलम्ब इत्यादि।
				<b>1086.60</b>		



अनुबंध-8

(पृष्ठ संख्या 61 पर अनुच्छेद संख्या 3.3 में संदर्भित)

31 मार्च 2019 को राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष 2018-19 के अंत में पूँजी <sup>3</sup>				वर्ष 2018-19 के अंत में दीर्घकालिक बकाया ऋण			
				जीओआर <sup>4</sup>	जीओआई <sup>5</sup>	अन्य	कुल	जीओआर	जीओआई	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6(द)
अ	सामाजिक क्षेत्र										
	I. कार्यरत सरकारी कम्पनियां										
1.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	3-जून-1961	6.64	0.27	0.05	6.96	0.75	0.00	0.00	0.75
2.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	1-अप्रैल-1984	45.51	0.00	0.55	46.06	0.00	0.00	0.43	0.43
3.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	स्थानीय स्वायत्त शासन	1-दिसम्बर-2004	48.67	0.00	0.00	48.67	278.11	0.00	1196.94	1475.05
4.	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	वित्त	24-फरवरी-2005	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	शहरी विकास एवं आवास	1-जनवरी-2010	1494.04	0.00	200.00	1694.04	861.70	0.00	0.00	861.70
6.	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	सैनिक कल्याण विभाग	29-मार्च-2012	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4-मई-2011	5.00	0.00	0.00	5.00	21.18	0.00	0.00	21.18
8.	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	श्रम, रोजगार, कौशल एवं उद्यमशीलता	17-अगस्त-2010	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	स्वाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला	27-दिसम्बर-2010	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	9.78	9.78
10.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	कृषि	28-मार्च-1978	6.33	1.14	0.12	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00

3 पूँजी में शेयर आवेदन राशि सम्मिलित है।

4 राजस्थान सरकार।

5 भारत सरकार।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष 2018-19 के अंत में पूँजी <sup>3</sup>				वर्ष 2018-19 के अंत में दीर्घकालिक बकाया ऋण			
				जीओआर <sup>4</sup>	जीओआई <sup>5</sup>	अन्य	कुल	जीओआर	जीओआई	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6(द)
	कुल अ-I			1663.24	1.41	200.72	1865.37	1161.74	0.00	1207.15	2368.89
	II. अकार्यरत सरकारी कम्पनियां										
11.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग <sup>6</sup> निगम लिमिटेड	कृषि	1-अगस्त-1969	6.01	0.00	0.00	6.01	16.27	0.00	0.00	16.27
12.	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	भूजल विभाग	25-जनवरी-1984	1.27	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल अ-II			7.28	0.00	0.00	7.28	16.27	0.00	0.00	16.27
	कुल अ (I+II)			1670.52	1.41	200.72	1872.65	1178.01	0.00	1207.15	2385.16
ब	प्रतिस्पर्धी क्षेत्र										
	I. कार्यरत सरकारी कम्पनियां										
13.	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	वित्त	21-दिसम्बर-2012	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	वित्त	1-जुलाई-1956	180.34	0.00	0.05	180.39	0.41	0.00	0.00	0.41
15.	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (जनवरी 1980 से पृथक की गई)	उद्योग	28-मार्च-1969	210.19	0.00	0.00	210.19	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	लोक निर्माण विभाग	8-फरवरी-1979	100.00	0.00	0.00	100.00	53.48	0.00	2771.82	2825.3
17.	राजस्थान राज्य स्नान एवं स्वनिज लिमिटेड (जून 1973 से सरकारी कम्पनी)	स्नान एवं पेट्रोलियम	7-मई-1947	77.54	0.00	0.01	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	27-अक्टूबर-2010	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	पर्यटन	7-जून-1965	2.16	0.00	0.00	2.16	10.00	0.00	1.53	11.53
20.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	24-नवम्बर-1978	21.95	0.00	0.00	21.95	34.50	0.00	0.00	34.50

6 राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम समापन के अंतर्गत है, कम्पनी से नवीनतम आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्र. सं.	पीएसयू का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष 2018-19 के अंत में पूँजी <sup>3</sup>				वर्ष 2018-19 के अंत में दीर्घकालिक बकाया ऋण			
				जीओआर <sup>4</sup>	जीओआई <sup>5</sup>	अन्य	कुल	जीओआर	जीओआई	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6(द)
21.	बाड़मेर लिग्नाइट खनन कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 17 की सहायक एवं संयुक्त उद्यम कम्पनी)	खान एवं पेट्रोलियम	19-जनवरी-2007	0	0	20.00	20.00	0.00	0.00	1684.61	1684.61
22.	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (क्रम संख्या 23 की सहायक कम्पनी)	खान एवं पेट्रोलियम	20-सितंबर-2013	0	0	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (क्रम संख्या 17 की सहायक कम्पनी)	खान एवं पेट्रोलियम	10-जुलाई-2008	0	0	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>कुल ब-I</b>			<b>687.18</b>	<b>0.00</b>	<b>217.01</b>	<b>904.19</b>	<b>98.39</b>	<b>0.00</b>	<b>4457.96</b>	<b>4556.35</b>
24.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	परिवहन	1- अक्टूबर - 1964	612.13	26.83	0.00	638.96	648.27	0.00	709.24	1357.51
25.	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	कृषि	30- दिसम्बर - 1957	3.93	3.92	0.00	7.85	298.47	0.00	0.00	298.47
26.	राजस्थान वित्त निगम	उद्योग	17-जनवरी-1955	128.31	0.00	32.42	160.73	1.04	0.00	300.00	301.04
	<b>कुल ब-II</b>			<b>744.37</b>	<b>30.75</b>	<b>32.42</b>	<b>807.54</b>	<b>947.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1009.24</b>	<b>1957.02</b>
	<b>कुल ब (I+II)</b>			<b>1431.55</b>	<b>30.75</b>	<b>249.43</b>	<b>1711.73</b>	<b>1046.17</b>	<b>0.00</b>	<b>5467.20</b>	<b>6513.37</b>
<b>स</b>	<b>अन्य</b>										
	<b>I. कार्यरत सरकारी कम्पनियां</b>										
27.	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	गृह	22-जून-2013	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>कुल स-I</b>			<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>II. अकार्यरत सरकारी कम्पनियां</b>										
28.	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	नागरिक उड्डयन	20- दिसम्बर - 2006	4.49	0.00	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>कुल स-II</b>			<b>4.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>कुल स (I+II)</b>			<b>5.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>कुल योग (अ+ब+स)</b>			<b>3107.56</b>	<b>32.16</b>	<b>450.15</b>	<b>3589.87</b>	<b>2224.18</b>	<b>0.00</b>	<b>6674.35</b>	<b>8898.53</b>

अनुबंध-9

(पृष्ठ संख्या 63 पर अनुच्छेद संख्या 3.7 में संदर्भित)

31 मार्च 2019 को राजस्थान सरकार के वित्त लेखों एवं राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों में पूँजी, ऋण एवं गारंटी के शेषों के अंतर को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	पीएसयूज के लेखों के अनुसार			राजस्थान सरकार के वित्त लेखों के अनुसार			अन्तर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3-6	10=4-7	11=5-8
1	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	6.33	0.00	0.00	6.33	0.64	0.00	0.00	-0.64	0.00
2	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	210.19	0.00	0.00	193.69	5.37	0.00	16.50	-5.37	0.00
3	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	48.67	278.11	1572.00	33.51	0.00	1286.74	15.16	278.11	285.26
4	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	180.34	0.41	0.00	180.84	0.11	0.00	-0.50	0.30	0.00
5	राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड	77.54	0.00	0.00	77.56	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
6	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	21.95	34.50	0.00	21.94	34.50	0.00	0.01	0.00	0.00
7	राजस्थान वित्त निगम	128.31	1.04	300.00	128.31	1.26	300.00	0.00	-0.22	0.00
8	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	6.01	16.27	0.00	4.13	17.51	0.00	1.88	-1.24	0.00

**अनुबंध-10**

(पृष्ठ संख्या 64 पर अनुच्छेद संख्या 3.8.1 में संदर्भित)

राज्य सरकार द्वारा कार्यरत राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त), जिनके लेखे बकाया हैं, में बकाया लेखों के वर्षों के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने तक की समयावधि	बकाया लेखों की समयावधि	नवीनतम लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	बकाया लेखों की समयावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश		
					ऋण	सब्सिडी	कुल
<b>अ</b>	<b>सरकारी कम्पनियां</b>						
1	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	46.06	0.00	0.80	0.80
2	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18, 2018-19	48.67	0.00	0.00	0.00
3	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	2.00	0.00	0.00	0.00
4	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	5.00	0.00	328.85	328.85
5	राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18, 2018-19	50.00	0.00	0.00	0.00
6	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	7.59	0.00	28.31	28.31
7	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2017-18	2018-19	180.39	0.00	0.00	0.00
8	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	210.19	0.00	0.00	0.00
9	राजस्थान राज्य स्नान एवं स्वनिज लिमिटेड	2017-18	2018-19	77.55	0.00	0.00	0.00
10	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	2018-19	5.00	0.00	0.00	0.00
11	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17, 2017-18, 2018-19	2.16	0.00	0.00	0.00
12	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17, 2017-18, 2018-19	21.95	11.50	0.00	11.50
13	बाड़मेर लिग्नाइट खनन कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या अ(9) की सहायक संयुक्त कम्पनी)	2017-18	2018-19	20.00	0.00	0.00	0.00
14	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	66.99	0.00	0.00	0.00
	<b>योग (अ)</b>			<b>743.55</b>	<b>11.50</b>	<b>357.96</b>	<b>369.46</b>
<b>ब</b>	<b>सांविधिक निगम</b>						
15	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2017-18	2018-19	638.96	100.00	383.81	483.81
	<b>योग (ब)</b>			<b>638.96</b>	<b>100.00</b>	<b>383.81</b>	<b>483.81</b>
	<b>कुल योग (अ+ब)</b>			<b>1382.51</b>	<b>111.50</b>	<b>741.77</b>	<b>853.27</b>

अनुबंध-11

(पृष्ठ संख्या 66, 67 एवं 74 पर क्रमशः अनुच्छेद संख्या 3.11, 3.12 एवं 3.17 में संदर्भित)

राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं पीएसयू का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ / हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>अ.</b>	<b>सामाजिक क्षेत्र</b>									
	<b>कार्यरत सरकारी कम्पनियां</b>									
1.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20	-0.62	-0.97	97.38	6.96	-10.76	-18.52	-25.48
2.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.23	0.22	18.06	46.06	-0.31	-3.83	-49.89
3.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	2016-17	2018-19 2019-20	0.73	0.49	5.33	48.67	613.34	69.74	21.07
4.	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	28.98	5.12	5699.57	2.00	39.72	39.72	37.72
5.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	2019-20	-24.70	-52.97	103.09	1694.04	1999.12	1406.32	-287.72
6.	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20	4.96	4.96	123.54	5.00	19.71	19.71	14.71
7.	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	19.21	7.23	644.70	5.00	47.63	26.45	21.45
8.	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2018-19	2019-20	3.54	3.53	95.25	0.05	-13.00	-13.00	-13.05
9.	राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2016-17	2019-20	6.87	3.51	475.17	50.00	86.73	86.73	36.73
10.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	7.54	1.08	261.58	7.59	125.51	125.51	117.92
	<b>कुल अ-I</b>			<b>46.74</b>	<b>-27.80</b>	<b>7523.67</b>	<b>1865.37</b>	<b>2907.69</b>	<b>1738.83</b>	<b>-126.54</b>
	<b>अकार्यरत सरकारी कम्पनियां</b>									
11.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2014-15	2017-18	-0.14	-1.46	0.00	6.01	-2.21	-48.82	-54.83
12.	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	-0.28	-0.28	0.00	1.27	-1.10	-1.10	-2.37
	<b>कुल अ-II</b>			<b>-0.42</b>	<b>-1.74</b>	<b>0.00</b>	<b>7.28</b>	<b>-3.31</b>	<b>-49.92</b>	<b>-57.20</b>
	<b>कुल अ (I+II)</b>			<b>46.32</b>	<b>-29.54</b>	<b>7523.67</b>	<b>1872.65</b>	<b>2904.38</b>	<b>1688.91</b>	<b>-183.74</b>
<b>ब.</b>	<b>प्रतिस्पर्धी पर्यावरणीय क्षेत्र</b>									
	<b>कार्यरत सरकारी कम्पनियां</b>									
13.	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20	7.59	5.47	0.00	90.00	106.78	106.78	16.78

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं पीएसयू का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ / हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2017-18	2018-19	44.34	23.51	1143.25	180.39	298.14	297.58	117.19
15.	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	196.06	142.94	689.23	210.19	1726.79	1726.79	1516.60
16.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20	289.23	35.00	1408.61	100.00	2865.91	226.89	126.89
17.	राजस्थान राज्य स्नान एवं स्वनिज लिमिटेड (जून 1973 से सरकारी कम्पनी)	2017-18	2018-19	236.98	168.50	831.62	77.55	2157.54	2157.54	2079.99
18.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	2018-19	10.04	3.29	129.93	5.00	55.08	55.08	50.08
19.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	2015-16	2019-20	-0.06	-0.10	1.69	2.16	-2.55	-6.55	-8.71
20.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2017-18	-14.53	-14.59	67.89	21.95	-109.01	-123.10	-145.05
21.	बाड़मेर लिग्नाइट खनन कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 17 की सहायक एवं संयुक्त उद्यम कम्पनी)	2017-18	2018-19	48.90	-45.54	836.42	20.00	1599.66	-51.87	-71.87
22.	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (क्रम संख्या 23 की सहायक कम्पनी)	2018-19	2019-20	6.46	5.39	57.44	129.87	125.56	125.56	-4.31
23.	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (क्रम संख्या 17 की सहायक कम्पनी)	2017-18	2018-19	-0.80	-0.80	0.00	67.08	65.37	65.46	-1.62
	<b>कुल ब-I</b>			<b>824.21</b>	<b>323.07</b>	<b>5166.08</b>	<b>904.19</b>	<b>8889.27</b>	<b>4580.07</b>	<b>3675.97</b>
	<b>II. सांविधिक निगम</b>									
24.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2017-18	2019-20	-34.16	-176.71	1845.30	638.96	-2890.86	-4177.02	-4815.98
25.	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	2018-19	2019-20	115.20	88.89	193.34	7.85	565.78	267.31	259.46
26.	राजस्थान वित्त निगम	2018-19	2019-20	48.49	10.39	91.37	160.73	352.26	51.60 <sup>7</sup>	-108.47
	<b>कुल ब-II</b>			<b>129.53</b>	<b>-77.43</b>	<b>2130.01</b>	<b>807.54</b>	<b>-1972.82</b>	<b>-3858.11</b>	<b>-4664.99</b>
	<b>कुल ब (I+II)</b>			<b>953.74</b>	<b>245.64</b>	<b>7296.09</b>	<b>1711.73</b>	<b>6916.45</b>	<b>721.96</b>	<b>-989.02</b>
स.	अन्य									
	<b>I. कार्यरत सरकारी कम्पनी</b>									
27.	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20	2.62	2.01	4.10	1.00	3.30	3.30	2.30

7 राजस्थान वित्त निगम के प्रकरण में निवल मूल्य की राशि की गणना के लिए प्रदत्त पूँजी एवं संचित हानियों के अंतर में से ₹ 0.66 करोड़ के स्थगित राजस्व व्यय घटाये गये हैं।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं पीएसयू का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ / हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कुल स-I			2.62	2.01	4.10	1.00	3.30	3.30	2.30
	II. अकार्यरत सरकारी कम्पनियां									
28.	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.04	0.03	0.00	4.49	-1.80	-1.80	-6.29
	कुल स-II			0.04	0.03	0.00	4.49	-1.80	-1.80	-6.29
	कुल स (I+II)			2.66	2.04	4.1	5.49	1.5	1.5	-3.99
	कुल योग (अ+ब+स)			1002.72	218.14	14823.86	3589.87	9822.33	2412.46	-1176.75
i	कार्यरत सरकारी कम्पनियां			873.57	297.28	12693.85	2770.47	11800.26	6322.20	3551.73
ii	सांविधिक निगम			129.53	-77.43	2130.01	807.54	-1972.82	-3858.11	-4664.99
iii	कार्यरत पीएसयूज (i+ii)			1003.10	219.85	14823.86	3578.01	9827.44	2464.09	-1113.26
iv	अकार्यरत सरकारी कम्पनियां			-0.38	-1.71	0.00	11.77	-5.11	-51.72	-63.49
	कुल योग (iii+iv)			1002.72	218.14	14823.86	3589.87	9822.33	2412.46	-1176.75



अनुबंध-12

(पृष्ठ संख्या 71 पर अनुच्छेद संख्या 3.15 में संदर्भित)

2000-01 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेशित कोषों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

अ. सामाजिक क्षेत्र										
क्र. सं.	1.		2.		3.		4.		5.	
वर्ष	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड		राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड		राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड		राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड		राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	
	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	1.50	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.88
2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.38
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	-0.77	0.00	0.00	15.67	0.00	0.00	-2.50
2017-18	0.00	0.00	0.00	-0.77	0.00	0.00	0.00	278.11	0.00	-2.50
2018-19	-0.50	0.00	0.00	-9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50
कुल	-0.50	0.00	1.50	0.75	39.91	0.00	48.67	278.11	5.00	10.00

अ. सामाजिक क्षेत्र										
क्र. सं.	6		7		8		9		10	
वर्ष	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम		राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड		राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड		जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड		राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	
	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.95	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.05	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	307.04	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	55.10	0.00	0.00	561.00	0.00	5.00	0.00
2013-14	0.00	0.00	0.00	-15.22	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1182.38	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	-24.88	0.00	0.00	0.00	72.02	0.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-958.05	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.34	0.00	0.00
2018-19	0.00	0.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	185.05	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1494.04</b>	<b>595.74</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>

अ. सामाजिक क्षेत्र (11 एवं 12) एवं ब. प्रतिस्पर्धी पर्यावरणीय क्षेत्र (13 से 15)										
क्र. सं.	11		12		13		14		15	
वर्ष	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड		राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड		राजस्थान राज्य वित्त एवं वित्तीय सेवा लिमिटेड		राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड		राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	
	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल
2000-01	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	-0.49	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	-1.31	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	-1.06	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25	-0.04	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92	-10.59	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	-5.51	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	-0.39	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	-1.05	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	-0.69	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.72	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.31	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.69	10.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018-19	एन आर	एन आर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>1.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42.57</b>	<b>-27.85</b>	<b>90.00</b>	<b>0.00</b>

ब प्रतिस्पर्धी पर्यावरणीय क्षेत्र										
क्र. सं.	16		17		18		19		20	
वर्ष	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड		राजस्थान खान एवं खनिज निगम लिमिटेड		राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड		राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड		राजस्थान वित्त निगम	
	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल
2000-01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	-2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	-0.36	0.00	0.00	0.00	-2.10
2003-04	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80
2004-05	0.00	0.00	0.00	-1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	-0.55
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	13.95	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	21.50	0.00	0.00	0.00	0.29	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	11.69	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	3.50	0.00	25.65	0.00
2013-14	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	25.00	0.00
2014-15	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
2016-17	-0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>176.79</b>	<b>0.00</b>	<b>15.81</b>	<b>-3.50</b>	<b>1.19</b>	<b>9.54</b>	<b>8.11</b>	<b>34.50</b>	<b>81.15</b>	<b>-3.45</b>

ब प्रतिस्पर्धी पर्यावरणीय क्षेत्र (21 से 23) एवं स. अन्य (24-25)										
क्र. सं.	21		22		23		24		25	
वर्ष	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम		राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम		राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड		राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड		राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	
	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
2012-13	188.90	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	0.00
2013-14	150.00	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2014-15	80.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2018-19	0.00	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>531.00</b>	<b>648.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.49</b>	<b>0.00</b>

अनुबंध-13

(पृष्ठ संख्या 81 पर अनुच्छेद संख्या 3.29 में संदर्भित)

निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रत्युत्तर के अभाव को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	विभाग एवं पीएसयू का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुच्छेद			प्रथम अनुपालना प्राप्त नहीं हुई		
		बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)
<b>क</b>	<b>उद्योग</b>						
1	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	8	49	6.97	-	-	-
2	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	3	6	0.95	-	-	-
3	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	67	208	339.72	1	1	-
4	राजस्थान वित्त निगम	61	163	251.01	-	-	-
	<b>कुल क</b>	<b>139</b>	<b>426</b>	<b>598.65</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>ख</b>	<b>स्थानीय स्वायत्त शासन</b>						
5	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	11	109	1758.32	-	-	-
	<b>कुल ख</b>	<b>11</b>	<b>109</b>	<b>1758.32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ग</b>	<b>वित्त (आबकारी)</b>						
6	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	4	15	2.60	-	-	-
7	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	12	50	55.03	-	-	-
	<b>कुल ग</b>	<b>16</b>	<b>65</b>	<b>57.63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>घ</b>	<b>शहरी विकास एवं आवास</b>						
8	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	5	33	389.23	-	-	-
	<b>कुल घ</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>389.23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>च</b>	<b>सैनिक कल्याण विभाग</b>						
9	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	3	8	2.68	-	-	-
	<b>कुल च</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>2.68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>छ</b>	<b>चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b>						
10	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	3	22	33.25	-	-	-
	<b>कुल छ</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>33.25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ज	श्रम, रोजगार, कौशल एवं उद्यमशीलता						
11	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	5	24	183.19	-	-	-
	कुल ज	5	24	183.19	-	-	-
झ	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले						
12	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	5	22	46.89	-	-	-
	कुल झ	5	22	46.89	-	-	-
ट	कृषि						
13	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	22	114	158.81	-	-	-
14	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
15	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	6	39	58.38	-	-	-
	कुल ट	28	153	217.19	-	-	-
ठ	भूजल विभाग						
16	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
	कुल ठ	-	-	-	-	-	-
ड	वित्त						
17	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	1	4	1.67	-	-	-
	कुल ड	1	4	1.67	-	-	-
ढ	लोक निर्माण विभाग						
18	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	50	152	337.84	4	11	1.90
	कुल ढ	50	152	337.84	4	11	1.90
त	खान एवं पेट्रोलियम						
19	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	19	75	325.60	4	13	14.18
20	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड	1	5	1.47	-	-	-
21	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
	कुल त	20	80	327.07	4	13	14.18
थ	सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार						
22	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	5	30	154.06	1	2	-
	कुल थ	5	30	154.06	1	2	-
द	पर्यटन						
23	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	5	18	1.55	-	-	-
24	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	24	126	71.59	3	49	8.57

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

	कुल द	29	144	73.14	3	49	8.57
ध	खान एवं भूगर्भ						
25	बाड़मेर लिग्नाईट स्वनन कम्पनी लिमिटेड	2	4	1.64	1	1	0.23
	कुल ध	2	4	1.64	1	1	0.23
न	परिवहन						
26	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	69	554	1174.72	22	95	177.74
	कुल न	69	554	1174.72	22	95	177.74
प	गृह						
27	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	1	1	18.69	-	-	-
	कुल प	1	1	18.69	-	-	-
फ	सामान्य प्रशासन एवं नागरिक उड्डयन						
28	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	1	1	0.04	-	-	-
	कुल फ	1	1	0.04	-	-	-
	कुल योग	<b>393</b>	<b>1832</b>	<b>5375.90</b>	<b>36</b>	<b>172</b>	<b>202.62</b>



अनुबंध-14

(पृष्ठ संख्या 98 पर अनुच्छेद 4.14.3 में संदर्भित)

चयनित 14 आगारों में 2016-17 से 2018-19 के दौरान आगार-वार बसों की आवश्यकता एवं उपलब्धता (स्वयं एवं किराए पर) को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(आंकड़े संख्या में)

क्र.सं	आगार एवं वर्ष	वर्ष के लिए नियोजित कुल अनुसूची	नियोजित अनुसूचियों को परिचालित करने के लिए बसों की आवश्यकता	निगम का बेड़ा			वर्ष के लिए किराए की बसों की आवश्यकता	किराए पर ली गई बसें	आधिक्य/कमी (-)		वास्तविक परिचालित अनुसूची	बसों की कमी के कारण कटौती की गई अनुसूची
				स्वयं का बेड़ा	आयु पार बेड़ा	निवल बेड़ा			आधिक्य	कमी (-)		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4-7	9	10=9-8	11=8-9	12	13=3-12
<b>वित्तीय वर्ष 2016-17</b>												
1	जयपुर	142	149	142	2	140	9	0		-9	140	2
2	हिण्डौन	76	79	79	0	79	0	0			74	
3	करौली	14	14	16	0	16	-2	0	2		14	
4	कोटा	102	107	119	0	119	-12	0	12		97	
5	सिरोही	53	55	54	0	54	1	0		-1	49	4
6	टोंक	97	101	91	6	85	16	0		-16	91	6
7	अजयमेरु	101	105	101	11	90	15	0		-15	98	3
8	बांसवाड़ा	80	83	88	0	88	-5	0	5		75	
9	राजसमंद	34	35	33	0	33	2	0		-2	32	2
10	हनुमानगढ़	134	141	123	4	119	22	20		-2	131	3
11	लोहागढ़	95	99	91	0	91	8	0		-8	81	14
12	अनूपगढ़	66	68	61	0	61	7	9	2		59	
13	सीकर	154	162	155	2	153	9	2		-7	150	4
14	झुंजरपुर	91	95	95	0	95	0	0			81	
	<b>कुल</b>	<b>1239</b>	<b>1293</b>	<b>1248</b>	<b>25</b>	<b>1223</b>	<b>70</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>-60</b>	<b>1172</b>	<b>38</b>
<b>वित्तीय वर्ष 2017-18</b>												
1	जयपुर	140	147	159	10	149	-2	14	16		135	
2	हिण्डौन	72	75	88	35	53	22	0		-22	68	4

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

क्र.सं	आगार एवं वर्ष	वर्ष के लिए नियोजित कुल अनुसूची	नियोजित अनुसूचियों को परिचालित करने के लिए बसों की आवश्यकता	निगम का बेड़ा			वर्ष के लिए किराए की बसों की आवश्यकता	किराए पर ली गई बसें	आधिक्य/कमी (-)		वास्तविक परिचालित अनुसूची	बसों की कमी के कारण कटौती की गई अनुसूची
				स्वयं का बेड़ा	आयु पार बेड़ा	निवल बेड़ा			आधिक्य	कमी (-)		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4-7	9	10=9-8	11=8-9	12	13=3-12
3	करौली	18	19	16	5	11	8	0		-8	18	
4	कोटा	107	112	123	10	113	-1	10	11		96	
5	सिरोही	70	73	58	4	54	19	5		-14	57	13
6	टोंक	98	102	81	7	74	28	15		-13	95	3
7	अजयमेरु	101	106	96	58	38	68	10		-58	99	2
8	बांसवाड़ा	84	87	74	12	62	25	5		-20	75	9
9	राजसमंद	49	50	62	0	62	-12	0	12		47	
10	हनुमानगढ़	146	153	112	30	82	71	36		-35	130	16
11	लोहागढ़	92	96	92	0	92	4	8	4		82	
12	अनूपगढ़	72	74	53	13	40	34	21		-13	66	6
13	सीकर	163	171	176	25	151	20	20	0		158	
14	डूंगरपुर	90	94	104	0	104	-10	0	10		87	
	<b>कुल</b>	<b>1302</b>	<b>1360</b>	<b>1294</b>	<b>209</b>	<b>1085</b>	<b>275</b>	<b>144</b>	<b>53</b>	<b>-183</b>	<b>1213</b>	<b>53</b>
<b>वित्तीय वर्ष 2018-19</b>												
1	जयपुर	137	144	116	4	112	32	46	14		128	
2	हिण्डौन	75	78	69	2	67	11	11			73	
3	करौली	18	19	15	0	15	4	4			18	
4	कोटा	105	110	103	6	97	13	23	10		99	
5	सिरोही	64	67	48	0	48	19	22	3		62	
6	टोंक	94	98	77	10	67	31	28		-3	95	
7	अजयमेरु	104	109	94	41	53	56	15		-41	96	8
8	बांसवाड़ा	81	84	80	0	80	4	15	11		76	
9	राजसमंद	47	48	48	0	48	0	10	10		44	
10	हनुमानगढ़	125	131	94	25	69	62	37		-25	120	5

क्र.सं	आगार एवं वर्ष	वर्ष के लिए नियोजित कुल अनुसूची	नियोजित अनुसूचियों को परिचालित करने के लिए बसों की आवश्यकता	निगम का बेड़ा			वर्ष के लिए किराए की बसों की आवश्यकता	किराए पर ली गई बसें	आधिक्य/कमी (-)		वास्तविक परिचालित अनुसूची	बसों की कमी के कारण कटौती की गई अनुसूची
				स्वयं का बेड़ा	आयु पर बेड़ा	निवल बेड़ा			आधिक्य	कमी (-)		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4-7	9	10=9-8	11=8-9	12	13=3-12
11	लोहागढ़	94	98	97	0	97	1	7	6		89	
12	अनूपगढ़	64	66	45	5	40	26	22		-4	63	1
13	सीकर	148	155	136	13	123	32	23		-9	145	3
14	झुंजारपुर	90	94	96	0	96	-2	19	21		79	
	<b>कुल</b>	<b>1246</b>	<b>1301</b>	<b>1118</b>	<b>106</b>	<b>1012</b>	<b>289</b>	<b>282</b>	<b>75</b>	<b>-82</b>	<b>1187</b>	<b>17</b>
	<b>2016-17</b>	<b>1239</b>	<b>1293</b>	<b>1248</b>	<b>25</b>	<b>1223</b>	<b>70</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>-60</b>	<b>1172</b>	<b>38</b>
	<b>2017-18</b>	<b>1302</b>	<b>1360</b>	<b>1294</b>	<b>209</b>	<b>1085</b>	<b>275</b>	<b>144</b>	<b>53</b>	<b>-183</b>	<b>1213</b>	<b>53</b>
	<b>2018-19</b>	<b>1246</b>	<b>1301</b>	<b>1118</b>	<b>106</b>	<b>1012</b>	<b>289</b>	<b>282</b>	<b>75</b>	<b>-82</b>	<b>1187</b>	<b>17</b>

अनुबंध -15

(पृष्ठ संख्या 98 एवं 100 पर अनुच्छेद संख्या 4.15 एवं 4.15.3 में संदर्भित)

आरटीपीपी अधिनियम 2012/नियम 2013 के अंतर्गत सामग्री के क्रय हेतु निगम द्वारा पालन नहीं किये गये निर्धारित प्रासंगिक प्रावधानों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

**आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा 4** यह प्रावधान करती है कि लोक प्रापण के संबंध में प्रापण करने वाली संस्था का यह उत्तरदायित्व एवं जवाबदेयता होगी की वह (ए) दक्षता, मितव्ययता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करे; (बी) बोलीदाताओं के साथ उचित एवं न्यायसंगत व्यवहार करे; (सी) प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे; एवं (डी) भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया निर्धारित करे।

तथापि, निगम ने इन प्रावधानों का पालन नहीं किया क्योंकि इसने ब्लू लाइन बसों को किराये पर लेने के लिए की गई मोलभाव वार्ता में एक व्यक्ति को तीन से पांच बोलीदाताओं की ओर से भाग लेने की अनुमति (जनवरी 2017) प्रदान की थी। इससे गुटबाजी के साथ-साथ एक अनैतिक प्रथा को भी बढ़ावा मिला।

**आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा 5** यह प्रावधान करती है कि क्रय करने वाली संस्था, प्रापण के प्रत्येक प्रकरण में सर्वप्रथम प्रापण की विषय-वस्तु की आवश्यकता का निर्धारण करेगी।

तथापि, निगम ने इस प्रावधान का अनुपालन नहीं किया, क्योंकि उसने संबंधित आगार की आवश्यकता निर्धारित किए बिना, यादृच्छिक आधार पर विभिन्न श्रेणी की बसों को किराए पर लेने के लिए निविदाएं आमंत्रित (सितंबर 2015 एवं दिसंबर 2016) की।

**आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा 7** में यह प्रावधान है कि:

- एक प्रापण करने वाली संस्था, बोलीदाता के प्रापण प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्हिता होने की आवश्यकताओं को निर्धारित एवं लागू कर सकती है।
- प्रापण प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाता के पास आवश्यक पेशेवर, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रबंधकीय संसाधन तथा प्रापण करने वाली संस्था द्वारा जारी बोली अभिलेखों, पूर्व-योग्यता अभिलेखों अथवा बोलीदाता के पंजीकरण अभिलेखों के अनुसार, जो भी लागू हो, के अनुसार आवश्यक अर्हिता होनी चाहिए।
- प्रापण संस्था इस खंड में निर्दिष्ट आवश्यकता के अनुसार ही बोलीदाताओं की अर्हिता का मूल्यांकन करेगी।

साथ ही, **आरटीपीपी नियम 2013 का नियम 36** यह प्रावधान करता है कि बोली प्रपत्रों में बोलीदाताओं की अर्हिता के निर्धारण के संबंध में अपनाये जाने वाले मापदंड एवं प्रक्रिया तथा बोली के विस्तृत मूल्यांकन की प्रक्रिया सहित योग्यता एवं मूल्यांकन मापदंड सम्मिलित होने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि

- निगम ने ब्लू लाइन बसों को किराए पर लेने के लिए निविदाएं आमंत्रित (जुलाई 2014) की, जिसमें बोली अभिलेखों में कुछ तकनीकी एवं वित्तीय मापदंड विहित किये गए जैसे बोलीदाता का निवल मूल्य, एकल स्वामित्व के तहत न्यूनतम बेड़े की संख्या, मरम्मत एवं रखरखाव की व्यवस्था, पार्किंग का स्थान, यात्री परिवहन परिचालन का अनुभव इत्यादि। उच्च दरें प्राप्त होने पर, निगम ने पुनः निविदा आमंत्रित (अप्रैल 2015) की, जिसमें यह सभी मापदंड हटा दिये गये एवं इस प्रकार, आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा 7 एवं आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 36 के उल्लंघन में बोलीदाताओं की अर्हिता हेतु तकनीकी एवं वित्तीय योग्यता मापदंडों के बिना

पुनः निविदा की गई थी। इसी प्रकार, निगम ने बोली अभिलेखों में तकनीकी बोली मूल्यांकन मापदंड का उल्लेख किए बिना बसों की अन्य श्रेणियों (स्टार लाइन, शयनयान एवं लक्जरी बसों) को किराये पर लेने के लिए बोलियां (जुलाई एवं दिसंबर 2016) आमंत्रित की।

- आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा 7 का अनुपालन नहीं किया गया था, क्योंकि निगम ने संघ के अंतर्गत ठेकेदार ब से तकनीकी बोली स्वीकार (जुलाई 2016) की, जो कम्पनी अधिनियम या समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं था, जैसा कि 2016-17 के बोली अभिलेखों के तकनीकी योग्यता हेतु सामान्य शर्तों के वाक्यांश बी की तकनीकी अर्हता में उल्लेखित था।
- आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा 7, आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 39 एवं बोली अभिलेखों के नियम एवं शर्तों की अनुपालना नहीं की गई थी, क्योंकि निगम लक्जरी बसों को किराए पर लेने का अनुबंध ठेकेदार अ (एक संघ) के पक्ष में दे दिया (दिसंबर 2016) जबकि बोली ठेकेदार स द्वारा प्रस्तुत (जुलाई 2016) की गई थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि ठेकेदार स द्वारा बोली प्रस्तुत करने के पश्चात ठेकेदार अ को रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, जयपुर के यहां पंजीकृत (24 नवम्बर 2016) किया गया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि फर्म द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से पंजीकरण कराने के पश्चात ही आशय पत्र जारी किया गया था। उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं था कि बोली ठेकेदार अ द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी।

**आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 56** में यह प्रावधान है कि प्रापण संस्था द्वारा गठित बोली मूल्यांकन समिति, खोली गई बोलियों की प्रारंभिक जांच प्रथम दृष्टया प्रतिक्रिया का आंकलन एवं यह सुनिश्चित करने के लिए करेगी कि (ए) बोली अभिलेखों में अनुसूचित आवश्यकताओं के अनुसार बोली पर हस्ताक्षर किए गए हैं; (बी) बोली अभिलेखों में दिए गए निर्देशों के अनुसार बोली को मुहरबंद कर दिया गया है; (सी) बोली अभिलेखों में निर्दिष्टतानुसार अवधि के लिए बोली मान्य है; (डी) बोली सुरक्षा अथवा बोली सुरक्षा घोषणा के साथ है; (ई) बोली बिना शर्त है एवं बोलीदाता आवश्यक निष्पादन सुरक्षा राशि देने के लिए सहमत हो गया है; एवं (एफ) अन्य शर्तें, जो कि बोली अभिलेखों में निर्दिष्ट हैं, पूर्ण हो चुकी हैं।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम ने नियम की अनुपालना नहीं की थी क्योंकि इसने ब्लू लाइन बसों के 49 बोलीदाताओं (59 बोलीदाताओं में से) एवं स्टार लाइन बसों के 42 बोलीदाताओं (43 बोलीदाताओं में से) से तकनीकी योग्यता के लिए 'प्रस्ताव के अनुरोध' (आरएफपी) के अनुसार आवश्यक अभिलेख प्राप्त किये बिना ही वित्तीय बोली खोल (6 जनवरी 2017) ली एवं इन सभी बोलीदाताओं को अनुबंध (जनवरी 2017) प्रदान कर दिये गये।

**आरटीपीपी नियम के नियम 75** में यह प्रावधान है कि इस नियम के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रकार (अनुसूचित बैंक के सावधि जमा रसीद (एफडीआर) सहित) में से किसी एक में निष्पादन सुरक्षा दी जाएगी। इस नियम के उप नियम (ई) ने यह प्रदान किया कि बोलीदाता के पेटे यह प्रापण इकाई के नाम पर होगी एवं बोलीदाता द्वारा अग्रिम में इसे मुक्त कर दिया जायेगा। प्रापण इकाई एफडीआर को स्वीकार करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोलीदाता द्वारा बैंक का एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रापण संस्था की मांग पर संबंधित बोलीदाता की सहमति के बिना एफडीआर का भुगतान/ समय से पूर्व भुगतान कर दिया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2015-17 के दौरान निगम ने आरटीपीपी नियमों के तहत आवश्यकतानुसार भुगतान/ समय से पूर्व भुगतान करने के लिए जारीकर्ता बैंक से शपथ पत्र प्राप्त किए बिना ही बोलीदाताओं से निष्पादन सुरक्षा को एफडीआर के रूप में स्वीकार किया।

अनुबंध-16

(पृष्ठ संख्या 105 पर अनुच्छेद संख्या 4.20 में संदर्भित)

2015-16 एवं 2016-17 के दौरान बसों को किराये पर लेने में अनियमितताओं/कमी के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

**किराये की बसों के आपूर्ति हेतु अनुचित समय विस्तार (2015-16)**

निगम ने 400 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों को किराये पर लेने के लिए निविदा आमंत्रित की (अगस्त 2015)। निगम को 18 बोलीदाताओं से 240 बसों के लिए बोली प्राप्त हुई (सितम्बर 2015) एवं तदनुसार, निगम द्वारा ₹ 7.11 प्रति किमी से ₹ 7.90 प्रति किमी तक की दरों पर समस्त 18 बोलीदाताओं को 240 बसों के लिए एलओआई जारी की गई थी (27 जनवरी 2016)। बोली प्रपत्रों में वित्तीय बोली के नियम एवं शर्तों के खंड III एवं IV में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है कि ठेकेदारों द्वारा सुपुर्द की जाने वाली बसों की बस बॉडी का निर्माण एआईएस052 का बस कोड मान्यता प्रमाण पत्र रखने वाले बस बॉडी निर्माताओं द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, खण्ड VI के अनुसार एलओआई की तिथि से 120 दिनों के भीतर बसों को आपूर्ति कि जानी थी तथा बसों को निर्धारित अवधि के भीतर सुपुर्द नहीं की जाने की स्थिति में 15 दिन तक प्रति बस ₹ 1000 प्रति दिन की दर से एवं तत्पश्चात प्रति बस ₹ 1500 प्रतिदिन की दर से शास्ति लगाई जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सात ठेकेदारों ने निर्धारित समय-सारणी से छः से 55 दिनों के विलम्ब से 105 बसें आपूर्ति की गईं एवं निगम ने इन ठेकेदारों से ₹ 33.64 लाख की शास्ति वसूल की। तत्पश्चात, इन ठेकेदारों ने बस बॉडी निर्माताओं के पास एआईएस052 मान्यता प्रमाण-पत्र की अनुपलब्धता के आधार पर समय के विस्तार के लिए अनुरोध किया (मई एवं जून 2016)। प्रकरण को प्रबंधन के समक्ष रखा गया था (मार्च 2017), जिसमें आपूर्ति की अवधि में 150 दिनों तक वृद्धि करने का निर्णय किया गया था (अप्रैल 2017)। संशोधित आपूर्ति अवधि पर विचार करने के पश्चात, दो ठेकेदारों से संबंधित केवल 17 बसों के लिए यथा एक ठेकेदार से संबंधित 15 बसों<sup>8</sup> एवं अन्य ठेकेदार से संबंधित दो बसों<sup>9</sup> के विलम्ब की गणना की गई एवं तदनुसार, वसूली योग्य राशि को मात्र ₹ 2.39 लाख तक कम कर दिया गया एवं शेष राशि ₹ 31.25 लाख वापस कर दी गयी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम इस प्रकरण पर निर्णय करने में तत्पर नहीं था क्योंकि 105 बसों के विलम्ब से प्राप्त होने के नौ महीने के पश्चात आपूर्ति समयसूची में विस्तार प्रदान किया गया था। साथ ही, समय विस्तार तर्कसंगत नहीं था क्योंकि सात दोषी ठेकेदारों में से छह (एक ठेकेदार को छोड़कर जिसने निर्धारित अवधि में 5 बसों की आपूर्ति की थी) ने 100 बसों की आदेशित मात्रा के समक्ष निर्धारित अवधि के भीतर एक भी बस की आपूर्ति नहीं की थी, जबकि अन्य ग्यारह ठेकेदारों ने 130 बसों की पूर्ण आदेशित मात्रा की आपूर्ति नियत समयवधि में कर दी थी। इसके अतिरिक्त, बोलीदाता/ठेकेदार निविदा में भाग लेते समय इस नियम से अवगत थे कि बस बॉडी का निर्माण एआईएस052 मान्यता प्रमाणपत्र के अनुसार किया जाना है। इस प्रकार, दोषी आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित समय विस्तार प्रदान करने के कारण ₹ 31.25 लाख की शास्ति की कम वसूली हुई।

<sup>8</sup> 10 बसों के लिए पांच दिवस एवं 5 बसों के लिए 25 दिवस

<sup>9</sup> प्रत्येक बस के लिए 18 दिवस

सरकार ने कहा कि एलओआई जारी करने की तिथि पर, आवश्यक मान्यता प्रमाण पत्र धारूहेडा, गुड़गांव में स्थित केवल एक बस बॉडी निर्माता के पास था। साथ ही, पांच बस बॉडी निर्माताओं को 31 मार्च 2016 को राजस्थान में यह प्रमाण पत्र मिला। इसलिए, अपरिहार्य कारणों, यथा अपेक्षित बस बॉडी निर्माताओं की अनुपलब्धता के कारण विलंब पर विचार करते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर आपूर्ति समय में विस्तार प्रदान किया गया था। उत्तर आश्वासनीय नहीं था क्योंकि निगम एवं बोलीदाता दोनों निविदा आमंत्रण के समय बस बॉडी के निर्माण की अनिवार्य शर्त/मानक के संबंध में अवगत थे। साथ ही, निगम ने ऐसा कोई भी प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया था जो निर्धारित मान्यता प्रमाण पत्र रखने वाले बस बॉडी फैब्रिकेटर की अनुपलब्धता के इसके दावे का समर्थन करता हो।

### **बसों को किराये पर लेने में अनियमितताएँ (2016-17)**

निगम ने 800 बसों (अर्थात् 500 ब्लू लाइन बसों, 200 स्टार लाइन बसों एवं 100 शयनयान बसों) को किराये पर लेने के लिए निविदाएं आमंत्रित (दिसम्बर 2016) की। निगम ने 741 बसों (अर्थात् 500 ब्लू लाइन बसों, 205 स्टार लाइन बसों एवं 36 शयनयान बसों) के लिए सफल बोलीदाताओं/ठेकेदारों को आशय पत्र (एलओआई) जारी (जनवरी एवं फरवरी 2017) किये। एलओआई के नियम एवं शर्तों के अनुसार, ठेकेदारों को एलओआई जारी होने से 120 दिनों की अवधि के भीतर आदेशित बसों की आपूर्ति करनी थी। इसके अतिरिक्त, लागू शास्त्र के साथ और 30 दिनों तक आपूर्ति को स्वीकार किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इनमें से आठ ठेकेदारों ने निगम प्रबंधन के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत (अप्रैल एवं मई 2017) किया तथा इस आधार पर कि भारत सरकार/राजस्थान सरकार ने बीएस III के वाहनों पर 1 अप्रैल 2017 से प्रतिबंध लगाने एवं बीएस IV वाहनों के चेसिस उपलब्ध नहीं होने एवं राज्य में एआईएस 052 के मान्यता प्रमाण पत्र रखने वाले निर्माताओं की सीमित संख्या होने के कारण आदेशित 248 बसों की आपूर्ति अवधि का विस्तार 17 मई 2017/15 जून 2017 से 31 जुलाई 2017 तक करने के लिए निवेदन किया। इस परिदृश्य में, अभियांत्रिकी अनुभाग ने अवगत (मई 2017) कराया कि निगम द्वारा नियोजित अनुसूचियों से कम अनुसूचियों पर परिचालन करने के कारण आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये, निगम में 4730 बसों (930 किराए पर बसों सहित) की संख्या पर्याप्त थी। तदनुसार, यातायात अनुभाग ने बीएस III वाहन उपलब्ध नहीं करवाए जाने के कारण, बोली शर्तों के उल्लंघन के आधार पर इन आठ ठेकेदारों को जारी 234 बसों की एलओआई को निरस्त (22 मई 2017) कर दिया। तत्पश्चात, संबंधित ठेकेदारों द्वारा अभ्यावेदन पर निगम ने उन 169 बसों के लिए एलओआई को पुनर्स्थापित (अक्टूबर 2017) किया जो आपूर्ति/अनुबंध की अंतिम तिथि से पहले पंजीकृत थे, जिनको एलओआई निरस्त करने से पहले ही निष्पादित किया गया था।

इस संबंध में, निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

- अक्टूबर, 2016 से मार्च 2019 (सितंबर एवं अक्टूबर 2018 के हड़ताल के महीनों के अतिरिक्त) के दौरान कुल परिचालित अनुसूचियों एवं उपयोग की गयी बसों की औसत संख्या क्रमशः 3747 व 4270 अनुसूचियां एवं 3736 व 4437 बसों के मध्य थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि निगम ने पूर्व में ही आंकलित (3 अक्टूबर 2016) किराए पर ली गई बसों (500 ब्लू लाइन बसों सहित) की आवश्यकता का विश्लेषण नहीं किया क्योंकि अपनी प्रारंभिक आवश्यकता के आंकलन एवं किराए पर लेने की प्रक्रिया प्रारम्भ (दिसंबर 2016) करने के पश्चात, निगम ने 500 नई ब्लू लाइन बसों के क्रय के लिए राजस्थान सरकार से अनुमोदन प्राप्त (जनवरी 2017) किया एवं प्रस्तावित क्रय के लिए ₹ 100 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण भी प्राप्त (फरवरी 2017) किया। इसके उपरान्त भी निगम ने पांच वर्षों की महत्वपूर्ण अवधि के लिए 800

बसों (500 ब्लू लाइन बसों सहित) को किराये पर लेने की प्रक्रिया जारी रखी। इस प्रकार, किराए पर बसों को लेने की आवश्यकता में कटौती न करने से निगम के पास अतिरिक्त बसों की उपलब्धता हुई, जो इस तथ्य से स्पष्ट था कि अक्टूबर 2016 से निगम के पास उपलब्ध बसों की संख्या (स्वामित्व + किराये पर) वास्तव में उपयोग की जाने वाली बसों की औसत संख्या से बहुत अधिक बनी हुई है।

- 234 एलओआई निरस्त करना दोषपूर्ण था क्योंकि यह अनुसूचित आपूर्ति अवधि समाप्त होने से पहले किया गया था जिसके कारण निगम को एलओआई पुनर्स्थापित करने पड़े एवं बिना आवश्यकता के 169 बसों की आपूर्ति को स्वीकार करना पड़ा।
- शेष 65 बसों में से, निगम ने 27 अन्य बसों की एलओआई विलम्ब से पुनर्स्थापित (नवंबर 2017) कर दी एवं आपूर्ति में विलम्ब (अर्थात् निर्धारित अवधि की अंतिम तिथि से संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करने तक) के लिए लागू शास्त्र सहित आपूर्ति स्वीकार कर ली। यह इंगित करता था कि निगम प्रकरण पर निर्णय लेने में तत्पर एवं विवेकपूर्ण नहीं था। इसके अतिरिक्त, निगम ने शेष निरस्त 38 आशय पत्रों से संबंधित ₹ 19 लाख की बयाना जमा राशि को जब्त नहीं किया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा (मई 2020) कि 234 बसों की एलओआई, भारत सरकार द्वारा बीएस- III मॉडल की बसों पर प्रतिबंध लगाये जाने, राज्य में एआईएस052 मान्यता प्रमाणपत्र रखने वाले निर्माताओं की अनुपलब्धता एवं बीएस- IV मॉडल की बसों की अनुपलब्धता को देखते हुए समिति द्वारा निरस्त की गई थी। तत्पश्चात् संबंधित बोलीदाताओं से निविदा में वर्णित तिथि से पूर्व दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ बसों की उपलब्धता की सूचना प्राप्त होने पर 196 बसों की एलओआई पुनर्स्थापित की गई थी। तथापि, उत्तर आक्षेप में उजागर की गई कमियों पर मौन था।

#### **दोषी ठेकेदार की प्रतिभूति जमा को जब्त करने का अभाव**

निगम एवं निजी बस मालिकों/ठेकेदारों के मध्य बसों को किराए पर लेने के लिए निष्पादित अनुबंध के वाक्यांश 22 के अनुसार संचालक अनुबंध अवधि के दौरान किराए पर लगाये गये वाहन का हस्तान्तरण/विक्रय नहीं कर सकेगा एवं ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जो निगम के हित के विरुद्ध होगी। यदि संचालक इन शर्तों का पालन नहीं करता है, तो अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा एवं निगम बकाया/प्रतिभूति जमा को जब्त कर सकता है।

चयनित आगारों के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने कोटा आगार में एक प्रकरण देखा, जहां एक ठेकेदार ने अनुबंध के नियमों व शर्तों के उल्लंघन में पूर्व सूचना एवं निगम की सहमति एवं अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना संविदा पर किराए पर लिए गए छह वाहनों को निगम को उपलब्ध (मई 2017 एवं जुलाई 2018) नहीं करवाया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित आगार ने यद्यपि इन बसों के लिए सभी छह करारों को निरस्त (जुलाई 2017 तथा अगस्त 2018) कर दिया, परन्तु इसने ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए ₹ 18.38 लाख की प्रतिभूति जमा को सितम्बर 2019 तक जब्त नहीं किया था। साथ ही, निगम ने द्वारा 2014-19 के दौरान निरस्त किए गए अनुबंधों के साथ-साथ ऐसे ठेकेदारों से जब्त प्रतिभूति जमा के विवरण की सूचना प्रदान नहीं की थी।

उत्तर में सरकार ने कोटा आगार सहित चार आगारों द्वारा जब्त राशि का विवरण प्रदान किया। इसने आगे बताया कि निगम शेष आगारों से सूचना प्राप्त कर रहा है जो कि संकलित कर लेखापरीक्षा को प्रदान की जायेगी।



### 2016-17 के दौरान बसों को किराये पर लेने में अन्य अनियमितताएं

वर्ष 2016-17 के दौरान 800 बसों को किराये पर लेने के संबंध में अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- निगम ने इच्छुक बोलीदाताओं के साथ बोली पूर्व बैठक के दौरान स्टार लाइन बसों के चेसिस की लंबाई में कारणों को दर्ज किए बिना कमी की अनुमति दी (दिसंबर 2016)। इससे बैठने के स्थान एवं इन बसों के यात्रियों के आराम में कमी आई।
- संबंधित निम्न अधिकार समिति द्वारा बनाया गया तुलनात्मक विवरण पत्र (जनवरी 2017) इसके सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था। साथ ही, वित्तीय बोलियों की प्रतियां भी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा में वित्तीय बोली की प्रमाणिकता सत्यापित नहीं की जा सकी। समापन सभा के दौरान प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं भविष्य में आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
- 800 बसों को किराए पर लेने के लिए बोली प्रपत्र के अंतर्गत वित्तीय बोली के नियम एवं शर्तों के वाक्यांश 5 में प्रावधित था कि निगम के निरीक्षण दल द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन बस बॉडी का निरीक्षण दो चरणों (संरचना/अंतिम) में किया जाना था। तथापि, निगम ने ऐसे निरीक्षण प्रतिवेदन/अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये थे जो इस बात की पुष्टि कर सके कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपेक्षित निरीक्षण किए गए थे। अपेक्षित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अभाव में, निर्धारित मापदंडों/मानकों के अनुसार बसों की गुणवत्ता एवं डिजाइन का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका। समापन सभा के दौरान प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि भविष्य में निरीक्षण मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
- निगम किसी भी दुर्घटना या विवाद के मामले में किराए पर ली गयी बसों की स्पष्ट रूप से पहचान किये जाने एवं यात्रियों/कर्मियों/तृतीय पक्षकारों को देय नुकसान/क्षतिपूर्ति के लिए ठेकेदार को उत्तरदायी ठहराये जाने को सुनिश्चित नहीं किया था।

सरकार ने कहा कि वाहनों को मार्ग विशेष के लिए तय नहीं किया गया है एवं किसी भी मार्ग पर परिचालित किया जा सकता है। इसने आगे कहा कि अंतर्राज्यीय सेवाओं के लिए किए गए करारों के अनुसार किराए पर ली गई बसों का परिचालन अन्य राज्यों में नहीं किया जा सकता, अतः किराये पर ली गई बसों पर 'अनुबंधित' शब्द का उल्लेख नहीं है। उत्तर यह इंगित करता है कि निगम ने अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसों के परिचालन के लिए किए गए करारों के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया है। साथ ही, निगम को यात्रियों नागरिकों को दुर्घटना/विवाद के मामले में एक पक्ष बनाने की स्थिति में भुगतान करना होगा एवं तत्पश्चात ठेकेदार से राशि की वसूली के लिए प्रतीक्षा करनी होगी।

अनुबंध-17

(पृष्ठ संख्या 106 पर अनुच्छेद 4.22 में संदर्भित)

2014-19 के दौरान निजी बंस संचालक/ठेकेदार को अनुमत्य किया गया अतिरिक्त भुगतान/डीजल उपभोग को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	आगार	अतिरिक्त डीजल उपभोग के लिए वसूली योग्य राशि	अधिक भुगतान के लिए वसूली योग्य राशि	कुल वसूली योग्य राशि
अ	अनाधिक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त डीजल			
1	अजयमेरु	493813	0	493813
ब	प्रचलित बाजार दरों की से कम दरों पर अधिक डीजल उपभोग की वसूली			
2	सिरोही	93203	0	93203
स	द्वितीय बार यंत्रदोष के लिए अतिरिक्त डीजल / भुगतान			
3	सीकर	1443000	364000	1807000
4	लोहागढ़	33000	0	33000
5	हनुमानगढ़	117000	68000	185000
6	डुंगरपुर	17000	0	17000
7	बांसवाड़ा	30888	21148	52036
8	कोटा	18047	0	18047
9	हिण्डौन	33356	0	33356
10	करोली	0	8313	8313
11	टोंक	101285	69346	170631
	<b>कुल</b>	<b>2380592</b>	<b>530807</b>	<b>2911399</b>

## अनुबंध-18

(पृष्ठ संख्या 109 पर अनुच्छेद 4.25 में संदर्भित)

2014-15 से 2018-19 के दौरान बसों की वाहन उत्पादकता को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

वर्ष	वाहन उत्पादकता (किमी प्रति दिन)			
	सकल रूप से निगम			चयनित 15 आगारों में स्वयं के वाहन
	स्वयं के वाहन	किराए के वाहन	कुल औसत	
2014-15	390	539	397	314-531
2015-16	396	541	402	309-495
2016-17	381	520	393	314-493
2017-18	361	497	388	288-524
2018-19 (अंतिम)	363	486	392	208-455

अनुबंध-19

(पृष्ठ संख्या 123 पर अनुच्छेद 5.1.3 में संदर्भित)

राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29, 30, 31 एवं 32-जी के विभिन्न प्रावधानों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

**धारा 29 चूक के प्रकरण में वित्त निगम के अधिकार**

- (1) जहां कोई औद्योगिक इकाई, जो कि एक अनुबन्ध के अंतर्गत वित्त निगम के प्रति उत्तरदायी है, किसी ऋण अथवा अग्रिम अथवा उसकी कोई किश्त के पुनर्भुगतान में चूक करने पर अथवा निगम द्वारा दी गई किसी गारण्टी के सम्बन्ध में इसके दायित्वों का निर्वहन करने में अथवा वित्त निगम के साथ हुये इसके अनुबन्ध की शर्तों की अनुपालना में अन्यथा विफल रहने पर, वित्त निगम को औद्योगिक इकाई का प्रबन्धन अपने हाथ में लेने अथवा अधिग्रहण अथवा दोनों के अधिकार के साथ ही साथ लीज अथवा विक्रय द्वारा हस्तान्तरण का अधिकार एवं वित्त निगम को रेहन, गिरवी, बन्धक अथवा सुपुर्द की गई सम्पत्ति से वसूली का अधिकार है।
- (2) उप-धारा (1) के अंतर्गत इसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुये, वित्त निगम द्वारा किये गये सम्पत्ति के किसी हस्तान्तरण से हस्तान्तरित सम्पत्ति के सभी अधिकार हस्तान्तरिती में उसी प्रकार निहित होंगे जैसे कि उक्त सम्पत्ति स्वामी द्वारा हस्तान्तरित की गई हो।
- (3) वित्त निगम को इसके द्वारा प्रतिभूति के रूप में रखे गये माल से, निर्मित अथवा पूर्ण अथवा आंशिक उत्पादित माल के सम्बन्ध में वही अधिकार व शक्तियाँ होंगी, जैसा कि यह मूल माल के सम्बन्ध में रखता था।
- (4) जहां उप-धारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी औद्योगिक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई हो, सभी लागतें, प्रभार एवं व्यय, जो कि उस तक प्रासंगिक रूप में, वित्त निगम की राय में इसके द्वारा उचित रूप से किये गये हों, औद्योगिक इकाई से वसूलनीय होंगे एवं राशि जो कि इसके द्वारा प्राप्त की गई हो, किसी संविदा की प्रतिकूलता के अभाव में, इसके द्वारा सद्-विश्वास में रखी जायेगी जो कि प्रथमतः ऐसी लागतों, प्रभारों एवं व्ययों के भुगतान में, एवं द्वितीय वित्त निगम को देय ऋण के निस्तारण में, एवं ऐसी प्राप्त राशि का शेष इसके हकदार व्यक्ति को भुगतान किया जायेगा।
- (5) जहां वित्त निगम उप-धारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत एक औद्योगिक इकाई के विरुद्ध कोई कार्यवाही करता है, वित्त निगम इकाई द्वारा अथवा इसके विरुद्ध मुकदमे के उद्देश्य हेतु ऐसी इकाई का स्वामी होगा, एवं इकाई के नाम से मुकदमा कर सकेगा तथा इस पर मुकदमा किया जा सकेगा।

**धारा 30 नियत अवधि से पूर्व पुनर्भुगतान मांगे जाने की शक्ति**

किसी अनुबन्ध में कोई प्रतिकूल प्रावधान होने के उपरान्त भी, वित्त निगम लिखित में नोटिस द्वारा, किसी औद्योगिक इकाई को, जिसे इसने ऋण अथवा अग्रिम प्रदान किया है, वित्त निगम के प्रति इसके उत्तरदायित्वों को पूर्ण रूप से तुरन्त निस्तारण करने हेतु कह सकता है,

(ए) यदि मण्डल को यह प्रतीत होता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा, इसके ऋण अथवा अग्रिम हेतु आवेदन-पत्र में, किसी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, असत्य अथवा भ्रामक सूचना प्रदान की गई है; अथवा

(बी) यदि औद्योगिक इकाई, वित्त निगम के साथ ऋण अथवा अग्रिम के संबंध में, इसकी संविदा की शर्तों की अनुपालना में असफल रहती है; अथवा

(सी) यदि इस बात की तर्कसंगत आशंका है कि औद्योगिक इकाई इसके ऋणों के भुगतान में असमर्थ है अथवा उसके समापान की कार्यवाही प्रारम्भ हो सकती है; अथवा

(डी) यदि वित्त निगम को ऋण अथवा अग्रिम हेतु प्रतिभूति के रूप में रेहन, गिरवी, बन्धक अथवा सुपुर्द की गई सम्पत्ति का बीमा नहीं है एवं वित्त निगम की सन्तुष्टि तक औद्योगिक इकाई द्वारा बीमित नहीं रखी गई है अथवा इस सीमा तक मूल्य में ह्रास हुआ है कि मण्डल की राय में, मण्डल की सन्तुष्टि हेतु अतिरिक्त प्रतिभूति प्रदान की जानी हो एवं ऐसी प्रतिभूति नहीं दी गई हो; अथवा

(ई) यदि, मण्डल की अनुमति के बिना, कोई मशीनरी, संयंत्र अथवा अन्य उपकरण, जो प्रतिभूति अथवा अन्यथा के भाग के रूप में हों, बिना पुर्नस्थापना के औद्योगिक इकाई के परिसर से हटा दिये गये हों; अथवा

(एफ) यदि किसी कारण से, वित्त निगम के हितों की सुरक्षा हेतु यह आवश्यक हो।

**धारा 31 वित्त निगम द्वारा दावों के प्रवर्तन हेतु विशेष प्रावधान**

जहां एक औद्योगिक इकाई, किसी अनुबन्ध के उल्लंघन में, किसी ऋण अथवा अग्रिम अथवा इसकी किसी किश्त के पुनर्भुगतान में कोई चूक करती है अथवा निगम द्वारा दी गई किसी गारण्टी के सम्बन्ध में दायित्वों का निर्वहन करने में अथवा वित्त निगम के साथ इसके अनुबन्ध की शर्तों की अनुपालना में अन्यथा विफल रहने पर अथवा जहां वित्त निगम ने धारा 30 के अंतर्गत औद्योगिक इकाई को किसी ऋण अथवा अग्रिम के तुरन्त पुनर्भुगतान करने हेतु कहा हो एवं औद्योगिक इकाई ऐसा पुनर्भुगतान करने में असफल रही हो, तब इस अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों एवं सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 69 के प्रावधानों पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना, इस सम्बन्ध में मण्डल द्वारा सामान्यतः अथवा विशेष रूप से अधिकृत वित्त निगम का कोई अधिकारी, जिला न्यायाधीश, जिसके अधिकार-क्षेत्र की सीमाओं के भीतर औद्योगिक इकाई इसके व्यवसाय का सम्पूर्ण अथवा सारभूत भाग संचालित करती है, के पास निम्नानुसार एक अथवा अधिक राहतों हेतु आवेदन कर सकता है;

(ए) ऋण अथवा अग्रिम हेतु प्रतिभूति के रूप में, वित्त निगम के पास रेहन, गिरवी, बन्धक अथवा सुपुर्द की गई सम्पत्ति के विक्रय के लिये आदेश हेतु; अथवा

(एए) किसी प्रतिभू के दायित्व के प्रवर्तन हेतु; अथवा

(बी) औद्योगिक इकाई का प्रबन्धन वित्त निगम को हस्तान्तरित करने हेतु; अथवा

(सी) औद्योगिक इकाई को इसकी मशीनरी अथवा संयंत्र अथवा उपकरण मण्डल की अनुमति के बिना औद्योगिक इकाई के परिसर से हस्तान्तरित करने अथवा हटाने से प्रतिबन्धित करने हेतु अन्तरिम आदेश हेतु, जहां इसे हटाये जाने की आशंका हो।

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत किये जाने वाले आवेदन में, वित्त निगम के प्रति औद्योगिक इकाई के दायित्व की प्रकृति एवं सीमा, आवेदन पत्र का आधार एवं अन्य आवश्यक विवरण सम्मिलित होंगे।

**धारा 32जी वित्त निगम को देय राशि की भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली**

जहां वित्त निगम द्वारा किसी औद्योगिक इकाई को प्रदत्त सहायता के सम्बन्ध में इसको कोई राशि देय है, वित्त निगम अथवा इसके द्वारा, इस सम्बन्ध में लिखित में, अधिकृत कोई व्यक्ति, वसूली के किसी अन्य तरीके पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना इसको देय राशि की वसूली हेतु राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा, एवं यदि राज्य सरकार अथवा ऐसा प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट किया हो, ऐसी निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात सन्तुष्ट है तो इस प्रकार देय राशि हेतु यह जिलाधीश को एक प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा एवं जिलाधीश उस राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने हेतु कार्यवाही करेगा।

**अनुबंध-20**

(पृष्ठ संख्या 136 पर अनुच्छेद 5.1.15 में संदर्भित)

**31 मार्च 2019 को निगम के कब्जे में स्थित ऋणी इकाइयों का विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ऋणी इकाई का ऋण खाता संख्या	शाखा कार्यालय	कब्जे की तिथि	बकाया देय				
				अदेय मूलधन	देय मूलधन	ब्याज	अन्य राशि	कुल
1	2505010688	जयपुर (दक्षिण)	15 सितम्बर 2011	0.00	1.21	0.06	0.07	1.34
2	2705194489 (सीआरई क्षेत्र)	जयपुर (दक्षिण)	15 जनवरी 2010	0.00	9.00	43.78	0.71	53.49
3	3205953679 (सीआरई क्षेत्र)	भिवाड़ी	2 फरवरी 2016	0.00	6.78	7.27	0.05	14.10
4	2705195365 एवं 2705195367	जयपुर (केन्द्रीय)	8 जुलाई 2015	0.03	0.87	1.26	0.00	2.16
5	0605061149 एवं 0605011150	भीलवाड़ा	2 नवम्बर 1987	0.00	0.11	0.13	0.04	0.28
6	2205017031	सीकर	5 अक्टूबर 1988	0.00	0.02	0.03	0.01	0.06
7	0205010188	अलवर	6 अक्टूबर 1988	0.00	0.07	0.23	0.01	0.31
8	0105016222 एवं 0105016269	किशनगढ़	20 अक्टूबर 1999	0.00	0.01	0.03	0.12	0.16
9	2705192835 (सीआरई क्षेत्र)	जयपुर (केन्द्रीय)	28 नवम्बर 2016	0.00	5.28	3.94	0.04	9.26
10	3005610915	जयपुर (उत्तर)	12 मार्च 2015	0.00	0.03	0.00	0.04	0.07
11	0605012892, 0605192887, 0605192888, 0605192889, 0605612886 एवं 0605612890	भीलवाड़ा	11 अप्रैल 2008	0.00	4.78	1.78	0.83	7.39
12	0305013480	बांसवाड़ा	18 नवम्बर 1997	0.00	0.08	0.00	0.02	0.10
13	3205014907 एवं 3205014898	भिवाड़ी	18 दिसम्बर 2003	0.00	0.82	0.42	0.13	1.37
14	2605016748 एवं 2605016764	उदयपुर	28 जनवरी 2004	0.00	0.08	0.15	0.00	0.23
15	1705017999	जोधपुर	21 जून 2005	0.00	0.09	0.23	0.13	0.45
16	3005157221 एवं 3005017219	जयपुर(केन्द्रीय)	20 अप्रैल 2006	0.09	0.41	0.29	0.17	0.96
17	3605017373 एवं 3605017379	हनुमानगढ़	1 मार्च 2008	0.00	0.06	0.04	0.00	0.10
18	2705197314 (सीआरई क्षेत्र)	जयपुर (दक्षिण)	23 फरवरी 2010	1.27	1.13	10.95	0.17	13.52
19	2705010302 (सीआरई क्षेत्र)	जयपुर(केन्द्रीय)	23 मार्च 2010	0.00	7.26	34.65	0.20	42.11
20	3205011219	भिवाड़ी	15 नवम्बर 2010	0.00	0.02	0.12	0.06	0.20
21	2505016243	जयपुर (दक्षिण)	5 जनवरी 1993	0.00	0.05	0.03	0.01	0.09

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

क्र. सं.	ऋणी इकाई का ऋण खाता संख्या	शाखा कार्यालय	कब्जे की तिथि	बकाया देय				
				अदेय मूलधन	देय मूलधन	ब्याज	अन्य राशि	कुल
22	1405017042	पाली	11 जनवरी 2007	0.00	0.07	0.33	0.05	0.45
23	0505013823	भरतपुर	29 जून 2018	0.00	0.10	0.49	0.02	0.61
24	4005013024, 4005953028, 4005213032 एवं 4005353030	दौसा	20 अगस्त 2018	0.07	0.02	0.02	0.00	0.11
25	4005148837 एवं 4005158838	दौसा	14 अगस्त 2018	0.00	0.05	0.04	0.00	0.09
26	205211506	अलवर	26 दिसम्बर 2018	0.62	0.06	0.05	0.00	0.73
27	2105210720	सवाई माधोपुर	5 मार्च 2019	0.08	0.03	0.02	0.00	0.13
28	4305218772	किशनगढ़	26 मार्च 2019	0.00	0.33	0.09	0.00	0.42
	<b>कुल</b>			<b>2.16</b>	<b>38.82</b>	<b>106.43</b>	<b>2.88</b>	<b>150.29</b>



## अनुबंध-21

(पृष्ठ संख्या 139 पर अनुच्छेद 5.1.18 में सन्दर्भित)

चूक करने वाले ऋणियों को बारम्बार अवसर प्रदान करने से ऋणों की वसूली में बाधा के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

**ऋणी इकाई (ऋण खाता संख्या: 4605015611)**

निगम ने ऋणी को ₹ 30 लाख का ऋण स्वीकृत किया (जनवरी 1991)। ऋण के पुनर्भुगतान में चूक के कारण, निगम ने अप्रैल 2002 एवं अप्रैल 2005 में ऋण को पुनर्निर्धारित किया परन्तु ऋणी ने संशोधित समय सूची का भी पालन नहीं किया था। निगम ने इकाई को अपने कब्जे में ले लिया (सितंबर 2006), परन्तु बिना किसी नीलामी के इसे ऋणी को वापस सौंप दिया गया (अक्टूबर 2006)। बाद में, निगम ने एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत ऋणी को एक कानूनी नोटिस जारी किया (जुलाई 2014), परन्तु ऋणी ने अपेक्षित बकाया राशि जमा नहीं की थी। निगम ने विलम्ब से इकाई को कब्जे में ले लिया (मार्च 2015) परन्तु इकाई को किसी बकाया राशि को जमा किये बिना उसी समय ऋणी को वापस सौंप दिया गया था। एक अन्य कानूनी नोटिस जारी (अगस्त 2016) करने के पश्चात, ऋणी ने राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) के समक्ष निपटारे के लिए प्रकरण दर्ज करने का अनुरोध किया (नवंबर 2016)। तदनुसार, प्रकरण एसएलसी द्वारा निपटारे के लिए दर्ज किया गया था, तथापि, प्रकरण का निपटारा प्रतीक्षित है। मार्च 2019 तक ऋणी की कुल बकाया राशि ₹ 90.31 लाख<sup>10</sup> थी। इकाई से संबंधित प्राथमिक प्रतिभूति के एमआरवी का आंकलन (मार्च 2018) ₹ 112.36 लाख<sup>11</sup> था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम ने ऋणी को निरंतर चूक के उपरान्त भी ऋण चुकाने के कई अवसर प्रदान किए। इसके परिणामस्वरूप, निगम ऋण प्रदान करने से 26 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी ऋण की वसूली नहीं कर सका। साथ ही, निगम निपटारे के लिए इसके पंजीकरण से ढाई वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रकरण का निपटान नहीं कर सका। यह इंगित करता है कि निगम चूककर्ता ऋणी के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही करके अथवा एसएलसी के माध्यम से बकाया ऋण बकाया का निपटान करके अपने बकाया की वसूली के लिए तत्पर नहीं था।

निगम ने तथ्यों (मई 2019) को स्वीकार करते हुए कहा कि निगम के मुख्यालय स्तर पर जारी निर्देशों के कारण इकाई को दो बार अपने कब्जे में लेने के उपरान्त भी नीलामी में नहीं लगाया जा सका। ऋणी ऋण खाते का निपटान करने का इच्छुक नहीं है तथा सभी संभावित लाभ अनुमत करते हुए खाते का पुनर्निर्धारण करने के उपरान्त भी बकाया के पुनर्भुगतान के लिए भी सहमत नहीं हुआ। तत्पश्चात, सरकार ने कहा (नवंबर 2019) कि प्रकरण ऋण के निपटान के लिए एसएलसी के समक्ष रखा जाएगा।

तथ्य यही रहा कि निगम ने न केवल इकाई के कब्जा वापस देते समय ऋणी के निरंतर चूक को अनदेखा किया, बल्कि बकाया की वसूली के लिए त्वरित कार्यवाही का भी अभाव था। इसके परिणामस्वरूप बकाया राशि की वसूली आदिनांक नहीं हो पायी।

(शाखा कार्यालय, भिवाड़ी)

10 अतिदेय मूलधन: ₹ 15.09 लाख + नियमित ब्याज: ₹ 17.18 लाख + अतिदेय एवं शास्ति ब्याज: ₹ 58 लाख + अन्य राशि: ₹ 0.04 लाख।

11 भूमि: ₹ 86.25 लाख + भवन: ₹ 24.75 लाख + संयंत्र एवं मशीनरी: ₹ 1.36 लाख।

**ऋणी इकाई (ऋण खाता संख्या: 2305014247)**

निगम ने ऋणी को ₹ 10 लाख एवं ₹ 18.90 लाख के दो ऋण क्रमशः 1998 एवं 1999 के दौरान स्वीकृत किए थे। बकाए के पुनर्भुगतान में चूक करने पर, प्रकरण मुख्यालय स्तर की समिति (एचओएलसी) के समक्ष निपटारे के लिए रखा गया था (अक्टूबर 2005), जिसमें शास्ति ब्याज की माफी को निरस्त कर दिया गया एवं यह देखते हुए कि ऋणी की ऋण चुकाने में कोई रुचि नहीं थी तथा इकाई की एमआरवी बकाया के लगभग दोगुना थी, इसलिये एसएफसी अधिनियम की धारा 29/30 के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, निगम ने इकाई को कब्जे में नहीं लिया एवं ऋणी को नवम्बर 2005 से फरवरी 2010 तक कई अवसर जैसे शास्ति ब्याज की छूट, बकाया के भुगतान के लिए समय विस्तार प्रदान करना, बकाया का निपटान आदि प्रदान किये परन्तु ऋणी ने इनका अनुसरण नहीं किया था एवं इसने इकाई के निगम द्वारा अधिग्रहण के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय (न्यायालय) से स्थगन प्राप्त किया (मार्च 2010)। निगम ने स्थगन को हटवाने के लिए न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसने इसे आगे राजस्थान उच्च न्यायालय (न्यायालय) के मध्यस्थता केंद्र को भेज दिया। मध्यस्थता केंद्र ने निगम को निर्देश (25 फरवरी 2015) प्रदान किया कि वह प्रकरण का अपनी निपटान समिति के माध्यम से निपटारे के लिए विचार करे एवं 18 मार्च 2015 तक निर्णय की सूचना प्रदान करे। निगम की राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) ने प्रकरण को निपटारे का निर्णय किया (26 फरवरी 2016)। प्रकरण के निपटारे का निर्णय करने से पूर्व ही, मध्यस्थता केंद्र ने प्रकरण को आगे की कार्यवाही के लिए न्यायालय को वापस कर दिया था। मार्च 2019 तक ऋणी से वसूलनीय कुल बकाया की गणना ₹ 62.21 लाख थी। यह प्रकरण अभी भी न्यायालय में लंबित है एवं न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के कारण वसूली की कार्यवाही रुकी हुई है। (जून 2019)

लेखापरीक्षा ने देखा कि एचओएलसी द्वारा निपटारे से मना करने के उपरान्त भी, निगम ने ऋणी के विरुद्ध एसएफसी अधिनियम की धारा 29/30 के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही शुरू नहीं की थी एवं बकाया जमा करने के लिए इसे बार-बार अवसर प्रदान किये। अपेक्षित वसूली कार्यवाही में अत्यधिक विलम्ब की परिणीति वसूली पर स्थगन एवं प्रकरण में अनावश्यक कानूनी कार्यवाही के रूप में हुई। साथ ही, निगम मध्यस्थता केंद्र द्वारा प्रदान की गई समय सीमा के भीतर प्रकरण का निर्णय नहीं कर सका जिसके कारण कानूनी कार्यवाही जारी रही एवं बकाया की वसूली में और अधिक विलम्ब हुआ। निगम नौ वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी स्थगन को नहीं हटवा सका था। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि यह प्रकरण अभी भी राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन है। तथापि, उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों पर मौन था।

(शाखा कार्यालय, आबू रोड़)

**ऋणी इकाई (ऋण खाता संख्या: 2705193167 व 2705193168)**

निगम ने ऋणी को सम्पत्ति के समक्ष वित्त योजना (एफएएस) के अंतर्गत ₹ 70 लाख एवं ₹ 87 लाख के दो ऋण स्वीकृत किए (सितंबर 2009 एवं सितंबर 2011)। ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक पर, निगम ने इकाई के अधिग्रहण के लिए ऋणी को एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक कानूनी नोटिस जारी किया था (दिसंबर 2011), परन्तु ऋणी द्वारा अतिदेय ब्याज की राशि जमा कराने के कारण ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, एवं मार्च 2012 में ऋण पुनर्निर्धारित कर दिया गया था। ऋणी ने पुनर्भुगतान की संशोधित समय सारणी का पालन नहीं किया था। परिणामस्वरूप, निगम द्वारा इकाई को जुलाई 2015 में अधिग्रहित कर लिया गया था। ऋणी द्वारा छह महीने की अवधि में अतिदेय राशि को समाप्त करने के आश्वासन पर, निगम ने इकाई को ऋणी को वापस सौंप दिया था। तथापि, ऋणी ने आश्वासन का पालन नहीं किया था। इसके

उपरान्त भी, निगम ने मार्च 2017 में ऋण को पुनर्निर्धारित किया जिसका ऋणी द्वारा फिर से अनुपालन नहीं किया गया था। मार्च 2019 तक ऋणी के कुल अतिदेय की राशि ₹ 38.07 लाख थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पुनर्भुगतान में लगातार चूक के उपरान्त भी, निगम ने ऋणी के विरुद्ध एसएफसी अधिनियम की धारा 29/30 के अंतर्गत कार्यवाही करके बकाये की वसूली सुनिश्चित नहीं की थी। ऋणी द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान की संशोधित समयसारणी की अनुपालन नहीं करने के उपरान्त भी, निगम केवल नोटिस जारी करता रहा एवं ऋणी को आगे अवसर प्रदान करता रहा एवं जून 2019 तक इस प्रकरण में वसूली नहीं की जा सकी थी।

सरकार ने कहा कि निगम ने ऋणी को एक कानूनी नोटिस जारी किया था (जून 2019) एवं उसके पश्चात, ऋणी ने अनौपचारिक पुनर्निर्धारण के अनुसार अतिदेय के पेटे ₹ 4.20 लाख जमा (जुलाई एवं अगस्त 2019) किए थे।

उत्तर आश्वासनीय नहीं था क्योंकि निगम ने न तो ऋणी के साथ सहमत अनौपचारिक पुनर्निर्धारण के विवरण को स्पष्ट किया एवं न ही जमा राशि के समर्थन में आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत किये थे।

(शाखा कार्यालय, जयपुर (केन्द्रीय))

**अनुबंध-22**

(पृष्ठ संख्या 142 पर अनुच्छेद 5.1.22 में संदर्भित)

समपाश्चिर्क प्रतिभूतियों की उपलब्धता के उपरान्त भी बकाया की वसूली सुनिश्चित नहीं किये जाने वाले चार ऋण प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	ऋणी इकाई का ऋण खाता संख्या एवं संबंधित शाखा कार्यालय का नाम	31 मार्च 2019 को देय बकाया	राजस्व अधिकारियों के पास आरओडी दर्ज करने की तिथि/माह	टिप्पणी
1.	ऋण खाता संख्या: 2305011834 व 2305011835 (शाखा कार्यालय, आबू रोड)	0.25	अभी तक दर्ज नहीं की गयी	लेखापरीक्षा ने देखा कि समपाश्चिर्क प्रतिभूति उपलब्ध होने के उपरान्त भी, निगम ने इस प्रकरण में राजस्व प्राधिकारी के पास आरओडी दायर नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि निगम के एक दल ने प्रवर्तकों/जमानतदारों की समपाश्चिर्क प्रतिभूति एवं पूर्ववृत्तों के सत्यापन के लिए दौरा किया (8 नवंबर 2009) परन्तु यह उपरोक्त का पता नहीं लगा सका। परिणामस्वरूप, जून 2019 तक वसूली नहीं की जा सकी थी।
2.	ऋण खाता संख्या: 1605010730 (शाखा कार्यालय, झुंझुनू)	0.45	03 दिसम्बर 2009	निगम के एक दल ने प्रवर्तकों/जमानतदारों की समपाश्चिर्क प्रतिभूति एवं पूर्ववृत्तों के सत्यापन के लिए गुड़गांव का दौरा किया (11 सितंबर 2009, 15 अप्रैल 2010 एवं 22 जून 2010), परन्तु उनका पता नहीं लगाया जा सका। प्रवर्तकों/जमानतदारों की समपाश्चिर्क प्रतिभूति/विवरणों की पहचान नहीं होने के कारण, राजस्व प्राधिकारी ने दिसंबर 2011 में आरओडी वापस कर दी गई थी। विलम्ब से, निगम की एक अन्य टीम ने समपाश्चिर्क प्रतिभूति/प्रवर्तक/ जमानतदारों का पता लगाने के लिए दौरा किया था, परन्तु इस बार भी उनकी पहचान नहीं की जा सकी। इस प्रकार, प्रकरण में मूल आरओडी दाखिल करने से नौ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के उपरान्त भी कोई प्रगति नहीं हुई थी।
3.	ऋण खाता संख्या: 1605011460 (शाखा कार्यालय, झुंझुनू)	0.18	जून, 2005 एवं अगस्त, 2007	प्रवर्तकों/जमानतदारों की समपाश्चिर्क प्रतिभूति एवं पूर्ववृत्तों के सत्यापन के लिए निगम के एक दल ने दौरा किया (अगस्त 2010) परन्तु उसका पता नहीं लगा सका। तत्पश्चात, समपाश्चिर्क प्रतिभूति/प्रवर्तक/जमानतदार का पता लगाने के कोई भी प्रयास अभिलेखों में नहीं पाये गये थे। यह भी देखा गया था कि प्रवर्तकों/ जमानतदारों की समपाश्चिर्क प्रतिभूति/विवरण की पहचान नहीं होने के कारण, राजस्व प्राधिकारी ने अप्रैल 2011 में आरओडी वापस कर दी थी।
4.	ऋण खाता संख्या: 2305012675 (शाखा कार्यालय, आबू रोड)	0.14	10 अक्टूबर 2007	प्रवर्तकों/जमानतदारों की समपाश्चिर्क प्रतिभूति एवं पूर्ववृत्तों के सत्यापन के लिए निगम के एक दल ने दौरा किया (7 नवंबर 2009), परन्तु इसका पता नहीं लगा सका। अपेक्षित विवरणों के अभाव में, आरओडी राजकोट के राजस्व प्राधिकारियों के पास लंबित थी एवं प्रकरण में आरओडी दाखिल करने से 11 वर्ष से अधिक समयवाधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वसूली नहीं हो सकी थी।
	<b>कुल</b>	<b>1.02</b>		

## अनुबंध-23

(पृष्ठ संख्या 153 पर अनुच्छेद 5.2.6 में संदर्भित)

टेकेदार अ द्वारा लंबित कार्यों का विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र.सं.	लंबित कार्यों का विवरण
<b>मैकेनिकल</b>	
1.	बायलर हाई प्रेशर हीटर इंसुलेशन बैलेंस
2.	वाटर सर्कुलेशन सिस्टम - वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट इंस्टालेशन बैलेंस
3.	वाष्प रिकवरी सिस्टम
4.	इवोपॉरेटर से लाइव स्टीम कनेक्शन बैलेंस
5.	थर्ड अविलबिलिटी बेस्ड टैरिफ (एबीटी) मीटर अलाइड इक्विपमेंट जैसे की करंट ट्रांसफार्मर (सीटी) पावर ट्रांसफार्मर (पीटी) आइसोलेटर इत्यादि की आपूर्ति, स्थापना एवं प्रारम्भ।
<b>बॉयलिंग हाउस इंस्ट्रूमेंटेशन</b>	
6.	बॉयलिंग हाउस कण्ट्रोल रूम इन-आउट पैनल फरलिंग
7.	शील्ड एंड पावर अर्थिंग
8.	कॉपर अर्थिंग स्ट्रिप कनेक्टेड फ्रॉम डेक कण्ट्रोल सिस्टम (डीसीएस) पैनल टू अर्थिंग पिट
9.	अर्थिंग नॉट कनेक्टेड टू आल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन बोइलिंग हाउस
10.	मोलासेस वेईंग हॉपर सिस्टम
<b>मिल हाउस इंस्ट्रूमेंटेशन</b>	
11.	शील्ड एंड पावर अर्थिंग
12.	कॉपर अर्थिंग स्ट्रिप कनेक्टेड फ्रॉम डीसीएस पैनल टू अर्थिंग पिट
<b>बायलर एंड टरबाइन एरिया इंस्ट्रूमेंटेशन</b>	
13.	सेकेंडरी फैन (एसए फैन) सक्शन एंड डिस्चार्ज पावर सिलिंडर इरेक्शन एंड कमीशनिंग वर्क
14.	फोर्सर्ड ड्राफ्ट (एफडी) फैन पावर सिलेण्डर इरेक्शन एंड कमीशनिंग वर्क
15.	रिवर्स ओसमोसिस (आरओ) एंड डेमिनरलीजेशन (डीएम) प्लांट ऑपरेशन एंड कण्ट्रोल थ्रू बायलर डीसीएस सिस्टम
16.	डीएम स्टोरेज टैंक लेवल ट्रांसमीटर

17.	एनर्जी मीटर फॉर पावर जनरेशन एंड कन्जम्पशन रिपोर्ट
18.	शील्ड एंड पावर अर्थिंग पिट नीड्स टू बी सेपरेट एंड कॉपर स्ट्रिप लेइंग फ्रॉम पिट टू डीसीएस पैनल ऑफ टरबाइन एंड बायलर सेक्शन
19.	एयर ड्रायर फॉर शुगर एयर कंप्रेसर
20.	एननशिएटर विथ इलेक्ट्रॉनिक हूटर

अनुबंध -24

(पृष्ठ संख्या 180 पर अनुच्छेद 5.5 में संदर्भित)

वर्ष 2012-19 के दौरान जेआरपी खान से रॉक फॉस्फेट के खनन हेतु चार ठेकों में डीजल के उपभोग पर अतिरिक्त लागत (सेवा कर के अतिरिक्त) को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम	ब्लॉक की संख्या (खान का नाम)	ठेका प्रदान करने की तिथि	उत्खनित मात्रा (लाख बीसीएम में)	डीजल उपभोग के मानक (प्रति बीसीएम लीटर)	डीजल उपभोग की मात्रा (लाख लीटर में)	डीजल पर वहन की गई अतिरिक्त लागत (₹ करोड़ में)	सेवा कर की प्रचलित दरों <sup>12</sup> पर अतिरिक्त सेवा कर (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9
<b>ए</b>	<b>2012-16</b>							
1	ठेकेदार अ	ए एवं बी	5 दिसम्बर 2012	38.78	1.10	42.66	2.38	0.31 <sup>13</sup>
		सी एवं डी		28.01	1.21	33.89	1.64	0.21 <sup>14</sup>
		ई एवं एफ		38.81	1.07	41.53	1.92	0.26 <sup>15</sup>
	<b>कुल (ए)</b>			<b>105.60</b>		<b>118.08</b>	<b>5.94</b>	<b>0.78</b>
<b>बी</b>	<b>2016-19</b>							
2	ठेकेदार स	ए विस्तार, ए एवं बी (पश्चिमी स्थान)	3 नवम्बर 2016	38.94	1.05	40.89	2.47	0.37
3	ठेकेदार ब	सी, डी एवं ई (मध्य स्थान)	20 मई 2016	94.86	1.21	114.78	7.47	1.12
4	ठेकेदार ब	एफ एवं जी (पूर्वी स्थान)	1 जुलाई 2016	49.03	1.04	50.99	3.51	0.53
	<b>कुल (बी)</b>			<b>182.83</b>		<b>206.66</b>	<b>13.45</b>	<b>2.02</b>
	<b>कुल योग (ए+बी)</b>			<b>288.43</b>		<b>324.74</b>	<b>19.39</b>	<b>2.80</b>

- 12 सेवा कर की प्रचलित दर 31 मई 2015 तक, 1 जून 2015 से 14 नवम्बर 2015, 15 नवम्बर 2015 से 31 मई 2016 एवं 1 जून 2016 से क्रमशः 12.36 प्रतिशत, 14 प्रतिशत, 14.50 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत थी।
- 13 ₹ 1.42 करोड़ का 12.36 प्रतिशत, ₹ 0.34 करोड़ का 14 प्रतिशत एवं ₹ 0.62 करोड़ का 14.50 प्रतिशत।
- 14 ₹ 1.08 करोड़ का 12.36 प्रतिशत, ₹ 0.38 करोड़ का 14 प्रतिशत एवं ₹ 0.18 करोड़ का 14.50 प्रतिशत।
- 15 ₹ 1.00 करोड़ का 12.36 प्रतिशत, ₹ 0.43 करोड़ का 14 प्रतिशत एवं ₹ 0.49 करोड़ का 14.50 प्रतिशत।





© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<http://www.agraj.cag.gov.in>